# राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 5] पंचम् विधान सभा के पंचम् सत्र का चतुर्थ दिवस [संख्या 3



मंगलवार,
दिनांक 5 मार्च, 1974

विधान सभा की बैठक म० पू० 11.1 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

[राजस्व, वित्त, कृषि, सहकारिता, खनिज, पंचायत, योजना, पशुपालन, आबकारी, खाद्य, स्वायत्त शासन, वन, जन-स्वास्थ्य]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न ! श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

## बाड़मेर एवं जैसलमेर जिले में खनिज सम्पदा का सर्वे

31. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में खनिज सम्पदा की खोज के लिये कब-कब सर्वे किया ? सर्वे रिपोर्ट की प्रतियां सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या सरकार उक्त जिलों में खनिज सम्पदा की खोज के लिये नये सिरे से सर्वे कराने का विचार रखती है ? यदि हाँ, तो कब और किस एजेन्सी द्वारा ?

(3) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में पेट्रोल एवं गैस की प्राप्ति के लिये सर्वे गत पांच वर्षों से चालू है ? यदि हां, तो सर्वे की क्या प्रगति है ?

राज्य मंत्री, खनिज (श्री जुझारसिंह) : (1) राज्य सरकार के खान एवं भू-गर्भ विभाग द्वारा समय-समय पर जैसलमेर और बाड़मेर जिले में सर्वेक्षण एवं पूर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसकी सूचना संलग्न तालिका में है।

उपरोक्त परियोजनाओं पर जो कार्य किये गये उनकी संक्षिप्त रिपोर्ट सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सर्वे जारी है।

(3) जैसलमेर जिले में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पेट्रोलियम की उपलब्धि के लिये जांच की जा रही है। शीघ्र कार्य किया जा रहा है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, यह सिलिशियस माटी की जो खोज बाड़मेर

②



( श्री वृद्धिचन्द्र जैन )
और जैसलमेर में चल रही है उसकी क्या प्रगति हुई उसके बारे में पूछ रहा हूँ।

**श्री जुझारसिंह** : क्या कहा आपने ? कौन सी माटी ?

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : मैं सिलिशियस अर्थ की खोज के बारे में पूछ रहा हूं। यह राजस्थान सरकार के खान एवं भू-विज्ञान विभाग उदयपुर की राजस्थान में खनिज विकास की प्रगति 1973–74 की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, उसके बारे में इसमें लिखा है कि 'शिव, जिला बाड़मेर में सिलिशियस अर्थ की खोज : तहसील शिव के माटी का गोल नामक स्थान पर सिलिशियस अर्थ के विस्तृत भण्डार की खोज की गई है। इस खोज का कार्य अभी उस क्षेत्र में पानी भर जाने से बन्द कर दिया गया है, जो शीघ्र ही पुनः चालू किया जायेगा।" इस कार्य के लिए पूछ रहा हूं कि कब तक चालू किया जायेगा वह और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

**श्री जुझारसिंह** : इसका काम चालू है और काफी काम हो गया है। मैंने जो आपको रिपोर्ट दी है उसके अन्दर मेन्शन कर दिया गया है। Substantial results are expected. Prospecting is still under progress.

इसमें आपको दिया हुआ ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : मेरा प्रश्न यह है कि जो रिपोर्ट खनिज विभाग की राजस्थान में खनिज विकास की प्रगति 1973-74 में दिया है कि पानी उस क्षेत्र में भर गया है इसलिए काम बन्द है मैं, उसे चालू करने के बारे में कह रहा हूं।

**श्री जुझारसिंह** : यह पूरा तो कब होगा यह तो पूरी तरह से अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आपने जो यह रिपोर्ट पढ़ी है उसमें जो लिखा वह बात नहीं है, क्योंकि वह तो बरसात के कारण कुछ प्रोगेस में कमी आयी थी क्योंकि बरसात से टेम्परेरी ऑब्स्ट्रक्शन्स आ गये थे पर बाद में वह काम शुरू हो गया था। वह काम प्रोग्रेस पर है। मैं समझता हूँ कि पांच साल में हो जायेगा।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** ( जौहरी बाजार ) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह बहुत ही अहम प्रश्न है। आज पेट्रोलियम और गैस दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं और उसका अगर सर्वे रुका हुआ है तो काफी मुश्किल जनता को होगी। आज दुनियां में वैसे भी काफी पेट्रोलियम और गैस की कमी हो रही है। हम तो मंत्री महोदय से यह पूछना चाहते हैं कि इसकी क्या प्रगति हुई और यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा। इस विषय में केन्द्रीय सरकार के नेचुरल ऑइल एण्ड गैस कमीशन से भी बातचीत करके इसको जल्दी से जल्दी पूरा कराने की व्यवस्था की जानी चाहिए। और इसके बारे में केन्द्रीय सरकार हमें इसे पूरा करने में कितनी हैल्प करती है वह हैल्प उनसे लेकर इसे जल्दी पूरा करना चाहिए, इसके बारे में मंत्री महोदय क्या करने जा रहे हैं। यह अहम प्रश्न है मेरा।

**श्री जुझारसिंह** : माननीय सदस्य को यह जानकारी देना चाहता हूं कि वैसे

# Page No 3

(3)



( श्री जुझारसिंह )
ही यह सर्वे केन्द्रीय सरकार द्वारा ही किया जा रहा है। राजस्थान सरकार ने तो जब उन्होंने लाइसेन्स मांगा तो उन्हें दे दिया।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : यह कार्य राजस्थान सरकार के ज्यादा हित में है इसलिए राजस्थान सरकार को इसमें इन्ट्रेस्ट लेना चाहिये। उनके बारे में क्या कदम राज्य सरकार उठा रही है? राज्य सरकार को चाहिए कि अगर नेचुरल ऑइल एण्ड गैस कमीशन इन्ट्रेस्ट कम ले तो राजस्थान सरकार ही इसमें विशेष इन्ट्रेस्ट लेकर इसे पूरा करावे।

**श्री जुझारसिंह** : राजस्थान सरकार इन्ट्रेस्ट ले रही है उन्होंने लाइसेन्स मांगा तो हमने उन्हें दे दिया। भारत सरकार उसमें एक्सप्लोरेशन कर रही है और बीच में पेपर में आया था कि कुछ ट्रबल्स हो गई थीं इसलिये काम में थोड़ी रुकावट आयी।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** ( मावली ) : यह आप इन्फोर्मेशन पेपर से न लेकर भारत सरकार के ऑइल एण्ड नेचुरल गैस कमीशन से सम्पर्क स्थापित करके प्रोग्रेस का पता लगावें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शंकरलाल !

**श्री केदारनाथ** ( गंगानगर ) : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न माननीय मन्त्रीजी यह है कि....

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : अध्यक्ष महोदय, मैं तो यह चाहता हूं कि इसकी जानकारी प्राप्त करके बतावें। राज्य सरकार को अभी तक जानकारी तक प्राप्त नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : जो जवाब इन्होंने मांगा था वह उन्हें मिल गया है।

**श्री केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक प्रश्न यह है कि जैसलमेर में और बाड़मेर वगैरह में सर्वे कार्य चल रहा है और आप इसका हैड ऑफिस रखते हैं जोधपुर में जो कि सर्वे जहां हो रहा है उससे 250 मील दूर है। इसमें क्या सेन्स है ऑन दी स्पाट ही हैड ऑफिस क्यों नहीं रहता ?

**श्री जुझारसिंह** : अध्यक्ष महोदय, इस सर्वे से हैड ऑफिस का क्या ताल्लुक है क्योंकि सर्वे तो पार्टी करती है। यह जियोलॉजिकल डिपार्टमेन्ट का अगर दफ्तर जोधपुर में है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हैड ऑफिस तो केवल कन्ट्रोलिंग बॉडी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।

**श्री लक्ष्मणसिंह** ( डूंगरपुर ) : अध्यक्ष महोदय, एक मेरा भी प्रश्न है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वहां पर अभी एक्सप्लोरेट्री वर्क ही चल रहा है या उससे आगे भी कोई एक्सटेन्सिव वर्क हुआ है ?

**श्री जुझारसिंह** : अभी तो एक्सप्लोरेट्री स्टेज ही है।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, पांच वर्ष बाद भी एक्सप्लोरेट्री स्टेज ही चल रही है? इतने दिनों तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई ?

**श्री जुझारसिंह** : अध्यक्ष महोदय, पहले इसका सर्वे किया गया सन् 56 में। पर उस वक्त इसके ट्रेसेज नहीं हुए, लेकिन बाद में और 1973 में इसके लिये लाइसेन्स की मांग की गई तो राज्य सरकार ने उसे लाइसेन्स दे दिया तो कार्य चल रहा है।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : इसकी खुदाई में क्या प्रोग्रेस हुई अब आगे क्या प्रगति होने को है ?

**श्री अध्यक्ष** : कह दिया ना कि सर्वे हो रहा है, बता तो दिया ।

**श्री वृद्धिचन्द्र जैन** : आखिर इसका सर्वे कब तक खत्म हो जायगा ?

**श्री केदारनाथ** : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय की जानकारी के लिये यह बात बता देना चाहता हूँ कि केन्द्रीय सरकार के प्लानिंग कमीशन ने अब एक स्पेशियल सेल इसके लिये क्रियेट किया । गवर्नमेन्ट को चाहिये कि इससे कन्सल्ट करके इसे कम्प्लीट करावे ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शंकरलाल ! (मन्त्री महोदय की तरफ देख कर) आप जवाब दे रहे हैं क्या ?

**श्री जुझारसिंह** : अध्यक्ष महोदय, बात यह है कि सर्वे वर्क चल रहा है वहां चूंकि पहले सिचुएशन खराब हो गई थी । पाकिस्तानमें उस एरिया के पास में पेट्रोलियम की सम्भावना थी । हमारे यहां से भी इस बारे में पेट्रोलियम की खोज के प्रॉसपेक्टिंग रिजल्ट आने की गुन्जायश हुई तो काम चल रहा है और यह एक्सप्लोरेशन का कार्य ऐसा है कि एक दिन में या एक साल, कितने समय में इसका रिजल्ट आये आप एट हैण्ड नहीं कह सकते । इसलिये मैं इस बात का आश्वासन नहीं दे सकता कि कब तक रिजल्ट निकलेगा । चूंकि वहां पर सर्वे टीम काम कर रही है । पहले वहां पर 400 मीटर की खुदाई की गयी और बाद में वहां पर 2 हजार मीटर की खुदाई चल रही थी । अब वहां पर जल्दी हो रिजल्ट निकलने की सम्भावना है ।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शंकरलाल !

## केन्द्र से प्राप्त अनाज का वितरण

32. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

गत तीन माह में राज्य सरकार को उसकी मांग की तुलना में किस-किस प्रकार का कितना अनाज कब-कब केन्द्र सरकार से प्राप्त हुआ और उसका वितरण जिलेवार कितना-कितना कब-कब किस आधार पर किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

**खाद्य मन्त्री ( श्री शिवचरण माथुर )** : राज्य की मांग व केन्द्र से प्राप्त आवन्टन की सूची परिशिष्ट 'अ' तथा जिलेवार आवन्टन की सूची परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

( कृपया परिशिष्ट 2 देखिये )

**श्री शंकरलाल** : अध्यक्ष महोदय, सूची रख दी वह तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रश्न तो स्पष्ट है कि किस-किस प्रकार का कितना अनाज कब-कब केन्द्र से प्राप्त होकर आपने आवन्टन किस आधार पर किया उसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी । इसका मतलब यह हुआ है कि जो मैंने सूचना चाही थी वह मुझे नहीं मिली ।

**श्री शिवचरण माथुर** : मैंने कल ही निवेदन कर दिया था मूलतः 45 लाख की आबादी के आसपास पर 15 हजार टन अनाज को बांटने की कोशिश की गई थी यही आधार था ।

# Page No 5

(5)



**श्री शंकरलाल :** जितने भी एलॉटमेन्ट किये गये हैं क्या पापुलेशन के बेसिस पर ही किये हैं या वेरियेशन्स भी हुए हैं ?

**श्री शिवचरण माथुर :** थोड़े बहुत वेरियेशन्स हुए हैं। कहीं बाजार में गेहूं की एवेलेबिलिटी है तो कम दे देते हैं।

**श्री शंकरलाल :** किसी जगह ज्यादा और किसी जगह कम मिलने से लोगों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और इस कारण लोगों में असंतोष है। निश्चित तारीख तक वहां गेहूं पहुँच जाना चाहिये लेकिन फिर भी अधिक समय लगा देते हैं। इसलिये मैंने आपसे डेट्स पूछी थीं। डिपार्टमेन्ट वाले उपलब्ध कराते नहीं और आपको गलतफहमी में रखते हैं।

**सुश्री शकुन्तला ( आमेर ) :** इस प्रश्न को स्थगित कर दिया जाय क्योंकि माननीय सदस्य जो सूचना चाह रहे हैं उसके अनुसार आपका उत्तर नहीं है।

**श्री शिवचरण माथुर :** केन्द्र से निश्चित आवंटन को तिथि नहीं होने से निश्चित तिथि के लिये यहां पर भी नहीं कहा जा सकता है। जैसे ही केन्द्र से आवंटन होता है तीन-चार दिन में ही सचिवालय से आदेश प्रसारित कर दिये जाते हैं। कोशिश यह की जाती है कि जिलों में शीघ्रातिशीघ्र आवंटन हो जाय। केन्द्र से आवंटन की तिथि निश्चित नहीं होने से अपने यहां भी निश्चित तारीख नहीं कह सकते हैं।

**श्री शंकरलाल :** आपने आदेश कब दिये और आपको केन्द्रीय सरकार ने कब आवंटित किया यह तिथि तो आप दे ही सकते हैं और इस तरह से यह पता लग सकता है कि ठीक प्रकार से व्यवस्था की जा रही है या नहीं। दूसरी बात निवेदन करूँ कि दिसम्बर में 20 हजार टन माइलो मिला उसमें से 8710 टन ही एलॉट किया गया। इसका क्या कारण है ?

**श्री शिवचरण माथुर :** माइलो का आवंटन तो आवश्यकतानुसार ही किया जा सकता है। जहां से डिमाण्ड आती है तो इसका एलॉटमेंट किया जाता है। रोका नहीं है।

**श्री शंकरलाल :** 20 हजार टन माइलो मिला उसमें से 8710 टन ही एलॉट किया तो क्या उसकी मांग नहीं थी ? गांवों में मांग होती है और एलॉट नहीं करते हैं। हमारे एरिया में जरूरत है। एलॉट नहीं किया गया।

**श्री शिवचरण माथुर :** माइलो की जहां पर जितनी आवश्यकता होती है डिमाण्ड के अनुसार एलॉट कर देते हैं। कई बार यह देखा गया है कि माइलो का आवंटन कर दिया लेकिन लिया ही नहीं। गेहूं की डिमाण्ड ज्यादा है और माइलो आमतौर पर उठता नहीं है।

**श्री मनोहरलाल ( कामां ) :** गेहूं का आवंटन शहरी आबादी को ही ध्यान में रख कर करते हैं और गांवों की आबादी का इस ओर बिलकुल खयाल नहीं रखते हैं ? क्या यह सही है ?

**श्री शिवचरण माथुर :** जी नहीं। आवंटन 15 हजार टन मिला उसका किया गया। हमारी डिमाण्ड अधिक की थी लेकिन हमको केन्द्र से कम ही मिला।

**श्री शंकरलाल** : क्या केन्द्र सरकार ने हमेशा के लिये यह फिक्स कर दिया है ? 3 हजार टन और मिला तो उसको किस प्रकार एलॉट किया है ?

**श्रीमती जमना सोलंकी** ( केकड़ी ) : अध्यक्ष महोदय, मुझे यह पूछना है कि कलेक्टर से यह मालूम हुआ है कि ऊपर से ऐसे आदेश हैं कि शहरी आबादी को ही गेहूँ एलॉट किया गया है और दूसरों को नहीं ?

**श्री जयकिशन तोसावड़ा** : ( फागी ) ग्रामीण लोग डिमाण्ड करते हैं तो क्या सरकार गेहूं की व्यवस्था करेगी ?

**श्री शिवचरण माथुर** : जैसा मैंने निवेदन किया भारत सरकार से जो आवंटन मिलता है उसको हम कलेक्टर्स को अलग-अलग आवंटन कर देते हैं। वे अपने क्षेत्रों को डिस्ट्रिब्यूट करते हैं। तीन हजार टन गेहूं का आवंटन मिलने के बाद तीन किलो के हिसाब से वितरित हो जावेगा।

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : होली तो निकाल ही देंगे।

**श्री अध्यक्ष** : श्री भानुकुमार शास्त्री !

## पंचायत समिति, किशनगढ़वास के प्रधान द्वारा सरकारी वाहन का उपयोग

31. **श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) प्रधान, पंचायत समिति किशनगढ़वास अलवर ने वर्तमान पद पर रहते हुए अब तक कुल कितना टी. ए., डी. ए. उठाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) प्रधान, पंचायत समिति, किशनगढ़वास अलवर ने अब तक सरकारी वाहन का कहां-कहां के लिये उपयोग किया ? लॉग बुक की प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त प्रधान ने सरकारी वाहन को निजी उपयोग में लिया है ? यदि हां, तो कब-कब और उसका कितना-कितना पैसा सरकारी कोष में जमा कराया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

**पंचायत मंत्री** (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) प्रधान द्वारा अब तक टी. ए., डी. ए. के कुल 9,921.85 पैसे का भुगतान प्राप्त किया है। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्रधान द्वारा की गयी यात्राओं की लॉग बुक की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी नहीं। अतः राशि जमा करवाये जाने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : क्या मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि लॉग बुक के अन्दर प्रधान ने आउट ऑफ दी स्टेट जाकर शादी में शरीक हुए है उसकी एन्ट्रीज की हैं ? वे मथुरा गये थे शादी में।

**श्री रामनारायण चौधरी** : अध्यक्ष महोदय, प्रधान ने जो यात्रायें की हैं और अपनी यात्रा में वाहन का उपयोग किया है वह लॉग बुक में दिखाया गया है और लॉग बुक की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : उत्तर में यह नहीं है । शादी में गये थे मथुरा और इसी जीप को लेकर गये । पंचायत समिति के क्षेत्र से बाहर चले जायं और लॉग बुक में उल्लेख नहीं करके केवल दूसरा ही नाम मात्र का उल्लेख कर दिया जाय तो क्या आप इसकी जांच करवायेंगे कि कहां-कहां यात्रायें की हैं और बाहर यात्रा की है तो प्रधान उसका भुगतान अपनी जेब से करे ?

**श्री रामनारायण चौधरी** : हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है कि प्रधानजी मथुरा गये ।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** ( जौहरी-बाजार, जयपुर ) : फलां पंचायत वाले ने यदि जीप का दुरुपयोग किया है तो सरकार का यह जवाब नहीं हो सकता है कि हमारे पास जानकारी नहीं है । इसका मतलब तो यह हुआ कि सरकार जागरुक नहीं है । गवर्नमेन्ट के रिप्रेजेन्टेटिव पब्लिक के नुमाइन्दे यदि इस प्रकार जागरुक नहीं हैं तो उचित नहीं कहा जा सकता है । मथुरा शादी के मौके पर गये तो आपको यह जवाब देना चाहिये कि इसकी इन्क्वायरी कराऊंगा । इसका यह जवाब नहीं है कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है । इस तरह का वाहन का दुरुपयोग हो रहा है मिनिस्टर साहबान के बच्चे स्कूलों में गाड़ियों से जाते हैं ।

**श्री अध्यक्ष** : No speech please.

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : जवाब यह दिया गया है, यह सही नहीं है ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : पंचायत समिति क्षेत्र से बाहर कितनी बार गये, कितना उल्लंघन किया ? मथुरा गये हैं शादी में इसी जीप को लेकर ।

**श्री रामनारायण चौधरी** : पंचायत समिति के उपलब्ध रेकार्ड में और लॉग बुक के अन्दर कहीं यह नहीं बताया गया है कि प्रधान निजी काम से बाहर पंचायत क्षेत्र के गये ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : क्या खर्चा चार्ज किया सो वापस जमा करायेंगे ?

**श्री रामनारायण चौधरी** : प्रश्न ही नहीं उठता ।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : इसकी जांच करवायेंगे ?

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट ।

## जैसलमेर जिले में फायरिंग रेंज

31. **श्री मोहरसिंह** ( चूरू ) : क्या राजस्व मंत्र यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) जैसलमेर जिले में फायरिंग रेंज कब बनाई गई थी ? इसके अन्तर्गत कितनी भूमि आई तथा कितने लोगों को अपनी जमीन व घरबार छोड़ना पड़ा ?

(2) हटाये गये लोगों को अब तक क्या मुआवजा दिया गया ? उनको हटाते वक्त उनके साथ क्या-क्या शर्तें तय की गई थीं ? क्या उन शर्तों की पूर्ति कर दी गई है ? यदि नहीं तो क्यों ?

(3) अब कब तक उपरोक्त लोगों को बसा दिया जावेगा ?

Page No 8

(8)



**राज्यमंत्री, राजस्व** ( श्री मूलचन्द मीणा) : (1) जैसलमेर जिले में फील्ड फायरिंग रेंज सन् 1966 में बनाई गई थी। इसके अन्तर्गत करीब 630 वर्गमील भूमि आई है व 2709 परिवारों को अपना घरबार छोड़ना पड़ा।

(2) हटाये गये परिवारों को रु० 1,07,01,997.98 का मुआवजा व रु० 23,46,000.00 एक्सग्रेशिया दिया जा चुका है। उनको हटाते वक्त कोई शर्त नहीं रखी गई थी।

(3) सभी परिवारों को उनकी इच्छानुसार ग्रामों में बसा दिया गया है।

**श्री मोहरसिंह** : यह उत्तर दिया गया कि सब ही लोगों को बसा दिया गया यह एकदम गलत है। सूची दी जाय कि लोगों को कहां-कहां बसाया गया है और कब-कब बसाया गया ?

**श्री मूलचन्द** : सूची चाहते हैं तो वह दे दी जावेगी।

**श्री भोपालसिंह** (जैसलमेर): मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि खेतड़लाई, चाचा वगैरा में अभी तक भी मुआवजा नहीं दिया गया क्योंकि स्वीकृति नहीं आयी ?

**श्री मूलचन्द** : जिन गांवों के लिये माननीय सदस्य ने बताया 7½ लाख की स्वीकृति 74-75 में हो गयी है और डिस्ट्रिब्यूट कर दिया जावेगा।

**श्री भोपालसिंह** : इस वर्ष क्यों नहीं कर दिया जायगा ?

**श्री मूलचन्द** : इस वर्ष के लिए मजबूरी है।

**श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : दो माननीय सदस्यों द्वारा यह आरोप लगाया गया है कि उनको बसाया नहीं गया और न ही मुआवजा मिला। मंत्री महोदय की जानकारी के अनुसार वे कहते हैं कि मुआवजा मिल गया। किन्तु सदन के दो सम्माननीय सदस्यों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनको मुआवजा नहीं मिला है और न ही लोगों को बसाया गया है तो क्या उन आरोपों के सम्बन्ध में आप जांच करायेंगे और मंत्री महोदय सदन के समक्ष आश्वासन देंगे ?

**राजस्व मंत्री** ( श्री परसराम मदेरणा ): माननीय अध्यक्षजी, जहां तक कम्पेन्सेशन देने का प्रश्न है, उसमें एवार्ड के अनुसार जो देना था वह तो मिल ही रहा है। वह एवार्ड रेन्ट रेट के आधार पर दिया गया था। उसके अगेन्स्ट राज्य सरकार ने महसूस किया कि रेन्ट रेट तो एक आना-डेढ़ आना और दो आना उस इलाके में है जिससे कम्पेन्सेशन बहुत कम बनता है। फिर इसमें जैसलमेर के स्पेशल सरकमस्टान्सेज हैं तो इसमें कम से कम बीस गुना ऑफ दी रेन्ट रेट के आधार पर यह मिलना चाहिये। 72 में भारत सरकार की डिफेन्स मिनिस्ट्री ने सिद्धान्त के तौर पर इससे सहमति जाहिर की। उसके डिफरेन्स का 23 लाख 46 हजार रुपया होता था, वह मिल गया और उसका तो डिसबर्समेन्ट भी हो गया।

पर इसके बाद कुछ रेफेरेन्सेज सिविल कोर्ट्स में भी थे। इस पर आपस में बैठकर यह डिसीजन लिया गया कि इसके लिये भी एक्सग्रेशिया कुछ रकम देंगे और इसके अनुसार वे केसेज भी कोर्ट से वापस ले लेंगे। यह हमारा समझौता था। प्राइवेट

(श्री परसराम मदेरणा)
पार्टियों ने भी इस पर केसेज विघड़ा कर लिये । फालना और छाको इन दो गांवों के मामले में दुबारा जब केलकुलेट किया गया तो साढ़े सात लाख बना। इसके अगेन्स्ट में 1 लाख का प्रावधान तो कलेक्टर के पास कर दिया गया है जो उसके पास है उसे हम 31 मार्च से पहले-पहले डिसबर्स कर रहे हैं। अब 6½ लाख का प्रश्न बाकी रहता है। हमने इसके लिये भारत सरकार को लिखा है । हम अपने वित्त मन्त्रीजी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगली साल में 6½ लाख का इसके लिये प्रावधान रखें।

अब प्रश्न जहां तक बसाने का है, जिन गांवों में उन लोगों ने बसने की इच्छा जाहिर की उसकी एक लिस्ट हमने बना दी थी। 4 गांवों को तो 67 में खाली करा दिया था। 21 गैर आबाद थे। 14 को जैसलमेर में हमने कह दिया। जैसलमेर सिटी में आवासीय क्षेत्र की कमी नहीं है। लाठी या गोविन्दगढ़ में अगर जाना चाहें तो वहां भी कमी नहीं है। सवाल एग्रीकल्चरल खेती की जमीन का है। इसके लिये डेफिनिटली तो नहीं कह सकता पर कुछ मांगें उनकी ये थीं कि हमें जैसलमेर में जिस हिस्से में राजस्थान केनाल का पानी आने वाला है वह एलॉट कर दें। एज ए कॉलोनाइजेशन मिनिस्टर मैंने इसके लिये भी आदेश दे दिया कि आई. टो. सी. पर 75 बीघा दे दिया जावे। पानी आने के बाद क्या हालत बनेगी वह तब देख लेंगे तो इस कमाण्ड एरिया में भी वे चाहें तो जमीन दे दी जावे यह आदेश भी दे दिये गये हैं। कलेक्टर ने इस आदेश के अन्तर्गत एप्लीकेशन्स मांगी हैं। यह सारी स्थिति है जो मैंने स्पष्ट कर दी है।

श्री **निरंजननाथ आचार्य** : आप आरम्भ ही रखिये।

श्री **परसराम मदेरणा** : मैं यह सब इसलिये अर्ज कर रहा हूं कि विरोधी पक्ष के माननीय नेता महोदय ने जो यह कहा कि राज्य सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है; राज्य सरकार पूरी तरह से जागरुक है इस मामले में और बराबर ध्यान दे रही है। इन विस्थापितों के पुनर्वास के लिये वह सब कुछ कर रही है जो किया जा सकता है।

श्री **अध्यक्ष** : नेक्स्ट। श्री भीमसेन !

## पांचवीं योजना में मरुस्थलीय क्षेत्रों का विकास

35. श्री **भीमसेन** (लूणकरणसर) : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पांचवीं योजना के दौरान राज्य के मरुस्थलीय क्षेत्रों के विकास हेतु कोई विशेष संस्थान स्थापित करने की योजना है ? अगर हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**वित्त मंत्री** (श्री चन्दनमल बैद) : जी नहीं। क्योंकि विस्तृत विचार के उपरान्त मरुस्थलीय जिलों के विकास हेतु जिलों के स्तर पर ही अधिकरण (एजेन्सियां) स्थापित करना प्रशासनिक दृष्टि से उचित समझा गया है।

श्री **भीमसेन** : भिन्न भिन्न विभाग इसके लिये अपने अपने तरीकों से अलग-

(श्री भीमसेन)
अलग काम कर रहे हैं, जिनमें आपस में कोई सामन्जस्य नहीं होने से इन योजनाओं का जितना लाभ होना चाहिये था नहीं हो पा रहा है, इसके लिये आपने क्या सोचा है ?

श्री चन्दनमल बैद : वही तो मैं कह रहा हूं। डिफ़रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स जो आज इस बारे में वहां अलग-अलग अनुसंधान या काम कर रहे हैं उनके कामों में, आपस में कोआर्डिनेशन हो इसके लिये एक जिलेवार एजेन्सी जिलाधीश के तहत बना दी जावेगी जिसमें अलग-अलग विभाग के प्रोजेक्ट आॅफिसर उसके मेम्बर होंगे। वे सारी योजनाओं को इन्टेग्रेट करके सारे कार्य-क्रम को जिलों में समान स्तर पर फैलावेंगे, और इसमें जो पैसा खर्च होगा साल खतम होने के बाद भी वह लेप्स नहीं होगा। अगले साल कन्टीन्यू करेगा।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : अलग-अलग डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट को एक ही जगह एक-दूसरे को एडजस्ट करते हुए आप नहीं चलाना चाहते हैं ?

श्री चन्दनमल बैद : जी, ऐसे ही चलाना चाह रहे हैं।

श्री भीमसेन : कलेक्टर के पास वैसे ही बहुत अधिक काम का प्रेशर रहता है। ऐसी स्थिति में क्या यह काम भी वे ठीक तरह से कर पावेंगे ?

श्री शंकरलाल : मरुस्थलीय सेन्टरों के लोगों को भी इसमें रख लीजिये।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : पांचवीं योजना में इसके लिये कितनी धनराशि रखी गई है ?

श्री चन्दनमल बैद : पूरा खाका अभी तय नहीं हुआ है इसलिये इसके लिये निश्चित रूप से कुछ कहना मुश्किल है। वैसे यह बहुत बड़ा अहम प्रश्न है। इस बारे में विस्तार से बताते हुए एक पुस्तिका भी वितरित की जा चुकी है। अगर आप यह चाहते हों कि मैं ही इस पर प्रकाश डालूं तो अलग से प्रश्न पूछें।

श्री केदारनाथ : इसके लिये इन्टेग्रेटेड स्कीम तो बनाई होगी न।

श्री चन्दनमल बैद : जी हां। इसमें एग्रीकल्चर, एनीमल हस्बेण्डरी है, पाश्चर लैण्ड है, इरिगेशन है, रूरल वाटर स्कीम है, फाॅरेस्ट डेवलपमेन्ट प्रोजेक्ट्स हैं, एलीमेन्ट्री एजूकेशन, रूरल रोड्स, इलेक्ट्रिफिकेशन, लैंडलैस रिहेबिलिटेशन, एलाॅटमेन्ट आॅफ लैंड म्यूटेशन आदि ये सारे प्रोग्राम्स हैं। इन सबको इन्टेग्रेटेड करके इनकी देख-भाल करने और इनको इम्प्लीमेन्ट करने के लिये एक इन्टेग्रेटेड एजेन्सी बनाई जावेगी जिसके तहत ये सारे काम इन्टेग्रेट किये जावेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री विजयसिंह !

## भेड़ें खरीदने हेतु ऋण

36. श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बागोर, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा के श्री मांगू खटीक, श्री धन्ना पुत्र श्री केला खटीक, श्री मगना पुत्र श्री किशना खटीक को सीमान्त कृषक कृषि श्रम परियोजनान्तर्गत भेड़ें खरीदने हेतु सन् 72 में ऋण स्वीकृत हुआ था ?

( श्री विजयसिंह राठौड़ )
यदि हां, तो कितना-कितना ऋण कब-कब स्वीकृत किया गया था ?

(2) स्वीकृत ऋण में से कितनी-कितनी राशि की भेड़ें खरीद कर दी गईं ?

(3) भेड़ों के लिये मकान बनाने हेतु कितनी-कितनी राशि प्रत्येक ऋण प्राप्तकर्त्ता को देय थी जो किस-किस को कब कब दी गई ?

(4) उक्त भेड़ों में से कितनी भेड़ें बूढ़ी थीं जो जबरन दी गईं और जब बीमार होकर मरने लगीं तो दिनांक 3-4-72 को परियोजना अधिकारी, भीलवाड़ा और जिलाधीश भीलवाड़ा को सूचना दी तो भी उपचार एवं जांच क्यों नहीं की गई ?

(5) जो बूढ़ी भेड़ें मरी हैं उससे प्रत्येक ऋण प्राप्तकर्त्ता को कितना कितना नुकसान हुआ है और इस नुकसान के लिये किसको जिम्मेदार ठहराया जायगा ?

(6) क्या सरकार उक्त कृषकों की क्षतिपूर्ति सम्बन्धित जिम्मेदार व्यक्तियों से करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों नहीं ?

**श्री शिवचरण माथुर (पशुपालन मंत्री):** (1) जी नहीं। ग्राम बागोर, तहसील मांडल, जिला भीलवाड़ा में श्री मांगू खटीक, श्री पन्ना खटीक व श्री मगना रेगर को वर्ष 1973 में सीमान्त कृषक योजनान्तर्गत भेड़ें खरीदने हेतु ऋण स्वीकृत हुआ था : यह ऋण निम्न प्रकार से स्वीकृत किया गया था :—

[1] श्री पन्ना पुत्र केला खटीक 2400) रु० दिनांक 2-1-73;

[2] श्री मांगू पुत्र भेरा खटीक 1700) रु० दिनांक 1-2-73;

[3] श्री मगना पुत्र किशना रेगर 1200) रु० दिनांक 1-2-73;

(2) स्वीकृत ऋण में से उक्त कृषकों को निम्नांकित राशि की भेड़ें दिलवाईं:—

[1] श्री पन्ना पुत्र केला खटीक 3000) रु० ;

[2] श्री मांगू पुत्र भेरा खटीक 1900) रु० ;

[3] श्री मगना पुत्र किशना रेगर 1900) रु० ।

(3) प्रत्येक ऋण प्राप्तकर्त्ता को 400) रुपये का ऋण भेड़घर बनाने हेतु देय था जो निम्न प्रकार दिये गये :—

[1] श्री पन्ना पुत्र केला खटीक 400) रु० दिनांक 17-4-73;

[2] श्री मगना पुत्र किशना रेगर 400) रु० दिनांक 17-4-73;

[3] श्री मांगू पुत्र भेरा खटीक 400) रु० दिनांक 10-7-73 ।

(4) उक्त भेड़ों में से कोई भेड़ बूढ़ी नहीं थी और न जबरन दी गई। बीमार होकर मरने की दिनांक 3-4-1972 को सूचना देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि भेड़ें जनवरी, 1973 से मार्च, 1973 के बीच खरीदी गई थीं।

(5) प्रश्न ही नहीं उठता।

(6) प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री विजयसिंह** : मैं तो पूछता हूं 72 में खरीदने की बात और आप 73 बता रहे हैं।

**श्री शिवचरण माथुर** : ऋण स्वीकृत होने के बाद 73 में भेड़ें दी गई इसलिये पहले देने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

**श्री विजयसिंह** : फिर आपने पांच आदमियों के नाम दिये हैं। यह तो वल्दियत दी है इसलिये पांच हो गये, नहीं तो छः हो जाते। आप तो निश्चित तारीख बताइये कि किस सन् में दी गई ?

**श्री शिवचरण माथुर** : यह मैंने बताया है निश्चित तारीखें दी हैं। अब वह 72 में नहीं जनवरी से मार्च 73 में मिला है।

**श्री विजयसिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह सब गोलमाल किया गया है, विभाग वालों द्वारा। वैसे कह सुन कर ये बूढ़ी भेड़ें 72 में दे दी गई थीं। बाद में बीमारी आई और वे मर गई। क्या यह सब बातें उन्होंने अधिकारियों को बता दी हैं यह सही नहीं है ?

**श्री शिवचरण माथुर** : जो जानकारी मुझे है उसमें मकान बनाने का ऋण अप्रेल, 73 में दिया गया एक साथ तीन पार्टी को दिया गया। अगर आपकी जानकारी में दूसरी बात है तो और जांच करा ली जायगी।

**श्री विजयसिंह** : मैं निवेदन करना चाहता हूं अपने ऑफिसर्स और कर्मचारियों की गलती को छिपाने के लिये मिनिस्टर साहबान को झूंठ बोलना जरूरी है क्या ?

**श्री शिवचरण माथुर** : बिलकुल जरूरी नहीं है।

**श्री अध्यक्ष** : श्री शंकरलाल !

**प्रश्न सं० 37**

श्री शंकरलाल जाट !

## पंचायत समितियों द्वारा किसानों को दिया गया खाद व बीज

37. **श्री शंकरलाल जाट** (कपासन) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सन् 1961-62-63 में राजस्थान की सारी पंचायत समितियों द्वारा किसानों को खाद व बीज दिया गया था ? यदि हां, तो इसकी कितनी राशि वसूल हो गई है ? और कितनी राशि बकाया है ? इतने लम्बे समय तक इस राशि को वसूल नहीं करने का क्या कारण है ?

(2) क्या यह सही है कि अब उन किसानों पर ब्याज का इतना भार पड़ रहा है कि जिसको देने में वे असमर्थ हैं ?

(3) क्या राज्य सरकार ब्याज माफ करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं तो क्यों ?

**पंचायत मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी)**: अध्यक्ष महोदय, इस सवाल के लिये हमने 2 तारीख को निवेदन कर दिया था स्थगन के लिये। यह प्रश्न काफी लम्बा-चौड़ा है क्योंकि 232 पंचायत समितियों से सूचना मंगाने की बात है। अब मैं पुनः मांग

(पंचायत मंत्री)
करता हूं कि इसको स्थगित कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : स्थगित किया गया ।

श्री रामकिशन ( वैर ) : यह मामला बहुत उलझा हुआ है ।

श्री अध्यक्ष : श्री सज्जनसिंह !

## ग्राम सांडेराव ( सुमेरपुर ) में गैर-आबादी भूमि

38. श्री सज्जनसिंह ( सुमेरपुर ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम सान्डेराव चुनाव क्षेत्र सुमेरपुर में गैर–आबादी भूमि के खसरा नम्बर, रकबा व किस्म जमीन बताने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि नियमानुसार यह गैर-आबादी या सिवाय चक भूमिविहीन अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों में वितरित की जाने का राज्य सरकार का कोई इरादा है ? यदि हां, तो कब तक ?

राज्य मंत्री, राजस्व ( श्री मूलचन्द ) : (1) विवरण संलग्न सूची में अंकित है ।

(2) जी हां, दिनांक 30-4-74 तक भूमि आवंटन नियमानुसार करने के आदेश दे दिये गये हैं ।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

श्री रघुनाथ विश्नोई : कब दे दिये गये ?

श्री सज्जनसिंह : क्या सरकार की मन्शा नहीं थी कि जब भूमि सरकार के पजेशन में आई तब एलॉट करती । आज आदेश दे दिये इसका क्या तात्पर्य है ?

श्री मूलचन्द : यह जमीन भूतपूर्व जागीरदारों की थी । उसकी रिक्विजीशन का झगड़ा था । अब यहां सरकार में उसका निर्णय हुआ और उसके बाद कुछ लोगों ने अतिक्रमण कर दिया । उसको वापस बेदखल करने की कार्यवाही की गई और आज कुछ केसेज की अपील चल रही है उसके बाद यह निर्णय लिया गया कि इस तारीख को आवंटित कर दिया जाय ।

श्री शंकरलाल ( पाली ) : यह अपील कहां चल रही है ?

श्री सज्जनसिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर यह दिया है कि इसकी अपील चल रही है । एक तरफ तो आप यह फरमा रहे हैं 30-4 तक एलॉट कर दी जाय और दूसरी तरफ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सन् 72 में सरकार ने अपने कब्जे में ले ली और आज तक दूसरों को अतिक्रमण करने की स्वीकृति दे दी । यह भी राज्य सरकार की जानकारी में है कि किन लोगों ने कब्जा कर लिया है । अब अपील की बात बता रहे हैं तो फिर एलॉटमेंट की क्या आवश्यकता है ?

राजस्व मंत्री (श्री परसराम मदेरणा): अध्यक्ष महोदय, नियमानुसार आवंटन का प्रश्न यह है कि जहां कहीं कार्यवाही चल रही है और ट्रेसपास हुआ है उसको छोड़-कर आवंटन करने का प्रश्न है । माननीय सदस्य ने जो सिवाय चक की भूमि की विस्त

( श्री परसराम मदेरणा )

मांगी है वह काफी लम्बी-चौड़ी है और मैंने माननीय सदस्य को दे दी है। कुछ जमीनों पर अतिक्रमण हुआ है और कुछ जमीनों पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। जिस पर अतिक्रमण नहीं है उसको इमीजियेट एलॉट कर दी जाय और जिस पर अतिक्रमण हुआ है उसमें लेन्ड रेवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत कार्यवाही चल रही है। उसका आगे जाकर क्या फेट होगा, यह मैं नहीं कह सकता हूं। स्टे ऑर्डर ले सकते हैं, यह सब्जैक्ट टू दी लीगल प्रोसीडिंग है। आपने कहा जो खसरा नं० चार हजार बीघा है। गवर्नमेन्ट के पास जमीन आ गई उस भूमि को एलॉट क्यों नहीं किया। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है 91 की कार्यवाही की गई है। 91 की कार्यवाही के बाद पार्टी अपील में गई कलेक्टर के पास और अपील से स्टे ऑर्डर मिल गया और अपील में स्टेटस को मेन्टेन कर दिया गया। यह मामला सबजूडिस है।

**श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा) :** यह जमीन रिजम्प्शन के बाद कागजों पर ली गई है या वास्तव में ले ली है ?

**श्री सज्जनसिंह :** मैं यह जानना चाहता हूं यह स्टे ऑर्डर कहां से, किसने आवंटन किया और कब किया ?

**श्री परसराम मदेरणा :** अध्यक्ष महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वह उनका इमेजनरी खयाल है, क्योंकि 91 की कार्यवाही कर रहे हैं। वे ट्रेसपासर्स पहले के नहीं हैं, सन् 72 में आये हैं इसलिये ट्रेसपास बाद में हुआ है। पजेशन जून, 72 में हुआ है और ट्रेसपास जुलाई, 72 में हुआ है—एक बात। दूसरी बात हमने उनको जब तक यह फैसला हो, जो स्टे ऑर्डर मिला है उसमें राज्य सरकार ने इस प्रकार के भी आदेश दिये हैं कि इस स्टे ऑर्डर को भी वेकेट करवाया जाय।

**श्री सज्जनसिंह :** मेरा प्रश्न स्पष्ट है। मंत्री महोदय उसका उत्तर नहीं देना चाहते और उत्तर को टालना चाहते हैं। स्टे ऑर्डर किसने दिया, कब दिया और किसके पक्ष में था।

**श्री परसराम मदेरणा :** स्टे ऑर्डर एडीशनल कलेक्टर ने दिया जिसको कलेक्टर के पावर्स डेलीगेट कर दिये हैं। फर्स्ट अपील कलेक्टर के पास होती है और कलेक्टर मीन्स एडीशनल कलेक्टर। एडीशनल कलेक्टर, पाली ने स्टे ऑर्डर दिया है।

**श्री सज्जनसिंह :** क्या यह सही है कि स्टे ऑर्डर रेवेन्यू मिनिस्टर ने दिया है ?

**श्री परसराम मदेरणा :** यह सही है।

**श्री सज्जनसिंह :** एक तरफ यह जमीन आवंटित करना चाहते हैं जो अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोग हैं और निश्चित तारीख को आवंटित कराना चाहते हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार ने अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के लिये स्टे ऑर्डर दिया है और जवाब में यह कहा जाता है एडीशनल कलेक्टर ने स्टे ऑर्डर दिया है। मैं कहता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर स्वयं ने स्टे दिया है। अब राज्य सरकार की क्या मंशा है। कृपया यह बतलाने का कष्ट करें।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्षजी...

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय....

**श्री अध्यक्ष** : एक साथ जवाब दे देना।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि प्रधान, पंचायत समिति वाली, प्रधान, पंचायत समिति, सुमेरपुर, प्रधान, पंचायत समिति, जैतारण, प्रधान, पंचायत समिति, पाली, प्रधान, पं० समिति गोहल, प्रधान, पंचायत समिति देसूरी, प्रधान, पंचायत समिति सोजत और एक्स एम० एल० ए० इन सबने मिलकर मुख्य मंत्री को अपील की और इसकी प्रतिलिपि गवर्नमेंट को भेज कर सूचित किया है। खसरा नं० 1, 2 व 3 में ऐसे व्यक्तियों ने आकर जीवन निर्वाह किया है जिन्होंने हिन्दुस्तान–पाकिस्तान युद्ध के समय पाकिस्तान को परास्त करने में मदद दी और क्या यह सही है कि इन शरणार्थियों को पिछले दो साल से लगातार एकमात्र जीविकोपार्जन का यही एकमात्र साधन है कि इन पर फसल करके अपना जीवन निर्वाह कर लें। और क्या यह सही है कि भूतपूर्व मंत्री महोदय ने स्टे आॅर्डर दिया है। यद्यपि यह मामला सब-जूडिस है लेकिन आपने पाली में जाकर इस बात का नाजायज दबाव डाला कि बेदखल किया जाय और इनको निकाला जाय।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्य ने जो आरोप मेरे ऊपर लगाया है निराधार ही नहीं, असत्य है। एक तरफ गवर्नमेंट की पैरवी....और एक तरफ....

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (सूरतगढ़)** : प्रचण्ड भाषण का जवाब प्रचण्ड भाषण से दिया है।

**श्री परसराम मदेरणा** : क्या मेरा पैरवी करना ठीक नहीं था? क्या मिनिस्टर के आॅफिस को जो एक्जीक्यूटिव साइड में है क्या मैं अपील और रिविजन को टाइम टू टाइम नहीं देख सकता हूं। चार हजार बीघा 71 में थी और मैं रेवेन्यू मिनिस्टर था। समय कम था और तीन दिन में अपील में जाना चाहिये। मैंने एडवोकेट को बुलाकर 48 घंटे में बोर्ड के पास अपील होती है या नहीं होती है, तय किया। आप कहते हैं पार्टी जमीन लेना चाहती है—सीलिंग में और भूमिहीनों को देना चाहते हैं। अगर मैं पैरवी करता हूं और मिनिस्टर पाली पहुंचता है और इन्टरफियरेन्स करता है—इन्टरफियरेन्स का मैंने इन्डीकेशन दे दिया। कलेक्टर के खिलाफ अपील करनी थी जो मैं कानूनन नहीं दे सकता। यह इल्लीगल बात नहीं कर सकता था। यह मामला सब-जूडिस है और मैं राज्य के इन्टरेस्ट में काम कर रहा हूं। यह क्वैश्चन आवर है और मैं समझता हूं कि आप इन्फोरमेशन चाह रहे हैं। मैं आपको यह भी बता दूं कि अब उसके खसरा नम्बर बदल गये हैं और खसरा नम्बर 2 और 4 हो गये हैं लेकिन आप यह कहते हैं तो कोई भी स्टे-आॅर्डर जो मिनिस्टर ने दिया वह इतना ही दिया था कि फसल को नष्ट करने की बात कही है यह नष्ट मत करो और उसके बाद इसको

(श्री परसराम मदेरणा)
डिसपजैज कर देना और इसी बीच में कोर्ट से स्टे-ऑर्डर ले लिया। मिनिस्टर ने फसल को नष्ट नहीं करने के आदेश दिये थे। कोर्ट से भी स्टे ऑर्डर हो गया लेकिन वहां पर तीन हजार और कुछ बीघा के अन्दर अभी तक फारेन नेशनल्स बैठे हुए हैं जो कि इस देश के सिटीजन नहीं हैं और सिटीजन नहीं होने के बाद भी अगर सरकार उन केसेज के मामले में पैरवी करती है तो एस० पी० से तो क्या कलेक्टर से कहना था कि इस केस की पैरवी ठीक तरह से नहीं हो रही है। यह राईटिंग में ऑर्डर्स दिये गये हैं। ' इसमें इन्चार्ज ऑफिसर एक होना चाहिये और सब केसेज इसी खसरे के बारे में कई जगह ट्रान्सफर करा दिये—एक केस जैतारण में चल रहा है, दूसरा सोजत में चल रहा है, तीसरा पाली में चल रहा है तो चौथा बाली में चल रहा है। इस तरह से लॉ को आप सरकम्बेन्ट करना चाहते हैं यह नहीं होने दिया जावेगा। इसमें मैंने कहा है कि वकील एक होना चाहिये क्योंकि एक तरफ तो रेवेन्यू सूट कर रखा है, दूसरी तरफ 145 की कार्यवाही कर रखी है और तीसरी तरफ 91 की कार्यवाही चल रही है...

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : Father, father, mercy take. Never shall I verses make.

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन।

(कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर अश्रव्य)।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** (जोधपुर) : शरणार्थी जिन्होंने देश के लिए सारा बलिदान किया उनको वहां से हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

**श्री सज्जनसिंह** : (अश्रव्य)।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : (अश्रव्य)।

**श्री अध्यक्ष** : किस सिलसिले में बातचीत हो रही है ?

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : यहां पर पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थी रह रहे हैं और सरकार उनको हटाना चाहती है....

**श्री सज्जनसिंह** : उनको कोई अधिकार नहीं है। यह जमीन गवर्नमेन्ट की थी और इस पर उन्होंने ट्रैसपास किया है। चाहे वह पाकिस्तान से आये हों या कहीं से भी आये हों।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : क्या पाकिस्तान से आने वाले स्मगलर्स को जनसंघ वाले वहां पर बैठाना चाहते हैं ?

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : (अश्रव्य)।

**श्री अध्यक्ष** : नेक्स्ट क्वेश्चन।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : आप किसकी हिमायत कर रहे हैं ?

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : मैं जानना चाहूंगा कि भूतपूर्व रेवेन्यू मिनिस्टर ने जो आदेश दिये यह नहीं देने चाहिए थे, यह वर्तमान मिनिस्टर साहब का कहना कहां तक उचित है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब भूतपूर्व मिनिस्टर साहब ने आदेश दिये,

(श्री गुमानमल लोढ़ा)
क्या उस समय आप मिनिस्टर नहीं थे और यदि थे तो आपने आब्जेक्शन क्यों नहीं किया और क्या केवल आप अपने भाइयों और रिश्तेदार जसवन्तसिंह को जमीन दिलाने के लिए इनको बेदखल करना चाहते हैं ?

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, क्या सारा समय इन्हीं को दे दिया है, आज का ?

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : आपके थैले में भी यदि गरुड़पुराण हो तो निकालिये।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : सारी पंचायत समितियों ने लिख दिया है कि इनको बसा दिया जाये लेकिन इनको हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके रिश्तेदारों की जमीन पास में आई हुई है। It is fraud. It is conspiracy.

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : यह क्या कहना चाहते हैं ? क्या यह कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति; अनुसूचित जन-जाति के लोगों को जमीन नहीं मिले ? यह साफ हो जाय।

**श्री अध्यक्ष** : नैक्स्ट क्वेश्चन।

(श्री गुमानमल लोढ़ा के अनवरत बोलते रहने पर—माननीय सदस्य)।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : (अश्रव्य)।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : यह क्या कहना चाहते है ? सारा समय नष्ट कर रहे हैं।

**एक माननीय सदस्य** : अध्यक्ष महोदय, अभी भार्गव साहब बाकी हैं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : केस सब-जूडिस है और मिनिस्टर साहब का कहना है कि यह आदेश भूतपूर्व मिनिस्टर साहब ने गलत दिये यह कहां तक शोभनीय है ?

**श्री अध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज, ऑर्डर प्लीज !

मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी 5 सवाल ही कर पाये हैं और इन्होंने ही काफी समय ले लिया है। गवर्नर साहब के एड्रेस की डिबेट बाकी है और इसके अलावा दूसरे प्रासीजर भी हैं कि जब रिप्लाई से सन्तुष्ट नहीं हों तो क्या कार्यवाही करें वह भी आप एडाप्ट कर सकते हैं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : मेरा यह निवेदन है कि मंत्री महोदय ने कहा....

**श्री अध्यक्ष** : आप बैठिये। मुझे इतना निवेदन करना था कि फारसी का एक मिसरा याद आ रहा है :

"चौ कुफ्र अज काबा बरखेजंद, कुजामानद मुसलमानी" इसका अर्थ यह है....

**श्री निरंजननाथ आचार्य** : इस कन्फ्यूजन में भी आपकी स्मृति बहुत अच्छी है।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** : जिस दल के नेता का यह हाल हो तो उस दल का आलम क्या होगा ?

**श्री अध्यक्ष** : अब इस सवाल को मैं नहीं लूंगा।

**श्री राजेन्द्रसिंह** !

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : मेरी एक बात सुन लीजिए।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधीनगर) : अध्यक्ष महोदय, यह गवर्नमेन्ट से यह अण्डरटेकिंग चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के लोगों को जमीन नहीं दी जाये।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : वैसे आपको श्री हरिदेवजी जोशी ने खान दे दी—यदि यह चाहते हैं कि भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया जाये और इसको डैम ऑफ करप्शन बना दिया जाये....

**श्री अध्यक्ष** : आखिर आप कितनी दफा बोलेंगे। मैंने आपको पूरा मौका दिया है।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : अध्यक्ष महोदय, यह मेरा प्रिविलेज है, मेरे पर आरोप लगाया गया है...

( निरन्तर व्यवधान—अश्रव्य )

मेरा प्रिविलेज है कि जो कुछ गुमानमलजी लोढ़ा ने मेरे पर जो यह आरोप लगाया है कि हरिदेवजी जोशी ने मुझे खान दे दी है....

( शोरगुल—अश्रव्य )

अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब देना पड़ेगा।

**अध्यक्ष** : अगर आपके खिलाफ आरोप लगाया है तो आप जवाब देने के लिए परसनल एक्स्प्लेनेशन का टाइम मांगिए।

**श्री लक्ष्मणसिंह** (डूंगरपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय प्रभारी मंत्रीजी की स्पीच सुनी और मैंने माननीय जनसंघ के नेता महोदय की स्पीच सुनी। मैं तो स्ट्रिक्टली सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के दायरे में मिनिस्टर साहब को पिन डाउन करने के हेतु दो स्पेसिफिक इश्यु रेज करना चाहता हूं।

क्या पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित लोग उस जमीन पर कब्जा करके और वहाँ पर रह रहे थे? क्या आप गवर्नमेंट ऑफ लॉ हैं या नहीं है? मेरी समझ के अनुसार मैं ठीक कह रहा हूं कि आप गवर्नमेंट ऑफ लॉ हैं। तो यह मामला क्या आप नहीं जानते कि कोर्ट में गया हुआ है? यदि गया हुआ है तो क्या यह इश्यु सब-जूडिस नहीं है। इसका उत्तर कृपा करके मंत्री महोदय दे दें।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इस बारे में जहां तक भूमि के अतिक्रमण का सम्बन्ध है उसमें....

**श्री अध्यक्ष** : आप सीधा-सीधा सवाल पूछें।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : सीधा-सीधा सवाल ही पूछूंगा और एक मिनिट में पूछूंगा। इस राजस्थान राज्य में दस-बीस हजार सत्ताधारी लोगों ने जिनमें मिनिस्टरों से लेकर नीचे के सरपंच तक ने क्या भूमि का अतिक्रमण किया है और जो किया गया है उसके लिए क्या राज्य-सरकार यह उचित नहीं समझती कि हाई पावर कमीशन बिठाए और इसकी जांच कराए कि किन-किन लोगों ने भूमि का

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
अतिक्रमण किया और उनको बेदखल करके समस्त भूमि को अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाये।

**श्री सज्जनसिंह** : अध्यक्ष महोदय....

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : अनुसूचित जाति के नाम पर जो....

(व्यवधान—शोरगुल-अश्रव्य)

**श्री सज्जनसिंह** : माननीय स्वतंत्र पार्टी के नेता महोदय और जनसंघ पार्टी के नेता महोदय ने प्रश्न पूछे हैं और उसी आधार पर मैं भी एक सेपरेट प्रश्न पूछ कर यह जानना चाहता हूं कि राज्य सरकार....

**श्री अध्यक्ष** : इनको (श्री शास्त्री) समाप्त करने दीजिए, फिर आप पूछिए।

(श्री सज्जनसिंह और श्री शास्त्री एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

इनके बोलने के बाद आप (श्री सज्जनसिंह) बोल लीजिए।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : अध्यक्ष महोदय....

(व्यवधान—अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : इनके बोलने के बाद बोलिए।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : ऐसी परिस्थिति के अन्दर जब कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई के कारण ये विस्थापित हमारे देश में आए और उनको सरकार ने जमीन दी लेकिन अब उनको बेदखल करके वहां से हटाना चाहते हैं तो इससे बढ़ कर शर्म की कोई बात नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा प्रश्न है कि सरकार इस पर विचार करे कि जितने भी लैंड रेवेन्यू के अतिक्रमण के केसेज हुए हैं उनके लिये हाई पावर कमेटी बैठाकर जिन लोगों ने अतिक्रमण करके, चाहे वह मिनिस्टर हों या और कोई हों, उन सबको बेदखल किया जावे और उनके नाम सदन में रखे जावें।

**श्री अध्यक्ष** : आप (श्री सज्जनसिंह) एक मिनिट में पूछ लें।

**श्री सज्जनसिंह** : मेरा निवेदन यह है कि तीन-तीन हजार बीघा भूमि का एक-एक व्यक्ति ने अतिक्रमण किया है। मेरे पास लम्बी चौड़ी सूची है....

**श्री अध्यक्ष** : सप्लीमेंट्री पूछ लीजिए, भाषण नहीं।

**श्री सज्जनसिंह** : सप्लीमेंट्री ही पूछ रहा हूं। क्योंकि स्वतंत्र पार्टी के नेता ने इसमें दूसरा ही प्रश्न इन्वाल्व्ड किया है पिन डाउन करने के लिए और जनसंघ के नेता ने दूसरा प्रश्न इन्वाल्व्ड किया है पिन डाउन करने के लिए, इसलिए मुझे भी आप यह अधिकार दें कि मैं भी सरकार को पिन डाउन करूं। क्या सरकार....

**श्री अध्यक्ष** : सप्लीमेंट्री क्वेश्चन के द्वारा ही आप पिन डाउन कर सकते हैं।

**श्री सज्जनसिंह** : राज्य सरकार से मैं यह जानना चाहता हूं....

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : कांग्रेस में बैठे लोग भी अब सरकार को पिन डाउन करने लगे, मैं इसका स्वागत करता हूं।

**श्री सज्जनसिंह** : अच्छी बात है। सरकार ने सन् 72 में यह जमीन कब्जे में ले ली....

**श्री अध्यक्ष** : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। पांच मिनिट का समय है जिसमें आप सवाल पूछ लें और उनको (मंत्रीजी) जवाब भी देना है।

**श्री सज्जनसिंह** : सन् 72 में सरकार ने जमीन अपने कब्जे में ले ली। उसके बाद में चाहे वह पाकिस्तान के शरणार्थी थे, चाहे जनसंघ के लोग थे, चाहे स्वतंत्र पार्टी के थे, उन लोगों को वहां पर कब्जा करने का अधिकार कैसे दिया ?

मेरा दूसरा पोइन्ट यह है कि जब उन्होंने कब्जा कर लिया तो तहसीलदार ने आॅर्डर दिया उनको डिस्पजेस करने का। उसके बाद स्टे आॅर्डर कलेक्टर ने दिया या मंत्री महोदय ने दिया लेकिन आज दिन तक फैसला क्यों नहीं हुआ और अब सरकार इस जमीन को भूमिहीन लोगों को, गरीब लोगों को, अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को एलाॅट करना चाहती है या सिर्फ जो ये आज के नए जागीरदार जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी के लोग पैदा हो गए हैं और जमीन पर कब्जा करके बैठ गए हैं उनके कब्जे में ही रखना चाहती है, सरकार यह बता दे।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : मैं एक सप्लीमेंट्री और पूछना चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी !

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतायेंगे कि जिन्होंने अभी इस प्रश्न का उत्तर दिया है उनके भाई जसवन्तसिंह की जमीन इसके पास आई हुई, इसके कारण और वेस्टेड इन्टरेस्ट होने के कारण किसी अन्य मंत्री महोदय के द्वारा इस पर निर्णय कराना उचित समझेंगे और रामचन्द्रजी चौधरी के आदेश पर दूसरा आदेश देकर आप उसको निरस्त करने का प्रयास नहीं करेंगे, इसका जवाब दीजिए।

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी !

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे–अश्रव्य)

माननीय मंत्रीजी !

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज वे शरणार्थी नहीं पुरुषार्थी हैं....

(निरन्तर शोरगुल–अश्रव्य)

**श्री अध्यक्ष** : आप जवाब सुनना नहीं चाहते हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : जिन्होंने हिन्दुस्तान की इज्जत बढ़ाई....

(निरन्तर शोरगुल–अश्रव्य)

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : हमें दूसरे के नाम पर नहीं लेना है....

(शोरगुल–अश्रव्य)

आप दूसरे के रास्ते पर चलिए हमें जरूरत नहीं है।

# Page No 21

(21)



**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : बंगला देश के नाम पर चुनाव जीत लिया। उन्होंने आपको गौरव दिया लेकिन राजस्थान सरकार उनको जमीन भी नहीं दे तो मैं समझता हूं कि इससे बढ़ कर कोई अशोभनीय बात नहीं हो सकती है। एक बहुत बड़ा प्रश्न है....

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : व्यवस्था का प्रश्न है, अध्यक्ष महोदय !

**श्री अध्यक्ष** : माननीय मंत्रीजी ! Please sit down (श्री हाण्डा की ओर मुखापेक्ष)।

**श्री परसराम मदेरणा** : माननीय अध्यक्षजी, यह बात सही है कि हाई कोर्ट में जो रिट कर रखी थी कुछ पार्टीज ने इस भूमि के सम्बन्ध में, उसका फैसला होने के बाद 17 जून 72 को...

**श्री अध्यक्ष** : आप भी थोड़े में समाप्त करें।

**श्री परसराम मदेरणा** : राजस्थान सरकार ने भूमि का कब्जा अपने हाथ में ले लिया। उसके बाद में ट्रेसपास हो गया जुलाई में। उसके बाद अगस्त के अन्दर तहसीलदार ने ट्रेसपासर्स को डिसपजेस करने का फैसला भी दिया। वहां फसल खड़ी हुई थी उसको नष्ट करने का आदेश भी तहसीलदार ने दिया था....

**श्री सज्जनसिंह** : वहां पर कोई फसल नहीं थी। वहां अकाल था श्रीमान् !

**श्री परसराम मदेरणा** : फसल को नष्ट नहीं करने का उस वक्त के रेवेन्यू मिनिस्टर का वरबल ऑर्डर कलेक्टर को कम्यूनिकेट किया गया था लेकिन इसको इसमें मेण्टेन किया जाये। यह एडीशनल कलेक्टर का है। वह आज भी है। जैसा कि आप पिन डाउन कर रहे हैं और यह कि सबजूडिस है।

**श्रीमती जमुना सोलंकी** : यह जमीन अनुसूचित जाति को दी जायेगी या नहीं ?

**श्री लक्ष्मणसिंह** : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि यह जमीन हरिजनों को नहीं मिलेगी। इसलिये—

**श्री अध्यक्ष** : मैं बोलने की इजाजत नहीं देता हूं।

**श्री दिनेशराय डांगी (देसूरी)** : अध्यक्ष महोदय...

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !

माननीय मन्त्रीजी !

**श्री परसराम मदेरणा** : जबतक कोर्ट का फैसला नहीं होगा तबतक फर्दर कार्यवाही एलॉटमेंट की नहीं होगी।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : Thank you.

**श्री परसराम मदेरणा** : मेजर रकबा 2 से 4 है। कुल रकबा 3133 बीघा है। जवाई कमाण्ड एरिया में है। इसमें एक बिस्वा भी अगर मेरे भाई या मेरे जो रिलेटिव साले हैं, उसको एलॉट होता है, यह नहीं होगा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : अध्यक्ष महोदय..

**श्री अध्यक्ष** : माननीय सदस्य !

(व्यवस्था–सूचक–घण्टी)

श्री **गुमानमल लोढ़ा** : जवाई कमाण्ड एरिया में जमीन है या नहीं ?

श्री **परसराम मदेरणा** : है, है। इसलिए फैक्ट मुझे मालूम है। इसीलिए मैं इसको दूसरे मिनिस्टर को देना चाहता हूं। हाई पावर कमेटी का प्रश्न नहीं है।

( शोरगुल–व्यवधान )

श्री **अध्यक्ष** : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

( शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट 3 देखिये )

## अतारांकित प्रश्नोत्तर

### चन्द्रभागा कार्तिक मेले में बिजली सप्लाई का ठेका

22. श्री **रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गत वर्ष झालरापाटन (जिला-झालावाड़) के चन्द्रभागा पर कार्तिक मेले में बिजली की सप्लाई का ठेका किस ठेकेदार को कितने रुपये में दिया गया ? तथा इस ठेकेदार को आज तक रकम का पेमेन्ट क्यों नहीं हुआ ?

(2) क्या यह सही है कि मेला समाप्त होने पर ही उसी समय वहीं पेमेन्ट करने का राज्य सरकार का नियम है ? यदि हाँ, तो रकम का भुगतान क्यों नहीं किया गया ?

**उत्तर**

(1) गत वर्ष झालरापाटन चन्द्रभागा पशु मेले में बिजली की सप्लाई का ठेका मैसर्स भारत इलेक्ट्रिकल्स, झालावाड़ के नाम 1640 रु० में स्वीकृत हुआ था। 1484.40 रु० की रकम का भुगतान कर दिया गया है। 155.60 रु० बल्ब, ट्यूब व लाइटें कम होने के कारण काट लिये गये हैं।

(2) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

### केमिकल फर्टीलाइजर का वितरण

23. श्री **अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वित्तीय वर्ष 1973–74 में कितना केमिकल फर्टीलाइजर कहां-कहां से किस-किस किस्म का प्राप्त होने का अनुमान है ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उपरोक्त फर्टीलाइजर किस-किस जिले में कितना-कितना और किस सिद्धांत के आधार पर वितरण किया गया ? कृपया पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) किसानों को किस सिद्धांत पर फुटकर वितरण किया गया ? क्या सर्वत्र परमिट प्रणाली जारी की गई ?

**उत्तर**

(1) वित्तीय वर्ष 1973–74 में खरीफ व रबी फसलों में कुल 85,950 मे० टन नत्रजनीय, 18,000 मे० टन फासफेटिक व 6,500 मे० टन पोटाश खाद जिन स्रोतों से प्राप्त होने का अनुमान है; उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

( कृषि मन्त्री )

(2) उपरोक्त उर्वरक खरीफ व रबी में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार तथा उपलब्धि के आधार पर प्रत्येक जिले में वितरण किये गये। सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) किसानों को उर्वरक वितरण का मुख्य आधार उर्वरक उपलब्धि है। खरीफ में मुख्य तौर पर परमिट प्रणाली नहीं अपनाई गई जब कि रबी में अधिकांश जिलों में उर्वरक वितरण परमिट प्रणाली पर किया गया। जो कि स्थानीय अधिकारियों द्वारा परिस्थितियों को देखते हुये अपनायी गई थी।

( कृपया परिशिष्ट 4 देखिये )

## मालपुरा में चिलिंग प्लांट

24. श्री अजीतसिंह ( टौंक ) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताते की कृपा करेंगे:—

(1) जिला टौंक के मालपुरा में बन रहे चिलिंग प्लांट को कब तक बनवा दिया जावेगा ?

(2) इसके लिए दूध खरीदने की क्या योजना है ? योजना की एक प्रति सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

### उत्तर

(1) मालपुरा में बन रहे चिलिंग प्लांट की जून 1974 तक बन जाने की सम्भावना है।

(2) मालपुरा क्षेत्र में दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का निर्माण कर दुग्ध एकत्रित करने की योजना है, जिसका प्रारूप तैयार किया जा रहा है।

## राजस्थान स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा संचालित परियोजना

25. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा, जोधपुर) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अब तक राजस्थान स्टेट एग्रो-इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन द्वारा संचालित परियोजना के अन्तर्गत कितने व्यक्ति एग्रो-सर्विस सेन्टर स्थापित करने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त कर चुके हैं और इनमें से कितनों ने कहां-कहां सेन्टर स्थापित कर लिए हैं ? कृपया उनकी पूर्ण सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त केन्द्रों पर केमिकल फर्टीलाइजर कितना वितरित किया गया और उसके थोक एवं फुटकर वितरण का क्या कमीशन दिया जाता है ?

(3) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. अपने थोक एवं फुटकर विक्रेताओं को क्या कमीशन देता है ?

(4) क्या यह सही है कि उपरोक्त वितरण के कमीशन की दर में विषमता है ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ?

### उत्तर

(1) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा संचालित परियोजना के अन्तर्गत दिनांक 26-2-74 तक 182 व्यक्तियों ने एग्रो सर्विस सेंटर स्थापित करने के लिए ट्रेनिंग प्राप्त की है। जिनमें से 70 व्यक्तियों के अंतिम बैच ने दिनांक 21-2-74 को ही ट्रेनिंग समाप्त की है। उनमें से 111 व्यक्तियों ने दिनांक 26-2-74 तक जिन स्थानों पर एग्रो सर्विस सेंटर स्थापित किए हैं, उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

( कृषि मन्त्री )

(2) उक्त कृषि सेवा केन्द्रों पर निगम द्वारा दिसम्बर, 73 तक लगभग 11,995 मै० ट० रासायनिक खाद वितरण हेतु उपलब्ध कराया गया। निगम द्वारा कृषि सेवा केन्द्रों को निम्न प्रकार से प्रति मैट्रिक टन कमीशन दिया गया है :—

| | गुजरात यूरिया | गुजरात ए/एस | श्रीराम यूरिया |
|---|---|---|---|
| यदि वे गोदाम से माल प्राप्त करना चाहें.... | 17-00 | 4-74 | 15-0 |
| यदि वे स्टेशन से माल प्राप्त करना चाहें.... | 86-95 | 46-85 | 61-45 |

(3) राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि०, जयपुर खाद का केवल थोक व्यापार ही करता है। अतः संघ अपने थोक व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के खादों पर निम्न प्रकार से कमीशन देती है जिसमें फुटकर व्यापारियों को दिया जाने वाला कमीशन भी शामिल है:—

| खाद का नाम | | कमीशन की दर (प्रति मैट्रिक टन) |
|---|---|---|
| (1) यूरिया धूल | .... | 75-00 |
| (2) यूरिया (श्रीराम) | .... | 88-50 |
| (3) यूरिया (गुजरात) | .... | 61-86 |
| (4) सी० ए० एन० (26% एन) | .... | 54-00 |
| (5) सी० ए० एन० (25% एन) | .... | 49-00 |
| (6) डी० ए० पी० | .... | 85-00 |
| (7) सुपर फासफेट | .... | 48-00 |
| (8) म्यूरेट आफ पोटाश | .... | 48-00 |

(4) जी हां। चूंकि राजस्थान राज्य क्रय-विक्रय सहकारी संघ लि०, जयपुर अपने थोक व्यापारियों को जो कमीशन देता है उसमें फुटकर व्यापारियों को दिया जाने वाला कमीशन भी सम्मिलित होता है तथा उनके द्वारा एक ही व्यापारी को अधिक मात्रा में माल की सप्लाई की जाती है, जबकि राजस्थान राज्य कृषि निगम सीधा फैक्ट्री से अधिक मात्रा में माल मंगाता है और उस पर उसको रेलवे किराया, गोदाम किराया आदि देना पड़ता है जिसके कारण अधिक लागत बढ़ जाती है जबकि कृषि सेवा केन्द्रों पर कार्यरत बे-रोजगार कृषि स्नातक एवं अभियंता वित्तीय कठिनाइयों के कारण कम मात्रा में तथा थोड़ा-थोड़ा माल उठाते हैं जिससे निगम का फर्टीलाइजर्स अधिक समय तक गोदाम में पड़ा रहने के कारण गोदाम के किराये तथा पूंजी के ब्याज के आधार पर उसके मूल्य बढ़ जाते हैं। अतः स्वाभाविक कमीशन की मात्रा उक्त पत्रों के आधार पर राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि० के अनुपात में कम देनी पड़ती है।

( कृपया परिशिष्ट 5 देखिये )

## संजय साप्ताहिक समाचार-पत्र झालरापाटन को विज्ञापन

26. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या स्वायत्त-शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

संजय साप्ताहिक समाचार पत्र, झालरापाटन, जिला झालावाड़ को विज्ञापन हेतु (1) झालरापाटन, (2) झालावाड़, (3) भंवानी मंडी, (4) सुनेल नगरपालिकाओं द्वारा 1 जनवरी, 64 से 31 दिसम्बर, 73 तक कितना-कितना रुपया कब-कब दिया गया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

### उत्तर

वर्षवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

( कृपया परिशिष्ट 6 देखिये )

## नगर सुधार न्यासों में प्रतिनियुक्ति एवं वाहन भत्ता

27. श्री अमृतलाल गहलोत (सरदार पुरा, जोधपुर) : क्या नगर विकास न्यास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यासों के सचिव एवं अधिशासी अभियन्ता को प्रतिनियुक्ति एवं वाहन भत्ता दिया जाना बन्द किया गया है ? यदि हां तो कब से ?

(2) क्या यह सही है कि जो अधिकारी नगर परिषदों एवं राजस्थान आवासन बोर्ड में प्रतिनियुक्ति पर काम कर रहे हैं उन्हें प्रतिनियुक्ति एवं वाहन भत्ते दिये जाते हैं ?

(3) यदि नगर परिषद् एवं आवासन बोर्ड में प्रतिनियुक्ति अधिकारियों को ये भत्ते दिये जाते हैं तो नगर सुधार न्यास में क्यों नहीं दिये जाते ?

### उत्तर

(1) जी हां, प्रतिनियुक्ति भत्ता दिनांक 19·4·63 से तथा वाहन भत्ता जनवरी, 1970 से।

(2) जी नहीं। आवासन बोर्ड, नगर-परिषदों में केवल प्रतिनियुक्ति भत्ता नियमानुसार राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है। जिन नगर परिषदों में उनके निजी वाहन नहीं हैं, वहां वाहन भत्ता दिया जाता है।

(3) अभी हाल ही में राज्य सरकार ने नगर सुधार न्यासों में आदेश सं० एफ. 8 (21) नं० प्रा० 69 दिनांक 19-2-74 के अन्तर्गत सचिव/अधिशासी अभियन्ता व सहायक अभियन्ता व क्षेत्र अधिदर्शक एवं निरीक्षकों को वाहन भत्ता दिये जाने की व्यवस्था की है। नगर विकास न्यास पहिले बोर्ड था जो राज्य का विभाग था अतः प्रतिनियुक्ति भत्ता नीति के अनुसार नहीं दिया जाता है।

## सहकारी संस्थाओं द्वारा सामान की खरीद व वितरण

28. श्री भीमसेन (लूणकरणसर), श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) :

क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

( श्री चुन्नीलाल इन्दलिया )

(1) राज्य में राज्य स्तर की ऐसी कौन कौनसी सहकारी संस्थाएं हैं जहां से जिलों में सामान व वस्तुएं बाजार से सस्ती दरों पर जनता में उपलब्ध करायी जाती हैं ?

(2) उपरोक्त संस्थाओं में सन् 1972-73 व 73-74 में कौनसी वस्तुएं व सामान कितनी-कितनी मात्रा में खरीद कर राज्य की किस-किस सहकारी समिति एवं भण्डारों को कितनी-कितनी मात्रा में भेजा या बेचा ?

(3) उपरोक्त एपेक्स सहकारी संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त सामान व वस्तुओं को रिसीपियेन्ट को-आपरेटिव इन्स्टीट्यूशन्स द्वारा वितरण व्यवस्था की देखरेख हेतु विभाग द्वारा क्या व्यवस्था है ?

(स्थगित किया गया)

## सहकारी निरीक्षकों के स्थानान्तरण के आदेश

29. **श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचौर) :** क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सरकारी कर्मचारियों को सरकारी आदेशों के अनुसार तीन साल से अधिक एक स्थान पर नहीं रहना चाहिए ? अगर हां, तो यह आदेश सहकारी विभाग के कर्मचारियों पर जो जालौर में तैनात हैं लागू क्यों नहीं किए गए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि सहकारी निरीक्षक को अपने गृह जिले में सरकारी आदेशों के अनुसार तैनात नहीं किया जा सकता ? अगर हां, तो श्री हस्तसिंह, निरीक्षक; जिला जालौर में इतने वर्षों से क्यों तैनात रहे ? क्या सरकार इनका तबादला करने का विचार रखती है ?

(3) क्या यह सही है कि श्री जोरसिंह, ऋण निरीक्षक, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर का शिकायतें होने से कोटा जिले में स्थानान्तरण किया गया था ? अगर हां, तो कब ? क्या यह भी सही है कि उनका तबादला रद्द कर दिया गया ? अगर हां, तो कब व क्यों ? अब सरकार उनका स्थानान्तरण वापस जिले से बाहर कब तक कर देगी ?

(4) क्या यह भी सही है कि जिला जालौर में तैनात श्री गोवर्धनसिंह, सी. ई. ओ., पंचायत समिति, रानीवाड़ा एवं श्री चैनसिंह, निरीक्षक के विरुद्ध कई गम्भीर शिकायतें थीं ? अगर हां, तो सरकार ने इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(5) क्या यह सही है कि श्री पूनमचन्द, भूतपूर्व अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक, जालौर एवं व्यवस्थापक, केन्द्रीय सहकारी बैंक के पद पर जब कार्य कर रहे थे, के विरुद्ध कई गम्भीर शिकायतें पेश हुई थीं ? अगर हां, तो कब और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं भविष्य में क्या कार्यवाही की जावेगी ?

(6) क्या यह भी सही है कि श्री पूनमचन्द का स्थानान्तरण इस क्षेत्र से बाहर करने का आश्वासन विधान सभा में दिया गया था ? अगर हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

( श्री रघुनाथ विश्नोई )

(7) क्या यह भी सही है कि उक्त आश्वासन के बावजूद उनको फंक्शनल निरीक्षक, क्रय-विक्रय सहकारी समितियां, जालौर, सिरोही नियुक्त कर दिया ? अगर हां, तो क्यों ? अब उनका स्थानान्तरण इस क्षेत्र से बाहर कब तक कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां ! श्री हस्तसिंह का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 28-12-73 के द्वारा किया गया। किन्तु इनके प्रार्थना-पत्र पर विशेष घरेलू परिस्थितियों के कारण इनका स्थानान्तरण दिनांक 30-6-74 तक स्थगित किया गया है।

(3) जी हां ! दिनांक 6-9-73 को स्थानान्तरण किया गया। यह स्थानांतरण दिनांक 23-10-73 को निरस्त किया गया। इनका स्थानान्तरण जिले से बाहर शीघ्र ही किया जा रहा है।

(4) जी हां ! श्री गोरधनसिंह, सी. ई. ओ., पंचायत समिति, रानीवाड़ा द्वारा रतनपुर ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., कल्याण, ग्राम सेवा सहकारी समिति लि., मालवाड़ा तथा आखराड ग्राम सेवा सहकारी समिति लि. के धन के दुरुपयोग की रिपोर्ट सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालौर द्वारा की गई जिस पर कार्यवाही की जा रही है। श्री गोरधनसिंह का स्थानान्तरण बाड़मेर किया जा चुका है।

श्री चैनसिंह, सहायक निरीक्षक जो क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि., जालौर में व्यवस्थापक के पद पर प्रतिनियुक्ति पर थे, के विरुद्ध केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालौर के चुनाव में भाग लेने के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जालौर से जांच कराई गई जो सही नहीं पाई गई। फिर भी प्रशासनिक दृष्टि से श्री चैनसिंह को प्रतिनियुक्ति से वापस लिया जाकर दिनांक 28-1-74 को जोधपुर में स्थानान्तरण किया जा चुका है।

(5) जी हां ! श्री पूनमचन्द, भूतपूर्व अतिरिक्त अधिशासी अधिकारी, केन्द्रीय सहकारी बैंक लि., जालौर के विरुद्ध शिकायतें माह मई व जून, 72 में प्राप्त होने पर जांच कराई गई तथा राजस्थान सिविल सर्विसेज ( क्लासिफिकेशन, कन्ट्रोल एण्ड अपील रूल्स ) के नियम 17 के अन्तर्गत दिनांक 21-1-74 को कारण बताओ नोटिस दिया गया। उनका उत्तर उप-रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जोधपुर खण्ड, जोधपुर की टिप्पणी हेतु भेजा गया है। टिप्पणी प्राप्त होने पर आगामी आदेश प्रसारित किये जावेंगे।

(6) जी नहीं !

(7) स्थानान्तरण के बारे में विचार किया जावेगा।

### सहकारी विभाग के इन्सपेक्टर्स के तबादले

30. श्री निरंजननाथ आचार्य (मावली) : क्या सहकारिता मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

( श्री निरंजननाथ आचार्य )

सहकारी विभाग में कुल कितने इन्सपेक्टर (कार्यकारी) एवं ऑडिट शाखा के अपने होम डिस्ट्रिक्ट में डेपुटेड हैं ? तथा इन्हें कब तक हटाया जावेगा ? यदि होम डिस्ट्रिक्ट का प्रतिबन्ध नहीं है तो अन्य इन्सपेक्टर्स को अपने होम डिस्ट्रिक्ट में क्यों नहीं भेजा जाता है ?

**उत्तर**

51 निरीक्षक ऑडिट एवं 96 निरीक्षक ( कार्यकारी ) अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लगे हुये हैं। विशेष परिस्थितियों के कारण जिन्हें गृह जिले में लगाया जाता है उसकी स्वीकृति अधिकृत अधिकारी से ली जाती है व धीरे-धीरे उन्हें भी सामान्य स्थिति होने पर हटाया जा रहा है। इन्सपेक्टर्स को होम डिस्ट्रिक्ट में लगाने पर प्रतिबन्ध है।

## ग्राम पलाना के ग्रामीणों के घरों में पानी के कनेक्शन

31. श्री **चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा): क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पलाना, तहसील बीकानेर में वाटर सप्लाई स्कीम के द्वारा ग्राम में पाइप लाइन व घरों में कनेक्शन कब तक दे दिये जावेंगे ?

(2) क्या यह सही है कि स्कीम के पूरा होने के बाद भी हरिजन मोहल्लों व अन्य ग्रामीणों के घरों में पानी के कनेक्शन नहीं दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? तथा अब कब तक कनेक्शन दे दिये जावेंगे ?

**उत्तर**

(1) ग्राम पलाना की स्वीकृत जल योजना पम्प व टैंक की है। इसके अन्तर्गत सिर्फ सार्वजनिक नल लगाने के लिए पाइप लाइन डाली गई है।

(2) जी हाँ। पंप व टैंक योजना में निजी कनेक्शन देने का प्रावधान नहीं है।

## ग्राम सैंथल की जलदाय योजना

32. श्री **मूलचन्द सामरिया** ( दौसा ): क्या जन-स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत सैंथल ने ग्राम सैंथल में जलदाय योजना प्रारम्भ करने की प्रार्थना कब की ?

(2) सरकारी योजना के अनुसार ऐसी नई योजनाओं को चालू करने से पूर्व ग्रामवासियों से कितने प्रतिशत राशि ली जाती है ?

(3) क्या यह राशि ग्राम सैंथल के लिये जमा करादी गई है ? यदि हां, तो यह योजना कब से प्रारम्भ की जावेगी और कब पूरी कर दी जावेगी ?

**उत्तर**

(1) दिनांक 6-10-72 को।

(2) ग्रामीण जल प्रदाय योजना चालू करने से पूर्व उसकी अनुमानित लागत का ढाई प्रतिशत राशि जन सहयोग के रूप में जमा कराई जाती है।

(3) ग्राम सैंथल की जल प्रदाय योजना 1.55 लाख रु० की लागत की बनाई गई है। इसके लिये माह जनवरी,

( जन-स्वास्थ्य मंत्री )
73 में 2 हजार 5 सौ रु० जन सहयोग के जमा कराये गये हैं। अभी ढ़ाई प्रतिशत के हिसाब से रु० 1375.00 जन सहयोग के बाकी है। योजना की स्वीकृति धन की उपलब्धि के अनुसार की जा सकेगी।

## जयपुर एवं जोधपुर की ड्रेनेज योजनाओं के लिए धनराशि

**33. श्री अमृतलाल गहलोत** ( सरदारपुरा, जोधपुर ) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि आपने मेरे पत्र सं. 441/72-73 दिनांक 21 फरवरी, 1973 के उत्तर में अपने पत्र सं. 215 पी. सा./एफ.एम. 73 दिनांक 27 फरवरी, 1973 द्वारा मुझे स्पष्ट आश्वासन दिया था कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जयपुर एवं जोधपुर की ड्रेनेज योजनाओं के लिए 2 : 1 के अनुपात में धनराशि व्यय करने के प्रावधान का प्रस्ताव है ?

(2) क्या यह सही है कि राजस्थान प्रदेश की पांचवीं पंचवर्षीय योजना के ड्राफ्ट में जयपुर व जोधपुर की ड्रेनेज योजनाओं पर क्रमशः 3 करोड़ 30 लाख रुपये व्यय करने का ही प्रावधान रखा गया है जो आपके उपरोक्त आश्वासन के प्रतिकूल है ? यदि हां, तो आप अपने उपरोक्त लिखित आश्वासन को किस प्रकार कार्य रूप में परिणत करेंगे ?

### उत्तर

(1) उक्त पत्र द्वारा फरवरी, 73 में विभाग द्वारा बनाये गये पंचम पंचवर्षीय योजना के प्राथमिक अप्रोच पेपर में प्रस्तावित राशि का जिक्र किया गया था। उसमें वह अनुपात रखने का आश्वासन नहीं दिया गया था।

(2) पहले जन-स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभाग ने पंचम पंचवर्षीय योजना में 14.50 करोड रु० ड्रेनेज के लिये प्रस्तावित किया था। किन्तु सीमित धनराशि की उपलब्धि के कारण राजस्थान प्रदेश में पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सर्फेस ड्रेनेज व ड्रेनेज के लिये कुल 3.50 करोड़ रुपया राशि का ही प्रावधान प्रस्तावित किया जा सका है। इसमें से जयपुर नगर की ड्रेनेज योजना के लिये 2.70 करोड़ रु० व जोधपुर सर्फेस ड्रेनेज योजना के लिये 0.30 करोड़ रु० रखने का प्रावधान प्रस्तावित है। चूंकि ड्रेनेज योजनाओं की लागत बहुत अधिक है अतः सभी ड्रेनेज योजनाओं को साथ साथ हाथ में नहीं लिया जा सकता। राज्य नीति के अनुसार सभी बड़े नगरों में धन की उपलब्धि के अनुसार ड्रेनेज का कार्य किया जायेगा।

## नोखा तहसील के ग्राम माड़िया की जलप्रदाय योजना

**श्री चुन्नीलाल इन्दलिया** (नोखा) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या जिला बीकानेर; तहसील नोखा के ग्राम माड़िया में क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना सोमलसर के तहत पाइप लाइन का टेन्डर हो चुका है ? यदि हां; तो इसे कब तक पूरा करके पीने का पानी उपलब्ध हो सकेगा ?

(जन-स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

जिला बीकानेर, तहसील नोखा के ग्राम माड़िया में क्षेत्रीय जल योजना सोमलसर के तहत पाइप लाइन का टेन्डर दिनांक 29-12-73 को हो चुका है व इस कार्य का कार्य आदेश खण्ड कार्यालय के आदेश संख्या 16763-66 दिनांक 3-1-74 को दिया जा चुका है। कार्य अपूर्ण रहने का कारण फिलहाल 3" का पाइप विभाग में उपलब्ध न होना है समय पर आवश्यक पाइप लाइन की उपलब्धि पर योजना का कार्य मार्च, 74 तक पूर्ण किये जाने की सम्भावना है।

## राजस्थान नहर क्षेत्र में सिक्खों की भूमि का आवंटन

35. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर): क्या उपनिवेशन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान नहर के क्षेत्र में भूमि के आवंटन के समय सिक्खों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता और राजस्थान में बसने वाले सिक्खों को पंजाबी बतला कर उनकी दरख्वास्तें खारिज कर दी जाती हैं?

(2) क्या यह भी सही है कि वर्ष 1971 के भूमि आवंटन के समय बहुत से ऐसे सिक्खों की दरख्वास्तें नामन्जूर भी कर दी गई और एक श्री जागीरसिंह पुत्र श्री ठाकरसिंह चक 52 आर. बी., तहसील पदमपुर की दरख्वास्त छतरगढ़ नं. 2 से खारिज किये जाने पर उसकी फोटो के साथ एक उदाहरण के रूप में राज्य सरकार को मामला पेश किया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो, क्यों?

(3) क्या सरकार उपरोक्त मामलों की निष्पक्ष जांच करायेगी और ऐसी कार्यवाही करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध शीघ्र कोई कदम उठायेगी?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

श्री जागीरसिंह पुत्र ठाकरसिंह ने जिस समय प्रार्थना-पत्र दिया उसका फोटू लगा हुआ नहीं था। जो 1955 के निर्वाचन सूची की नकल प्रस्तुत की थी उसमें जागीरसिंह पुत्र ससूसिंह दर्ज था। जांच के दौरान जब तहसीलदार ने उसके परिवार के सदस्यों के नाम पूछे वे निर्वाचन सूची में दर्ज नामों से भिन्न थे। जो जागीरसिंह तहसीलदार के सम्मुख पेश हुए उनकी उम्र निर्वाचन सूची में लिखी उम्र से कम थी। तथ्यों का न होने के कारण तहसीलदार ने प्रार्थना-पत्र को खारिज किया। इस मामले में आयुक्त उपनिवेशन को आदेश दिये जा रहे हैं कि जागीरसिंह के केस की दुबारा जांच करलें और अगर सही भूमिहीन पाया जावे, तो भूमि के आवंटन की कार्यवाही की जावे।

(3) प्रश्न 2 के उत्तर को देखते हुए जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## राजस्थान में राजस्व की वसूली

36. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में प्रति वर्ष राजस्व की कितनी राशि वसूल की जाती है? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

( श्री मूलचन्द सामरिया )

(2) उन जिलों में कितनी-कितनी राशि राजस्व की वसूल की जाती है जिनमें 6 या 6 से कम तहसीलें हैं ?

(3) उप-खण्ड दौसा में प्रतिवर्ष कितनी राजस्व की वसूली की जाती है ?

(4) क्या कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनको राजस्व की राशि दौसा उप-खण्ड के समान या इससे भी कम है ?

उत्तर

(1) राजस्थान में प्रतिवर्ष भू-राजस्व की चालू मांग में लगभग 656·75 लाख रुपये ( तीन साल की वसूली की औसत ) की वसूली की जाती है। पिछले तीन वर्षों की मांग ( बकाया व चालू ) तथा वसूली के जिलेवार आंकड़े संलग्न हैं ( देखिये परिशिष्ट 'क' )।

(2) जिन जिलों में 6 या 6 से कम तहसीलें हैं ऐसे 14 जिले हैं तथा इनमें पिछले तीन वर्षों में हुई भू-राजस्व की मांग वसूली के आंकड़े संलग्न हैं ( देखिये परिशिष्ट 'ख' )।

(3) उप-खण्ड दौसा में पिछले तीन वर्षों की भू-राजस्व की चालू मांग की वसूली के औसत के हिसाब से लगभग 21,92,858 रुपये की प्रतिवर्ष वसूली की जाती है।

(4) जी हां।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

## एस. डी. ओ. श्री करणपुर द्वारा नहरी भूमि का आवंटन

37. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि एस. डी. ओ. (राजस्व), श्री करणपुर, जिला गंगानगर ने दिनांक 23-5-66 को पटवारी मालासिंह के नाम पर 31 आर. बी. 1 व 31 आर. बी. 2 में 25 बीघे नहरी भूमि का स्थाई आवंटन किया था ?

(2) क्या यह सही है कि पटवारी श्री मालासिंह के नाम पर कोई भी काश्त दर्ज नहीं है और उसने चक 34 बी. बी. के श्री मालासिंह नाम के व्यक्ति की जो भूमि का मालिक है की गलत गिरदावरी पेश करके उपरोक्त भूमि का गलत आवंटन करवाया ?

(3) क्या यह सही है कि कलेक्टर गंगानगर ने नियम 11/14 के अन्तर्गत दिनांक 4-5-68 को उपरोक्त भूमि का आवंटन खारिज कर दिया ?

(4) क्या यह सही है कि नियम 11/14 के अन्तर्गत जो भूमि कलेक्टर के द्वारा खारिज की जाती है उसकी कोई अपील नहीं हो सकती मगर पटवारी श्री मालासिंह ने एक एपीलेट ऑथोरिटी बीकानेर से साजबाज करके दिनांक 16-10-68 को अपने पक्ष में फैसला करवा दिया ?

(5) क्या यह सही है कि उपरोक्त मामले की अपील राजस्व मंत्री, राजस्थान के पास दिनांक 4-12-68 को पेश हुई,

(श्री गुरदयालसिंह सन्धु)
मगर मंत्री महोदय ने उसे न सुन कर रेवेन्यू बोर्ड को भेज दिया ?

(6) क्या यह सही है कि श्री मालासिंह पटवारी के नाम पर कोई गिरदावरी काश्त नहीं है इसलिए वह भूमि पाने का हकदार नहीं है ? सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करेगी ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) आवण्टन निरस्त किया जा चुका है। जिसके विरुद्ध प्रार्थी की अपील रेवेन्यू बोर्ड में विचाराधीन है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं ! नियमानुसार अपील अपीलेट ऑथोरिटी को की जा सकती है।

(5) जी नहीं। राज्य सरकार के पास पहले निगरानी पेश होती थी जो कार्य अब राजस्व मण्डल को सौंप दिया गया है।

(6) मामला अभी जेर निगरानी है।

## गंगानगर जिले में भूमि इन्तकाल के मामले

38. श्री **गुरदयालसिंह संधु** (करणपुर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जिला गंगानगर में इस समय कितने भूमि के ऐसे इन्तकाल बाकी हैं जिनके रजिस्ट्रेशन 27 सितम्बर, 1970 से पूर्व हो चुके हैं और आज तक उनके इन्तकाल दर्ज होकर तसदीक नहीं हो सके ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में कितने ऐसे भूमि के इन्तकाल बाकी हैं जिनमें भूमिपति की मृत्यु हो चुकी है, मगर उनके वारिसों के नाम पर अभी तक इन्तकाल दर्ज करके तसदीक नहीं करवाये गए ?

(3) उपरोक्त कार्य कब तक पूरा कर लिया जावेगा और आज तक पूरा न किए जाने का क्या कारण है ?

(स्थगित किया गया)

## दौसा उप-खण्ड में नामान्तरण के विचाराधीन मामले

39. श्री **मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) उप-खण्ड दौसा के कितने मामले रेग्यूलेराइजेशन के विचाराधीन पड़े हैं ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें। इसमें सबसे पुराने 5 मामलों का तहसीलवार विवरण भी देने की कृपा करें।

(2) कितने प्रार्थना-पत्रों की पत्रावली निर्णय हेतु तैयार की हुई है व कितने प्रार्थना-पत्रों की पत्रावली अपूर्ण है और क्यों ?

(3) समस्त प्रार्थना-पत्र कब तक निबटा दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) उप-खण्ड दौसा के 121 मामले नियमन के विचाराधीन हैं। तहसीलवाइज सूची 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है। इसमें सबसे पुराने प्रत्येक तहसील के

(राजस्व मंत्री)
5 मामलों के विवरण की सूची 'ख' भी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) उप-खण्ड दौसा में 29 नियमन के मामलों की पत्रावलियां तकमील से पूर्ण हैं, जिन्हें भूमि आवंटन परामर्शदात्री समिति की बैठक में परामर्श हेतु प्रस्तुत किया जाकर निस्तारण किया जाना शेष है। 92 मामले में पत्रावलियों में जांच की जा रही है, जिनमें विभिन्न कारणों से कार्यवाही अपूर्ण है जैसे कि सम्बन्धित व्यक्ति के भूमिहीन बाबत जांच होनी है, अतिक्रमण की हुई भूमि पर अधिपत्य का मामला स्थल निरीक्षण आदि हेतु विवादग्रस्त है।

(3) उपरोक्त समस्त मामलों को मई, 1974 तक निपटाने का प्रयत्न किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

## सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कम्पनीज अधिनियम; 1956 की धारा 319-ए की उप-धारा (3) (बी) एवं धारा 619 की उप-धारा (5) के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट टैनेरीज लिमिटेड का प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन एवं 31 मार्च, 1973 को समाप्त हुई अवधि के लेखे मैं सदन की मेज पर रखता हूं।

## विधायी कार्य

### विधेयक का पुरः स्थापन

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (गृह राज्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान ग्रामदान अधिनियम, 1971 में संशोधन करने हेतु विधेयक का पुरःस्थापन करता हूं।

### समिति का प्रतिवेदन

श्री खेतसिंह (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं कार्य सलाहकार समिति के 13वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के तेरहवें प्रतिवेदन से अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष : सदन की सहमति है कि प्रतिवेदन स्वीकार किया जाये ?

(स्वीकृत)

प्रतिवेदन स्वीकार किया गया।

## राज्य की खाद्य स्थिति पर विचार

### राज्य की खाद्य स्थिति एवं आवश्यक वस्तुओं के भावों एवं उपलब्धि पर विचार

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : मन्त्री जी।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राज्य की खाद्य स्थिति एवं आवश्यक वस्तुओं के भावों एवं उपलब्धि की स्थिति पर विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करता हूं कि जो खाद्यान्न पर वाद-विवाद है, वह 12 बजे से 3.30 बजे तक है। मैंने उसके लिए व्यवस्था की है। समय को देखते हुये अपने प्रत्येक दल में से एक-एक आदमी अपना दृष्टिकोण रख लें। चाहे नेता बोल लें या दल के व्यक्ति बोल लें। दो-तीन आदमी कांग्रेस को तरफ से बोल लें। इस तरह से मैंने समय का विभाजन किया है।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बहस के लिये 4 दिन नियत किये गये हैं। इस प्रकार चर्चा के लिए लगभग 17.30 घन्टे का समय उपलब्ध है। मैंने बहस की दृष्टि से पार्टी वाइज समय का विभाजन इस प्रकार किया है:—

| | | |
|---|---|---|
| कांग्रेस .... | 12.00 | घंटे |
| स्वतन्त्र .... | 1.20 | ,, |
| जनसंघ .... | 1.10 | ,, |
| साम्यवादी .... | 1.00 | ,, |
| संसोपा .... | 1.00 | ,, |
| संगठन कांग्रेस .... | 0.15 | ,, |
| निर्दलीय .... | 0.45 | ,, |

उक्त समय का आवंटन कल दिनांक 4 मार्च, 1974 से प्रभावशील होगा। यह किया गया है।

श्री मीठालाल : बाकी बचे हैं, वह भी तो बता रहे थे।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मैं कह रहा था, यह महंगाई के बारे में डिबेट होगी। बड़ी कृपा है। समय दिया गया है। मैं निवेदन कर रहा था, केन्द्र से कितना कोटा मिला है। हमारे पास कोई लेखा-जोखा नहीं है। मेरा निवेदन है, कोयला, चीनी की कितनी मात्रा हमारे पास है। कौन-कौनसी चीज हमारे पास है। इसका स्टेटमेन्ट पहले से हमारे पास आना चाहिए। मेरा निवेदन है कि इस प्रकार से 5 भी बज जायेंगे और कुछ नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष : आप कहेंगे, वह जवाब मिलेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : पांच बज जायेंगे और कुछ नहीं होगा। हमारे पास जो अनाज है, उसका स्टेटमेन्ट आ जाना अच्छा था। फिर सुझाव होना चाहिए। वरना मुख्यमन्त्री ने यह पासा फेंक कर कि यह महंगाई व्यवस्था पर भी बहस हो जाये। कुछ है नहीं, मैं समझता हूँ कि यह जनता के साथ में धोखा है।

श्री लक्ष्मणसिंह : मेरा एक निवेदन है अध्यक्ष महोदय, ट्रेजरी बेंचेज की ओर से अगर एक नोट सक्युंलेट होता तो अच्छा था। माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि आयन्दा इस प्रकार का मोशन मूव हो तो उससे पहले एक नोट सक्युंलेट होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : कल ही यह बात हुई। मन्त्री महोदय को कुछ न कुछ कहना चाहिये।

श्री लक्ष्मणसिंह : मैं अपनी बात को विड्रा करता हूं।

श्री अध्यक्ष : समय के लिये निवेदन कर दिया है। 3 बजकर 10 मिनट पर मन्त्री महोदय का जवाब हो जायेगा।

माननीय रामकिशनजी !

श्री रामकिशन (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री जी की ओर से राज्य की खाद्य स्थिति एवं उपलब्धि की स्थिति पर विचार करने के लिए जो प्रस्ताव आया है, उसके सम्बन्ध में मुझे निवेदन करना है। मैं माननीय खाद्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जब वह जवाब दें तो गोलमाल जवाब नहीं दें। आज जो स्थिति हमारे देश की है, मैं समझता हूं कि ऐसी किसी देश की स्थिति नहीं है। हर चीज के भाव बढ़े हैं, खाने के लिये अनाज नहीं है, पहनने के लिये कपड़ा नहीं है। मकान और कुए बनाने के लिये सीमेन्ट नहीं है। आज स्थिति यह हो गई है कि कोई मर जाय तो जलाने के लिये लकड़ी भी नहीं है। इन सारी चीजों के लिये जिम्मेदार कौन है? मुझे सरकारी वक्ताओं के भाषण सुनने को मिलते हैं। उनका कहना है कि महंगाई विश्वव्यापी है। इसलिये विश्वव्यापी महंगाई का असर भारत पर भी पड़ रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो बात केन्द्र सरकार की तरफ से कही जाती है, जो बात प्रधान मन्त्री की तरफ से कही जाती है, हिन्दुस्तान की सारी राज्य सरकारें उसी बात को दोहरा देती हैं। मैं यह चाहूंगा कि अगर राज्य सरकार भी महंगाई को विश्वव्यापी मानती है और विश्वव्यापी महंगाई की वजह से हमारे देश में महंगाई है तो माननीय कृषि मन्त्री जी जब उत्तर दें तो दुनियां के दूसरे देशों की महंगाई के आंकड़े प्रस्तुत करें। वे ऐसा कर सकेंगे तो बड़ी सुविधा होगी और राजस्थान की जनता को भी सुविधा होगी यह समझने में कि महंगाई केवल हमारे देश में ही नहीं है; अन्य देशों में भी महंगाई की स्थिति है। लेकिन अगर सरकार इस स्थिति में नहीं है कि दुनियां के अन्य देशों के आंकड़े देकर साबित करें तो मैं समझूंगा कि महंगाई के कारण देश में गुस्सा पैदा हो रहा है। क्योंकि देश में एक व्यापक झूठ फैलाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर सरकार की तरफ से महंगाई के सम्बन्ध में चार-पांच बातें कही जाती हैं, विश्वव्यापी महंगाई है, पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध हुआ था, बंगला देश के शरणार्थी आ गये थे, सूखा पड़ गया था, बाढ़ आ गई थी; माल को व्यापारियों ने दबा लिया था। यह पांच-छः बातें कही जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा विवेचन में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन खास तौर से माननीय मन्त्री जी को और कांग्रेस के अन्य माननीय सदस्यों को निवेदन करना चाहूंगा कि अगर सरकार महंगाई के कारणों के प्रचार को सफल बनाना चाहती है तो उसके पीछे कुछ तथ्य होने चाहियें। मैं इस सदन को जानकारी देना चाहता हूं कि अगर यह महंगाई केवल युद्ध की वजह से है, केवल बंगला देश के शरणार्थियों की वजह से है, अगर आप इस बात पर जोर दे रहे हैं कि महंगाई विश्वव्यापी है है तो इन सब कारणों के पहले महंगाई के क्या कारण थे? मैं तो एक-दो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार का यह कहना है कि महंगाई विश्वव्यापी है, पाकिस्तान से युद्ध के कारण है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहूंगा कि वह संयुक्त राष्ट्र-संघ के 1966 के स्टेटिस्टिक्स को देखने का कष्ट करें। उस समय न पाकिस्तान से लड़ाई थी और न बंगला

# Page No 36

(३६)



(श्री रामकिशन)

देश के शरणार्थी यहां आये हुए थे। सन् 1966 में संयुक्त राष्ट्र संघ के स्टेटिस्टिक्स प्रकाशित हुए थे। उस समय हमारे सामने कोई ऐसी स्थिति नहीं थी और हमारे यहां स्थिति दूसरे मुल्कों की तरह ही थी। उस समय महंगाई के क्या कारण थे? अगर आप यह कहें कि हमारी प्रधान मन्त्री के उस समय भाषण नहीं हुए कि महंगाई किस कारण बढ़ी तो बात दूसरी है। मैं केवल रूस और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों की बात नहीं करूंगा और न नॉन-कम्युनिस्ट और पूंजीवादी देश अमेरिका की ही चर्चा करूंगा। हिन्दुस्तान के पड़ोसी जो भी अविकसित देश हैं, वहां पर 1966 में क्या स्थिति थी, वह माननीय मन्त्रीजी देख लें तो सदन का समय भी बचेगा और देश के अन्दर जो झूठा प्रचार किया जा रहा है उसका पर्दाफाश भी होगा। मैं आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा 1958 से 1965-66 की कीमतों के बारे में। उस समय यदि हम मूल्य सूचकांक अमेरिका और सारी दुनियां के पैमाने पर सौ मानते हैं तो अमेरिका की स्थिति है—1958 में 100, 1959 में 100, 1962 में 100 और 1965 में 102। पांच वर्ष में केवल दो पर्सेन्ट की महंगाई आई है। उसके बाद में जर्मनी में 1958 में 100, 1959 में यह अंक गिर गया व 99 रह गया, 1962 में 103, 1965 में 107। इसी तरह जापान में, जो हमारी तरह ही एशिया का मुल्क है, जिसको युद्ध के बाद में उत्थान करना पड़ा और इण्डस्ट्री और कारखाने सम्भालने पड़े, वहां पर 1958 में 100, 1959 में 101, 1962 में 101 और 1965 में 104। बर्मा हमारे साथ ही आजाद हुआ था, यानी हमारे से एक साल बाद में आजाद हुआ था और हमारी तरह ही पिछड़ा और अविकसित मुल्क था, जहां कई बार विद्रोह हुए, आन्तरिक विद्रोह हुए, वहां की कीमतों को देखें तो 1958 में 100, 1959 में 99 यानी 1959 में कीमतें गिर गई हैं। वहां कीमतें गिर गई हैं, माननीय मन्त्रीजी इसको समझने की कोशिश करें। 1962 में वहां 107 है और 1965 में जो सूचकांक आता है, वह पिछले वर्षों से नीचे गिर जाता है, यानी वह 89 रह जाता है। वहां कीमतें गिरी हैं और गिराव वहां 1961 के बाद शुरू हो जाता है। बर्मा में कीमतें गिर रही हैं। उसके बाद मिश्र जो न तो प्रगतिशील मुल्क है और जो हमारे देश की स्थिति अंग्रेजों के जाने के समय थी, वह वहां नहीं थी लेकिन वहां पर 1958 में 100, 1959 में 100, 1962 में 101 और 1965 में 105 थी। यह वहां की कीमतों के बारे में निवेदन किया। अब भारत के अन्दर जो कीमतें बढ़ रही हैं, उसके लिए यदि हमारी सरकार कहती है कि आज विश्वव्यापी महंगाई है, तो मैं सरकार से इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि हमारे देश में 1958 में 100 थी, 1959 में 104, 1962 में 115 और 1965 में 152 हो जाती है। तो मेरा केवल निवेदन करना यह है कि सरकार और मन्त्री महोदय का यह कहना कि महंगाई विश्वव्यापी है इसलिये हमारे यहां महंगाई है, सही नहीं है। वास्तव में इस मामले में हम पिछड़े हुए हैं और इसका कारण वह नहीं है, यह आंशिक सत्य जरूर हो सकता है लेकिन पूरा सत्य नहीं है। लेकिन राजस्थान सरकार और सरकार के प्रतिनिधि निरन्तर झूठ बोल कर सचाई

(श्री रामकिशन)

को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो महंगाई के वास्तविक कारण हैं उनको छिपाना चाहते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई पाकिस्तान से हुई, वह कितने दिन हुई ? 3 दिसम्बर, 71 को पाकिस्तान हमला करता है और 14 दिसम्बर को शांति हो जाती है। शिवचरणजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह लड़ाई है या खटपट है। मेरे खयाल में खटपट है, बारह-तेरह दिन की पाकिस्तान के साथ खटपट हुई। उसके बाद में वह बन्द हो जाती है। आपका कहना है कि पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई की वजह से हमारी आर्थिक स्थिति क्षत-विक्षत हो गई, बिगड़ गई, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वियतनाम की राजस्थान के बराबर आबादी है, वह बीस साल से लड़ाई लड़ रहा है, उसने अमेरिका से लड़ाई लड़ी, जापान से लड़ाई लड़ी, फ्रांस से लड़ाई लड़ी। हमारे यहां पन्द्रह दिन की लड़ाई, चौदह दिन की लड़ाई के बाद ही फसल के टाइम पर जो गेहूं 32 रु. मन के भाव बिका था और आज से पन्द्रह दिन के पहले गेहूं की कीमत 220 रु. क्विटल हो गई। मैं माननीय कृषि मन्त्री, खाद्य मन्त्री से पूछना चाहता हूं कि इस हिसाब से चावल की कीमत वियतनाम में क्या होनी चाहिए ? वियतनाम में चावल की कीमत एक क्विटल की एक लाख होनी चाहिये। मैं चाहूंगा कि आप फिर आंकड़ों को देखें, वियतनाम के चावल के भाव देखें, मछली के भाव देखें, तेल के भाव देखें तो मैं समझता हूं कि भारत सरकार की तरफ से व्यापक झूठ फैलाया जा रहा है उसका पर्दाफाश हो जायेगा, न तो बंगला देश के शरणार्थी आने से महंगाई है, न पाकिस्तान के हमले के कारण महंगाई है और न विश्वव्यापी महंगाई है। कल जब कांग्रेस के माननीय सदस्य गवर्नर महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोल रहे थे उन्होंने कहा कि क्योंकि विश्वव्यापी महंगाई है, इसलिये हमारे यहां महंगाई है। इसमें सत्य नहीं है, उन्हें सत्यता का पता नहीं इसलिए इसके परिणाम भी उन्हें भुगतने पड़ेंगे। यह मैं नहीं कह सकता कि दुनियां में महंगाई नहीं है, महंगाई है, और जो 1965 के आंकड़े मैंने दिये हैं उससे यह साफ है। लेकिन इस सरकार के पास इतनी अधिक कीमतें बढ़ने का क्या औचित्य है ? उस दौरान पाकिस्तान से युद्ध हुआ नहीं, बंगला देश से शरणार्थी आये नहीं। फिर क्या क्योंकि प्रधान मन्त्री ने उत्पादन बढ़ाने के लिए भाषण नहीं दिये, गवर्नर ने उत्पादन बढ़ाने की अपील नहीं की इसलिए कीमतें बढ़ गईं ? मैं बताना चाहता हूं कि आज की हालत है इसमें जो महंगाई के कारण हैं उन महंगाई के कारणों को सरकार को स्वीकार करना चाहिये। वैसे मैं कहना चाहता हूं कि ये काम राजस्थान सरकार का नहीं है। मैं इससे सहमत हूं कि राजस्थान सरकार महंगाई को कम नहीं कर सकती। ये केन्द्रीय सरकार के ही कार्य-कलाप हैं जिससे कि देश संकट की स्थिति में पहुंच गया है। सरकार की तरफ से यह कहा जाय कि बंगला देश के शरणार्थी आ गये इसलिये महंगाई बढ़ गई, तो माननीय मन्त्रीजी एक जानकारी दे दें कि बंगला देश के शरणार्थी आये उसके बाद में जो सरकार ने टैक्स लगाये हैं उसकी प्राप्ति कितनी हुई यह बतला दें। उससे स्थिति साफ हो जायेगी कि यह कहना नितान्त झूठ है कि बंगला देश के शरणार्थियों

(श्री रामकिशन)

की वजह से महंगाई बढ़ी है। वास्तव में तो सत्यता को जानने की चेष्टा नहीं की है। मैं माननीय मन्त्रीजी, आपसे यह बात जानना चाहूंगा कि अभी इंग्लैण्ड में चुनाव हुआ, तो आखिर किस बात के कारण चुनाव हो गये। उन्होंने यह नहीं कहा कि कर्मचारी महंगाई भत्ता बढ़ाना चाहते हैं उसको बढ़ाने की स्थिति सरकार की है नहीं, उसने यह नहीं कहा कि महंगाई विश्वव्यापी है। उसने यह नहीं कहा कि तेल नहीं मिल रहा है। वहां पर सीधे चुनाव करा लिये।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : इंग्लैण्ड में 5-6 करोड़ जनसंख्या है जब कि यहां 55 करोड़ है।

**श्री रामकिशन** : मैं दूसरे मुद्दे पर आ रहा हूं। उन्होंने केवल एक इश्यू पर चुनाव करा लिया। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी मान ली।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आप आउट आॅफ ट्यून बोल रहे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं।

**श्री रामकिशन** : इसके लिए धन्यवाद। सरकार का जो बहाना है उसमें कोई दम नहीं है। आखिर महंगाई का कारण क्या है। भारत सरकार के सामने जब हमारे प्रतिनिधि पहुंचें और सवाल उठायें तब हो सकता है भारत सरकार अपनी गल्ती स्वीकार करे और दूसरा रास्ता अख्तियार कर ले। इन सवालों को अगर सरकार समझेगी तो सरकार किसी नतीजे पर पहुंच सकती है। असल सवाल यह है कि जबसे इस देश में कांग्रेस की सरकारें बनीं देश का दुर्भाग्य शुरू हुआ। क्योंकि सरकार के दिमाग में देश के निर्माण की तस्वीर नहीं थी, उनके नेताओं ने रूस की बुलेटिन पढ़ली। मैं प्रारम्भ की बात करता हूं, उनके दिमाग में रूस की तस्वीर बन गई। नतीजा यह हुआ कि हमारे देश के लिए कौनसी प्रणाली ठीक हो सकती थी, हमारे देश में कितने रेसोर्सिज थे, कितनी मैनपावर थी, इसकी ओर ध्यान नहीं दिया और सरकार ने अव्यवहारिक योजनाएं बनाईं। भारत सरकार ने पांचवीं योजना के प्रारूप में सब क्षेत्रों में असफलता मान ली। हमारे देश में खेती और कारखानों को सुधारना चाहिये था। हमने खेती और कारखानों पर ध्यान दिया लेकिन जितना देना चाहिए था उतना नहीं दिया। आज देश की तस्वीर यह है कि जब से अंग्रेज गए हैं; उत्पादन की तरफ देखें तो प्रगति नहीं हुई, किसी हालत में दुगुने से ज्यादा उत्पादन नहीं हुआ चाहे अनाज, मोटा कपड़ा, सूत, इनका उत्पादन इस देश में नहीं बढ़ा और विलासिता की जो चीजें थीं, फैशन की चीजें थी, उनमें पूंजी का नियोजन होता चला गया। नतीजा यह हुआ कि हमारा सारा घाटा पूरा करने के लिए हर साल घाटे के बजट पेश करने पड़ते हैं चाहे केन्द्रीय सरकार हो, चाहे राज्य सरकार हो।

माननीय कृषि मंत्रीजी, अगर आप मुद्रा के प्रसार की सारी किताब को पढ़ें तो अंग्रेजी में है और बड़ी है। यह रिजर्व बैंक का बुलेटिन है। 1972-73 में देखेंगे तो मुद्रा का प्रसार जिस ढंग से किया गया है, दुनिया के किसी देश में नहीं किया गया है;

(श्री रामकिशन)

हम केवल मुद्रा प्रसार करते रहे। आज महंगाई का सबसे बड़ा कारण यह है कि हमने अंधाधुंध मुद्रा का प्रसार किया और उसके मुकाबले हमारी जो उत्पादन की योजनाएं थीं, जिन चीज का उत्पादन करना था, उसके लिए व्यवस्था नहीं की। आज परिणाम यह है कि रूस और अमरीका चंद्रमा पर जा रहे हैं और यहां के लोग भूखे मर रहे हैं क्योंकि सारी योजनायें अव्यवहारिक रहीं, उनके रिजल्ट्स नहीं आए। मैं आपका दो-तीन चीजों की तरफ ध्यान दिलाऊंगा।

हमारे देश में अंग्रेजों के जाने के समय सीमेन्ट का उत्पादन 1951 से जब पहली पंच-वर्षीय योजना शुरू हुयी 20.70 लाख टन था। 25 साल के बाद आज 1.50 करोड़ टन से आगे उत्पादन नहीं बढ़ा। कहने का मतलब यह है कि 25 साल के समय में 5½ गुना बढ़ा जो जरूरत की चीज थी। हमें नहरें और कुएं बनवाने थे इसके मुकाबले जो गैर-जरूरी चीजें हैं उनके उत्पादन में वृद्धि हुई। लेकिन जैसे सूती कपड़ा है, 20 वर्ष में दुगुने से ज्यादा नहीं हो पाया। चीनी का उत्पादन 1952 में जो होता था उससे दुगुना से ज्यादा नहीं है इसके मुकाबले में गैर-जरूरी चीजों पर नजर डालेंगे तो पता लगेगा कि हमारी सरकार ने ऐसी योजनाओं में पूंजी नियोजन की जिसकी आज जरूरत नहीं थी। इस सम्बन्ध में मैं गैर जरूरी चीजों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। रेफ्रीजिरेटर का उत्पादन 1951 के बाद 1972 में बहुत ज्यादा बढ़ गया। वातानुकूलित यंत्र जितने थे 11 गुने हो गए। एक वर्ष में 87,000 रेफ्रीजिरेटर और 20,600 एयर कन्डीशनर्स। कितनी पूंजी लगी? आप कहेंगे कि यह केन्द्रीय विषय है लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा कि दुर्भाग्य का कारण है कांग्रेस सरकार में ज्ञान की कमी, दिमाग की सूझ-बूझ की कमजोरी और विदेशों की नकल। इस प्रकार से ये गद्दी के वारिस बने। शराब के उत्पादन को देखें, बीयर के उत्पादन को देखें, गांधीवादी सरकार के हाथ एक फेशन के साथ जुड़े रहे। गांधीजी से इनका कोई लेना-देना नहीं। केवल इंदिरा-गांधी से लेना-देना है, उसकी चर्चा मैं यहां नहीं करूंगा।

सन् 1951 में हमारे देश में जो शराब बनती थी वह 50,40,000 लिटर था, 1962 के बाद 3.80 करोड़ लिटर हो गया है। शराब और एयर-कन्डीशनर्स का उत्पादन बढ़ रहा है; मोटर कारों का उत्पादन बढ़ रहा है, सूती कपड़े का नहीं बढ़ रहा है। पांचवीं योजना में सरकार 75 होटेल्स बनाने जा रही है, (एक कमरे का किराया 250) रु० प्रति दिन। पूंजी का नियोजन इसमें किया। आज लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा सरकार की योजना अकाल का सामना करने के लिये क्या है? लेकिन कोई नहीं। सरकार को इसके लिए सजा मिलनी चाहिए, इस तरह से होटेल्स में पैसा लगाना रोकना चाहिये। अकाल के लिए कोई कार्यक्रम नहीं। इन सारी बातों का आप कैसे जवाब देंगे? आज हम देखते हैं मोटे कपड़े का उत्पादन नहीं बढ़ पाया है लेकिन बढ़िया कपड़े का उत्पादन देखेंगे तो 1971 और 1972 के बीच राजा महाराजा व कांग्रेस और बड़े नेताओं की पत्नियां उनको आप देखेंगे तो उत्पादन में दो वर्ष में दुगुने से ज्यादा वृद्धि

(४०)



(श्री रामकिशन)

हो गई है और मोटे कपड़े का उत्पादन 10 साल में केवल 7 प्रतिशत बढ़ा है। केवल यह कह देना कि यह महंगाई हर जगह है अमरीका व इंग्लैंड में भी है, इससे काम चलने वाला नहीं है।

इसके अलावा आप एक चीज और देखेंगे। विदेशी रूई मंगाई जाती है, अमीर लोग इस कपड़े को काम में लेते हैं। एक वर्ष में दो अरब की विदेशी मुद्रा खर्च की जाती है। आज हम दुनियां के दूसरे देशों पर नजर डालें। मैं चीन का हिमायती नहीं लेकिन चीन में क्या स्थिति है ? आज चीनी चाहे जनरल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे सिपाही हो नीला कोट और बुशर्ट पहनेगा, यही पुलिस की ड्रेस है। गरीब लोग बगैर कपड़े के रहें। बिहार और पूर्वी उत्तरप्रदेश में आप जायें तो अर्द्ध-नग्न लोग मिलेंगे और भारत के जो बड़े लोग हैं जिनका कपड़ा बहुत कम इस्तेमाल होता है, उसके लिये 200 करोड़ विदेशी मुद्रा खर्च करके विदेश से रूई मंगाई जाती है। आप नीतियों में परिवर्तन करें। महंगाई का इस सदन से सम्बन्ध नहीं है। माथुर साहब, मैं आपकी क्षमता को समझता हूं लेकिन इस देश में जो असमानता है उनके कारणों की तलाश नहीं करेंगे तो सारी स्थिति सुधर नहीं सकती।

इस देश में 40 हजार कारें बनाई जा रही हैं। हमारी योजनाओं से कुछ लोगों को फायदा हुआ है, उनके लिए होटेल्स, कार और बढ़िया कपड़ा बनायेंगे लेकिन हमारे देश में ऐसी योजनायें भी हैं जो लोहे के बगैर पूरी नहीं की जा सकतीं लेकिन छोटी मोटरों का उत्पादन बढ़ जाता है, चाहे प्रधान मंत्री के लड़के की बनाई हुई हो। एक कार में सवा दो टन के करीब इस्पात खर्च हो रहा है। आप 52वें चेप्टर को पढ़ें तो आपको मालूम होगा, सरकार ने लिखा है कि इस्पात की वजह से हमारी कई सिंचाई योजनायें अधूरी पड़ी हैं जो हमारे रोग की जड़ है, जब तक उसको नहीं पकड़ेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। हमारे यहां साबुन बना, बहुतसे लोगों को धंधा मिला हुआ था, आज क्योंकि विदेशी नशा सवार है, इसलिए कभी अमरीका कभी रूस कभी जर्मन की नकल करते हैं। साबुन का उत्पादन 20 सालों में साढ़े तीन गुना से ज्यादा नहीं हो पाया है। आज से 02 साल पहले हमारे देश में 77,300 टन साबुन बनता था, आज बनता है 2,70,800 टन। केवल साढ़े तीन गुना बढ़ा है। इसके अलावा जो फारेन क्लोथ है उसको धोने का चूरा बनाते हैं, सिंथेटिक्स, तीन वर्ष में इसका कितना उत्पादन बढ़ गया ? 10 साल पहले केवल 1700 टन और आज 31.8 गुना बढ़ गया। साबुन, नमक, कपड़ा, सीमेंट, चीनी, दाल व अनाज का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है लेकिन विलासिता की चीजों में अंधाधुंध पूंजी लगाते जा रहे हैं। केन्द्रीय सरकार के सामने सवाल खड़ा हो गया–यह रिजर्व बैंक का बुलेटिन है। यह सरकारी बैंक है। यह आपके भारत सरकार के प्लानिंग कमीशन ने जो बात कही है उसके बारे में बता रहा हूं। अगर आप इसे देखेंगे तो पता लगेगा कि आपकी गलत योजनाओं के कारण देश में कितना इनफ्लेशन हो गया है। यह हमारे देश की सरकार का दुर्भाग्य है कि वह गलत योजनायें बनाती है। इससे

(श्री रामकिशन)

हमारी जनता पर असर पड़ा है। मैं यह जानता हूं कि अभी मैं जो कहूंगा उसके जवाब में आप क्या कहेंगे कि इतना हमें मिला और इतना हमें देना था। आज हमारे देश की, उपाध्यक्ष महोदय !

(12-11 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

लोगों की जो औसत उम्र है वह भी अन्न पूरा नहीं मिलने के कारण घटी है। उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि कल इस सदन में श्री गिरधारीलाल जी भार्गव ने बताया कि 40 ग्राम या एक छटांक इसमें तो समझता नहीं हूँ लेकिन इतना कह सकता हूं कि एक आदमी को जिन्दा रहने के लिये जिससे वो सशक्त रह सके, अपना अच्छा दिमाग रख सके उसके लिये कितना अनाज आवश्यक है। इसके लिए मैं अभी आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि उपाध्यक्ष महोदय, अभी एक नये कांग्रेसी सदस्य ने यह कहा कि बंगाल में जब कांग्रेस का राज्य नहीं था तो वहां पर करीब 43 लाख व्यक्ति मर गये। बिल्कुल सही है कांग्रेस सरकार में लोग बिल्कुल नहीं मरे वह एक रिपोर्ट बता रहे थे। लेकिन इसके अलावा एक दूसरी रिपोर्ट और मैंने देखी तो पता लगा कि पिछले 25 सालों से दुर्भाग्य से यह कांग्रेस सरकार देश में राज्य कर रही है इसमें आम आदमी को खाने को चाहिये वह नहीं मिला। मैं वैसे एक्सपर्ट तो इसका नहीं हूं और न ही कोई डॉक्टर हूं लेकिन एक्सपर्ट की रिपोर्ट यह कहती है कि एक आदमी को सशक्त रहने के लिये, अच्छा दिमाग रहने के लिये जिससे वह अच्छी तरह तन्दुरुस्त रह सके उसके लिये 518 ग्राम अनाज चाहिये एक दिन में। आपकी पंचवर्षीय योजना के अन्दर ऐसा प्रावधान होना चाहिये जिससे कि आम आदमी को अच्छी तरह खाना मिल सके और तन ढकने को पूरा कपड़ा मिल सके। जो महानुभाव यह कह रहे थे कि अंग्रेजों के राज्य में ज्यादा मरते थे और कांग्रेस के राज्य में कम मरते हैं उनको मैं यह बता देना चाहता हूं कि अंग्रेज के राज्य में आदमी चार दिन में ही मर जाता था पर यहां आज कांग्रेस के राज्य में पिछले 25 वर्षों मे इतना जरूर हुआ कि लोग धीरे धीरे मर रहे हैं इसका कारण यह है कि जो अंग्रेजों के राज्य में एक आदमी को प्रति व्यक्ति जो अनाज मिलता था वह नहीं मिल रहा है। वैसे मैं कोई अंग्रेजों का हिमायती नहीं हूं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अंग्रेजों के समय की बात नहीं कर के अभी कुछ वर्षों पहले की बात बताता हूं। हमारे यहां पर तो आम आदमी को जब से इस प्रगतिशील कांग्रेस ने जन्म लिया है तब यानी सन् 69-70 में एक आदमी को प्रतिदिन 401.2 ग्राम अनाज मिलता था, दाल प्रति व्यक्ति 49.3 ग्राम, तेल प्रति वर्ष 2.8 किलो, चीनी 6.18 किलो और प्रति वर्ष 15.2 मीटर कपड़ा प्रति व्यक्ति मिलता था। इसके बाद में 71-72 यानी इन दो-तीन सालों में जहां पहले 401.2 ग्राम अनाज मिलता था वह अब 71-72 में 398 ग्राम मिलने लग गया और दाल 49.8 ग्राम; तेल 2.7 किलो, चीनी 6.7 किलो, कपड़ा 13 मीटर मिलता था। इसके बाद आप ले लें 72-73 जिसे आप प्रगति का साल मानते हैं अनाज प्रति व्यक्ति 375.8 ग्राम, दाल 44.4 ग्राम, तेल ढाई किलो, चीनी 6.4 ग्राम और कपड़ा तो घट कर 12 मीटर ही रह गया। तो

(श्री रामकिशन)

इसका मतलब यह हुआ कि आपकी हालत गिरती जा रही है। मैं दूसरे विदेशों की मिसाल देना नहीं चाहता पर मैं तो बता रहा हूँ कि इस प्रकार की प्रगति आपकी सरकार कर रही है। ऐसी गिरती हुई मिसाल आपको दुनियां के किसी देश की नहीं मिलेगी। अभी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में बताया कि राज्य सरकार डेरी का विकास कर रही है। अब आप दूध को हालत देख लीजिये अंग्रेजों के जमाने में आम जनता को कितना दूध मिलता था और अब कितना मिल रहा है। मैं वैसे पूरी हिस्ट्री खोलूंगा तो आप कहेंगे कि समय कम है लेकिन मैं मोटी-मोटी जानकारी के लिये बता देना चाहता हूं। अंग्रेज के जमाने में प्रति व्यक्ति अधिक दूध मिलता था। अभी हमारे यहां पर प्रति व्यक्ति 113 ग्राम दूध प्रतिदिन मिलता है जब कि भारत के अलावा दूसरे देशों में प्रति व्यक्ति दूध अधिक मिलता है। उदाहरण के तौर पर पाकिस्तान जिसे हम पिछड़ा देश मानते हैं और जहां कि भारतवर्ष की तरह स्थायी सरकार भी नहीं बनी और न ही वहां पर कोई उन्नति के लिए योजनाएं ही बनीं वहां पर प्रति व्यक्ति दूध 208 ग्राम मिलता है, आस्ट्रेलिया में 608 ग्राम, आस्ट्रिया में 555 ग्राम, बेल्जियम में 535 ग्राम तथा कनाड़ा में 628 ग्राम और डेनमार्क में 700 ग्राम दूध प्रति व्यक्ति मिलता है तो आप देख लीजिये कि आप किस दिशा में रहे हैं। यह कांग्रेस सरकार की गलत नीतियों के कारण देश बरबाद हो रहा है। आज पिछले 25 सालों में देश की स्थिति बढ़ी नहीं तो घटनी तो नहीं चाहिये थी। वह यथावत् नहीं रह कर लगातार घट रही है, क्योंकि आपकी प्रधान मन्त्री ने कांग्रेस सरकार ने किया ही क्या। आज पिछले 15 सालों से यहां पर उत्पादन ऐसी चीजों का बढ़ाया जा रहा है जो कि विलासिता की चीजें हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं कि आपकी प्रधान मन्त्री अभी बम्बई गयीं तो उन्होंने एक अरब की पून्जी लगा हुआ टेलीवीजन सेट की कम्पनी का उद्घाटन किया। अब आप सोचें कि इससे क्या होगा, यह तो विलासिता की वस्तु है।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माफी चाहूंगा इस पर थोड़ा समय तो लगेगा क्योंकि मुझे इनकी गलत नीतियों को ठीक करने के बारे में कहना पड़ेगा....

**श्री प्रद्युम्नसिंह** (राजाखेड़ा) : अभी आप चाहें जो कह लो हम आप का भन्डाफोड़ कर देंगे।

**श्री रामकिशन** : आप बैठिये। मैं आपकी सरकार का जवाब जानता हूं। यही कह देंगे कि इतना मिला और केन्द्र से जो मिला उसे हमने इस प्रकार बांट दिया। मैं आपके मन्त्री महोदय की कमजोरी को जानता हूँ और उनकी हालत पर मुझे तरस भी आती है। आपकी हालत खराब है।

**श्री प्रद्युम्नसिंह** : कम या ज्यादा क्या मिल रहा है यह तो आपका शरीर ही बता रहा है।

**श्री रामकिशन** : आप विराजिये, मेरी बातों का आपके पास जवाब नहीं है। यह मैं अच्छी तरह जानता हूं। अब, उपाध्यक्ष

(श्री रामकिशन)
महोदय, मैं यह बताना चाहता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है इसका कारण हमारी सरकार उत्पादन बढ़ाने के बजाय मुद्रा का प्रसार बढ़ा रही है। वह नोट धड़ाधड़ छाप रही है। आज जो महंगाई बढ़ रही है, जो कीमतें बढ़ रही हैं उसका कारण मुद्रा प्रसार अधिक और उत्पादन कम है। मैं ज्यादा दिन पहले की बात नहीं करूंगा मैं तो जिस दिन से इस प्रधान मन्त्री ने देश की बागडोर अपने हाथ में ली है सन् 1966 में तब की बात कर रहा हूं। सन् 1966 में हमारे यहां पर 42 अरब और 36 करोड़ रुपये की मुद्रा थी। वह उसी साल में यानी 66 में ही बढ़नी शुरू हो गयी और इन पांच सालों में इसका बहुत ही अधिक प्रसार हो गया है। जो सन् 66 में देश में 4 अरब और 36 करोड़ की मुद्रा थी वह 28-4-72 को 8 अरब और 47 करोड़ रुपये की मुद्रा हो गयो। और 27-4-73 को 95 अरब और 45 करोड़ रुपये की मुद्रा हो गयी, अब आप देखिये कि किस प्रकार से मुद्रा का प्रसार हो रहा है ? कहने को तो प्रधान मन्त्री कह देती हैं कि हर विकासशील देश में महंगाई बढ़ती है माना लेकिन इतनी तेजी से मुद्रा प्रसार आपको किसी देश के अन्दर नहीं मिलेगी। लेकिन इसके बदले में प्रोडक्शन का हाल बहुत ही खराब है। मैं दूसरे देशों के मुकाबले की बात करूंगा तो यह और दूसरी बात कहने शुरू कर देंगे। आप कह देंगे कि हमने हमारी सही नीतियों के कारण यू० पी० का इलेक्शन जीता। मुझे पता है कि वहां पर आपने क्या हथकन्डे अपनाये हैं और जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब राज्य सरकार क्या देने वाली है वह भी मैं जानता हूं। लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब आपने अनाज का राष्ट्रीयकरण किया तो आपने लेवी की वसूली क्यों नहीं की। क्या कारण है आज आपके रिजर्व बैंक के जो आंकड़े वह बता रहा है कि जो टारगेट हमारा था वह प्रोडक्शन का पूरा नहीं होने के कारण मुद्रा प्रसार अधिक हुआ है। आप कभी तो इसका दोष जनसंघ पर रख दें कि वह लेवी के खिलाफ है तो कभी आप स्वतंत्र पार्टी पर दोष मढ़ देते हैं, कभी आप यह कह देते हैं कि सरकारी अधिकारियों की वजह से हमारे टारगेट पूरे नहीं होते। कभी आप यह कह देते हैं कि किसान लेवी नहीं दे रहे हैं, आपको पूछना चाहता हूं कि आप आज सरकार लेकर बैठे अगर आप अपनी योजनाओं की पूर्ति इनकी बदौलत नहीं कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि आप निकम्मे हैं और आपको गद्दी पर बैठने का कोई हक नहीं, आपको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। वैसे गलत हथकन्डों से चाहे आप 140 से 166 तक हो सकते हैं और वोट से राज्य कर सकते हैं पर यह दोष देना आपका गलत है कि सरकारी अधिकारियों की वजह से या जनसंघ की वजह से या किसानों के लेवी नहीं देने से हालत खराब हो रही है। गलती मैं देख रहा हूं कि विश्नोईजी मेरी बात की हां भर रहे हैं लेकिन अगर मैं उन्हें कहूंगा कि कुर्सी छोड़ दें या कांग्रेस सरकार कुर्सी छोड़े तो वह नहीं छोड़ेंगे। मैं कहूंगा भी नहीं लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आप वास्तविक बात पर क्यों नहीं जाते, आखिर गड़बड़ी कहां पर है उस पर जाइये। आप अपनी गलत नीतियों को छोड़ें तो ही आपकी हालत सुधर सकेगी। आज गड़बड़ी कहां पर है; उसका पता लगायें। असली

(श्री रामकिशन)
गड़बड़ी अनाज के मामले में क्या हुई वह मैं बताना चाहता हूं जब किसान से अनाज लिया गया था। सीमेन्ट तेज, लोहा तेज तथा पानी की रेट भी बढ़ गयी। जमीन का लगान बढ़ गया लेकिन गेहूं की कीमत कम। हिन्दुस्तान के तमाम राजनैतिक दलों ने कहा कि गेहूं की वसूली की रेट बहुत कम है। राजस्थान को 3 लाख टन गेहूं लेवी के रूप में किसान से लेना था। यदि राजस्थान सरकार गेहूं की वसूली की रेट ठीक प्रकार से रखती तो तीन लाख टन तो उसको केवल गंगानगर, सवाई माधोपुर और अलवर से ही मिल सकता था। छोटे-छोटे किसान तो रोक ही नहीं सकते अपने पास। उनको तो किसी प्रकार से बाहर निकालना ही पड़ता है। लेकिन प्रधान मंत्री क्या कहती हैं ? मैं विदेशों से खरीदने चली जाऊंगी। हमारी प्रधान मंत्री केनाडा में पहुँची। वहां का प्रधान मंत्री उनको रिसीव तक करने नहीं आया। दुनियां में यह पहली मिसाल है कि किसी देश का प्रधान मंत्री दूसरे देश में जाय और वहां का प्रधान मंत्री उसको रिसीव करने के लिये नहीं जाय। सही बात है कि कौन भिखमंगे देश के प्रधान मंत्री का स्वागत करता है। कनाड़ा में गयी और अर्जेन्टाइना में गयी गेहूं की खरीद के लिये। दोनों ही देश इनकार हो गये। कुल कितना मिला ? किसी ने कुछ नहीं दिया और प्रधान मंत्री को खाली हाथ लौटना पड़ा। रूस वालों ने कृपा कर दी। लेकिन अभी तक कुछ नहीं दिया। कह दिया कि 20 लाख टन देंगे। चुनाव के दिनों में प्रचार कर दिया कि 20 लाख टन गेहूं रूस से आ रहा है।

**श्री मोहम्मद गफ्फार अली** : आप गलत क्यों बता रहे हैं ?

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री रामकिशन** : आप बिराजिये। मैं आपको बताऊंगा। मेरे कहने का मतलब यह था कि आप अमेरिका के बाजार में पहुँचे आपको चीज क्यों नहीं मिली ? चीन भी पहुँचा, रूस भी पहुँचा उनको उधार भी मिल गया लेकिन आपने अधिक कीमत देनी चाही फिर भी आपको गेहूं नहीं मिला। मैं इस विषय में अधिक चर्चा नहीं करना चाहूँगा और केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आपको इन बाजारों में चीजें नही मिलीं। रूस ने 20 लाख टन गेहूं देने का एलान किया। प्रचार करते रहे आप कि रूस से गेहूं आ रहा है 20 लाख टन, लेकिन आया नहीं। आपने 20 लाख टन मांगा। लेकिन आपकी फोरकास्ट के अनुसार हिन्दुस्तान में 10¾ करोड़ टन की पैदावार होगी। या तो आप जो आंकड़े देते हैं वह गलत हैं। 20 लाख टन गेहूं नहीं आ रहा है। शीत लहर से पहले के ये आंकड़े दिए हुए हैं। यदि ये आंकड़े सही हैं तो आपको 20 लाख टन के आने की उतनी चिन्ता नहीं रहती। और इन स्टेटिस्टिक्स को सही मान लें तो हमारे यहां अनाज की कोई कमी नहीं है। हिन्दुस्तान की सरकार ठीक प्रकार से फैसले नहीं करती। और हम दुनियां से भीख मांगते फिरते हैं। राजस्थान जैसी जगह में 200) रु० क्विन्टल गेहूं बिकता है। अमेरिका में महंगाई की बात करते हैं। वहां पर 28 हजार रुपया एक आदमी का सालाना इनकम है, इंग्लेंड में 22 हजार रुपया और कुवेत में 23 हजार रुपया सालाना एक व्यक्ति की इनकम है; जबकि हमारे यहां एक व्यक्ति की आमदनी

(श्री रामकिशन)
500 रुपये सालाना के करीब भी नहीं पहुँची है। जिस व्यक्ति की इनकम 500) सालाना हो और 200) रु० क्विन्टल गेहूँ मिलता हो तो इसका मतलब क्या होता है? उसका एक ही मतलब है मौत।

लेवी में किसान का कोई हाथ नहीं है। छोटे-छोटे किसान थे उन्होंने तो गेहूं बेच दिया। जो धनी किसान थे, जो डंडे वाले किसान थे, जो कानून से नहीं डरते थे उनके लिये सरकार ने समय घोषित कर दिया है कि मई में दें, जून में जुलाई तक दे दें और गवर्नमेंट ने आॅर्डर कर दिया फिर भी कोई उन पर पाबन्दी नहीं वे मन चाहे जहां ले जाकर अपनी पैदावार को बेच दें। इस प्रकार से आप इस देश को क्या बनाना चाहते हैं आखिर? इस ओर पुनर्विचार की बड़ी आवश्यकता है। श्रीमती कमला बेनीवाल चुनाव प्रचार के लिये गयीं मेरे क्षेत्र में। मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने पहली बार मेरी ओर हाथ बढ़ाया। विदेशी महिलायें तो हाथ मिलाती हैं लेकिन हिन्दुस्तानी महिलाओं में संकोच रहता है। मेरी भी पहली अनुभूति थी। घबराहट सी थी दोनों तरफ। यह बराबरी की दृष्टि से है। दूसरी तरफ इस पर खयाल करने की बात नहीं है। चुनाव प्रचार के लिये श्रीमती कमला बेनीवालजी आयी थी। उन्होंने कहा कि लेवी की पर्चियों पर कमला बेनीवाल ने लिखा कि अनाज लेवी में वसूल न किया जाय।

**श्रीमती कमला बेनीवाल (राज्य मंत्री)**: यह झूठी बात है। एक भी पर्ची बता दें इस तरह की तो मैं मान लूंगी।

**श्री रामकिशन**: रिकार्ड पर आ गया है। लेवी कहां से वसूल हो? छोटी-छोटी चीजों को इस प्रकार राजनीति के घेरे में लेने से देश का विकास रुक जायगा। शिवचरण जी ने जवाब में कहा कि भरतपुर में चुनाव से पहले 5 किलो गेहूं और 500 ग्राम चीनी मिल रही थी। दिसम्बर जनवरी में भी यही था। ठीक चुनाव खत्म हुआ। आज 1 किलो गेहूं और 250 ग्राम चीनी मिल रही है। यह क्यों? इसलिये मेरा कहना यह है कि यदि इस प्रकार से लोगों के जीवन को चुनाव से जोड़ देंगे तो आप कल्याण नहीं कर सकते। कृषि मंत्रीजी सदन का समय खराब करें तो करें इतना आया और इतना आवंटन कर दिया। फखरुद्दीन अली साहब मिलते नहीं। प्रधान मंत्री का दिमाग बहुत चढ़ा हुआ है और उनके दरबार में पहुँचने की इनकी हिम्मत नहीं। राजस्थान बन्द हुआ। कहा गया सरकार की ओर से यहां पर भी विरोधी दलों की मंशा यह थी कि गुजरात सी स्थिति पैदा हो। यह खयाल न करें। हिन्दुस्तान में एक ही दल की सरकार है जो एक ही भाषा समझती है। आप जवाब क्या दे रहे हैं कि आपकी मंशा तो गुजरात जैसी स्थिति पैदा करने की थी लेकिन राजस्थान की जनता शान्ति प्रिय जनता है और हमारी बात मान ली। जब जनता भूख से मरेगी और जब उनके कष्ट बढ़ेंगे तो वह तमाम राजनैतिक दल को पीछे छोड़ देगी। गुजरात में कौनसा राजनैतिक दल है? सब राजनैतिक दल पीछे जा रहे हैं। कांग्रेस वालों का कोई भाव ही नहीं। हजारों साल की हमारे राजस्थान की संस्कृति जो रही है उसी के कारण आज हमारे यहां शांति है वरना आपके कारनामों से तो लोगों को बहुत ही कष्ट है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रामकिशन)

आपने लेवी वसूली के लिये आदेश दिये हैं गंगानगर से, चूरू से। जितनी लेवी गंगानगर और चूरू से वसूल होगी उससे ज्यादा तो आपके अफसरों की जीपों का पेट्रोल जल जावेगा। आपको सही रूप से अधिक अन्न उपजाऊ नीति बनानी पड़ेगी और उद्योग नीति बनानी पड़ेगी।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

मैं समय की सीमा में ही रहने वाला व्यक्ति हूं। मैं विस्तार से प्रकाश डालना चाहता था लेकिन अब मैं दूसरे अवसर पर हिन्दुस्तान से आयोजना आयोग, सरकार की अर्थ नीति पर प्रकाश डालना चाहूंगा। अन्त में इतना ही कहूंगा कि भरतपुर में पुनः आप गेहूं का उतना ही राशन कर दीजिये। मुझ से क्या लड़ाई है? कांग्रेस को उठाने में और मजबूत बनाने में मेरा भी हाथ था। लेकिन आपका पतन इतना हो गया है कि मुझ से ही नाराजगी है यह जाहिर हो गयी है। लेकिन कांग्रेस का इतना पतन हो गया है, जब इस कांग्रेस को बनाने में काफी जोर लगाया और अपनत्व था आपमें पहले लेकिन इतना पतन हो गया है कि आपको ऊपर उठाना असंभव है। भरतपुर में 1 किलो गेहूं राशन में दे रहे हैं। यदि आप अधिक नहीं दे सकते हैं तो कृपया यह भी बन्द कर दीजिये और इसको दूसरे जिलों में भेज दीजिये। चुनाव के दिनों में 5 किलो और अब 1 किलो।

तेल के संकट से मैं सहमत हूं। तेल का संकट आपके वश का नहीं है। मौजूदा संकटों के लिये हिन्दुस्तान की कांग्रेस की सरकार सम्पूर्ण रूप से जिम्मेदार है और इन्हीं के काले कारनामों से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। यह जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है इसको सदन निन्दा के रूप में ले दुबारा योजना का निर्माण हो और आर्थिक नियोजन ठीक प्रकार से हो यही मेरा कहना है।

**श्री मीठालाल** ( लालसोट ) : उपाध्यक्ष महोदय, खाद्य नीति के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाल दिया है इसलिये मैं इस ओर अधिक नहीं कहना चाहूंगा। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि यदि सरकार की सही नीति हो और दोषपूर्ण नीति न हो तो अधिक खाद्यान्न हो सकता है। उदाहरण के लिये यह सरकार शराब के कारखाने खोलने के लिये तो मदद करती है लेकिन यदि खाद के लिये कोई कारखाना लगाना चाहे तो उसके लिये कोई मदद नहीं करती है। सरकार कहती है कि पूंजी का नियोजन होगा। खाद कारखाने के लिए वर्षों पीछे पड़े रहे लेकिन सुनती ही नहीं यह सरकार। शराब की दुकान खोलने के लिये दस हजार रुपया लेकर दुकान खुलवा देगी लेकिन खाद के कारखाने के लिये लाइसेंस नहीं देगी। खाद्यान्न के उत्पादन के लिये आपने आज तक किया ही क्या है? बिजली के लिये हम कहते हैं कि खम्भे लगादो तो सरकार कहती है कि पांच सौ रुपया दो प्रति खम्भे के हिसाब से तो हम बिजली देंगे। पैसे दे तो बिजली देंगे। इस दृष्टि से सरकार ने खाद्यान्न उत्पादन के लिये कोई प्रोत्साहन भी नहीं दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में और किसी भी मद पर आप एक पैसा मत खर्च करिये लेकिन बिजली के लिये खर्च कर दीजिये और हमसे जितना चाहे उतना अनाज ले लीजिये। किन्तु उपाध्यक्ष महोदय, इस सरकार को गलत

(श्री मीठालाल)
नीतियों के कारण, नाजायज कामों पर पैसा खर्च करके, नाजायज कानून बनाकर जो परिणाम सामने आये हैं इस महंगाई और भुखमरी के रूप में हैं तो एक दिन इन काले कारनामों का परिणाम इनको भी भुगतना तो होगा।

आज देश में और इस राज्य में भी इस कांग्रेसी राज्य की भ्रष्ट नीतियों के कारण तथा भ्रष्टाचार में लिप्त कार्य प्रणाली के कारण महंगाई और भुखमरी से हर चीज की कीमतें बढ़ती जा रही हैं और इसके परिणामस्वरूप जन-जीवन में आक्रोश फैलना स्वाभाविक है। फिर कुछ गलत सलाहकार इनको मिल गये हैं जो इनकी बगलों में बैठे हैं। जो ऊपर से तो इनसे मिले हुए लगते हैं, पर भीतर से इस सरकार की गलत और भ्रष्ट नीतियों के पैदा हुए जन-असन्तोष को इनके खिलाफ ही उभाड़ कर इनकी ही खाई खोद डालने को तैयार बैठे हैं, अन्दर से इस जन-असन्तोष को देखकर ये खुश हैं।

मैं मन्त्रियों का वैसे आदर करता हूं। पहले के खाद्य मन्त्री फिर भी कुछ सही निर्णय करते थे, अपनी स्वयं की बुद्धि से करते थे और उस पर कड़ाई से अमल भी करते थे। पर जब से शिवचरणजी आये हैं इनकी अस्थिर नीतियों के कारण ये स्वयं तो चक्कर में पड़ ही गये हैं, साथ ही जनता को भी इस महंगाई और भुखमरी के भयंकर चक्कर में डाल दिया है। इनकी स्थिति तो यह है कि हर 24 घंटों में इनके नियम, कानून और आदेश बदलते रहते हैं।

राष्ट्रीयकरण के समय भी हमने इन्हीं कारणों से इसका विरोध किया था कि आपके मन्त्रीगणों में वह क्षमता नहीं है, उनमें दृढ़ता से अपनी नीतियों पर चलने का मनोबल नहीं है, उनकी नीतियों का संचालन करने वाला शासनतन्त्र भ्रष्ट है, जिसे वे रोक सकने में असमर्थ हैं क्योंकि वे स्वयं इसमें भ्रष्ट तरीके से लिप्त रहते हैं। इनकी वितरण प्रणाली भ्रष्ट है। आज वही बात हमारी प्रधान मन्त्रीजी कहने लगी हैं, राष्ट्रपति तो खुल्लमखुल्ला कह रहे हैं कि इस शासन की वितरण प्रणाली भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है, उससे कैसे आशा रखी जा सकती है कि वह इस राष्ट्रीयकरण की पालिसी को सफल होने देगी।

आज हमारे मन्त्रियों का यह एक फेशन हो गया है कि वह अपना दोष दूसरों पर डाल देते हैं। वे अब सारा दोष व्यापारियों पर डाल रहे हैं। यह इनकी आदत है। आज कांग्रेस के राज्यों का तीन-चौथाई बहुमत सारे देश के राज्यों में है। फिर अगर व्यापारी गलती करते हैं तो सरकार चुपचाप क्यों बर्दाश्त कर रही है। शासनतन्त्र तो आपके हाथ में है। आप उनके साथ कड़ाई से पेश क्यों नहीं आते? किसने आपके हाथ पकड़ रखे हैं? पर आपके इन सारे कारनामों में कुछ भ्रष्ट व्यापारियों से आपका मेल-जोल स्पष्ट झलकता है। आपके कारनामे पुकार-पुकार कर यही कह रहे हैं। 24 घंटों में आपने राष्ट्रीयकरण किया। गेहूं का इधर से उधर आना-जाना रोक दिया। एक जिले से दूसरे जिले में भी नहीं ले जा सकते। बाद में किसानों को मनमाने भाव पर बेचने की छूट दे दी, रिटेलरों को भी दे दी। फिर बन्द कर दिया। फिर जिलाबन्दी तोड़ दी। आपकी इस नीति का परिणाम

(श्री मीठालाल)
गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दिसम्बर में मोटे अनाज की भी जिलाबन्दी कर दी। परिणाम यह हुआ कि एक जिले में काफी सस्ता और दूसरे में बहुत ही महंगा हो गया। आश्चर्य तो इसमें यह और भी रहा कि जयपुर जिले का कोई व्यापारी कोटा में माल नहीं भेज सकता, लेकिन टोंक भेज सकता है। पर टोंक वाला व्यापारी कोटा भेज सकता है। और कोटा वाला कहीं भी भेज सकता है। वह राजस्थान से बाहर भी भेज सकता है। हिन्दुस्तान में कहीं भी भेज सकता है। तो इस सरकार की अक्ल का दिवाला तो यों निकल गया। जयपुर बन्द रखा। जोधपुर खोल दिया। अलवर में रोक दिया। जैसलमेर में तो कानून नाम की कोई चीज ही नहीं रहने दी यह तो वह हाल कर दिया अन्धेर नगरी बेवूक्ष राजा। फिर एक आश्चर्य कि राज्य के अन्य व्यापारी कहीं इधर उधर माल नहीं ले जा सकते, सिर्फ कोटे के व्यापारी ले जा सकते हैं और उनमें भी खास कर दो व्यापारी। वे जहां चाहें वहां ले जा सकते हैं, बाहर भी ले जा सकते हैं। इसके बाद अलवर की दो फर्मों को भी यह छूट दे दी। ये हैं इस सरकार के काले कारनामे और इसकी अकल का दिवाला। फिर कहते हैं हमारा दामन साफ है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, ज्वार, बाजरा, मक्का पर से पाबन्दी हटा दी। पर नवम्बर में उसने 13 जोन बनाये। फिर राज्य स्तर पर निर्णय लिया कि जोन खतम कर रहे हैं फिर राज्य स्तर पर ही मोटे अनाज का आवागमन का निर्णय लिया प्राइवेट पार्टी नहीं ले जा सकेगी। पांच फरवरी को यह हुआ और 11 फरवरी को घोषणा कर दी कि कोई भी कहीं भी ले जा सकता है। यह क्या बच्चों का सा खेल है। पर इसके पीछे क्या राज है और क्या खेल ये लोग खेल रहे हैं यह सब जानते हैं। इससे स्पष्ट है कि राज्य सरकार की नीयत राष्ट्रीयकरण की नीति को सफल करना नहीं, वरन अपने घर भरने या कुछ और ही करने की नीयत रही है फिर जनता चाहे भूखों मरे या महंगाई में पिसे।

इसके बाद स्टॉक पर पाबन्दी लगाई कि 150 क्विन्टल से अधिक कोई व्यापारी अपने पास गल्ला नहीं रख सकेगा। फिर इस लिमिट को 500 क्विन्टल तक कर दिया। खाद्य व्यापारियों पर ही यह रोक नहीं लगाई वरन आटा मिलों पर भी लगा दी। यह नहीं सोचा कि आटा मिलों का हिसाब और है। उनको यह मालूम नहीं कि आटा मिलों को कितनी जरूरत होती है और उनका क्या तरीका है। वे यह नहीं कर सकते थे कि जितना आटा पिसता उसे अपने नियन्त्रण में लेकर वितरित कराते पर इतनी सूझबूझ और अकलमन्दी भी इनमें कहां? जब उन्होंने देखा कि चावल व दाल मिलें बन्द हो रही हैं तो उनका कोटा बढ़ाकर 1500 क्विन्टल का कर दिया कि इतना स्टॉक वे रख सकते हैं। दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह दिनों में ये ऑर्डर आते हैं और कैंसल होते रहते हैं। इसके बाद किसी जिले में जाना बन्द कर दिया, किसी में खोल दिया। और किसी में बन्द कर दिया जोधपुर में हजार पांच सौ का स्टॉक रखने वालों का माल सीज नहीं किया। और जगहों पर दो हजार का स्टाक करने पर भी छोड़ दिया। सवाई माधोपुर में कह दिया कि इस स्टॉक को मत छेड़ना। चार रुपया

( श्री मीठालाल )

क्विन्टल चेरिटी फण्ड में लेकर छोड़ दिये गये, हालांकि उनको उदयपुर के बंशीलाल चतरलाल के केस के फैसले की जानकारी थी, जिसमें 16 हजार की सरकार पर डिक्री हो गई थी।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहाँ असिस्टेण्ट फूड कमिश्नर को कोटा टेलीग्राम जाता है 15 दिसम्बर को कि "Reference Gazette Extra-ordinary 10th December, 1973 Order F. 17 (6) FS/Legal/73. Government desires implementation of order stringently. All excess stock should be got released in market if not done so far. Legal action should be taken under Rajasthan Foodgrains ( Prevention of Hoarding ) Order, 1973."

इस आधार पर कोटा वालों ने पहले ही 150 क्विन्टल से अधिक सीज किया माल छोड़ दिया। तो यह हालत है इस सरकार में एक कलेक्टर चन्दा लेकर छोड़ रहा है, एक पकड़ रहा है, एक वैसे ही जाने दे रहा है। यह कौनसा नियम है? एक रसद अधिकारी को अधिकार दे रखे हैं दूसरे को ना कह रहे हैं। गंगापुर के कुछ व्योपारियों का माल दो सौ क्विन्टल से अधिक होने के कारण मार्केट रेट से बिकवा दिये जाने का आँर्डर दे दिया। वह अब भी जब्त पड़ा है। इसका लाभ न गरीब को मिला न व्यापारियों को ही फायदा हुआ। ज्वार, बाजरा, मक्का एक जगह से दूसरी जगह के लिए वापस खोल दिया। जहाँ जप्त कर लिया था उसका फैसला अभी तक नहीं कर रहे हैं; वह अभी तक पड़ा है। किसी को हिदायत दे दी कि कहीं से भी गल्ला लाओ, कहीं ले जाओ कोई रोक-टोक नहीं। यहां तक कि कुछ को यह छूट देने के साथ पुलिस को भी इत्तला कर दी कि अगर ये लोग यू. पी. से माल स्मगल करके लावें तो उनको किसी तरह की तकलीफ मत देना। सरकार ने खुली छूट दे दी कि तस्करी करके यू. पी. से लाओ। अजमेर में 250 ) रुपया क्विन्टल मंदा बेचा गया।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी चार-पांच दिन पहले झुन्झुनू में ज्वार के लिए आँर्डर दे दिया कि ज्वार न ले जा सकते हैं, न बेच सकते हैं। जो स्टेशन पर पड़ी है उसको अपने माल गोदामों में भी नहीं ले जाने देते।

उपाध्यक्ष महोदय, वनस्पति घी की चर्चा चल रही है। इस मामले में भी वही हाल है जो खाद्यान्न के मामले में है। आज जयपुर में तीन मिलें हैं। सात हजार टन की इनकी उत्पादन क्षमता है और राजस्थान की खपत है ढ़ाई हजार टन की फिर भीलवाड़ा में नटराज का भी उत्पादन है। चित्तौड़ की मिलें और हैं। आज, उपाध्यक्ष महोदय, भीलवाड़ा और चित्तौड़ की मिलों को तो बाहर भेजने की छूट है, लेकिन जयपुर जिले की जो तीन मिलें हैं, उनको बाहर भेजने की छूट नहीं है। रसद अधिकारी का परमिट ले जाकर सवाई माधोपुर, भरतपुर आदि जिलों में ले जा सकते हैं। जयपुर की मिल वाले बाहर नहीं भेज सकते हैं चाहे गुजरात से आकर अपने यहाँ राजस्थान में बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ का घी बाहर नहीं जायगा। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा का बाहर चला जावेगा। लेकिन यहाँ का घी बाहर नहीं

( श्री मीठालाल )
जायगा । यह कौनसी आपकी नीति हुई ? 16 जनवरी से 21 जनवरी तक यहाँ की मिलें बन्द रहीं । उनके पास भारी स्टॉक था और जब कि कोई ऐसा आदेश नहीं था कि उनको बाहर भेजने से सरकार रोके ।

उपाध्यक्ष महोदय, आवश्यक वस्तुओं को बाहर भेजने की छूट है । कल ही सदन में जवाब दिया है राज्य सरकार को वनस्पति घी, सीमेन्ट, तेल आदि पर प्रतिबन्ध लगाना सम्भव नहीं है, क्योंकि इनका वितरण केन्द्रीय सरकार की नीति के आधार पर होता है । जब मैं कहता हूं यह केन्द्रीय सरकार की नीति के आधार पर होता है तो वनस्पति घी को कैसे रोक दिया । 13 (ए) और 13 (बी) में वनस्पति घी को रोक सकते हैं या नहीं । यह मैं अभी पढ़कर नहीं सुनाना चाहता हूं । समय का अभाव है, वरना मैं पढ़कर भी सुना सकता हूं । कलेक्टर को कोई अधिकार इस कानून में नहीं है ।

दूसरी बात, उत्पादन बन्द हो रहा है । मिल वाले माननीय खाद्य मंत्रीजी से मिले । उन्होंने कहा बिलकुल सही है, नियम भी सही है लेकिन पाबन्दी रहेगी । घी की छूट नहीं होगी । बरसात के दिनों में दूध की कमी आ गई, क्योंकि हरा चारा काफी हो गया था इसलिये मावा बनाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया लेकिन जब हरा चारा खत्म हुआ तो माननीय खाद्य मंत्रीजी ने दूध की नदियां बहा दीं । जयपुर के और राजस्थान के हलवाइयों ने पता नहीं 5 लाख या 7 लाख, अधिकारियों के हवाले किये और फिर छूट हो गई । कुछ भी करें । जब दूध का टाइम था तो दूध बन्द, मिठाई बन्द । अब यही मामला वनस्पति घी में भी हो रहा है । इसमें सांठ-गांठ हो रही है । कुछ हो सकता है । बड़ी पार्टियों ने घी बाहर बेच रखा था उस समय उन्होंने घी बन्द कर दिया । अब फिर सौदेबाजी हो रही है । अभी कुछ दिन पहले मुख्य मंत्री महोदय ने कहा हम खाद्य विभाग में बहुत हेरा-फेरी कर रहे हैं, स्वच्छ प्रक्रिया अपना रहे हैं और इस मामले में 11 डी. एस. ओ. को हटाया । उनसे पूछना चाहता हूँ उनके खिलाफ राज्य सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती थी ? उन 11 आदमियों में केवल इसलिये दोष हो सकता है कि वे स्वार्थी नेता लोगों की नहीं सुनते हैं । अगर वास्तव में दोषी हैं तो उनके प्रति एक्शन लेना चाहिये था । उपाध्यक्षजी, आपको मालूम है और आप जानते हैं कि हमारे यहां राजनैतिक कारण से भी ट्रान्सफर होते हैं । नेताओं की स्वार्थ सिद्धि नहीं होने के कारण भी उनको हटा दिया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय, स्वच्छ परम्परा यह होती कि उनके खिलाफ दोष बता कर कार्यवाही करते और कार्यवाही का नतीजा आने पर फिर उनको हटाते । लेकिन आपने ऐसे-ऐसे डी. एस. ओज. को हटाया है जिनके प्रति आज तक कोई लान्छन नहीं था । उनको भी, उपाध्यक्ष महोदय, उस श्रेणी में गिना गया जो भ्रष्ट हैं । भ्रष्ट डी. एस. ओ की श्रेणी में ईमानदार और लान्छन रहित डी. एस. ओ. को भी शामिल कर लिया गया और यह इसलिये किया गया कि उन्होंने कुछ स्वार्थी जन-प्रतिनिधियों की बात नहीं मानी । भ्रष्ट व्यक्तियों की श्रेणी में गिनकर सज्जनता का दण्ड उनको भी दिया गया जिनके खिलाफ एक भी शिकायत नहीं थी, जिनके खिलाफ एक भा

(श्री मीठालाल)

भ्रष्टाचार का मामला नहीं था। राजनैतिक लोगों का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाया। किसी बड़े व्यापारी की चोरी पकड़ने पर नाराज हो गये।

उपाध्यक्ष महोदय, क्या यह व्यापारी वर्ग ही चोर है ? इसी को चोरों की श्रेणी में गिना जाता है। लेकिन खाद्य निगम के जो बड़े-बड़े चोर हैं जिन्होंने जौ की खरीद 74-75 में की, चने की खरीद 110-120 में की, और खाद्य विभाग ने टेन्डर निकाल कर जौ को 120-125 तक बेचा और चने को 210-220 तक बेचा। क्या आप उनके खिलाफ जमाखोरी का चालान नहीं कर सकते थे ? लेकिन नहीं किया, क्योंकि सरकार का खाद्य निगम है। व्यापारी के लिये कह सकते हैं। अपने ऑफिसर्स और कर्मचारियों के लिये नहीं। आपके खाद्य निगम ने दुगना मुनाफा कमाया तो इसका जवाब दें, व्यापारी वर्ग मुनाफा लें तो उसको भ्रष्ट कहें और चोर की श्रेणी में गिन लें। 70-75 के जौ 110 और 120 में बेचें, 120-125 के चने 210-220 में बेंचे। यह काला बाजार नहीं है तो और क्या है ?

उपाध्यक्ष महोदय, लेवी का मामला सरकार ने चालू किया। लेवी के मामले में विरोधी पार्टियों ने कुछ सुझाव दिये थे। मैं कुछ सीमा तक यह मानता हूं कि आप राष्ट्रीयकरण या सरकारी व्यापार करिये लेकिन जब तक सही नीति न हो तब तक बेकार है। लेवी के बजाय आप मोटा अनाज बाजार से खरीदते। खुले बाजार में आप मोटा अनाज खरीदने की प्रक्रिया अपनाते तो ठीक होता लेकिन लेवी के चक्कर में आपका राजस्व विभाग, खाद्य विभाग और न मालूम कौन-कौनसे विभाग इसमें आ गये। लेवी शुरू होते ही चारों-पांचों विभागों के अधिकारी और कर्मचारियों का जमघट हो गया। किसानों से लेवी ली गई तो उन कर्मचारियों और अधिकारियों का टी. ए., डी. ए. इतना हो गया कि लेवी वाला मामला घाटे में रहा। नये एजेन्ट नियुक्त करने की प्रथा अपनाई गई और नये एजेन्ट इस आधार पर लिये गये कि अगर 100 बोरी बाजरा मिलेगा तो 100 रुपया और अगर 10 बोरी बाजरा मिलेगा तो 100 रुपया। उपाध्यक्ष महोदय, यह कौनसी नीति निर्धारित की गई कि 100 बोरी बाजरा तुलेगा तो भी 100 रुपया और अगर 10 बोरी बाजरा तुलेगा तो भी 100 रुपया। उसने कुछ किया या नहीं किया 100 रुपया उसको मिल जायगा। 100 बोरी तोलने का उसको कोई इन्सेन्टिव ही नहीं रहा क्योंकि उसको तो 10 बोरी और 100 बोरी कोई भी हो 100 रुपया मिल जाता है। आपने जो बाजरा लिया है वह आपके यहां 132 रुपये में पड़ा है। यह हमारी प्रगतिशील सरकार के नमूने हैं। मैं चेलेन्ज करके कह सकता हूं खुले आम बाजरा बाजार से खरीदते तो इनका खर्चा भी कम होता और किसान राजी से 90 से 100 के भाव से बाजरा बाजार में बेचता। इससे किसान और सरकार दोनों को परेशानी नहीं होती। किसान राजी-राजी अपना माल बाजार में लाता। आज आपकी प्रगतिशील सरकार ने बाजरा किसान से लेकर क्या किया ? उनको कौनसे हक दे दिये ? आज सारा किसान-वर्ग डीजल की मांग करता है तो उसको डीजल नहीं मिलता है, खाद की मांग

( श्री मीठालाल )
करता है, खाद नहीं मिलता है, बीज की मांग करता है तो बीज भी उसको नहीं मिलता है। किसान की कौनसी परेशानी को आपने दूर किया है। किसानों की बिजली की मांग बढ़ रही है, उसको आप पूरा नहीं कर पा रहे है तो फिर आप किसानों से क्या आशा लेकर चलते हैं। क्या नैतिक आधार है आपका लेवी लेने का? किस आधार पर उनसे लेवी लेने की सोचते हैं? खुले बाजार में 122 के भाव पर मोटा अनाज खरीदते। केवल कुछ किसानों को परेशान करने के लिये किया है। कुछ दिन बाद में, उपाध्यक्ष महोदय, घोषणा की कि व्यापारी यदि दो बोरी बाजरा देंगे तो उनको एक बोरी चावल बाहर ले जाने के लिए इजाजत दी जायेगी। हर चौबीस घन्टे के बाद में जो आदेश सरकार के बदलते रहते हैं मैं उनका विश्लेषण करना चाहता हूं। मंत्रिमण्डल ने काफी सोच विचार कर निर्णय लिया कि यदि दो बोरी बाजरा व्यापारी सरकार को देंगे तो उसके बदले में उनको एक बोरी चावल बाहर जाने का परमिट दे दिया जायेगा। दिल्ली से ऑर्डर्स आये और इन्होंने बाजरा तुलवाना शुरू कर दिया। अलवर में, उपाध्यक्ष महोदय, बाजरा तुलवाया, सवाई माधोपुर में बाजरा तुलवाया और कोटा में ज्वार तुलवाई और घोषणा की कि 15 तारीख तक लेवी तुलायेंगे और तीन सप्ताह तक परमिट देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, 13 तारीख को तो लेवी बन्द कर दी और 14 तारीख को कहा कि बाहर ले जाने के लिए कोई परमिट नहीं दिया जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, हजारों बोरी बाजरा 60 और 62 के भाव में अलवर और सवाई माधोपुर से तुलवाकर लिया है उनको एन. ए. सी. दे दी लेकिन आज तक परमिट बाहर ले जाने के लिए नहीं दिया।

श्री **रामानन्द अग्रवाल** (अलवर) : आप क्या चाहते हैं कि आज के ऐसे वक्त में भी धान हमारे यहां राजस्थान से बाहर जाये? आज की हालत में राजस्थान की सारी जनता ने हड़ताल की है तब भी आपका यही ख्याल है कि अनाज को यहां से बाहर ले जाने के लिए परमिट दिये जायें। इसीलिए तो महंगाई है।

श्री **मीठालाल** : कौन कहता है कि बाहर जाने की छूट हो? लेकिन जब एक बार छूट दे दी और बाजरा 60 और 62 रुपये के भाव से ले लिया और यह कहकर लिया कि यदि दो बोरी बाजरा देंगे तो एक बोरी चावल बाहर ले जाने के लिए परमिट दे देंगे। इस आदेश के खिलाफ लोग हाईकोर्ट में जायेंगे और दावा करेंगे तब आप मानेंगे। आप यदि उनको परमिट नहीं देते हैं तो उनका बाजरा उनको आप वापस दे दीजिए। लेकिन आप उनका बाजरा भी ले लें और बाहर ले जाने की छूट भी नहीं दें तो यह कहां तक उचित है?

श्री **लक्ष्मणसिंह** : यह किंकर्त्तव्यविमूढ़ हैं।

श्री **मीठालाल** : उपाध्यक्ष महोदय, सीमेंट के मामले में केन्द्रीय सीमेन्ट कन्ट्रोलर है और उसका राज्यों के लिए आवंटित कोटा होता है और हमारे राज्य के लिए भी है। गत साल जयपुर जिले के और कुओं के लिए सीमेंट का कोटा आवंटित हुआ और उसमें हमारे सरकारी प्रतिनिधि सीमेंट लेने गये। उनको मना

( श्री मीठालाल )
कर दिया कि पावर की शार्टेज की वजह से उत्पादन में कटौती हो गयी है इसलिए सीमेंट नहीं दिया जायेगा और कोटा का 50 प्रतिशत ही दिया जायेगा। सीमेंट फैक्ट्रीज की मारफत सीमेंट देकर अम्बर और शालीमार सिनेमा जरूर बन गए लेकिन जयपुर जिले के कुए अधूरे रह गये। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यह अम्बर और शालीमार के लिए सीमेंट कहां से आ गया? हमारे जो गरीब किसान भाई थे वह रिश्वत नहीं दे सकते लेकिन प्राइवेट सिनेमा मालिक रिश्वत दे सकते हैं और उन्होंने प्राइवेट तौर पर सीमेंट ली और सिनेमा की बिल्डिंग तैयार की और जो सरकारी कोटा लेप्स हुआ वह किसकी वजह से हुआ और किस कारण से हुआ और उसके कारण नुकसान हुआ इसकी कोई जांच आज तक नहीं हो सकी।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, आपको भी जानकारी होगी कि जिन किसानों को सीमेन्ट दी उन कट्टों का वजन 30 किलो और 32 किलो उतरा। इसके लिए सम्बन्धित मंत्री महोदय को शिकायत की गई उस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई क्योंकि जयपुर उद्योग लिमिटेड 20 लाख 50 लाख देती है और जीपें देती है मंत्रियों को और मेम्बरों को तो कैसे उनके खिलाफ एक्शन ले सकते हैं?

उपाध्यक्ष महोदय, सीमेन्ट के अब भी वही हाल हैं। उसकी मात्रा कम कर दी है लेकिन सरकार आज तक कुछ नहीं कर सकी है हालांकि इसके लिए उसको कई बार शिकायतें भेजी गई। 50 किलो के बजाय आज 30 किलो, 35 किलो और 40 किलो मिलती है लेकिन इसके लिए सरकार की ओर से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। इसकी अधिकारियों और तत्कालीन खाद्य मंत्री को शिकायत की लेकिन पता नहीं क्या हुआ। उन्होंने कहा भी था कि जांच करवा रहे हैं लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। एक पार्टी जिसके खिलाफ शिकायतें हुई थीं उसी पार्टी को सूरतगढ़ फॉर्म से बीज के नाम से बाहर ले जाने के लिए धान दिया है और उसी पार्टी को एक्सपोर्ट परमिट दे दिया और वह राजस्थान के बाहर ले गयी और खुले बाजार में खाद्यान्न बेचा उसके लिए आज तक सरकार ने कोई इन्क्वायरी नहीं करवाई।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

मेरी पार्टी से, उपाध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं और अभी मुझे और समय दिया जाना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : उसके बावजूद भी समय कम है।

**श्री मीठालाल** : घन्टी बजने के बाद जितना समय रामकिशनजी को दिया था उतना समय तो मुझे भी मिलना चाहिए।

**श्री उपाध्यक्ष** : उनके चुनाव के बाद उनकी पहली ही स्पीच थी इसलिए दे दिया था।

**श्री मीठालाल** : आज सरकार के आदेश इस प्रकार से हैं कि अमुक मात्रा से अधिक अनाज कोई भी व्यापारी अपने पास नहीं रख सकता लेकिन तिलहन का स्टॉक चाहे जितना रख सकता है। इसके लिए छूट है। गत साल आपने तेल के व्यापारियों के यहां मिलों पर छापे मारे थे कि इनके तेल में मिलावट है और छापे मारकर तेल का सैम्पल लेकर आपने लेबोरेटरीज को भेजा और सैम्पल को यह

( श्री मीठालाल )

कहकर फेल कर दिया कि तेल में रैनसिडी है और कोर्ट में केस चला गया। आज तक सरकार जवाब नहीं दे सकी कि रैनसिडी क्या है। उनके खिलाफ केस लगा दिया। मामला पुलिस को दे दिया। रैनसिडी क्या है यह कोई नहीं बता सका।

वितरण के लिए केन्द्र से गेहूं आता है और जयपुर में और दूसरे शहरों में ही गेहूं दिया जाता है। उपाध्यक्ष महोदय, गांवों के अन्दर शीत लहर के कारण या अकाल के कारण खाद्यान्न की बहुत कमी आ गयी है और ऐसे समय में भी आपने जो पाबन्दी लगा रखी है कि नगरपालिका क्षेत्रों में ही गेहूं का वितरण किया जायेगा और जयपुर जिले में उन इलाकों में जहां शीत लहर से नुकसान हो गया वहां पर पाबन्दी है कि गेहूं का वितरण नगरपालिका क्षेत्रों में होगा। क्या गांव के अन्दर लोग भूखे रह सकते हैं ? क्या गांवों के अन्दर गेहूं नहीं खा सकते ?

**श्री लक्ष्मणसिंह :** गांवों में तो जानवर रहते हैं और शहरों में आदमी।

**श्री मीठालाल :** उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर जिले में जहां शीत लहर से नुकसान हुआ है वहां पर लेवी के रूप में जो अब तक वसूली की गई वह तो ठीक है लेकिन जिनसे अभी तक लेवी नहीं ली गयी है उनसे अब नहीं ली जाये, ऐसी मेरी प्रार्थना है। मैं मेरे क्षेत्र की कह सकता हूं कि मेरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा लेवी वसूल हुई। मेरा खयाल है कि हमारे यहां से 75 से 80 परसेन्ट तक लेवी वसूल की जा चुकी है लेकिन मेरा नम्र निवेदन है कि वहां पर शीत से 90 से 100 परसेन्ट तक नुकसान हुआ है इसलिए अब जिनसे लेवी नहीं ली है उनसे बन्द कर दें क्योंकि वहां पर अनाज की पहले ही कमी है। और जो बाजरा सरकार ने वसूल किया है वह बाहर नहीं भेजें। वहीं वितरण के लिए रखें क्योंकि शीत लहर के कारण उनकी फसल नष्ट हो चुकी है और उनको राहत पहुंचाने के लिए कुछ विशेष ढंग से इन्तजाम किये जायें।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे अधिक नहीं कह कर केवल इतना ही कहना है कि आपके जो आदेश बार-बार बदलते रहते हैं उनको स्थिर रखें। मेरे कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य कहेंगे कि व्यापारी चोर हैं। मैं तो नहीं कहूंगा कि सारे ही व्यापारी चोर हैं। अगर छोटा व्यापारी गलती से कोई काम करता है तो उसको हथकड़ी डाल देते हैं और बड़े व्यापारी के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेते हैं। तो बड़ा व्यापारी कोई भी हो अगर वह चोरी करता है तो उसको सजा मिलनी चाहिए, हम कभी नहीं कहेंगे कि उसे बचाया जाये लेकिन उसकी वजह से किसी सही व्यापारी को, जो सही और सच्चा व्यापार करता है उसको चोरी करने के नाम पर परेशान करके और जो जनता के नाम पर माननीय सदस्य पांच-पांच रुपये रोज के देकर कुछ लोगों को इकट्ठा करके ले आते हैं और उनसे बन्द करवाते हैं, हड़ताल कराते हैं, औरतों को, कॉलेज की लड़कियों को, कपड़ा बेचने वाली औरतों को ढाई रुपये रोज में इकट्ठा करके ले आए और हुल्लड मचा कर दुकानें बन्द करवा देते हैं, दुकानों पर छापे मार कर दस हजार बोरे पकड़वा दिए, पांच हजार बोरे पकड़वा दिए।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपनी जबान को लगाम लगाने की कोशिश करें। जनता का इस तरह से अपमान करने की कोशिश की गई तो जूते मार मार कर ठीक कर दिया जायगा। दो मार्च की हड़ताल किराए के लोगों की हड़ताल नहीं, भूख से तड़फते हुए लोगों की हड़ताल थी, उनके लिए यह कहना कि पांच पांच रुपये और ढ़ाई ढ़ाई रुपये में ले आए तो इस तरह की जूते मार कर बकवास को बन्द करायेंगे।

( शोरगुल-अश्रव्य )

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** यह जनता का वन्द नहीं था यह तो भय का बन्द था।

( कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहे—अश्रव्य )

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** बन्द तुमने भी कराए हैं, उदयपुर में बन्द रहा है।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** आप भी उतने ही उत्तरदायी हैं जितनी कि सरकार उत्तरदायी है। केवल बन्द बन्द का नारा लगाते हैं।

( निरन्तर शोरगुल, अश्रव्य )

**श्री मीठालाल :** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दो मार्च के बन्द के सिलसिले में नहीं कहना था। मैं तो यह निवेदन कर रहा था कि जो कुछ महीनों पहले छापे मार कर यह प्रचार किया गया था कि दस लाख का माल पकड़ा और पांच लाख का माल पकड़ा, तो आखिर वह माल कहां गया ? मैं तो उस माल के बारे में निवेदन कर रहा था, मेरी मंशा दो मार्च के बन्द के सम्बन्ध में नहीं थी। मेरी नीयत जनता और जन-आन्दोलन को अपमानित करने की नहीं थी। मैं तो यह निवेदन करना चाहता था कि जो माल पकड़ा गया था उसका क्या हुआ क्या जनता को गुमराह करने के लिए आए दिन अखबारों में स्टेटमेंट निकाल देते हैं कि आज इतना माल पकड़ा और आज इतना माल पकड़ा लेकिन आखिर उस माल का हुआ क्या ? कहां गया वह माल ?

**श्री लक्ष्मणसिंह :** सब सफेद झूठ है, कोई माल नहीं पकड़ा है।

**श्री मीठालाल :** इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपकी गलत वितरण प्रणाली है, जो आपकी गलत नीतियां हैं उनको आप ठीक करिए।

( समय-समाप्ति-सूचक घन्टी )

आप अपनी गलत नीतियों को तो बदलें ही लेकिन साथ ही उत्पादन की ओर भी ध्यान दें और उत्पादन बढ़ायें और जो सही सलाह है, तर्कदार सलाह है, वजनदार सलाह आपके सामने आती है तो आप उसको अपनाइये और उसका पालन करिए। इतना ही मेरा कहना है और हमारे लिए यह कहना कि विरोधी पार्टी का सहयोग नहीं मिलता है तो इसके लिए भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा आपके साथ इन समस्याओं को हल करने में पूरा सहयोग रहेगा। लेकिन जो आपकी गलत नीतियां हैं उनके लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री भानुकुमार शास्त्री !

**श्री पूनमचन्द विश्नोई ( भीनमाल ) :** कांग्रेस वालों को भी जवाब देने का मौका दीजिए।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** आपको तो जनता ने रचनात्मक मौका दे रखा है कि आप जनता के कठघरे में खड़े हुए हैं। कांग्रेस को क्या जवाब देना है वह तो तीन किलो राशन देगी।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** हमारे जवाब से आपका पक्ष कमजोर पड़ जाएगा।

**श्री उपाध्यक्ष :** श्री भानुकुमार शास्त्री !

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** दो विपक्ष के तो एक कांग्रेस के को बोलने का मौका आप दीजिए तो डिबेट चल सकेगी।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** मैं बोल लेता हूं पहले।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** विरोधी पक्ष ने जो पोइन्ट उठाए हैं उनको सामने वाले कंटेस्ट करें, एक बोले, दूसरा उसका जवाब दे तो डिबेट आगे बढ़ेगी वरना इतनी लम्बी-चौड़ी चर्चा करना बेकार जाएगा। आपने एक बात कह दी, मैंने दूसरी बात कह दी और डिबेट समाप्त हो गई तो उससे कोई लाभ नहीं होगा।

**श्री लक्ष्मणसिंह :** माननीय सदस्य ने ठीक कहा है। अगर वह बोलते हैं तो उनका स्वागत होगा विरोधी पक्ष की ओर से।

**श्री दीपंकर ( लाडनूं ) :** विरोधी दल की ओर से जो पोइन्ट उठाए जाते हैं उनका जवाब कांग्रेस वालों की ओर से आता है तो हर पोइन्ट का जवाब आएगा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** हमें आपत्ति नहीं है, हमारा स्वागत है। अगर आपको फूड का पोर्टफोलियो भी दे दिया जाय तो भी एतराज नहीं है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई ( भीनमाल ) :** उपाध्यक्ष महोदय, आज एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण विषय पर सदन में चर्चा हो रही है।

**श्री लक्ष्मणसिंह :** सच बात कहिएगा, ईश्वर को हाजिर-नाजिर करके। आपकी हम इज्जत करते हैं। आप सच बात कहिएगा, मिलावट मत करिएगा।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** हमारे विपक्ष के नेता महोदय ने ऐसी बात कह दी है, इसलिये मैं वही बात कहूंगा जो जनता के हित में है और आज की परिस्थितियों में सही हो।

( व्यवधान )

उपाध्यक्ष महोदय, आज जिस विषय पर चर्चा हो रही है वह बहुत महत्त्वपूर्ण है। चीजों का अभाव और वस्तुओं की बढ़ी हुई कीमतें। इससे आज हमारा पूरा देश पीड़ित है और जनता में वास्तव में दुःख है। इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन है माननीय सदस्यों से कि हम राजस्थान के जन-प्रतिनिधि हैं, काफी समय के बाद मिले हैं और हम में से बहुतसे सदस्य काफी गरमा-गरमी के वातावरण में, चुनाव वगैराह के बाद यहां एकत्रित हुए हैं तो उन सब बातों को भूल करके जो जनता का दुःख है उसका हल निकल सके वही बात

(श्री पूनमचन्द विश्नोई]

कहूंगा। उस ओर से बार-बार यह कहा जाता है कि जो कुछ सरकार कर रही है वह गलत ही कर रही है और मैं यहां उठ कर यह कहूं कि नहीं सरकार जो कुछ काम कर रही है वह ठीक ही कर रही है तो डिबेट में कोई सार नहीं निकल सकेगा और यहां पर लम्बे-चौड़े भाषण देकर यहां से उठ कर जायें तो कोई समस्या का हल नहीं निकल सकेगा।

आज यह समस्या है इसे आप और हम सब जानते हैं। इसके कई कारण भी हैं और इसका मुख्य कारण यह है कि उपभोग की वस्तुओं का आज देश में अभाव है। यदि अभाव नहीं होता जितनी मांग है उतनी ही वस्तुएँ उपलब्ध होतीं तो आज इतने झगड़े नहीं उठ खड़े होते। जो अभाव है उसको पूरा करना पड़ेगा उत्पादन बढ़ा कर। इसलिए आप लोगों की तरफ से और सत्तारूढ़ दल की तरफ से जो सुझाव आवें उनमें पहली बात यह होनी चाहिए कि वस्तुओं का उत्पादन कैसे हो सकता है?

दूसरी बात वस्तुओं की मांग के मुकाबले में कमी क्यों पड़ी इसके भी कई कारण हैं। सत्तारूढ़ दल है वह अपने ढंग से कई कारण। बताते हैं जिनमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, अकाल की स्थिति, बंगला देश के शरणार्थी, युद्ध वगैराह। सामने वाले कह देते हैं कि नहीं, इनमें कोई महत्वपूर्ण कारण नहीं है और महत्वपूर्ण कारण कोई और ही है। उन कारणों में प्रशासनिक कारण हैं, कुछ उत्पादन के अन्दर गड़बड़ियां हैं और भी कई तरह के कारण हैं। हमें इन कारणों का गहराई के साथ अध्ययन करना चाहिये और जन-प्रतिनिधियों को बैठ करके इसका कुछ हल निकालना चाहिये। मैं समझता हूं कि ऐसी परिस्थिति में केवल बातों से हम हल नहीं निकाल सकते हैं।

मैंने भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य का भाषण काफी गहराई से सुना और मुझे बड़ी आशा थी कि वह कुछ रचनात्मक सुझाव इस सम्बन्ध में देंगे लेकिन भाषण सुन करके मुझे बड़ी निराशा हुई। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने कह दिया कि जो कारण सरकार बता रही है युद्ध, शरणार्थी समस्या और अकाल, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों की बढ़ोतरी इन सबको आपने कुछ उदाहरण दे कर और बैंक की रिपोर्ट दे कर समाप्त करना चाहा है। आपने यह कहा कि अमेरिका में सात साल में दो प्रतिशत बढ़ोतरी हुई है। जापान के अन्दर इतनी बढ़ोतरी कीमतों में हुई है और वेस्ट जर्मनी में इतनी हुई और बर्मा में इतनी हुई। आप एक बात भूल गए कि भारत पिछड़ा हुआ देश है, विकासशील देश है और जो आपने उदाहरण दिए हैं उनमें सिवाय बर्मा को छोड़ कर....

**श्री रामकिशन** : मिस्र और बर्मा।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : वे अपनी प्रारम्भिक समस्या पहले ही हल कर चुके थे। शिक्षा पर आज हमको इतना खर्चा करना पड़ रहा है जिससे अनुभूति हो लेकिन यह खर्चा कोई सीधा उत्पादन नहीं बढ़ाता। इससे मेन-पावर नहीं बढ़ती लेकिन इससे देश का स्तर अच्छा होता है। पेय जल की समस्या का शायद उन्होंने 19वीं शताब्दी में ही हल निकाल

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

लिया। सड़कों की समस्या, औद्योगिकरण की समस्या, चिकित्सा की समस्या और ऐसी बहुतसी समस्यायें हैं और इनमें बहुतसे खर्चे हैं जिनका वे पहले भी हल कर चुके थे और इससे मुक्ति पा चुके थे, जिन राष्ट्रों का आपने जिक्र किया। हमारे देश को इन पर सभी प्रकार के खर्चे अब करने पड़ रहे हैं। आप और हम सभी जानते हैं कि इस तरह की सामाजिक सेवाओं से उत्पादन की क्षमता बढ़ती है लेकिन सीधा उत्पादन नहीं बढ़ता है। यह इसका एक पक्ष है।

दूसरा उदाहरण, वर्मा का आपने उदाहरण दिया। वर्मा और दूसरे कई छोटे-छोटे देश हैं जिन देशों का आपने उदाहरण दिया है उनकी और हमारी जन-संख्या के अन्दर बहुत बड़ा अन्तर है। 1947 में जब हम स्वतन्त्र हुए तो हमारी जनसंख्या उस वक्त 38 करोड़ थी। तीन साल पहले 55 करोड़ और अब पांच करोड़ और बढ़कर 60 करोड़ हो गई है।

इसका मतलब 22 करोड़ की जनसंख्या स्वतन्त्रता के पश्चात् हमारे देश में बढ़ी है। इसका मतलब यह हुआ कि एक अमेरिका, एक रूस नया देश हमारे देश में जुड़ गया है। आपने इस पक्ष को भुला ही दिया है। आपने सभी समस्याओं का हल निकाल दिया। गडरियों के मुहल्ले में एक बार रात को रामायण हुई। सभी सो गये। सुबह हुई तो पूछा कि क्या हुआ था। तो एक ने कहा कि एक राम था एक रावणियो। रावणिये ने नार चुराई। इसी तरह से आपने कह दिया कि विलास की वस्तुओं का ज्यादा उत्पादन हुआ है। शराब, साबुन, पाउडर इसमें ही यह सब खर्चा हो गया है। आपने यह नहीं सोचा कि सन् 1971 में 12 करोड़ हमारी जनसंख्या बढ़ी है जो जापान की जनसंख्या के बराबर है। जो अमेरिका और इंग्लैण्ड से आधी है। आपने 65 से समय लिया है। महारावल साहब तो बुजुर्ग आदमी हैं। इनको मालूम है कि 56 में अकाल था। 25 में अकाल था। 67,69 और 70 के बाद उसमें फसल कितनी हुई है। हमारा कृषि प्रधान देश है। 80% जनसंख्या खेती पर आधारित है। उस पर कोई विपत्ति आ जाये तो कोई असर नहीं होगा, यह कैसे हो सकता है।

मेरा निवेदन है कि इतनी छोटी सी बात को विरोधी पक्ष के नेता हैं, वह उड़ा जायें तो यह अलग बात है। आपने युद्ध की बात कही। युद्ध 18 दिन चला था। लेकिन युद्ध में निरन्तर एक जैसी क्षमता को बनाये रखना पड़ता है। इससे पहले 3 अरब का बजट था। उसको बढ़ाना पड़ा था। 65 मई में युद्ध हुआ उसके बाद 71 में युद्ध हुआ। वह 15 दिन चला बल्कि 20 दिन चला होगा। वह ध्यान में नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए सेना का विस्तार करना है। आज 19-20 अरब का बजट सेना का आता है। इस पर हमको गहराई से सोचना होगा। इस बात की गम्भीरता को नहीं उड़ा दें। आपने सीमेन्ट का कहा है। वह 10 नहीं 16 17 है। इसके साथ-साथ सड़कों का विकास हुआ है। शिक्षा का विकास हुआ है। इतनी बड़ी जनसंख्या में हमें विकास करना पड़ता है। इसके लिए गहराई से सोचना चाहिये। आपने कहा है, होटलों पर 200 करोड़ खर्चा कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आपके खयाल में यह उपयोगी नहीं है। लेकिन आपको पता नहीं है कि फारेन एक्सचेन्ज

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )
प्राप्त करने के लिए हमें पर्यटन को महत्व देना पड़ेगा ।

**श्री रामकिशन :** मैंने यह नहीं कहा है। मैंने कहा है, जो होटल बना रहे हैं। आप जवाब दे रहे हैं; लूणी क्षेत्र से। मैं बात कर रहा हूँ रिजर्व बैंक से। होटल के 75% रूम्स रिजर्व होंगे। यह इसकी रिपोर्ट में लिखा है। आप लूणी से नहीं बोलिये। जयपुर से बोलिये।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** पर्यटन में तो यह होता है। कभी कम लोग आते हैं तो कभी ज्यादा आते हैं।

**श्री रामकिशन :** सुधार की गुंजाइश नहीं है ?

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** आप सुधार की बात कहते हैं। आप यह पढ़ लीजिये पिछले वर्षों के आंकड़े। मृत्यु दर बढ़ी है या घटी है।

**श्री रामकिशन :** मृत्यु दर तो घटी है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** जो मौतें आप बता रहे थे, वे इस प्रकार से नहीं हुई हैं ?

**श्री रामकिशन :** मृत्यु दर घटी है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** मैं यह इशू लेकर चला था कि आप कुछ रचनात्मक सुझाव देंगे। आप कहें कि आपको नैतिक अधिकार नहीं है। एक बात मैं आपको अर्ज कर दूं। मान लीजिये कि आपको स्टाक दूं। आपके पास कितना सा कोटा पड़ा हुआ है। जो उपलब्ध वस्तुएं हैं, वही आप दे सकते हैं। आपको कहना चाहिये था कि बहुत सी गड़बड़ियां हैं शासन में। इस समय लोग होर्डिंग करें, जमाखोरी करें। तो मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सरकार को उनके लिए कड़े कदम उठाने चाहियें। लेकिन इसमें यह भी नहीं करना चाहिये कि एक बार अकबर बादशाह ने दूध में कोई पानी नहीं मिलाये इसके लिए कुछ लोगों को लगाया था। जब उन लोगों को लगाया तो सब का सब पानी हो गया। यह नहीं होना चाहिये। कई बार उत्पादन घटता है। मिसाल के तौर पर बिजली के इन्जीनियर हड़ताल कर लेते हैं। सरकार को चाहिये कि अगर उनकी हड़ताल उचित है तो हड़ताल हो उससे पहले ही उनकी मांगों को मान लिया जाना चाहिये। मैं तो यह देखता कि हूँ 1972 के चुनाव के बाद देश की राजनीति ही यह है। सड़कों पर आज यही प्रचार हो रहा है।

**श्री रामकिशन :** एक मिनट।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** सम्मान प्राप्त करने के लिए यह एक उपयोगी साधन हो सकता है। लेकिन यह तरीका कतई अच्छा नहीं है।

**श्री रामकिशन :** एक मिनट सुन लीजिये।

रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट है, पृष्ठ 48। अंग्रेजी मुझे बोलनी पड़ेगी, मैं अंग्रेजी वैसे बोलता नहीं हूं। आप सुन लीजिये।

"In 1972 strikes and lockouts in manufacturing sector as distinguished from service sector-were fewer than in 1971. Thirdly in West Bengal the labour situation was better in the year than in 1971. The number of man-days loss through strikes and lockouts in the State being 4.40 millions in 1972 as against 4.39 millions in 1971 and 9.8 millions in 1970.

# Page No 60

(60)



(श्री रामकिशन)

श्रीमान् जी, स्थिति उल्टी हुई है, स्ट्राइक कम हुई हैं। यह रिजर्व बैंक की बुलेटिन में है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : यह पुरानी है।

**श्री रामकिशन** : इसके बाद रिपोर्ट नहीं आई है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री रामकिशन** : आप लूनी से मत बोलिये, आप जयपुर से बोलिये।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : आप कहते हैं कि लेटेस्ट रिपोर्ट है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट वह होती है जो अपने यहां आती है। अपने यहां रिपोर्ट कब आती है।

**श्री रामकिशन** : अब समझाये कौन आपको ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उसमें यह है है कि स्ट्राइक के मुकाबले में लोक-आउट ज्यादा हैं।

**श्री रामकिशन** : इसमें साफ लिखा है।

**श्री उपाध्यक्ष** : ऑर्डर प्लीज !

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : लोक-आउट हुए हैं, उसमें सरकार की, उद्योगपति की गलती है, तो मैं उनकी पैरवी करने वाला नहीं हूं। लोक आउट नहीं होने चाहिए; हड़ताल नहीं होनी चाहिए। जिनको काम करना है, जो देश के उत्पादन को बढ़ाने में हिस्सा ले सकते हैं उनको लेना चाहिए। मैं सभी से नम्र निवेदन करना चाहता हूं और खास तौर से आपसे कि सत्ता प्राप्ति के लिए आप समझें कि जनता की तकलीफों की बात करने से हमारी सत्ता बन जायगी या हमारा संगठन बन जायगा तो आपको इस बात को भूल जाना चाहिए क्योंकि यू.पी. का उदाहरण ताजा है। इन बातों से कुछ नतीजा निकलने वाला नहीं है। हमें चाहिए कि हम कन्स्ट्रक्टिव एटीट्यूड लेकर अपना योगदान दे सकें, सभी राजनैतिक दल इस समस्या के प्रति जागरूक होकर यथासम्भव योगदान दे सकें या योगदान देने की कोशिश की जाती है तो इन समस्या का हल निकल सकता है। यह जरूरी बात है कि कन्स्ट्रक्टिव एटीट्यूड हो, यह हर समझदार आदमी कहेगा। हम तो काश्तकार हैं, हमारे सब घर वाले हैं, उन सबको और हमें लेवी देनी पड़ रही है। आज बाजार में बाजरे का भाव 125 रुपये है, लेकिन काश्तकार को बाजरे का 67 से 75 रुपये भाव से पैसे मिलते हैं। लेकिन हमने सबको समझाया कि यथासम्भव लेवी देनी चाहिए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गांवों में इधर-उधर जाते हैं तो किसी के सौ बीघा खेती है तो सौ बीघा में बाजरा नहीं हुआ, पचीस में बाजरा बोया हुआ था। उसमें भी बाजरा हुआ या नहीं, इसकी कोई जांच नहीं हुई। इस तरह की जो बातें हैं इनकी ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहिए था। लेकिन विरोधी पक्ष की बहुत सी पार्टियों ने आन्दोलन शुरू कर दिया कि किसानों को लेवी नहीं देनी चाहिए। यह हमेशा की लाग लग जायगी। इस तरह का दृष्टिकोण आप अपनायें जनता के सामने और यहां पर कहें कि धान बहुत कम मिल रहा है, ज्यादा धान

( श्री पूनमचन्द विश्नोई )

उपलब्ध करवाया जाय। मैं समझता हूं कि इस देश का अदना से अदना आदमी भी आपकी बात भी समझता है और हमारी बात भी समझता है।

मेरा नम्र निवेदन है कि लेवी के बारे में सरकार विचार रखती है, गेहूं के उत्पादन पर सरकार को लेंवी लगानी चाहिए, रेवेन्यू रिकार्ड बिलकुल सही होने चाहिए। जनवरी के अन्दर रेवेन्यू रिकार्ड बन गये थे कि इस व्यक्ति ने इतने बीघा में गेहूं बोया है, इतने में यह बोया है। उसके बाद में शीत लहर के कारण फसल में बहुत खराबा हुआ है। जो फसल खेतों में खड़ी थी, उसमें 90 पर्सेन्ट फसल का खराबा हो गया। यह रिकार्ड में नहीं आता है तो लोगों को बहाना मिल जाता है और लोगों को धान सस्ते भाव पर मिलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए रेवेन्यू रिकार्ड और सरकारी कागजात सही होने चाहिए।

इसके बाद मैं निवेदन करूंगा कि हम इस कठिनाई से निकल सकते हैं, यदि हम और आप यह कहें कि लेवी देना जरूरी है। लेवी वसूली में अगर अन्याय होता है तो वह अन्याय नहीं होना चाहिए।

इसी तरह से ऊर्जा के संकट का सवाल है। ऊर्जा संकट की नई स्थिति सब देशों के सामने आयी है। इसके सम्बन्ध में मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं, जो हमेशा इस सदन में कहता आया हूं कि हमने भारत की परिस्थितियों को अपनी योजनायें बनाते वक्त ध्यान मे नहीं रखा, हमारी ज्यादातर योजनायें दूसरे देशों से बारोड हैं, साइंस एण्ड टेक्नोलोजी दूसरे देशों से बारोड है, हमारे विकास के तौर-तरीके दूसरे देशों से बारोड हैं। मिसाल के तौर पर आपका पशु-पालन विभाग है। आपका पशुपालन विभाग तब तक सफल नहीं हो सकता जब तक कि कोई नई नस्ल दुधारू पशु की न दे। इसने कोई नई नस्ल दुधारू पशु की नहीं दी है, सिर्फ मुर्गा और सूअर की दी है। और दुधारू पशुओं की नस्ल साधारण है। सूअर और मुर्गा, ठीक है, कुछ मायनों में उपयोगी हो सकता है। अन्य देशों में यह अधिक उपयोगी हो सकता है लेकिन भारत जैसे देश में इनकी आवश्यकता नहीं है।

इस देश में दुधारू पशु इतने हो सकते हैं कि दूध और घी की सचमुच में नदियें बह सकती हैं। लेकिन आपने नई गाय कौनसी दी ? आप नई गाय को विकसित नहीं करना चाहते हैं, इस ओर ध्यान नहीं दिया है। गाय की नई नस्ल देने को ओर आपको ध्यान देना चाहिए।

जरसी और हिलस्टील गाय को आप ले लें, उसके बछड़े के कुब्बा नहीं होता है और भारत की गाय के जो बछड़ा होता है, उसके कुब्बा होता है (श्रीमती सुमित्रासिंह के कुछ कहने पर) आपको मालूम नहीं है, आप बाद में कह देना। तो मैं निवेदन कर रहा था कि दुनियां के किसी देश के अन्दर बैल को हल चलाते नहीं देखा होगा, सिवाय भारतीय उप-महाद्वीप के तीन चार देशों के, जहां पर बैल हल चलाते हैं। दूसरे देशों में बैल के कुब्बा नही होता है। साउथ ईस्ट-एशिया के अन्दर भैंस दूध नहीं दे सकती है। वहां के जानवरों को यहां लाना चाहें तो उनका कोई उपयोग नहीं है, सिवाय इसके कि उनको काट कर खायें, लेकिन वह यहां की जलवायु के माफिक नहीं है।

इसी तरह मे देश के अन्दर कोयला बहुत है। ऊर्जा संकट तो बाद में आया है, उसके पहले ही मैंने इस सदन में कहा

(पूनमचन्द विश्नोई)

था कि हमारे यहां पर कोयला बहुत है, सिर्फ उसको हम निकाल नहीं सकते हैं और कारखाने की भट्टियां हैं, रेल्वेज हैं, उन सबके अन्दर हम डीजल ऑयल, फर्नेस ऑइल से जलाते हैं। यह बहुत भारी गलती है। जो घर में चीज मिलती है हम उसका सरलता से उपयोग कर सकते हैं।

हम हमारे देश में उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और हम जानते हैं कि हमारे यहां खाद की कमी है। इसको हम नहीं भूल सकते कि हमारे यहां खाद की कमी है, लेकिन हमारे देश के अन्दर अरबों रुपये की खाद कन्डे के रूप में जलाई जाती है और स्वतंत्रता के बाद पचीस वर्षों के अन्दर हम दूसरा ईंधन उपलब्ध नहीं कर सके हैं। हमको इस ओर ध्यान देना चाहिए।

इसी तरह से बहुतसी बातें हैं जिनका व्यावहारिक हल हमको निकालना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश के भौतिक साधन ऐसे हैं जिनका वैज्ञानिक और टेक्नोलोजी के अनुसार उपलब्ध करके उपयोग करें तो निश्चित रूप से उनके अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। आप देखिये- भारत देश की उर्वरा शक्ति, इतनी जनसंख्या हमारे इस देश में बढ़ी, उसके साथ-साथ हमारे यहां अन्न उत्पादन हम बढ़ा सकें इस ओर ध्यान दें। यह मुद्दे की बात है।

फिर प्रशासनिक खर्चा, मैं समझता हूं कि प्रशासनिक खर्चा बहुत ज्यादा है। जितने सरकारी अधिकारी बैठे हुए हैं, ज्यादातर हड़तालों के अपने प्रस्ताव पास करने में और कई तरह की बातों में समय लेते हैं। आपका ग्राम सेवक है, वह किस काम का है, वह कौनसा काम करता है? बहुत से बाबू हैं जो बेकार बैठे रहते हैं। आज जिनको पढ़ाना चाहिए वे गुजरात के अन्दर हड़ताल पर हैं, विद्यार्थियों को पढ़ाते नहीं हैं। देश की समस्याओं का हल निकालने पर विचार होता है तो कहते हैं कि आज अच्छे पढ़े-लिखे लोगों को अच्छी नौकरी नहीं मिलती है। उनको नौकरी नहीं मिलती है इसलिए वे और क्या काम करें। मेरा नम्र निवेदन हैं, आप एक काम कर दें जो व्यक्ति जिस ठिकाने पर है वहां पर वह कितना उत्पादन बढ़ाता है—यह देखें और क्या काम करता है? आप ग्राम सेवक के जिम्मे रख दीजिये कि उसको दो हजार फल के पेड़ लगाने होंगे। उनमें कमी आ जायगी तो उसको घर जाना पड़ेगा - आप कह दीजिये कि फलां आदमी इतनी सब्जी लगायेगा। आज देखते है कि सब्जी नहीं है। आज एग्रो-इन्डस्ट्रियल कोर्पोरेशन ट्रेक्टर बेच कर अपना काम चलाता है। यह उनका काम हुआ, यह भी हमारे देश में विदेशों से आते हैं। आपने मेनुअल ऑपरेटेड औजार क्या दिये हैं। जो आपने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद दिये हैं, वह दिये हैं, पम्पिग सेट, वह मेनुअल ऑपरेटेड नहीं है, टेक्निकली ऑपरेटेड हैं और वह भी बाहर से बारोड हैं, बाहर की टेक्नोलोजी हमारे यहां बारोड है जब कि ज्यादातर लोग हमारे यहां खेती-बाड़ी करते हैं वह हाथ से करते हैं। बहुत से नये औजार हमारे पड़ोसी राज्यों में काम में लाये जाते हैं लेकिन हमारे यहां पर नहीं हैं। हमारे यहां कॉटेज इंडस्ट्री हैं, जो गांवों के अन्दर उद्योग-धन्धे हैं उनकी ओर आपके ग्राम सेवक, विकास अधिकारी और पंचायत आदि ने ध्यान नहीं दिया इसलिए आज

(श्रीपूनमचन्द विश्नोई)
सरकार का सबसे बड़ा फर्ज है कि उसको हरएक का काम बांधना चाहिए, टार्जेट फिक्स करना चाहिए और उसमें कोई असफल रहता है तो कई दफा जैसे आप ट्रान्सफर की बात करते हैं, यह मत करिये। यह जो काम है, यह जो जिम्मेदारी है, यह जो उत्तरदायित्व है—इनको नहीं निभाते हो तो तुम इस कार्य के लिए अयोग्य हो, इसलिए तुम्हें घर जाना चाहिए। यह यदि हम करते हैं तो साढ़े तीन लाख की जो यह बड़ी फौज है, इसको उत्पादन के कामों में लगा सकते हैं और इसके द्वारा उत्पादन कई गुना बढ़ाया जा सकता है। यह मैं नम्र निवेदन करता हूं कि इस सरकार को इस तरफ कदम उठाने चाहिए।

बस मैं इतना ही आपसे निवेदन करूंगा। अंत में माननीय सदस्यों से मेरा विनम्र निवेदन है कि इस मामले में जनता वास्तव में बड़ी दुःखी है, लेकिन यह ऐसी अहम् समस्या नहीं है कि जिसका हम आपस में बैठ कर विचार कर हल नहीं निकाल सकते हैं। हमें बैठ कर तय करना चाहिए कि ये काम करने हैं। इस समस्या का हल निकालना चाहिए इसमें हमारी और आप की दो राय नहीं है। यह कह कर हम चलें कि सरकार जो करती है वह गलत है और हम करते हैं वह सही है तो इससे समस्या का हल नहीं निकलने वाला है।

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री भानुकुमार शास्त्री!

**श्री भानुकुमार शास्त्री** (उदयपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज केवल हमारे प्रदेश में ही नहीं किन्तु सारे देश में बढ़ती हुई महंगाई और अभाव ये दोनों गम्भीर चिंतन के विषय बन गये हैं। मेरे पूर्व वक्ता ने ट्रेजरी बेंच से जो बात कही है मैं समझता हूं कि यदि उन पर ट्रेजरी बेंचेज वाले अमल करें तो अच्छा होगा। कल भी जब सारा विवाद उपस्थित हुआ तो उस समय भी केवल रटी रटाई बातें और शब्द कह दिये कि केन्द्र से इतना मिलता है और हमने इतना इतना बांध दिया है। मैं समझता हूं, यह उपयुक्त नहीं है।

मेरे विचार से महंगाई और अभाव के कुछ कारण हैं उनको नजर अन्दाज करके अपने उत्तरदायित्व से बचना है। यह सरकार का काम नहीं हो सकता है। सरकार का यह उत्तरदायित्व है कि जितने लोग आज प्रदेश के अन्दर हैं, उनके खाने की, पीने की सब की व्यवस्था करे। यह कह कर कि हम व्यवस्था नहीं कर सकते, इसकी टालम टोल कर देना है और रद्दी की टोकरी में डाल देना है। यह सरकार कहे कि हमारे पास इतना आता है और इतना बांट रहे हैं, हम लाचार हैं, और विवशता का रोना सरकार रोने लग जाय तो मैं समझता हूं कि सरकार अपने उत्तरदायित्व से बचती है और अपने उत्तरदायित्व को निभाना नहीं चाहती है। इससे अच्छा तो यह है कि सरकार कुर्सी छोड़ कर चली जाय।

दूसरा कारण यह है कि जब भी यह प्रश्न उपस्थित होता है तो यह उत्तर दिया जाता है कि सारी चीजें महंगी हो गई हैं, अभाव हो गया है, हम कहां से लायें। और दूसरे दल का शासन आ गया तो वह क्या घरों में पैदा करेंगे। मेरे पूर्व वक्ता यहां बैठे हैं, उनसे मैं पूछूंगा, वह यह बता दें कि सारे देशों में पेट्रोल के भाव क्या बढ़े हैं? दूसरे देशों में जहां सात पर्सेन्ट बढ़े हैं, वहां आपने 1 रुपया 13 पैसे बढ़ा दिये....

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** वही रामायण शुरू कर दी।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** आपने एक आर्डिनेन्स निकाल कर 1 रुपये 13 पैसे बढ़ा दिये....

**श्री पूनमचन्द विश्नोई :** आपने सारी बात सुनी अनसुनी कर दी।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** आपने तीन-सौ करोड़ की आमदनी यह भाव बढ़ा कर कर ली। एक तो महंगाई और दूसरे अभाव—चीजें मिलती नहीं हैं। लोगों की क्रय शक्ति चरमरा गई है। ऐसी परिस्थितियों में करों का भार जनता के सिर पर लाद रहे हैं। एक तर्क यह दिया जाता है कि क्योंकि विश्वव्यापी महंगाई है इसलिए हमें भी बढ़ानी पड़ी। तो विश्व में तो सात पैसे बढ़े हैं पेट्रोल पर, और आपने 1 रुपये 13 पैसे बढ़ा दिये और नये टैक्स लगा कर तीन सौ करोड़ की नई आमदनी करके यह कह दिया कि जो पेट्रोल का उपयोग करते हैं वह साधारण आदमी नहीं करते हैं, बड़े लोग, साहूकार लोग करते हैं। यह साधारण उपयोग की वस्तु नहीं है।

मैं मान सकता हूं कि इस तर्क में आंशिक सत्य हो सकता है, लेकिन इसमें अधिकांश सत्य नहीं है। आप देखेंगे कि 50 प्रतिशत से ज्यादा जो कारें चलाते हैं वह सरकारी कारें चलती हैं और सरकारी कारें जनता के व्यय पर चलती हैं और उनमें जो पेट्रोल खर्च होता है उसका परोक्ष रूप से भार जनता पर पड़ता है, इसलिए कहना कि आज परिस्थिति ऐसी बन गई है इसलिए ऐसा हो गया है, सही नहीं है। आज घासलेट का पता नहीं, अनाज मिलता नहीं और सरकार के आर्टीफिशियल बैरियर्स लगे हुए हैं, जैसे इसकी कोई व्यवस्था और नियम नहीं है। या तो ऐसे अधिकारी बैठे हैं जो ऐसी एडवाइस देते हैं, वे जैसे चाहे करते हैं। राज्य सरकार तो केन्द्रीय सरकार का बैठे-बैठे एजेन्ट का काम करती है।

राजस्थान में कितना उत्पादन हुआ 1972–73 में? सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 55 लाख टन पैदा हुआ, वह कहां गया? हम ढाई करोड़ जनता हैं। केन्द्र से मिलने वाला धान कहां गया? बाजार में जो 200-100 रुपये के हिसाब से गेहूं मिलता है, वह कहां से आता है? उसके वितरण की व्यवस्था न करके हम कह दें कि सब ठीक है, यह उचित नहीं। सरकार को कौन सलाह देता है समझ में नहीं आता।

मुझसे पहले पूर्ववक्ता ने जैसे बताया एक रास्ता जरूर अपनाया कि केन्द्र की सरकारीकरण की नीति से ऐसा रास्ता बनाया कि जो कृपापात्र हैं वे कैसे धनी हो जायं। राज्य सरकार ने 24 नवम्बर, 1973 को एक विज्ञप्ति जारी करके 26 जिलों में 12 नोटिफाइड एरियाज में बांटकर खाद्यान्न के यातायात पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने एक व्यवस्था की, घोषणा की और दूसरे दिन कहा कि हम सरकारीकरण या गेहूं का टेकओवर इसलिए करते हैं कि उपभोक्ता को गेहूं मिलेगा, मूल्यों का स्थिरीकरण होगा। स्थिरीकरण तो गायब लेकिन वस्तु भी बाजार से गायब। साथ-साथ में आर्टीफिशियल बैरियर्स लगने के बाद जिनके पास माल था रातों-रात लखपति हो गए। भाव ऊंचे हो गए। कुछ दिन बाद सरकार ने 10 सितम्बर, 1973 को दूसरा आदेश जारी किया कि

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
व्यापारी इतने क्विटल अनाज रख सकता है, किसान 45 क्विटल व अन्य 25 क्विटल। समझने लगे कि मंडी में 100) रु. प्रति क्विटल गेहूं मिलेगा, परिणाम यह हुआ कि उपभोक्ता को गेहूं मिलने में कठिनाई हुई। इस प्रकार के आदेश पास कर देते हैं और लाभ नहीं।

दूध की उपलब्धि नहीं थी तो मावा बंद कर दिया। दो महीने के बाद मंत्रिमंडल बदल गया। नए मंत्रिमंडल ने सोचा कि मावे पर प्रतिबंध से दूध पर कोई प्रभाव नहीं, दूध के भाव कम नहीं हुए। दूध का उत्पादन बढ़ेगा कहां से? आज हर वस्तु के लिए प्रतिबंध। यदि मंत्रिमंडल अपनी सनकों पर चले तो दोष किसका? उत्पादन क्यों कम हुआ? उसके बाद आज सरकार लेवी की बात करती है। कहती है कि जनसंघ वाले भड़काते हैं। पंजाब सरकार ने केन्द्रीय सरकार की सुविधाओं को ध्यान में रखकर 13.35 करोड़ रुपये बोनस के रूप में प्राप्त करके किसानों में वितरित किए। पंजाब सरकार ने इसलिए किया कि लेवी आसानी से मिल सके लेकिन राजस्थान सरकार इसमें असफल रही। राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार से पैसा लेकर कोई सुविधा किसानों को नहीं दी।

आपको मालूम है कि यहां अकाल पड़ा। 26 जिलों में से 24 जिले अकाल की चपेट में थे। ऐसी परिस्थितियों में चाहे हमारे पास अनाज नहीं है, कुछ भी नहीं है तो लेवी के रूप में दूसरा आदेश 19 दिसम्बर, 1973 को निकाला। किसान के पास बाजरा 25 किलोग्राम, मक्का 25 किलो, ज्वार 40 किलो 72/70 रुपये प्रति क्विटल के हिसाब से लेवी का आदेश निकाला। मैं पूछना चाहता हूं कि किसान की स्थिति क्या है? हमारी सरकार किसानों की अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेगी? उसके खेत में अनाज है या नहीं, किसने देखा? क्या सरकार ने किसान को सस्ता बीज दिलाने की तुरंत कोई व्यवस्था की, खाद की व्यवस्था की?

आज वास्तव में सही समस्या यह है कि उत्पादन में वृद्धि हो, इतना ही नहीं उपभोग पर संयम हो। केवल मंत्रियों का भत्ता बढ़ाने से या पानी पर खर्च किया जाए उस बारे में अध्यादेश जारी करने से या हम ठाटबाट से रहें, उस पर खर्चा बढ़ाने से आज नई अर्थ-व्यवस्था नहीं बनेगी। इस कारण से आज हम केवल किसान को कुछ मदद न करके किसान को खाद न देकर, बीज न देकर, पानी की सुविधा न देकर, बिजली की सुविधा न देकर उनसे लेवी मांगें। उसकी जुताई महंगी हो गई, बैंक से कर्जा लेकर खेत बोया और आपने भाव मुकर्रर किए।

उपाध्यक्ष महोदय, जब काश्तकार को बाजार में 100 के बदले 150 रुपये मिल रहा है तो वह आपको 100 रुपये में गेहूं क्यों बेचेगा? मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं आखिर वह ऐसा क्यों करेगा? सरकार इसके लिये क्या कर रही है? आज आपने जो हालत जनता की बना रखी है उससे उनकी जठराग्नि प्रज्वलित कर रखी है। मुझे तो आश्चर्य होता है कि आप लेवी के मामले में उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। आपको मालूम होना चाहिये कि वहां की सरकार ने किसानों को कितनी सुविधायें दी हैं। वहां पर सरकार

(६८



(श्री भानुकुमार शास्त्री)

ने किसानों को अनाज की ढुलाई, तुलाई व जहां तक माल पहुँचाना चाहिये वहां पर कितनी सुविधाये दी हैं। आपके यहां पर आपने कौनसी सुविधायें किसान को दी हैं। आपके यहां पर किसान के लिये अनाज के कांटे तक की तो उपलब्धि नहीं है। तो क्या किसान अपने घर से तोल कर ले जायेगा। वह किस पर अनाज वहां लायेगा? आज आपने इतनी मुद्रा स्फीति करके देश में पैसे का संकट कर दिया है। आपकी सरकार के पास पैसा देने को नहीं है। फिर आप कह रहे हैं कि किसान आपकी मदद नहीं कर रहा है या जनसंघ वाले किसान को लेवी देने के लिये रोक रहे हैं। बड़े दुःख की बात है।

आज हमारी भारत सरकार अमेरिका के किसान को तो रुपये से ज्यादा 136 रुपये तक पर क्विन्टल देने को तैयार है लेकिन हमारे देश के किसान को देने को तैयार नहीं तो किसान आपको अनाज क्यों देगा। आप उसे बीज दिलाते नहीं, आप उसे तकावी नहीं देते, खाद की आप उसके लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था करने को तैयार नहीं तो फिर किसान आपको अनाज कहां से देगा।

(2 म० प०)

(श्रीमती मदनकोर, सभानेत्री, पीठासीन)

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा कि यह आर्थिक संकट देश में ऐसा आया है कि एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसमें आपकी सरकार आ गयी है और इससे परिणाम यह हुआ कि उत्पादन तो बढ़ा और मुद्रा स्फीति ज्यादा फैल गयी। आज आप इसीलिये राष्ट्रीयकरण तो मैं नहीं कहूँगा मैं उसे राजकीयकरण कहूँगा, कर रहे हैं। आपकी नीतियां सब गलत साबित हुई और इन गलत नीतियों के चक्रव्यूह में आप बुरी तरह फंस गये हैं। और इस प्रकार आप धीरे-धीरे सारी शक्ति केन्द्रित कर लेंगे और मैं समझता हूँ कि यहां पर इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के नाम से सरकारीकरण बढ़ता जायेगा और एक दिन आप लोकतन्त्र का गला घोट देंगे। जो किसान आज जमीन का भू-स्वामी कहलाता है वह जमीन भी सरकार ले लेगी और किसान एक वहां पर मजदूर हो जायेगा। क्योंकि आज जो किसान को कीमतें देने को तैयार है वह कीमत इतनी कम होगी कि किसान गेहूँ बोना ही बन्द कर देगा तो फिर आप उस जमीन पर सरकारी आदेश निकाल जमीन पर कब्जा कर लेंगे। किसान जो स्वतन्त्र होना चाहिये वह स्वतन्त्र नहीं रहेगा और एक मजदूर हो जायेगा।

मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपको यह अनाज के राष्ट्रीयकरण करने की क्या जरूरत पेश आयी। आप गलत नीतियों के कारण किसान से उसकी जमीन छीन कर ही चैन लेंगे। आप किसान को भूमिहीन बना कर चैन लेंगे और जब तक वह भूमिहीन नहीं बनेगा तब तक आप चैन लेने वाले नहीं हैं। आज आप मुनाफाखोरी और ब्लेक मारकेटियर्स को बढ़ावा देते हैं और बेचारे किसान का गला घोट रहे हैं। आज आपने राष्ट्रीयकरण किया तो आपकी जिम्मेदारी हो जाती है कि आप आम जनता को चाहे वह शहर की हो या चाहे गांव की सभी को खाने को अनाज मुहैया करेंगे, यह आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप लोगों को अनाज नहीं दे सकते हैं तो इसके लिये जिम्मेदारी सरकार की है। आप कहीं से भी अनाज लावें पर जनता को अनाज खाने को

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

दें। आज आपकी जो पंचवर्षीय योजनायें बन रही हैं उसका एप्रोच पेपर को देखने से पता लगता है कि 280 करोड़ रुपये का ऋण कार खरीदने वालों के लिये प्रावधान रखा है और उसमें इस्पात खरीदने के लिये कार के लिये आपने सिर्फ 250 करोड़ का प्रावधान रखा तो मैं आपको पूछना चाहता हूं कि ऐसा आपने प्रावधान क्यों रखा ? कार एक अमीरों की चीज है, विलासिता को आपने इस 280 करोड़ रुपये के ऋण के प्रावधान से हटाकर अलग आप कोई संस्थान खोलते तो वहां मैं समझता हूं कि बेकारों को नौकरी मिलती। आज कारों को खरीदने की आवश्यकता नहीं है बल्कि लोगों को रोजगार की जरूरत है। यह जो आपका एप्रोच है वही गलत है तो आप गलत एप्रोच से गलत नतीजे के सिवाय क्या उम्मीद करते हैं? अगर आप सही एप्रोच करते तो आपको सही नतीजे मिलते। सरकारीकरण करके 3 हजार करोड़ रुपया का खर्चा किया। बैंकों से आपने लोन लिया और जो रुपया ट्रैक्टर्स और किसानों को दूसरी सुविधायें देने के काम आता वह रुपया आपने काम में लिया और किसान को पैसा बैंक द्वारा नहीं मिल सका और इधर आपने बैंकों को दिवालिया बना दिया। आज आपकी घाटे की अर्थ-व्यवस्था चल रही है यह सभी आपकी गलत नीतियों के कारण हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी आपकी है। सभापति महोदय, इस कांग्रेस सरकार ने एक नहीं ऐसे सैकड़ों अपराध किये हैं और सबसे बड़ा जघन्य अपराध यह किया कि इन्होंने चुनाव में कहा था हम गरीबी हटायेंगे। क्या इन्होंने गरीबी हटा दी? क्या कांग्रेस सरकार लोगों को भरपेट भोजन देने में सफल हुई ? आज आप कहते हैं कि हम प्रगति कर रहे हैं। सभापति महोदय, अगर हम आज दुनियां के नक्शे में दूसरे देशों से तुलना करें तो हमें दिखायी देगा कि भारत सरकार हर विदेशी देश से क्या सड़कों के मामले में, क्या विद्युत के मामले में, क्या खेती के मामले में हम किसी भी हालत में देखें हम सभी देशों से पिछड़े हुए हैं। हां, अलबत्ता आप एक बात में आगे हैं वह भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार में आप सभी देशों से आगे हैं, आप अव्यवस्था में सभी देशों से आगे हैं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि इन सभी चीजों के लिये जिम्मेदार हमारी सरकार है। अगर आप अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो यह जिम्मेदारी आपकी है। मैं खाद्य मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान में हमारे यहां 32 हजार गांव हैं और जब आपने अनाज का राष्ट्रीयकरण किया तो आपको इन 36 हजार गांवों की जनता को खाने को अनाज देना पड़ेगा। लेकिन आपने अनाज के वितरण के लिए सिर्फ 6 हजार दुकानें ही खोली हैं तो आप क्या यह सारा राष्ट्रीयकरण अनाज का करके सिर्फ बड़े शहरों और नगरों में ही अनाज बांटना चाहते हैं ? कहां जायें गांव के लोग ? उनके लिए आपने क्या व्यवस्था की? उनके लिए आपने कितनी फेयर प्राइस शाप्स खोलीं ? यही कारण है कि गांव में फेयर प्राइस शाप्स नहीं होने के कारण भ्रष्टाचार फैल रहा है। एक बात मैं और कहूंगा वह यह है कि किसी भी चीज का अगर आप राष्ट्रीयकरण करते हैं तो वह चीज उसके दूसरे दिन बाजार से गायब हो जाती है। आज स्थिति ऐसी है कि आप ज्यादा पैसा दो तो जो चीज चाहो जितनी ले लो। तो मैं इस

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

सरकार से पूछना चाहूंगा कि आखिर वह चीज कहां से आयी ? वह उपलब्ध कहां से हुई ? इसका मतलब यह है कि आप भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। आज आप एक चीनी का मामला ही है। आपने चीनी पर आंशिक नियंत्रण कर रखा है और उसमें 70 प्रतिशत तो सरकार के पास है और केवल 30 प्रतिशत आपने शक्कर के उत्पादकों को दी हुई है। लेकिन मुझे बहुत ही दुःख के साथ कहना पड़ता है कि उस 70 प्रतिशत के कोटे में आप जनता को सिर्फ 300 ग्राम चीनी ही दे पाते हैं और इसके विपरीत 30 प्रतिशत कोटा रखने वाले आपको साढ़े चार पांच रुपये किलो में आप जितनी चीनी चाहे उतनी उपलब्ध हो सकती है। तो मैं यह कहना चाहूंगा और खाद्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि जब आपने 70 प्रतिशत रखा तो आप 350 ग्राम चीनी ही कैसे दे रहे हैं। आपने चीनी मालिकों से वोट के दिनों में उत्तर प्रदेश के चुनाव के दिनों में 40-50 करोड़ रुपये ले लिये थे और यही कारण है कि बाजार में शक्कर के भाव बढ़ गए यह आज बाजार में ओपन ब्लेक मार्केट है। यह आप पर गम्भीर आरोप है कि आपने शक्कर मिल के मालिकों से पैसा लेकर उत्तरप्रदेश के चुनावों को जीता। यदि चुनाव राजनैतिक मनसूबों के पीछे हों तो उसके लिए राज्य सरकार को चाहिए कि वह जन समस्याओं का समाधान करे। लेकिन इससे जनसमस्याओं का समाधान नहीं होगा। जनता उग्र होकर आन्दोलन करेगी। आज नहीं कल करेगी। ये आन्दोलन कम नहीं होंगे। आन्दोलन और बढ़ेंगे और उनको आप रोक नहीं पायेंगे। आज कम से कम हमारे माननीय सदस्य जो प्रतिपक्ष में बैठे हैं उनसे पूछूंगा कि वे ईमानदारी से बतायें कि माइलो जो मिलता है खाने के लिए उसको कोई खाता है ? खाद्य मंत्रीजी ने कभी उसकी रोटी चखी है ? क्या उसके लिए वे सक्षम हैं ? यदि वे खा लें तो नशे में पड़े रहें। धतूरा मिला हुआ होता है, मिट्टी मिला हुआ होता है, सड़ा-गला हुआ होता है और उसको आप जनता को देकर सांत्वना दें कि हम क्षेत्र की वृद्धि कर रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। अखबारों में केवल प्रचार आ रहा है कि हम अनाज दे देंगे। मक्का दे देंगे, सफेद ज्वार दे देंगे। कुछ नहीं। माइलो देते हैं जो सड़ा हुआ और जिसको जानवर भी नहीं खाये।

किसको जिम्मेदार करें ? क्या विरोधी दलों ने ले जाकर दुकानदार के पास इसको रखा ? सरकार नहीं तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है ?

आज हमारे राजस्थान की जनता कितनी गरीब है ? सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 1 करोड़ 64 लाख ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी उपभोग के लिए निम्नतम आय 20 रु० मासिक से भी कम है। गरीबी के आंकड़े बनाये हैं सरकार ने उससे भी उनकी आय कम है। गरीब जनता बाजार में 200 रु. क्विन्टल के हिसाब से बाजार में किस प्रकार गेहूं खरीदेगी ? जयपुर में हम मार्केट की हालत को देखते हैं। बाजार भाव बहुत ऊंचे हो रहे हैं। सरकारी तन्त्र निष्क्रिय बैठा है। सरकारी स्टाल खुलते हैं या नहीं कोई परवाह नहीं। क्यों नहीं खुलते ? यह कोई बताता नहीं। यह आश्चर्य होता है उस समय और भी जब ब्लेक मार्केट बढ़ जाता है तो सरकार यह

(श्री भानुकुमार शास्त्री)
कहती है कि यह सब मुनाफाखोर कर रहे हैं।

मुझे एक बात कहना है वह यह है कि सरकार यदि उसका निदान चाहती है और यह चाहती है कि वास्तव में हम राजस्थान में अनाज का सही रूप से वितरण कर सकें तो निष्पक्ष रूप से अपने अन्दर फटा पड़ा है, भ्रष्टाचार उसको दूर करें। यदि इसको दूर नहीं किया गया तो जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो ऑफिसर्स हैं, मैं यह नहीं मानता हूं कि केवल ऑफिसर्स के कारण से ही यह होता है, किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इसमें मंत्रिमंडल भी मिला हुआ है और बिना उनके मिले हुए कोई ऑफिसर ऐसा नहीं कर सकते हैं, उनको ही दोष देना फिजूल है।

बड़ी ही इन्ट्रेस्टिंग कहानी है। बड़ी रोचक कहानी है। राजस्थान सरकार लूली-लंगड़ी बन गयी है। अकाल के समय में राजस्थान सरकार अनाज पहुँचाने के लिये, अनाज लाने के लिये अन्य प्रान्तों से व्यापारियों को परमिट देती है। परमिट का सिस्टम क्या कायम किया? जिनको सरकार मुनाफाखोर कहती है, जिनको सरकार चोर कहती है उन्हीं को सरकार परमिट देती है। सारा खर्चा सरकारी ढुलाई-लदाई सब सरकारी खर्चा। सारा खर्चा सरकार का। व्यापारी क्या करेगा? वह तो वहाँ से लाकर पहुँचा देगा। 3 रुपया प्रति क्विन्टल का मुनाफा ले लेगा। क्या यह काम सरकार नहीं कर सकती है? किस बात का कमीशन? जब सरकार ही सारा खर्चा कर रही है तो किस बात का कमीशन? परमिट देने की भी क्या आवश्यकता है? जिनको मुनाफाखोर कहते हैं उन व्यापारियों को परमिट देने की क्या आवश्यकता थी? जब मुनाफाखोरों को, चोरों को आप परमिट दे देते हो और यह भी आदेश दे देते हो कि आप भी वही तय करें और सारा खर्चा सरकार करेगी और ऊपर से तीन रुपया क्विन्टल का उनको कमीशन देगी तो इससे बढ़ कर सरकार का भ्रष्ट तरीका और क्या हो सकता है।

एक उदाहरण और दूंगा। बड़ा इन्ट्रेस्टिंग है। जयपुर के चार व्यापारियों को पचास हजार क्विन्टल मक्का उदयपुर पहुँचाने के लिये ठेका दिया गया। उनको परमिट दिये गये। एक नहीं ऐसे मामले कई निकलेंगे। जिन व्यापारियों को सरकार चोर कहती है, मुनाफाखोर कहती है उनको सरकार परमिट देती है। ब्यूरोक्रेट्स और मंत्रिमण्डल सब मिले हुए हैं वरना जो सरकार यह कहती है कि व्यापारी चोर हैं, मुनाफाखोर हैं उन्हीं को यह सरकार परमिट देती है और सारा खर्चा स्वयं करती है और ऊपर से और कमीशन देती है। सरकार यह घोषणा करती है कि स्मग्लर्स और मुनाफाखोरों को हाथ में हथकड़ी लगा कर सरेआम बाजार में फिराया जायगा लेकिन ब्यूरोक्रेट्स जो लाखों रुपयों का घोटाला कर रहे हैं उनकी जाँच नहीं करवा सकती।

भरतपुर से बीकानेर खाद्यान्न भेजने के लिये ठेकेदार को एक ट्रक का 1600 रु. तय करके दिया। एक्चुअल खर्चा बता दिया जाता। कहा गया कि व्यापारी ही बतायेगा कि क्या देना है लेकिन सरकार ने तो पैसा दे दिया। भरतपुर से बीकानेर ले जाने के

(48)



(श्री भानुकुमार शास्त्री)
लिये एक ट्रक को, 700 व्यय था लेकिन 1600 रु० आपने दिये। जयपुर से सरदारशहर तक 900 रुपये एक ट्रक के दिये जब कि 350 रुपये लगते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार ने किस प्रकार से यह लुटाया है देखने के लिये यह रोचक बात है। व्यापारियों को यह दिया गया।

1. मैसर्स जेठमल तुलसीराम, भरतपुर से बीकानेर के लिये अनाज का परमिट दिया गया।

2. मैसर्स भूराराम दुलीचन्द, जयपुर से सरदारशहर ले जाने के लिये परमिट दिया। 900 रु० प्रति ट्रक दिया जब कि 350 रुपया प्रति ट्रक था।

हरियाणा से 50 हजार टन मक्का उदयपुर ले जाने के लिये चार व्यापारियों को परमिट दिये:—

1. बंशीधर, रामविलास, लोकूराम और गोविन्दनारायण और मोहनलाल को दिया गया।

इन्होंने उदयपुर में नयी फर्म स्थापित की। परमिट इनको मिला। खर्चा राज्य सरकार ने वहन किया और तीन रुपया प्रति क्विन्टल सरकार ने व्यापारियों को कमीशन का दिया। सरकार ही ठेका देती है और सरकार ही व्यापारियों को परमिट देती है और सारा खर्चा सरकार वहन करती है। मैं यह सब इसलिये कहना चाहता हूं कि इस सरकारीकरण का इलाज ढूंढिये।

सूत का राष्ट्रीयकरण किया। वही पड़ा रहा। यदि गलत नीतियों के आधार पर सरकार चलती रही तो देश गर्क में डूब जावेगा। उत्पादन में वृद्धि बढ़ सकती है और वह तब ही केवल जब कि सही नीतियां अपनायी जायं और किसानों को इसके लिये प्रोत्साहित किया जाय। वरना कोई लाभ नहीं मिलेगा। किसानों को लेवी के उचित दाम देकर उनको प्रोत्साहित किया जाय। सरकार का इस ओर ध्यान है ही नहीं फिर इन सब समस्याओं का आखिर निदान किस प्रकार से हो सकता है। उदयपुर का सारा इलाका सूख गया। मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा। उप-मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिख कर यह सूचना दी। यदि सरकार ने इसको दस फीट गहरा कर दिया होता तो पानी अधिक मिलता, सिंचाई अधिक होती क्योंकि इस साल पानी बहुत अधिक बरसा भी। पर सरकार ने ऐसे जरूरी कामों की तरफ ध्यान देना अपनी तोहीन समझ रखी है। समय पर संकटों का इलाज नहीं करते तो फिर इसका जिम्मेदार कौन होगा?

सरकार ने केवल चुनावों में लोगों को बहकाने के लिये मीठी-मीठी घोषणाएं मात्र करके अपना कर्त्तव्य पूरा मान लिया। बड़े-बड़े लुभावने नारे लगा दिये। काम कुछ किया नहीं, जिसके कारण आज जनता त्राहि-त्राहि कर रही है। अन्नाभाव, मिट्टी के तेल का अभाव, पैट्रोल और अन्य खाद्यान्नों का अभाव, वनस्पति घी तक का अभाव। आज चारों ओर अभाव ही अभाव का साम्राज्य है। आज इस तरह बेशर्मी से तालियां बजाने से समस्या का समाधान

( श्री भानुकुमार शास्त्री )

नहीं निकलेगा। अगर आपके ये ही कारनामे रहे तो एक दिन राजस्थान में भी गुजरात की तरह जनता के असन्तोष का ज्वालामुखी फूट सकता है। इसे कोई विरोधी नहीं भड़कावेगा, उन गरीब लोगों की जठराग्नि में से यह आग भड़क उठेगी जिसकी ज्वाला में आप जलकर भस्म हो जावेंगे, स्वाहा हो जावेंगे। आपकी यह ब्रूट मेजोरिटी कुछ काम नहीं आवेगी। गुजरात में भी तो आपकी यह ब्रूट मेजोरिटी आज भी तो है न ? क्या काम आई वह वहां। तो इस मेजोरिटी के अभिमान में आप न रहें।

मैं चाहता हूं खाद्य मंत्रीजी और राज्य के मुख्य मंत्रीजी इस पर गम्भीरता से सोचें और यहां घोषणा करें कि आप राशन में लोगों को कम से कम दस किलो अनाज देने जा रहे हैं। खाद्य मंत्रीजी भी किसी के एजेन्ट बन कर ही यहां बैठे न रहें। कुछ स्पष्ट साहसपूर्ण घोषणाएं करें। इसका समय आज आ गया है। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री रामानन्द अग्रवाल !

**श्री रामानन्द अग्रवाल** ( अलवर ) : सभापति महोदय, हमारे प्रान्त में महंगाई और खाद्यान्नों के अभाव की समस्या को लेकर यहां बहस चल रही है। इस बहस का उद्देश्य केवल प्रश्न और उत्तर के रूप में समाप्त होने से पूरा होने वाला नहीं है।

वे राजस्थान की जनता की भावना को समझें। राजस्थान की जनता ने, जो राजस्थान में कभी नहीं हुआ, पिछली दो मार्च को इन अभावों और महंगाई की समस्या को लेकर राजस्थान बन्द के माध्यम से अपना रोष प्रकट कर दिया है। जब कि भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी इस बन्द के विरुद्ध रही। उन्होंने इस बन्द का डटकर विरोध किया। हमारे कार्यकर्ताओं पर हमले भी किये गये। इसके बावजूद बन्द सफल होकर रहा। मुख्य मंत्री की घोषणाओं के बावजूद सफल रहा। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को बुलाया, विद्यार्थियों को बुलाया, कुछ कर्मचारियों को बुलाया और उनसे अखबारों और रेडियो पर घोषणाएं करवाईं, शास्त्रीजी का बयान भी आया उदयपुर से जनसंघ के अध्यक्ष का बयान आया, जयपुर से स्वतन्त्र पार्टी के लीडर का बयान आया। इसके बावजूद राजस्थान की पौने तीन करोड़ जनता ने बन्द करके बता दिया कि उनके दिलों में रोष है। सरकारी कर्मचारियों पर भी अगर सरकार का दमनचक्र नहीं चलता तो वे भी शत-प्रतिशत बन्द में भाग लेकर सरकार को बता देते कि वे भी क्या चाहते हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों हुआ यह बन्द ? भयंकर महंगाई से जनता त्रस्त है। गये एक साल के ही आंकड़े उठाकर देख लें कि एक साल में खाद्यान्नों के भाव कहां से कहां पहुंच गये हैं। इस भयंकर महंगाई में इतना महंगा खाद्यान्न खरीद कर अपनी भूख मिटाने की क्षमता आज गरीब में नहीं रह गई है। आप अधिक से अधिक तीन किलो अनाज एक व्यक्ति को एक महीने में शहरों में दे रहे हैं। गांवों में तो एक-एक और दो-दो किलो तक ही दे रहे हैं। और कहीं-कहीं तो यह भी नहीं दे रहे हैं। इस महंगाई के उल्टे-सीधे कारण बताने से अब जनता भ्रमित नहीं होगी। दो मार्च का बन्द एक सांकेतिक चेतावनी

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

के रूप में था। जनता ने प्रकट रूप में कह दिया है कि वह भूखी है। उसे अनाज नहीं मिलता। इतने महंगे भाव पर वह खरीद नहीं सकती।

आपकी यह मौजूदा व्यवस्था सबको दिख रही है। आप कहते हैं अभाव है, वे कहते हैं अभाव हैं। पर मिल सभी चीजें रही हैं गेहूं भी; चना भी, जौ भी, बाजरा भी, मक्का भी, दालें भी सभी तो मिल रहे हैं। पर ये सब मिल रहे हैं अनापशनाप भावों पर। गरीब आदमी उनको खरीद नहीं सकता। उसकी सामर्थ्य से बाहर ये भाव जा रहे हैं।

आप जो अनापशनाप भावों पर बेच रहे हैं उनको नियन्त्रित भाव पर बेचने के लिए मजबूर क्यों नहीं करते ? जिन दुकानों पर आपका राशन का अनाज मिल रहा है वहां 100 रुपया क्विन्टल पर गेहूं मिल रहा है पर बहुत थोड़ी मात्रा में मिल रहा है। बाकी अनाज के लिये आपने भेड़ियों के हवाले जनता को छोड़ दिया है। इन भेड़ियों के गोदामों में अनापशनाप माल भरा पड़ा है। आप बताइये उनके पास यह कहां से आता है। अगर इन भेड़ियों के गोदामों में भी माल नहीं होता तो स्थिति की भयंकरता का अनुमान नहीं किया जा सकता था। आप इन भेड़ियों का दमन करिये। इनके गोदामों का माल अपने हाथ में लीजिये और प्रति व्यक्ति हमारी मांग के अनुसार 12 किलो अनाज प्रति माह एक व्यक्ति को दीजिये। एक व्यक्ति के जिन्दा रहने के लिये इतनी मात्रा आवश्यक है। यह आप भी मानते हैं। एक किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से चीनी की मांग की गई है और दूसरी जीवनोपयोगी अत्यावश्यक वस्तुओं की समुचित मात्रा में नियन्त्रित भाव पर राशन कार्ड पर वितरित करने की आप व्यवस्था करिये। सरकार यह व्यवस्था फौरी तौर पर करावें। आप आज जो दे रहे हैं एक, दो किलो और तीन किलो। इससे काम नहीं चलेगा। रबी की फसल आपके सामने है। इस फसल तक तत्काल आप इतनी बढ़ोतरी तो कर ही दें। यह आप करेंगे तो ही स्थिति कन्ट्रोल में आ सकेगी।

आप इस कमी के कारणों में आबादी बढ़ने की बात भी कहते हैं। यह आबादी तो अब घटने वाली नहीं है। दस करोड़ बढ़ गई और भी बढ़ने वाली है यह तो।

बन्द के दौरान अपनी मांगें रखने के साथ-साथ इसका हल भी सुझाया है हमने। इस महंगाई का कारण है जमाखोरी, मुनाफाखोरी और स्पेकूलेशन। इस व्यवस्था को आपको खत्म करना होगा, इस व्यवस्था में निहित स्वार्थों को हटाना होगा। स्टॉकिस्ट के रूप में जो बिचोलिया आज लूट रहा है, उसकी और मुनाफाखोर तस्करों की आवश्यकता नहीं है। उत्पादक और उपभोक्ता के बीच किसी को आने की इजाजत नहीं देनी होगी। मुनाफाखोर और जखीरेबाज आज जितना भयंकर रूप से मुनाफा कमा रहा है उसकी सर्विसेज को देखते हुए बहुत ही ज्यादा है वह। चने के भाव अप्रेल में 100 और 110 प्रति क्विन्टल तक थे। और इस वक्त 230 से 250 रुपया क्विन्टल हो गया है। अब किसान को तो मिला सिर्फ 110 रुपया अधिक से अधिक और उपभोक्ता को दिया

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

गया वह 230 और 250 में। यह बीच का असल भाव से भी कहीं बहुत अधिक 120 या 140 रुपया प्रति क्विन्टल किसकी जेब में जा रहा है ? सरकार ने यह कभी देखा ? जिसने उत्पादक से लेकर अपने कोठे में रखा, बैंकों से पैसा लिया और उस पर छः महीने सील ताला लगा कर रख लिया। अब वह उस कोठे का दरवाजा खोल रहा है। क्या समाज के लिये इस सविसेज की इस भ्रष्ट और मुनाफाखोर जखीरेबाज की सर्विसेज की जरूरत है ? और जरूरत है भी तो क्या इतनी जरूरत है ? यह इनजस्टिस है कि नहीं ? 110 में लेकर 230 और 250 में देना क्या अन्याय नहीं है ? इसमें चाहे कोई एक्स लित हो या वाई। इस व्यवस्था को जब तक आप चलने देंगे तब तक महंगाई पर अंकुश नहीं लग सकता। हमारा यह कहना है कि इस बार जो बात रखी गई थी कि इस बीच की व्यवस्था को खतम करें और इसका इलाज यही था कि अनाज और जो आवश्यक वस्तुएं हैं इनके व्यापार को अपने हाथ में सरकार को लेना चाहिये, वितरण व्यवस्था को सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिये, जनता की देखरेख में स्टोर और वितरण होना चाहिये और जनप्रतिनिधियों के द्वारा होना चाहिये।

मैं माननीय सदस्यों की दृष्टि में एक उदाहरण रखता हूं। अभी हमारे यहां गेहूं का कन्ट्रोल है और कन्ट्रोल में 100 रु० क्विन्टल गेहूं मिल रहा है, राशन की दुकानों से और जब अभी शीत लहर आई तो जयपुर के बाजार में 160 रु० क्विन्टल गेहूं मिल रहा था। तीन दिन की शीत लहर आई और वही गेहूं 220 रु० क्विन्टल हो गया लेकिन राशन की दुकान वालों ने वही 100 रु० रखा। मैं यह पूछना चाहता हूं शीत लहर तो जो खेतों में अनाज खड़ा है उस पर आई है। वह गेहूं जो गोदामों में पड़ा है उस पर तो शीत लहर नहीं आई। फिर 220 रु० गोदामों का गेहूं क्यों बिकने लगा ? क्या इसको ही स्वतन्त्रता मानते हैं। उनको इस प्रकार की इजाजत नहीं देनी चाहिये और जब कहते हैं तो जवाब मिलता है उन पर अंकुश लगा दिया तो साम्यवाद आ जायगा, निश्चित रूप से साम्यवाद आ जायगा अगर आप चाहते हैं स्वतन्त्रता इसी का नाम है। शीत लहर जैसी चीज को राजस्थान सरकार रोक नहीं सकती, शीत लहर को भारत सरकार रोक नहीं सकती लेकिन भारत सरकार के 100 दोष हैं और राजस्थान सरकार के 100 दोष हैं लेकिन बजाय इसके कि हमदर्दी है, शीतलहर आई है। कुछ भेड़िये बैठे हैं जो कहते हैं मजा आ गया और हे परमात्मा ! अब के ओले डाल दे तो 100 रु० और बढ़ जायगा। स्पेक्यूलेटर्स इस ताक में हैं कि किसी तरह का कुछ बहाना मिले और मुनाफा दुगुना हो जाय। ये मुनाफाखोर, जमाखोर आपके इस राष्ट्रीयकरण को गाली दे रहे हैं। आज शीत लहर के बावजूद राशन की दुकानों पर वही 100 रु० क्विटल गेहूं मिल रहा है चाहे वह प्रति व्यक्ति तीन किलो ही मिलता है।

आज यह बुनियादी बहस है, बुनियादी क्वेश्चन है जो देश के सामने है। कौन सी दिशा में कदम उठाकर देश की महंगाई को खतम किया जा सकता है, खाद्य की समस्या को खतम किया जा सकता है। स्वतन्त्र पार्टी, जनसंघ उधर बैठने वाले

(श्री रामानन्द अग्रवाल )

ट्रेजरी बेन्चेज और दूसरे हम लोग वाम पंथी, कांग्रेस आफिशियली जिस बात को मानती है, हमारा आरोप है इस सरकार पर कि इस सरकार ने इस कांग्रेस दल ने खुद अपनी अहमदाबाद कांग्रेस में इस सिद्धान्त को स्वीकार किया, मैं समझता हूं हिन्दुस्तान में पार्टियों में कितने ही मतभेद हो सकते हैं। जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी को छोड़कर जितनी पार्टियां हैं उनमें इस बात पर मतभेद नहीं है चाहे आज तक अशोक मेहता से लेकर कितनी ही कमेटियां बैठी हों उनका मानना रहा है कि इन चीजों को टेक-ओवर करना पड़ेगा—पीस मील से काम नहीं चलेगा। आवश्यक वस्तुओं को टेक-ओवर करना पड़ेगा और उस पर पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम लागू करना होगा। इसलिये हमारा आरोप है और आरोप सरकार पर यह है कि आप नीतियों की घोषणा तो करते हैं जो हम कह रहे हैं—आप नीतियों के तौर पर वह करते हैं लेकिन अमल के तौर पर वह करते हैं जो ये कह रहे हैं और असलियत इस राजस्थान बन्द के समय सामने आ गई। अच्छा हुआ बड़ा प्रचार किया गया कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्स वादी कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी यह सब कर रही है। इन सारी पार्टियों ने कोई पर्दे के पीछे काम नहीं किया जो कुछ कर रहे हैं, खुले आम कर रहे हैं। सरकार को चेलेन्ज किया है, हम बहुत बड़ी ताकत नहीं मानते हैं। सवाल केवल नीतियों का है। ये नीतियां नेशनल कोन्शस की हैं। इन नीतियों में कांग्रेस भी शामिल है। जहां तक नीतियों का सवाल है उन नीतियों पर पोलेराईजेशन ऑफ व्यूज है। जनसंघ का विरोध बन्द से नहीं था, विरोध इस बात का है जो नीति है, राष्ट्रीयकरण का क्वेश्चन उठाया गया है और उस पर जनसंघ ने अपना पोलिटिकल प्रेस्टीज को स्टेज पर लगाया, स्वतन्त्र पार्टी ने अपने पोलिटिकल प्रेस्टीज को स्टेज पर लगाया, कांग्रेस पार्टी ने स्टेज पर लगाया कि बन्द नहीं होना चाहिये।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि इस तरीके का प्रचार किया गया, गलत वहम फैलाया गया कि कम्युनिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी अराजकता फैलाना चाहती है। आज इन वामपंथियों ने जो कांग्रेस के इतिहास में पहली बार पोलिटिकल इश्यू पर कि तमाम राजस्थान में वही सरकार का रेडियो, जो सरकार कहने वाली थी हिंसा होगी, उसको स्वीकार करना पड़ा और गृह आयुक्त को घोषणा करनी पड़ी कि राजस्थान में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई। ये जो स्केन्डल हैं, हमारी बुजुर्वा लीडरशिप की तरफ, मुनाफाखोरों का पर्दाफाश राजस्थान सरकार ने किया। जनसंघ ने जहां-जहां कुछ किया, विद्यार्थियों की हड़तालें कराई—उदयपुर में हुई और कई जगह हुई, कहीं आग लगी है; कहीं कुछ हुआ है। यह इतिहास है इसलिये मैं कहना चाहता हूं यह अच्छा हुआ अगर जनसंघ बहती हवा में शामिल हो जाता तो गड़बड़ी कर देता। भीलवाड़ा में गड़बड़ी करने की कोशिश की, वहां पर कार्यकर्त्ताओं पर पत्थर फेंकने की कोशिश की। जनता को बहाव के साथ नहीं

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

रोक सकते जैसा शास्त्रीजी कह रहे थे हम इसको देखेंगे। मुझे नजर नहीं आये यहां पर भी ऊपर छिपे हुये थे। जनता से आंख बचाये हुये थे।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि आज यह समस्या है और इस समस्या को हल करने के लिये कोई ठोस कदम मंत्रीजी को राशन का गेहूं बढ़ाने के रूप में, आगे व्यवस्था परमानेन्ट रूप में क्या करना चाहते हैं उसके बारे में ठीक प्रकार से घोषणा करें और उसको रबी फसल से लागू करना और जमाखोर, मुनाफाखोरों के प्रति सख्त कदम की बात उठानी चाहिये। माननीय विश्नोईजी कह रहे थे रचनात्मक सुझाव दें। मैं यह कहता हूं आज घोषणा करें तो कल भाव नीचे आ जायं। उनके भाव हैं जमाखोरों के खिलाफ एक्शन लेने का। हमने पूछा मुख्य मंत्रीजी आपके पास लिस्ट है तस्कर करने वालों की तो कहते हैं हमारे पास लिस्ट नहीं है उनके पास पोलिटिकल वर्कर्स की लिस्ट अवश्य है। रामानन्द कहां जाता है, कहां सोता है, क्या करता है, क्या नहीं करता है उसकी पूरी रिपोर्ट इनको मिल जाती है। प्रो० केदार की पूरी रिपोर्ट इनको मिल जाती है, मोहन पूनमिया क्या करता है, उसकी रिपोर्ट अवश्य मिल जाती है। इन सबकी पूरी-पूरी रिपोर्ट अवश्य मिल जायगी लेकिन जो तस्करी कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनकी लिस्ट का इनको मालूम नहीं है। इसका साफ मतलब है कि जनता के मित्रों पर तो आपकी निगाह है और जो जनता के दुश्मन हैं, वे या तो आपसे मिले हुये हैं या आप चैक नहीं करना चाहते हैं। कल के अखबार में पढ़ा था जयपुर के एक व्यापारी ने 67 लाख का तस्करी व्यापार किया और अभी चार दिन पहले घोषणा हुई थी मुख्य मंत्रीजी की जो ऐसा व्यक्ति मिलेगा उसको हथकड़ी लगाकर सारे बाजार में घुमायेंगे। उसका शानदार जुलूस निकाला जायगा लेकिन अभी तक ऐसा मौका नहीं आया और जनसंघ के नेता भैरोंसिंहजी को तो बड़ा गुस्सा है कि यह हिमाकत है सरकार की कि व्यापारियों के बारे में कह दे कि जिनका हम नमक खाते हैं उनको हथकड़ियां पहनायें और वह तो उदयपुर में कहीं भी आये कि व्यापारियों के क्यों लगायें मिनिस्टरों के लगायें। मिनिस्टर ऐसा करते हैं उनको भी लगे हमें एतराज नहीं है, लगनी चाहिए और हम इसकी मांग भी करते हैं लेकिन जो भी अधिकारी या जमाखोर या जो भी कर रहा है ऐसा काम तो वह जनद्रोही है और जनता का दुश्मन है और इस प्रकार की चीज का पूरी ताकत से मुकाबला किया जाना चाहिए। ऐसा मैं कोई डिबेटिंग पाइन्ट्स को स्कोर करने की दृष्टि से नहीं कहना चाहता हूं और न कहना चाहता हूं कि आप उस तरीके से इस बात को लें। माननीय विश्नोईजी ने जिस तरह से दलील दी कि हमारा देश इतना बड़ा है, इतना प्रशासन बढ़ गया है, इतने बड़े-बड़े प्लानिंग करने पड़ रहे हैं, इतनी आबादी बढ़ गयी है तो हम तो न तो कहते हैं कि आबादी को खतम कर दो, न यह कहते हैं कि प्लानिंग खतम कर दो। तो फिर क्या हम यह मानें कि इन सब के

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

कारण महंगाई कम नहीं हो सकती है। क्या आप जनता को निराशा का पाठ पढ़ा रहे हैं ? क्या आप सोचते नहीं कि चेन्ज की आवश्यकता है ? प्रशासनिक कमियां भी हैं लेकिन उनको ही मानकर बैठें तो बड़ी चीजों को आप भूल जायेंगे और कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जैसे कि बंगला देश से पाकिस्तान की लड़ाई की बात कही जाती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश के ऊपर बहुत बड़ा संकट था। उसकी वजह से महंगाई हुई लेकिन साथ ही हम एक साइन्टिस्ट होने के नाते तथ्यों को भी देखें। पाकिस्तान से लड़ाई दिसम्बर, 1971 में हुई और हमारे यहां रिफ्यूजी जरूर आये हुए थे और रिफ्यूजीज लड़ाई के बाद याने दिसम्बर, 1972 के बाद नहीं रहे थे। तो जो भी उस लड़ाई का या महंगाई का असर हमारी इकानामी पर पड़ना चाहिए था उस पीरियड में पड़ लेना चाहिए था। अब आंकड़े देखिये राजस्थान के अन्दर जो कन्ज्यूमर्स इन्डेक्स नम्बर है वह 1971 में 188 था और 72 दिसम्बर में खतम हो गया, रिफ्यूजीज चले गये, लड़ाई खतम हो गयी तो यह 208 हुआ। यानी 20 पाइन्ट बढ़ गया। काफी बड़ी बढ़ोतरी है याने 10-12 परसेन्ट की बढ़ोतरी हुई लेकिन जनवरी, 1972 के 208 के मुकाबले में जनवरी, 1973 में जब कि यह सब चीजें जा चुकी थीं नम्बर ऑफ इन्डेक्स 208 से 272 पहुँच गया याने 64 पाइन्ट बढ़ा, अन-प्रिसीडेन्टेड बढ़ा और हिन्दुस्तान जब से आजाद हुआ है अब तक किसी एक साल में इतनी महंगाई कभी भी नहीं बढ़ी। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि आप देखिये कि कारण कोई दूसरा ही है, केवल वही नहीं है क्योंकि उसमें तो 20 पाइन्ट ही महंगाई बढ़ी और इस एक साल में 31 पाइन्ट बढ़ी है। तो इसके क्या कारण हैं। इसके कुछ दूसरे कारण हो सकते हैं।

कुछ साथी दलील दे रहे हैं कि उपज की कमी है और पैदावार बढ़ानी पड़ेगी-ऐसा आपने कहा और आपने भी कहा। राष्ट्रपतिजी ने अपना भाषण पढ़ा यह आपने सुना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा खेद है कि अब की दफा खरीफ फसल इतनी बढ़िया होते हुए भी भाव इतने महंगे कभी नहीं हो पाये। आज मैं स्वीकार करता हूं कि उत्पादन की घटोतरी या बढ़ोतरी प्राइसेस के अन्दर फर्क लाती हैं। बढ़ोतरी उत्पादन में हो गयी तो प्राइसेस घट सकती है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल और अगर उत्पादन कम हो गया तो प्राइसेस बढ़ सकती है। लेकिन यह एक फीचर है और यह इसी साल का नहीं है थ्रू आउट अवर इकानामी रहता है और रिजर्व बैंक ने इस बात को स्वीकार किया है कि यह अनफाचुनेट है इन्डिया की सिचुएशन में कि अगर चीजों का उत्पादन कम हो जाता है तब तो प्राइसेज बढ़ जाता है लेकिन अगर उत्पादन बढ़ जाता है तो कारस्पोन्डिंगली प्राइसेस कम नहीं होती। दिस इज वेरी अनफाचुनेट यह रिजर्व बैंक ने रिपोर्ट दी है जिसको माननीय रामकिशन जी ने पढ़कर सुनाया था। मैं कहूंगा कि जो सीरियसली इस प्राब्लम को सोचना चाहते हैं और हल निकालना चाहते हैं आज की स्थिति इस प्रकार की है कि प्रॉडक्शन बढ़ने के बावजूद हम केवल यह मान लें कि

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

इससे स्वयं प्राइसेस रुक जायेंगी यह नहीं रुकी हैं। यह फिनोमिना न केवल हिन्दुस्तान का है बल्कि जापान और वेस्ट जर्मनी का भी है। इन दोनों देशों में भी प्राडक्शन बढ़ाने के बावजूद प्राइसेज बढ़ती जा रही है। रुक नहीं पा रही है। इसलिए सिचुएशन सीरियस है।

माननीय सभापति महोदया, मैं माननीय रामकिशनजी की इस बात से सहमत नहीं हूं, राजस्थान सरकार तो बहुत खुश होगी कि बहुत बढ़िया मौका मिल गया कि केन्द्रीय सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। यह दुरुस्त नहीं है। मेरा यह मानना है कि इकानामी पालिसी चाहे जिसकी हो वह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट निर्धारित करती है और इस रूप में सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट चाहे इनफ्लेशन का सवाल हो, चाहे इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का सवाल हो या ब्राड इकानामी पालिसी का सवाल हो उसमें सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट जिम्मेदार है लेकिन इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि जहां तक प्रोक्योरमेन्ट का सवाल है, फूडग्रेन्स को इकट्ठा करने का सवाल है, उसके वितरण करने का सवाल है और प्रशासनिक ढांचे को ठीक करके लागू करने का सवाल है यह प्योरली और इन्टायरली स्टेट गवर्नमेन्ट के हाथ में है और जितने झिझकते हुए तरीके से सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट ने उन पालिसीज को लागू करने की कोशिश को, कुछ तो ढीली सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट भी पड़ गयी और स्टेट गवर्नमेन्ट ने डिसप्रोवे किया है सेन्ट्रल डिसीजन को और सेबोटेज किया है, सेन्ट्रल डिसीजन को और जो उनको इकट्ठा करना चाहिए था वह नहीं किया। आप किस मुंह से मांग रहे हैं। आज हिन्दुस्तान का हर प्रान्त कह दे कि हमारे यहां अनाज नहीं होता और सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट हमको नहीं दे तो कहां से लायें। तो कहां से लाना चाहते हैं? क्या पी० एल० 480 के अन्दर देश को गिरवी रख कर लाना चाहते हैं? रूस ने दिया और हम पर उपकार किया लेकिन हमें पसन्द नहीं है कहीं से मंगाना। हम अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। यह बात तो प्रधान मंत्रीजी ने भी मानी है और मैं खाद्य मंत्रीजी से कहूंगा कि उत्तर देते समय इस बात का ध्यान रखें कि हमारी प्रधान मंत्रीजी ने भी माना है कि चीजों के अभाव वास्तव में नहीं है बल्कि कृत्रिम हैं, कुछ लोग बना रहे हैं। वह कुछ लोग कौन हैं? उसमें हम और आप एक साथ हैं। वह कौन हैं जमाखोर, मुनाफाखोर और तस्करी? अगर यह लोग हैं, आप भी मानते हैं तो फिर इसको रोकते क्यों नहीं हैं। फिर सवाल यह आ जाता है कि आप इस व्यवस्था को जिसमें यह पैदा होती है इस चीज को आप रोकते क्यों नहीं हैं। आपके सामने यह सब कुछ हो रहा है, इसके ऊपर रोक लगायें। मसलन यह मांग की गयी है कि आपको केन्द्र से कोटा नहीं मिलता तो मैं तो यह मानता हूं कि राजस्थान की जनता रोटी खा रही है, गेहूं खा रही है कोई 200 रुपये के भाव से ले रहा है तो कोई 100 रुपये के भाव से ले रहा है हम कह रहे हैं कि मिल तो रहा है। आप यह भी नहीं मानते हैं कि राजस्थान में तस्करी होकर कहीं से अनाज आता है। बल्कि हमारे यहां से अनाज बाहर जा रहा है। बाहर से अन्दर नहीं आ रहा है। इसलिए हमारा यह कहना है कि राजस्थान में यह

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

सब मौजूद है। आप फ्री छूट दे रहे हैं व्यापारियों को और बड़े-बड़े जमाखोरों को जिनके पास स्टाक है। पालिटिकल कारणों से आप उनको टच नहीं करना चाहते हैं वरना हमारा यह कहना है कि इस तमाम स्टाक को अब चाहे किसानों पर नहीं रहा उन तमाम स्टाक को जो गोदामों में बन्द है उसको आप फूडग्रेन एण्ड होल्डिंग आर्डर के तहत आप ले लीजिए और जो आपकी फेयर प्राइज शाप्स हैं उसके ऊपर आप लोगों को बंटवा दीजिए तो लोगों के मार्च और अप्रैल दो महीने निकल सकते हैं। केन्द्र कोटा बढ़ाए या नहीं बढ़ाए लेकिन दो महीने बाद फसल आ जाएगी। आप पूरे टेक ओवर का इन्तजाम कर लें। केवल गेहूं के टेक आवर से ही काम नहीं चलेगा, दूसरी चीजों का टेक ओवर करेंगे तो ही काम चल सकता है। मेरे दूसरे दोस्तों को राष्ट्रीयकरण से एतराज है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जरा गम्भीरता से विचार करें, राष्ट्रीयकरण गेहूं का ही हुआ था तो गेहूं के भाव बढ़ गए लेकिन चने के भाव क्यों बढ़ गए, यह जौ के भाव क्यों बढ़ गए, सरसों के भाव क्यों बढ़-गए, और चीजों के भाव क्यों बढ़ गए। अगर राष्ट्रीयकरण की वजह से ही यह सारी महंगाई हो जाती है तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि और चीजों के भाव क्यों बढ़ गए। लोगों ने आपके इस खेल को समझ लिया है। आज लोगों की महंगाई की मुसीबत को देख करके सभी उसमें शामिल हो गए हैं और जिस प्रकार एक चोरी हो गई और चोर को पकड़ने आए तो चोर भी उसी में शामील हो गए और चिल्लाने लगे कि चोरी हो गई, चोरी हो गई, मर गए, मर गए, चोर-चोर चिल्लाते रहे। आज आप इन मुनाफाखोरों का, जमाखोरों के हितों का संरक्षण कर रहे हैं इस बात को जनता अच्छी तरह से समझ गई है।

स्वतंत्र पार्टी के नेता बोले कि यह व्यापारियों को पकड़ लिया, उनको परेशान कर दिया, मिल मालिकों के साथ यह अन्याय कर दिया। उनको मुनाफा कमाने की छूट है। जनसंघ के दोस्त कहते हैं कि उनको आजादी है मुनाफा कमाने को। उनके लिए व्यापारियों का मुनाफा कमाने की आजादी ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि लोगों को रोटी मिले। हम लोग हैं जो यह चाहते हैं कि उनको मुनाफा कमाने की आजादी मिले या नहीं मिले लेकिन हर आदमी को रोटी खाने की आजादी जरूर मिले। हर आदमी के लिए रोटी खाने की आजादी प्रथम होती है भले ही मुनाफा कमाने की आजादी कायम रहे या नहीं रहे। हमारा कंसेप्शन इस मामले में एण्टायर्ली डिफरंट है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता की ओर से दो मार्च को रेफरेंडम हो गया है। राजस्थान के गांव-गांव और शहर-शहर में बहस हो गई और बहस होकर जनता ने अपनी राय जाहिर कर दी। दो मार्च के बन्द में शामिल होकर जनता ने अपनी राय जाहिर कर दी कि वह कौन सा रास्ता पसन्द करती है। राष्ट्रीयकरण का रास्ता सही है, कण्ट्रोल लगाने का रास्ता सही है, इनके ऊपर पाबन्दी लगाने का रास्ता सही है। मैं नहीं कहता कि जायज व्यापारियों पर रोक लगाई जाय लेकिन जब तक यह छूट उनको रहेगी कि वह मुनाफा कमायें तब तक वह ऐसा करेंगे। उनका काम ही

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

यही है। यह सिस्टम उनको मौका देता है इकट्ठा करने का। उनका धन्धा है इकट्ठा करने का। चीजों का इकट्ठा करके अपने रखें और जब भाव बढ़े तो उसको बेचें और मुनाफा कमायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

एक बात और है जिसकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, सदन का। यह बात कही जाती है खास तौर पर नौकरी पेशा लोगों के लिए कि तुमको महंगाई भत्ता मिलता है फिर शोर क्यों मचाते हो उनको महंगाई भत्ता मिलता है लेकिन क्या इससे उनकी महंगाई की समस्या हल हो जाती है? गवर्नमेंट एम्पलॉयज और कारखानों में काम करने वाले मजदूर, रोड़वेज और बिजली वाले, ये क्यों चिल्लाते हैं। मेरा निवेदन है कि आज जो महंगाई बढ़ रही है उस मात्रा में महंगाई भत्ता नहीं बढ़ रहा है और न बढ़ायें। आज हर मजदूर, हर कर्मचारी और हर वेतन भोगी आदमी के वेतन की कटौती सेक्रेट्रियेट के किसी ऑर्डर से नहीं होती बल्कि वेतन में कटौती होती है उस ऑर्डर से जो चान्दपोल से निकलता है और हर महीने उनके वेतन में कटौती होती है। मैंने कुछ आंकड़े इकट्ठे किए हैं जिन्हें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं।

सेन्ट्रल गवर्नमेंट एम्पलॉयज का एक साल में ही, एक तृतीय श्रेणी का एल. डी. सी. है उसका 1-1-73 को जो वेतन 260 रुपया था और 1-1-74 को 299 रु. हो गया लेकिन 31 प्रतिशत महंगाई बढ़ी है तो उसका वेतन होना चाहिए था 340 रु० और इस प्रकार 44 रुपये का घाटा उसको प्रति महीने पड़ता है। हमारा राज्य कर्मचारी अपनी स्टेट गवर्नमेंट का, उसमें एक थर्ड ग्रेड का टीचर है उसकी तनख्वाह 1-1-73 को 270 रुपया और 1-1-74 को 286 रु० मिला और 31 प्रतिशत महंगाई बढ़ने से उसको मिलना चाहिए था 354 रुपया और इस प्रकार 68 रुपये का घाटा है। अभी आपने जो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया उसके अनुसार सेन्ट्रल गवर्नमेंट में जितना मिलता था उसके अनुसार दे दिया और चार परसेंट और मिला तो उसको कुल मिला कर मिला 270 रु०। 4 परसेंट के हिसाब से उसको कुछ मिल चुका है और अब कुल मिला कर 7-8 रुपया और मिल जायगा लेकिन फिर भी उसको 68 रुपये का घाटा है तो 8 रुपये कम हो गया तो भी 60 रुपये का घाटा उसको रहता है। इसी तरह से सेकंड ग्रेड का टीचर है उसको 83 रु० का घाटा है। एक एल. डी. सी. क्लर्क है उसको 68 रुपये का घाटा है। चपरासी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी उसको 36 रु० का घाटा है। जो कण्डक्टर, ड्राईवर हैं रोड़वेज के उनको 58 रुपये का घाटा है। जो अकुशल कर्मचारी हैं उनको 27 रुपये का घाटा है। बिजलीघर में काम करने वाले क्लर्क, लाइनमैन वगैरा को आपने अभी 30 रुपये की इन्टरिम रिलीफ देना तय किया है लेकिन अभी वह उनको मिला नहीं है लेकिन उनको 59.50 रु० का घाटा है। 30 रुपये मिलने के बाद उनको 29.50 पै. का घाटा रहेगा। जो हैल्पर हैं, जो पी. डब्ल्यू. डी. में काम करते हैं, गैंगमैन हैं उनको 36 रुपये का घाटा है और जो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

मामूली बेलदार हैं उसको 31 रुपये महीने का घाटा है। मैं निवेदन करूंगा कि इस संदर्भ में आप इस समस्या को सोचने का प्रयत्न करें क्योंकि आज वह तिलमिला रहा है, आज वह बैचेन हो रहा है। इसलिए इसका यह जवाब दे देना कि हम क्या करें, सेंट्रल गवर्नमेंट से जितना मिला वह दे दिया, उससे आगे कुछ नहीं कर सकते तो मेरा निवेदन है कि जनता की आवाज उठी और आवाज उठने पर आपने घोषणा की अपने एम्प्लॉयज का महंगाई भत्ता बढ़ाने की घोषणा आपने की। आपने कहा कि हम अब मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कदम उठायेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी इस महीने 13 हजार क्विंटल और अधिक कोटा दिया है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर इन समस्याओं के बारे में स्लिप ओवर करके ऐसा जवाब देकर और टैक्निकल आधार पर जवाब देकर ही अगर आपने यह समझ लिया कि समस्या का हल हो गया तो ऐसा होने वाला नहीं है। समस्या बहुत गम्भीर है। पेट की समस्या है और पेट की ज्वाला का हल करने के लिए आदमी कुछ का कुछ कर सकता है।

आज कुछ लोग गुजरात की बात करते हैं। हमारे लिए, लैफ्टिस्ट पार्टीज के लिए गुजरात हमारा आदर्श नहीं है। हम कम्पलीट चेंज ओवर चाहते हैं। गुजरात में क्वालिटी की लड़ाई नहीं लड़ी गई, उसके बाद भी चिमनभाई पटेल को निकाल दिया गया लेकिन इससे भी टेक ओवर की पॉलिसी मान ली गई हो यह मैं नहीं कह सकता हूं। आज मैं यह नहीं कह सकता कि वहां यह तय हो गया कि होर्डर्स के खिलाफ, जमाखोरों के खिलाफ और तस्करों के खिलाफ सख्त कदम उठाया जायगा। मैं नहीं कह सकता कि वहां यह बात तय हो गई है कि स्टाकिस्ट्सों से छीन कर जनता में बांटा जायगा। यह बात तय नहीं हो गई कि तमाम एसेंशियल कमोडिटीज का, इन तमाम चीजों का टेक ओवर करके राशन कार्ड के जरिये जनता को बांटा जायगा। यह बेसिक कंसेप्ट है और मैं कांग्रेस के दोस्तों से कहना चाहता हूं कि जहां तक आप लोग हैं, आप कमिटेड हैं हमारे साथ कमिटेड हैं, जनता के साथ कमिटेड हैं। जब हम आवाज उठाते हैं।

( समय-समाप्ति-सूचक घण्टी )

तो आप में से कुछ लोग नाराज होते हैं कि ये कम्युनिस्ट क्या करते हैं। कभी हमारा साथ देते हैं, कभी विरोध करते हैं। इधर वालों को भी ताज्जुब होता है। हमने साफ कहा है कि हमारी नीति आपकी सही नीतियों का साथ देने की है। सही पालिसीज में सहयोग देना और गलत पॉलिसीज का विरोध करना हमारी नीति है। हमारी पॉलिसी युनाइटेड और स्ट्रगल की है। जब कभी चुनाव होते हैं तो इधर के लोगों को ताज्जुब होता है कि उनके साथ मिल गए और जब लड़ते हैं तो उधर के लोगों को ताज्जुब होता है। वे कहते हैं कि इन पर अब भरोसा नहीं करना चाहिए। ये कम्युनिस्ट मार्क्ससिस्टों से मिल गए, उनसे मिल गए। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम तमाम लेफ्टिस्ट्स डेमोक्रेटिक पार्टीज जिनका ध्येय सोशलिज्म है और जिनके सामने सेक्यूलरिज्म डेमोक्रेसी का आदर्श है और इसी तरह से देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। वह कांग्रेस को साथ लेकर, सी. पी. एम, और एस. एस. पी. को साथ

( श्री रामानन्द अग्रवाल )
लेकर तमाम को एकताबद्ध करना चाहते हैं। इस तरह से हमारी एकता और संघर्ष की लड़ाई है और जहां सही नीतियां हैं वहां पर हम एकताबद्ध हो सकते हैं। आज फोरेन पॉलिसी का प्रश्न सामने आता है, सीमाओं की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तो हम सब शामिल थे।

उनसे मिलकर हमने कण्टेक्ट किया। कुछ पॉलिसीज तो हैं। इसे ईमानदारी से करना चाहते हैं। यह मैं खाद्य मंत्रीजी से उम्मीद करता हूं, क्योंकि जो जुलूस निकाला गया था उसमें खाद्य मंत्रीजी थे। कांग्रेस के उस जुलूस में जखीरेबाजों को समाप्त करने की मांग की गई थी। वैसे कांग्रेस तो एक धर्मशाला है। इसके अन्दर तरह-तरह के लोग हैं। इसके अन्दर तस्करीबाज भी हैं। इसलिए हम लड़ने वाले भी हैं। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। सभापति महोदया, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारी नीयत पर सन्देह करते थे, हमने यह बता दिया है कि यह बन्द कितनी शान्ति के साथ में सफल हुआ है। हमने यह कहा था, पुलिस नहीं भेजो। कहीं कुछ नहीं हुआ। छोटा-मोटा अलवर में हुआ है। मैं उसका कल जिक्र करूंगा। इस तरह से ये लोग पूंजीपतियों की दलाली करना चाहते हैं। महंगाई का नारा देकर यह लोग नंगे हो गये हैं। जो मिल मालिकों का बचाव करते हैं, तस्करियों का बचाव करते हैं। चाहे शास्त्रीजी हों, चाहे गुमानमलजी हों, चाहे मीठालाल जी हों, चाहे महारावल जी हों। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ईमानदारी से प्रोक्योरमेण्ट की नीति को नहीं लागू करना चाहते हैं। गेहूं आज भी बिक रहा है। राजस्थान में बड़े-बड़े लोगों ने नहीं दिया है। उनके लिए खुली छूट है। मंत्रीजी आपके भाव मुकर्रर होते हुये भी व्यापारी खुले भाव में बेच रहे हैं। खरीफ की लेवी हुई है। हम लेवी के पक्ष में हैं। लेकिन उन लोगों के लिए हैं जो कि साधन-सम्पन्न हैं। लेकिन आपकी मशीनरी गरीब आदमी को डण्डे मारती है। मैंने सरकारी आंकड़े इकट्ठे किए हैं। जिनको इकट्ठे करने की जिम्मेदारी है। राजस्थान में 1 लाख टन का कोटा लिया। पहले डेढ़ लाख टन था जो एक लाख टन किया। 19 फरवरी तक के आंकड़े मेरे पास हैं। बांसवाड़ा में 10 थाउजेण्ड का लक्ष्य था जिसमें से प्रोक्योरमेण्ट जीरो। स्वतंत्र पार्टी के लीडर जहां के हैं, डूंगरपुर से टारगेट 10 थाउजेण्ड, प्रोक्योरमेण्ट जीरो। मैं यह समझ सकता हूं कि डूंगरपुर में फसल नहीं हुई। जिन लोगों के नहीं हुई है उनसे नहीं लिया जाए। लेकिन महारावल साहब के क्या कुछ नहीं हुआ है। बांसवाड़ा में कोई ऐसा साधन-सम्पन्न नहीं जिससे लिया जाये। लेकिन जो साधन-सम्पन्न लोग हैं, उनसे लिया जाये। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर का सबसे ज्यादा प्रोक्योरमेण्ट में स्थान रहा है। संकण्ड अलवर का रहा है 1 लाख 44 हजार क्विन्टल। साल भर में 30 हजार क्विन्टल।

**एक माननीय सदस्य** : जालौर का दूसरा नम्बर है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : भरतपुर 18 हजार।

**श्री रघुनाथ विश्नोई** : लेवी वसूली में दूसरा स्थान जालोर का होना चाहिए।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** जालौर में 36 हजार है।

**एक माननीय सदस्य :** 40 हजार है।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** यह लेवी आॅर्डर बहुत ही दोषपूर्ण है। गरीबों पर बोझ डाला गया है। यहां एप्रोच की है कि सरकार शहरों में पूरा अनाज दे। हमारे यहां कहा गया है कि अनाज मिलना चाहिए। फिर यहां कहा गया है कि आजादी खत्म हो जायेगी। अगर यह कहा गया है तो फिर पी० एल० 480 अमेरिका से लेकर आइये। ये बुनयादी इश्यू हैं।

(समय-समाप्ति-सूचक घण्टी)

ये प्रेक्टिकल इश्यूज हैं। मैंने भी जनता से कहा है। सरकार को मौका दें। मैं चेतावनी देना चाहता हूं, यह 2 तारीख का बन्द तमाशा नहीं था। यह जनता की चेतावनी थी। अगर आप इस पर अमल करेंगे तो जनता आपके हाथों को मजबूत करेगी। जनता ने गुजरात में नारा दिया। जनता का नारा गुजरात में सरकार बदलने का नहीं था। मैं जानता हूं कुछ पार्टियां स्टूडेन्ट्स को पकड़ कर उनसे आन्दोलन करवाती हैं। उनका शिकार सबसे पहले बस के ड्राइवर होते हैं। मुझे खेद है कि विद्यार्थी परिषद् के जितने आन्दोलन हुये हैं। स्टेट की बसेज पर झगड़े हुये हैं। ड्राइवरों और कण्डक्टरों को पीटा गया है। बसों को तोड़ा है ताकि मजदूरों और विद्यार्थियों का आपस में झगड़ा हो।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, सभापति महोदय, यह राजस्थान की जनता में भ्रम था, वह क्लियर हुआ है इस आन्दोलन के जरिये से। मैं स्टेट गवर्नमेन्ट से कहना चाहता हूं।

यह लड़ाई जो जनता लड़ रही है। गवर्नमेन्ट के अन्दर वह बल है। वह अपने वायदों को पूरा करना चाहती है। हम अन्दर लड़ सकते हैं। अन्दर नहीं लड़ें तो बाहर आकर लड़ सकते हैं। बाहर आकर लड़ें लेकिन जनता की विशाल लड़ाई लड़ें। जनता अपनी समस्याओं को हल करना चाहती है। जनता ने अपना ट्रेण्ड भी बता दिया है। जनता का यह ट्रेण्ड आसींद और भरतपुर का नहीं है। भरतपुर और आसींद के रिएक्शन को रिजैक्ट किया है। बम्बई में कांग्रेस मुकाबले में आ गई, जनसंघ मुकाबले में आ गया लेकिन जनता ने कम्युनिस्ट पार्टी को पसन्द किया है। कोयम्बटूर का नतीजा है, पांडीचेरी का नतीजा सामने है। मैं कांग्रेस के दोस्तों को कहना चाहता हूं, वह मित्र, जो ईमानदारी से पालिसी को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, समस्याओं को हल करना चाहते हैं, आये और मिल कर विशाल जनता को साथ लेकर आगे बढ़ें और जो भी समस्यायें हैं उनको हल करें। जो रीएक्शनरी फोर्सेज गवर्नमेंट में बैठी हैं, बाहर बैठी हैं उनका मुकाबला हम सबको मिल कर करना पड़ेगा। हम बन्द करलें अपनी जुबान और चुप रहें और चुप रह कर तो रीएक्शनरी फोर्सेज का साथ देना होगा। मैं निवेदन करूंगा कि जनता की समस्याओं को हल करने के लिए पूरा सहयोग दें। साथ ही मैं गवर्नमेंट को अपील करूंगा कि ठोस रूप से रिलीफ मेजर्स के प्रोग्राम को लेकर वह आगे बढ़ें।

**श्री दीपंकर :** सभापति महोदया, कांग्रेस दल के लोगों के लिए समय निर्धारित है। इसलिए हमें बराबर टाइम मिलना चाहिए।

**श्रीमती सभानेत्री :** बीस मिनिट बाकी हैं चर्चा के लिए, जो माननीय....

**श्री दीपंकर :** थोड़े समय बोलूंगा। मंत्री महोदय के सामने दो-चार सुझाव रखना चाहता हूं।

**श्री नत्थासिंह :** कल भी मैंने टाइम मांगा था। हम जो छोटे-छोटे वर्ग से चुन कर आये हैं उनको समय देते नहीं हैं। मैं दस मिनिट चाहता हूं।

**श्रीमती सभानेत्री :** पार्टी व्हिप की तरफ से नाम नहीं आये हैं।

**श्री दीपंकर :** नाम है, पार्टी व्हिप से नाम आया है।

**श्री नत्थासिंह :** दस मिनिट का समय....

**श्रीमती सभानेत्री :** जो नाम आये पार्टी व्हिप की तरफ से....

**श्री नत्थासिंह :** मेरा नाम भेजा है। कल था, आज भी है।

**श्री दीपंकर :** पांच मिनिट दे दीजिए।

**श्रीमती सभानेत्री :** आॅर्डर प्लीज! आपका नाम नहीं आया है।

**श्री दीपंकर :** पांच मिनिट दे दीजिये। सुझाव देना चाहता हूं, यह महत्वपूर्ण समस्या है।

**श्री अमृतलाल गहलोत :** सभापति महोदया....

**श्रीमती सभानेत्री :** आप पांच मिनिट बोल लीजिये।

**श्री दीपंकर (लाडनूं) :** सभापति महोदया, महंगाई के बारे में विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने जो सुझाव रखे हैं और जो बातें कही हैं, उन सब पर विचार करने पर मैं किसी हद तक उनसे सहमत हो सकता हूं परन्तु मोटी बात जो मैं निवेदन करने जा रहा हूं, मैं यह समझता हूं कि इस पर हमें इस सदन में चर्चा करनी चाहिए। केवल इसे डिबेट का विषय नहीं बना कर हमें इस समस्या का मूलतः समाधान खोजना चाहिए। समाधान तभी खोजा जा सकता है जब यह समझें कि यह मनुष्य की समस्या है, यह मानवीय समस्या है। विभिन्न दल इस मानवीय समस्या को राजनैतिक लाभ के लिए अगर विकृत स्वरूप देने की कोशिश करेंगे तो हर तरह की कठिनाइयां हमारे सामने उपस्थित होंगी। मैं समझता हूं कि सरकार के सामने इससे सबसे बड़ी बाधा और व्यवधान भी उपस्थित होता है। जहां तक उत्पादन का प्रश्न है; अकाल के कारण से और कई कारणों से इसमें कमी आयी है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहता हूं। स्यालू फसल होने जा रही थी, उस समय हालांकि बिजाई का वक्त था लेकिन राजनैतिक प्रेरणा से हमारे यहां आन्दोलन हुआ और उसकी बदौलत जो गरीब आदमी बीज के लिए और तकावी के लिए तरस रहा था, वह उसे नहीं मिली, उसकी वजह से उत्पादन गिरा और बहुत सी जमीन खाली रह गई।

( श्री दीपंकर )

इसके पीछे क्या कारण था ? सिर्फ एक राजनैतिक कारण मैं मान सकता हूं। वह राजनैतिक कारण ही आज महंगाई और दाम बढ़ाने का कारण है। आज बहुत सी पार्टीज़ की तरफ से यह बात कही जाती है कि सरकार दोषी है, सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है—इसमें शक नहीं है, परन्तु जो कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जिनके दाम बढ़े हैं, इनके पीछे जो लोग हैं, आज उन आदमियों की वकालात कौन करता है। आज सबसे बड़ी बात यह है कि एक आर्थिक लड़ाई शुरू हुई है। यह लड़ाई दुकानदारों और सरकारी नीति के बीच हो रही है। इसमें पक्षपात यदि किसी ने किया है तो वह सरकारी मशीनरी ने किया है। उसने दुकानदारों का साथ दिया है और साथ देने के कारण सबसे ज्यादा फायदा उसने उठाया है। आज जो प्रजातांत्रिक प्रणाली है इसमें कोई भी आदमी नौकर हो सकता है। सरकारी नौकरी में कोई भी पढ़ा-लिखा आदमी आ सकता है। इस कारण ऐसी विचारधारा के लोग सरकारी नौकरी में आ गये हैं जो उन राजनैतिक दलों से संबंधित हैं जो सरकारी नीति को असफल करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इस कारण से यह मानवीय समस्या विकराल रूप लेकर आई है। और इसके पीछे राजनैतिक कारण बहुत बड़ा है। इसलिए ही जो सरकार की जखीरेबाजों के खिलाफ जो नीति है, उसको जो राजनैतिक दृष्टिकोण के सरकारी नौकर हैं असफल करने के लिए हड़ताल होती है, उसके द्वारा जो भी नीति होती है उसको तोड़ा जाता है। आज कितने ही राजनैतिक दलों के लोग सरकारी मशीनरी में घुस गये हैं, जो सरकारी नीति से सरकारी नौकर होते हुए भी सहमत नहीं हैं। इस तरह के जो कारण हैं उनकी तरफ हमारे जो बहुत बड़े विद्वान और कृषि मंत्री हैं वे ध्यान देंगे और राजनैतिक दलों के लोग, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उन पर ध्यान रखेंगे—इसमें शक नहीं है। माननीय नेता ने घोषणा भी की है कि जखीरेबाजों का जुलूस निकालेंगे और उनके साथ में सख्ती बरतेंगे। इस सम्बन्ध में कार्यवाही भी हो रही है और काफी लोगों की जांच हुई है। उनको जनता के सामने लाने से असर पड़ेगा। इसलिए जरूरी है कि इन लोगों का पर्दाफाश करें। जो आज सरकारी नीति का विरोध किया जा रहा है, यह आज के समाज के हित के विपरीत है।

लेवी का सवाल है, इसमें मानकर चलता हूं कि राजनैतिक दल जितने हैं उन्होंने नारा दिया है कि लेवी नहीं दी जाय। किसानों की अच्छी उपज होते हुए भी बहका दिया गया है। आज बीज, वर्षा से जो उपज के भाव किसान को मिलते रहे हैं, उनको आज के भावों से मिलाकर देखा जाये तो काश्तकार को कम भाव नहीं मिल रहे हैं जो कि सरकार ने तय किये हैं लेकिन बिचौलियों और दुकानदारों ने काश्तकारों को बहका दिया है। उनको इस तरह की बातें बतलाई हैं कि यह नहीं मिलता है, यह सुविधायें नहीं मिलती हैं। इस तरह से काश्तकारों को बहकाया गया है। इसके कारण जो अनाज सरकार के जरिये सीधा बाजार में आना चाहिए, उसको आने से रोका गया है। इसके पीछे राजनैतिक कारण मुख्य है। यह अनाज की मानवीय समस्या है, इसे विकृत रूप आज के समय में नहीं देना चाहिए। मेरा निवे-

(श्री दीपंकर).

दन है कि आप कुछ भी बहस कर लें, सरकार की जो नीति है, वह कृषि मंत्रीजी के वक्तव्य के रूप में आने वाली है और जो स्टाक उनके पास है वह जनता को मिलने वाला है, नया स्टाक तो वह पैदा नहीं कर सकते हैं। यहां बैठकर तो हमको यह तय करना चाहिए कि हम जिस जगह पर रहते हैं, उसके आसपास रहने वाले किसी व्यक्ति ने फर्जी राशन कार्ड बना रखे हैं तो वह किस-किस ने बना रखे हैं और जिन्होंने बनाये हैं उनके लिए मेरी नम्र प्रार्थना है कि उनको रोकें। जो चारित्रिक गिरावट आई है, उसको हम मिलकर ही रोक सकते हैं। हमारे दल को दोष देना कि वह महंगाई नहीं रोक सकी, गलत है। मेरी प्रार्थना है कि राजनैतिक पार्टी, दल के नेता मंत्रीजी के साथ बैठें, सरकार के साथ बैठें और एक नीति तय करें कि हमारे आदमी जो सरकारी मशीनरी में घुस बैठे हैं, या व्यापार करते हैं या बिचौलिये का धन्धा करते हैं, वह राष्ट्रीय संकट के समय कभी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे लोग भूखे मरें। मैं आशा करता हूं कि इससे व्यावहारिक हल होगा और समस्या का समाधान होगा। इतना ही मुझे निवेदन करना है; मुझे जो समय दिया उसके लिए मैं आभारी हूं।

**श्रीमती सभानेत्री :** खाद्य मंत्रीजी !

**श्री अमृतलाल गहलोत :** ऐसा है; मुख्य सचेतक ने उपाध्यक्ष महोदय के सामने मेरे लिए समय तय करने के लिए मेरा नाम दिया था।

**श्रीमती सभानेत्री :** नाम की सूची खत्म हो गई है। समय खत्म हो रहा है।

**श्री अमृतलाल गहलोत :** समय का आपने वितरण ढंग से नहीं किया।

**श्री खेतसिंह :** पार्टी की तरफ से नाम दिये गये हैं, उसमें आपका नाम सबसे ऊपर था, दस मिनिट का समय इन्हें दे दें।

**श्रीमती सभानेत्री :** समय बढ़ा दीजिये मुझे आपत्ति नहीं है।

**श्री अमृतलाल गहलोत** (जोधपुर) : सभापति महोदया, काफी टाइम चर्चा हुई परन्तु मुख्य रूप से जिस पर प्रकाश डालना चाहिए वह डाला नहीं गया है, दोष सारा राजस्थान सरकार पर मढा जा रहा है। परन्तु यदि समस्या की गहराई में हम जायं तो उसके कई कारण नजर आते हैं। मैं उन कारणों पर प्रकाश डालना उचित समझूंगा। अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राजकीय और प्राकृतिक। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर हमें पहले विचार करना होगा क्योंकि उसकी वजह से केवल हमारे देश में ही नहीं बल्कि सारे संसार में विकृत परिस्थितियां आ गई हैं। पहले खाद्यान्न का मामला बड़ा आसान था। विदेशों से हमें काफी मात्रा में गेहूं मिलता था, विशेष कर अमेरिका से पी. एल. 480 के अन्तर्गत, उसका हम पहले डालर में नहीं अपने सिक्के में पेमेन्ट करते थे। इस कारण हमें मालूम नहीं होता था कि देश में कितना कम उत्पादन हुआ है, कितना ज्यादा हुआ है क्योंकि मुंह मांगा मिल जाता था। जून, 1972 में अमेरिकन मार्केट में गेहूं 1.55 डालर पर बूसल, एक बूसल 8 गैलन का होता है; इतने गैलन माप का होता है और इसका वजन 30 किलो होता है। लेकिन सितम्बर, 1972 में अमेरिकन मार्केट में

( श्री अमृतलाल गहलोत )

गेहूं पांच डालर पर बूसल हो गया। पहले के भाव से लेते हैं तो पचास रुपये पर क्विन्टल पड़ता है। साथ-साथ शिपिंग के चार्जेज अमेरिका में 1972 में 10 डालर प्रति टन थे, वह 1973 में 30 डालर प्रति टन हो गये। इससे जो 50 रुपये प्रति क्विन्टल गेहूं आता था वह अब 150, 160 रुपये प्रति क्विन्टल में आता है। इसके साथ ही पी. एल. 480 के अन्तर्गत हमें नहीं मिलता है, उसका हमें विदेशी सिक्के में पेमेन्ट करना पड़ेगा, डालर में हमें पेमेन्ट करना होगा, अब पी. एल. 480 के अन्तर्गत गेहूं के लिए डालर देना है। दूसरे इस एक साल के बीच में अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियां चेंज हुईं, रूस भूखा, चीन भूखा, दोनों ने ही खरीदा अमेरिकन मार्केट से, भाव ऊंचे गये और हमें सस्ते में गेहूं मिला नहीं। हमारे यहां व्यापारी वर्ग को मालूम था कि हमारे देश में माल नहीं बिकेगा और आयेगा तो इस भाव में नहीं ले सकेंगे। उन्होंने अपना तरीका बदला और यहां पर भाव बढ़ाने का दौर चला और लगातार भाव बढ़ते गए। एक जुलाई 1972 को हमारे गोदामों में 10 मिलियन टन अनाज था, वह पिछले फरवरी, 1974 में ना के बराबर रह गया। सप्लाई लाइन बिल्कुल ड्राई हो गई। हमारे राज्य में 1970–71 में 88 लाख टन अनाज हुआ, 1971–72 में 63 लाख टन और 1972–73 में 51 लाख टन हुआ। 1970–71 में लकड़ी का कोयला महंगा और बाजरा सस्ता। बाजरा 28 प्रति क्विन्टल बिका और लकड़ी के कोयले का भाव उस समय 40 रुपए का था। भाव बढ़ते गए और उत्पादन का इस वर्ष अनुमान लगा सकते हैं। मैं समझता हूं 66–70 लाख टन के बीच इस वर्ष उत्पादन होगा।

गत वर्ष सितम्बर में एक दूसरी अंतर्राष्ट्रीय घटना हुई, वह भयंकर थी अरब इजराईल का युद्ध हुआ। उसके पश्चात् अरब देशों ने जहां पर दुनियां के तेल के सेन्टर्स हैं, एका किया। आज से 3 वर्ष पहले 1 डालर 28 सेंट के हिसाब से प्रति बेरल क्रूड आइल मिलता था। नवम्बर के महीने में जब हमने पैट्रोल के भाव बढ़ाए तो हमको 3.28 डालर के हिसाब से मिला और इस समय 8.48 प्रति बेरेल के हिसाब से है। लिबिया ने 20 डालर में प्रति बेरेल बेचा। योजना आयोग ने बताया है कि यदि 30 डालर प्रति बेरल के हिसाब से क्रूड आइल मंगायें तो हमें 1512 करोड़ विदेशी मुद्रा का इंतजाम करना पड़ेगा, न कार चलेगी न ट्रैक्टर चलेगा। पैट्रोलियम के दो उद्योग हैं—एक इनर्जी के रूप में और दूसरा रासायनिक के रूप में। रासायनिक के रूप में हमारा ज्यादा उपयोग बढ़ गया है। जितने फर्टि-लाइजर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आधे से ज्यादा नेफ्था से चलते हैं। टेरलिन कपड़ा नाइलान की सारी, मोटरकार, केमिकल्स। सारी चीजें पैट्रोलियम से बनती हैं। पैट्रोलियम के 16 गुना भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चढ़ गए। यहां एक लाख टन नाइट्रोजन का इन्तजाम करना था। रबी के लिए 64 हजार टन स्वीकृत हुआ उसमें से 50 हजार टन भी शायद नहीं है।

गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यूरिया का भाव दुगुना हो गया; आपको फर्टिलाइजर्स नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं ? हमारे यहां उत्पादन नहीं हो रहा

( श्री अमृतलाल गहलोत )
है, इम्पोर्ट क्यों नहीं हो रहा है ? क्योंकि उन देशों में पेट्रोलियम प्राडक्ट्स के भार से उत्पादन गिर चुका है। यह कोई समस्या हमारे लिए नहीं है, अंतर्राष्ट्रीय है। विशेषकर भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय भाव नहीं बढ़े। जब तेल के भाव 16 गुने हो गए, गेहूं के दुगने हो गए तो इसका भावों पर असर होगा।

अब मैं राष्ट्रीय परिस्थितियों पर आता हूं। हमने कोयला खानों का राष्ट्रीयकरण किया उससे जो मजदूर पहले प्राइवेट कंपनियो में काम करते थे, उनका साइकोलोजिकल चेंज नहीं, लेवर यूनियन्स ने उनका दिमाग खराव किया, उन्होंने उत्पादन गिराया, उनका अनुशासन गिराया, पेट्रोलियम की कमी आई, केरोसिन की कमी हो गई, नतीजा यह हुआ कि....

**श्री रामकिशन :** कोयले का उत्पादन बढ़ा। पिछले साल 7 करोड़ टन था। राष्ट्रीयकरण के बाद 8 करोड़ टन हो गया। तैयारी करके बोलो।

**श्री अमृतलाल गहलोत :** कोयले के उत्पादन के बारे में मैंने कहा, इसका मतलब शुरूआत के कुछ महीनों के बाद पिक-अप हुआ है। अब वह पिक-अप करने जा रहे हैं, साथ ही साथ उसको वाश करना पड़ता है तब मिलों के काम में आता है। आपने कहा चीनी का उत्पादन नहीं बढ़ा है, मैं कहता हूं 1947 में 11 लाख टन था इस साल 45 लाख टन है। आजादी के बाद चीनी का उत्पादन चौगुना और सीमेन्ट का 8 गुना बढ़ा है। गेहूं का राष्ट्रीयकरण कर दिया। पिछले साल राष्ट्रीयकरण किया। 7 लाख टन मार्केट में सरप्लस था। यदि हम राष्ट्रीयकरण की नीति को सही तरह से लागू कर पाते तो 7 लाख टन हमारे गोदामों में आना चाहिए था। सिर्फ 1.55 लाख टन आया, लक्ष्य था 3 लाख टन अर्थात् 5½ लाख टन प्राइवेट दुकानदारों के पास में रह गया, नतीजा यह हुआ कि राशन में कटौती हुई। सरकार ने किसानों के नाम....

**श्री मनोहरलाल :** किसान को लूटा है। 75 रु० प्रति क्विन्टल का माल आप 100 रु० में बेच रहे हैं; लूट किसानों की है। किसानो के पैर में जूता है; ऐसे नहीं देने वाला है एक छंटाक भी।

**श्री अमृतलाल गहलोत :** किसान को 100 रु० से ज्यादा नहीं मिला....

( दोनों माननीय सदस्य साथ-साथ बोलने लगे, अश्रव्य )

हम राष्ट्रीयकरण की नीति को दृढ़ता के साथ लागू नहीं कर सके; हम लोग ही दोषी हैं। भविष्य में क्या होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं, इस समय खरीफ का जो 1½ लाख टन का लक्ष्य था उसमें से 50 हजार टन कलेक्ट कर पाए हैं।

**श्री मनोहरलाल :** आपने 65 रु० प्रति क्विन्टल तय किया था भाव।

**श्री अमृतलाल गहलोत :** Grain is the currency of all the currencies.

( श्री अमृतलाल गहलोत )

यदि अनाज के भाव कन्ट्रोल नहीं कर पाते तो सारे भाव बढ़ जायेंगे। इसलिए क्या करना पड़ेगा, बाकी कम्पलीट राष्ट्रीयकरण तो संभव नहीं है।

श्री सभापति महोदय, आज हम देखें तो पता चलेगा कि हमारे यहां पर लोगों में जील नहीं है। हमारे यहां पर आप को डेडीकेटेड वर्कर्स नहीं मिलेंगे। सन् 1919 में जब रशिया लिबरेट हुआ था तब वहां पर भी एक बार उत्पादन घटा था लेकिन बाद में उत्पादन बढ़ना शुरू हुआ। तो हमें आज व्यावहारिक दृष्टिकोण से देखना चाहिये कि क्या असलियत है। हमारे सामने क्या-क्या मुश्किलें हैं। अभी खाद्य मंत्रियों की 15 मार्च को दिल्ली में कान्फ्रेंस होने वाली है उसमें काफी बातें डिस्कस होंगी। आज यह हम मानते हैं कि राष्ट्रीयकरण की अपनी जो नीति है वह शिथिल है। जो उत्पादन होता है और जो लेवी किसान को देनी चाहिये वह किसान दे नहीं रहा है। इस बार रबी की फसल में हमारे यहां पर 40 लाख हैक्टर जमीन में गेहूं बोया गया है, 15 लाख हैक्टर में चना बोया गया है और 6 लाख हैक्टर में जो बोया गया है। तो इससे जो उत्पादन होगा....

( 3.31 म. प. )

( श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पीठासीन )

श्री रामकिशन : वह सब खत्म हो गया है। फसल शीत लहर के कारण नष्ट हो गयी है।

श्री अमृतलाल गहलोत : तो उपाध्यक्ष महोदय, इस 40 लाख हैक्टर और 15 लाख हैक्टर व 6 लाख हैक्टर में जो टोटल अनाज बोया गया है उसमें गेहूं करीब 100 लाख एकड़ जमीन में बोया गया है क्योंकि 40 लाख हैक्टर सौ लाख एकड़ के बराबर होता है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि गेहूं, जौ चना ये तीनों चीजें हमारे लिये अनिवार्य हैं और इन तीनों चीजों को डाइवर्ट करके बोना चाहिये ताकि उत्पादन बढ़े। इस राष्ट्रीयकरण की नीति को सफल करने के लिये हमें तीन चीजें करनी जरूरी हैं। पहला इन अनाज की रेट तय की जाय। आज स्थिति ऐसी है कि किसान को अनाज उत्पादन करने में जो खर्चा होता है उतना उसे मिलता नहीं है। उसके लिये हमें किसान को इनसेन्टिव देना चाहिये, आप उसे अच्छी खाद दीजिये, अच्छे बीज सस्ती दरों पर दें, आप जो लोग अनाज लेवी के लिये देते हैं उन्हें आप नाइट्रोजन दें, पोटाश दें, अच्छे फर्टिलाइजर दें, ताकि उनको इनसेन्टिव मिले तो वह आपको लेवी देगा। इसके अलावा जब आप ने अच्छे भाव तय कर दिये और उन्हें इनसेन्टिव भी दे दिया तो फिर आपको किसानों के लिये कम्पलशन रखना पड़ेगा। अगर आप नेशनेलाइजेशन को सफलतापूर्वक चलाना चाहते हैं तो आपको यह करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी वही हालत हो जायगी, कि आपको अनाज नहीं मिलेगा। गोदामों में माल नहीं होगा और अगली खरीफ की फसल में जनता भूखे मरेगी। इसके लिये प्रेक्टिकल आसपेक्ट से देखना चाहिये। और एक रिअलेस्टिक व्यू लेकर चलना होगा। यह आपके आन्दोलन करने से काम नहीं चलता है लोकतन्त्र के लिये आप यह कह सकते हैं कि लोकतन्त्र जनता का और लोकतन्त्र जनता के लिये और

(श्री अमृतलाल गहलोत)
लोकतन्त्र जनता के द्वारा चलता है। लेकिन इसके लिये आपको रूल आफ लॉ देना पड़ेगा। जब तक हम लोग स्वशासन नहीं करेंगे तब तक आप डेमोक्रेसी को ठीक तरह से नहीं चला सकेंगे। आज आप लोकतन्त्र का सहारा लेकर आन्दोलन करते हैं और किसान को कहते हैं कि लेवी मत दो। व्यापारी को कहते हैं कि ब्लेक मार्केट कर, अनाज को महंगा बेच और सरकार को कहते हैं कि 12 किलो अनाज दो तो वह कैसे चलेगा। यह तो वह बात हो गयी कि चोर को कहो चोरी करो, मालिक को कहो कि जागते रहो और कुत्ते को कहो कि भूसो। तो फिर सरकार के पास कोई जादू का डन्डा तो है नहीं कि आपको अनाज लाकर दे दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल): आप दूसरों से अनाज लें। आपके जो कांग्रेसी बड़े-बड़े फार्मों के मालिक हैं उनसे लेवी वसूल करो। उन्हें आप सजा दो। बाजार में तो आप कहते हैं कि अगर अनाज महंगा बेचेगा मुनाफाखोरी करेगा तो उसे फांसी की सजा दी जायेगी उसको हथकड़ी लगाकर बाजार में घुमाया जायेगा। आप क्यों नहीं कांग्रेसी बड़े काश्तकारों को जो कि एम. एल. ए. बने हुए बैठे हैं उनसे अनाज लो। बाजार से काश्तकार से लेवी लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

श्री अमृतलाल गहलोत: मैं तो सभी के लिये कह रहा हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: अगर कांग्रेस के बड़े-बड़े फार्मों वाले अनाज दे देते तो जनता भूखे नहीं मरती और आपकी अनाज की राष्ट्रीयकरण की नीति सफल हो जाती।

श्री अमृतलाल गहलोत: मैं तो सभी की बात कर रहा हूं। आज आप जनता को उसके अधिकार बताने जाते हैं तो आपको उन्हें उसके कर्त्तव्य भी बताने चाहिये। आपने किसानों को खाद और बीज के देने की बात की और दूसरे उनके अधिकार बताये लेकिन आपने उनको कर्त्तव्य नहीं बताये। आप व्यापारियों को माल होर्ड करने का कहते हैं तो इस तरह से तो चलेगा नहीं। आज देश किस विषम परिस्थिति से गुजर रहा है उसमें हमको मिलकर काम करना चाहिये।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: आप व्यापारियों से मिले हुये हैं हम नहीं आपने व्यापारियों से सांठगांठ करके मुनाफाखोरो को बढ़ाया है और बातें आप ऐसी करते हैं कि जो मुनाफाखोरी करें उन्हें फांसी पर चढ़ा दो आप अपने लोगों को ही हथकड़ी डालकर क्यों नहीं घुमाते हैं जो अनाज की लेवी का विरोध कर रहे हैं और होर्डिंग कर रहे हैं।

श्री अमृतलाल गहलोत: आप मेरी बात सुनें आप शान्त रहें यह मेरा समय है। अगर उपाध्यक्ष महोदय देश में लोकतंत्र की रक्षा करना है तो हमें स्व-अनुशासन रखना पड़ेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव: ऐसे पेट नहीं भरता है। राशन चाहिये। राशन दो ताकि लोगों का पेट भरे। आज बड़े फार्म लेकर कांग्रेसी बैठ गये हैं

(घन्टी)

९०



**श्री अमृतलाल गहलोत :** उपाध्यक्ष महोदय, तो मैं निवेदन कर रहा था कि अगर हमें राष्ट्रीयकरण को सफल बनाना है तो जो मैंने सुझाव दिये हैं उन पर अमल करना पड़ेगा । और स्व-अनुशासन लोकतंत्र की रक्षा के लिए रखना पड़ेगा । बस इतना ही निवेदन करना है मुझे क्योंकि समय कम है ।

**श्री उपाध्यक्ष :** माननीय खाद्य मंत्रीजी ।

**श्री शिवचरण माथुर ( खाद्य मन्त्री ) :** उपाध्यक्षजी, राजस्थान में खाद्य की स्थिति के बारे में और खाद्य की वस्तुओं के बढ़ती हुई कीमतों के सम्बन्ध में आज करीब साढ़े तीन घण्टे तक इस सदन में बहस हुई । इस पक्ष के माननीय सदस्यों ने और उस पक्ष के माननीय सदस्यों ने दोनों ओर से माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात अपने-अपने ढंग से कही । सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने व्यावहारिक ढंग से अपने प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किये उनके लिये मैं उनका अत्यन्त आभारी हूँ । यहां पर बहस के दौरान एक बात का जिक्र आया और वह यह है कि इन सालों में काफी अनाज की कीमतों में ऐतिहासिक वृद्धि हुई है । विरोधी पक्ष के लोगों ने जो तर्क दिये उसका जवाब हमारे कांग्रेस के सदस्यों ने अपने जवाब दिये और मैं समझता हूं कि यहां पर जो चर्चा रही वह काफी अच्छी चर्चा रही । यहां पर सदन में सरकार की नीतियों की आलोचना की गयी । सरकार की नीतियों की अगर आलोचना होती है तो हमें एतराज नहीं क्योंकि स्वस्थ लोकतन्त्र के लिये राज्य सरकार की नीतियों की आलोचना होनी चाहिये, इससे प्रजातन्त्र में अच्छी परम्पराओं का निर्माण होता है । जिस प्रकार उस ओर से बैठने वाले माननीय सदस्यों ने अपने तर्क पेश किये तो इस ओर से बैठने वालों ने अपने पक्ष की बात अपने ढंग से कही । उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री रामकिशनजी ने जो इस सदन में आंकड़े और तर्क प्रस्तुत किये थे उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगा । उपाध्यक्ष महोदय, उन्होंने जो आंकड़े प्रस्तुत किये वह सन् 65-66 के हैं लेकिन मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहूँगा कि आज जो महंगाई बढ़ी है वह 65-66 से नहीं बढ़ी है बल्कि इन पिछले दो-तीन सालों से बढ़ी है । और यह महंगाई यहां पर हिन्दुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में फैल रही है । हां यह बात जरूर है कि उन्होंने अपने तर्क बड़े रोचक ढंग से प्रस्तुत किया, मैं यह नहीं कहता कि महंगाई नहीं बढ़ी और इसके अलावा मैं यह भी कहता हूं कि राष्ट्रीयकरण अनाज कमाने से जो हमें फायदे होने चाहिये वह पूरे हो गये । लेकिन आज आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं जैसा कि अमृतलालजी गहलोत ने बताया कि विदेशों से गेहूं हमें कितना महंगा पड़ता है । आज पी० एल० 480 से जो गेहूं हमें अमेरिका से पहले प्राप्त होता वह सस्ता प्राप्त होता था लेकिन आज वह गेहूं हमारे यहां पर जब अमेरिका से मार्केट में आयेगा उसके पहले कोर्ट तक पहुँचने में वह कम से कम 200 से लेकर 225 रुपये प्रति क्विन्टल पड़ेगा इसी प्रकार आई वगैरहा के बारे में भी काफी महंगा पड़ता है तो हमें आज इस गम्भीर स्थिति में इन सभी मामलों की

( श्री शिवचरण माथुर )

गम्भीरता से सोचने को जरूरत है और अगर हम इन सभी बातों को गम्भीरता से सोचे तो हम यह इन्कार नहीं कर सकते। वैसे बहस के लिये, विरोध के लिये आप इन्कार कर लें लेकिन वास्तविकता को समझने की चेष्टा करेंगे तो इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि मह गाई अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर है और उससे इन्कार नहीं किया जा सकता। यह बात हकीकत है कि कितनी इन्फ्लेशनरी कन्डीशन्स हमारे मुल्क में और दुनिया के अन्य मुल्कों में हैं। 1930 में जिस प्रकार की कन्डीशन्स थी, उसी प्रकार की कन्डीशन्स आज भी है। छोड़ दीजिये समाजवादी मुल्कों को जहां प्राइसेज के बढने का सिस्टम नहीं है, जहां पर प्राइसेज स्थिर हैं और कई माने में प्राइसेज नीचे आयी हैं किन्तु दुनिया के अन्य मुल्कों में प्राइसेज के बढ़ाने का ट्रेन्ड है उससे इन्कार नहीं कर सकते और उससे भारत वर्ष अछूता नहीं रह सकता है। यह भी नहीं भूलें कि हिन्दुस्तान की विशेष परिस्थितियां हैं।

भीनमाल से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से चर्चा की। एक बात हम भूल जाते हैं कि हिन्दुस्तान जैसे मुल्क की आबादी 25-26 वर्ष में 22 करोड़ बढ़ जाय दूसरी ओर हमारा कितना उत्पादन बढ़ा है आमदनी और उत्पादन में सामन्जस्य नहीं होने से कठिनाइयां आती हैं उनको आपको सामने रखना पड़ेगा। 71 में लड़ाई के कारण रक्षा व्यय पर भी खर्चा हुआ और जहां इस प्रकार का खर्चा होने का सवाल हो तो ये सारे ऐसे मसले हैं जिनको हमको देखना पड़ेगा आज के सन्दर्भ में।

मैं केवल टेक्निकल रिप्लाई नहीं देना चाहता हूं यह कह कर कि भारत सरकार से इतना अनाज मिलता है और उसको हमारे पास वितरण करने के लिये यह व्यवस्था है। भारत सरकार और हमारी जो जिम्मेदारी है उससे हम दूर नहीं होना चाहते। चाहे पार्लियामेन्ट में बयान दिये गये हों, चाहे अलग-अलग विधान सभाओं में बयान दिये गये हों, अभाव की स्थिति सारे देश में है। उसका मुकाबला करने के लिये हम क्या कदम उठाना चाहते हैं उसके लिये सरकार ने अपने तौर पर जहां तक सभव हो सका है प्रयत्न किया है और जो आपके सामने है।

राष्ट्रीयकरण की बात दोनों ओर से कही गयी है। राष्ट्रीयकरण को नहीं मानने वाले व्यक्तियों ने बताया कि राष्ट्रीयकरण को नहीं मानने का कारण यह हुआ है और मैं उनकी जानकारी के लिये यह बताना चाहता हूं कि गेहूं के टेक ओवर करने के बाद लक्ष्य में चाहे जितनी सफलता मिली हो, सारे देश में पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन के आधार पर करीब 2.19 करोड़ व्यक्तियों की, जो सोसाइटी के वल्नरेबल सेक्शन कहलाता है, उनको लाभ मिला है। जहां गेहूँ की कीमत 160 और 200 रुपये क्विन्टल तक पहुँच सकती हो लेकिन जो गरीब तबका है उसको सार्वजनिक वितरण व्यवस्था से लाभ मिल रहा है। बंगाल के अकाल के समय में अनाज की कोई कमी नहीं थी किन्तु उसको खरीदने की शक्ति लोगों में नहीं थी। इसलिये तीस पेंतीस लाख व्यक्ति भूख से मर गये। हिन्दुस्तान में उससे भी भयंकर अकाल पड़े हैं लेकिन यह नौबत

(श्री शिवचरण माथुर)
नहीं आयी है इसलिये कि गरीबों की खरीद शक्ति बढ़ाने के लिये अलग से प्रयत्न किये हैं उसका परिणाम यह हुआ है कि भयंकर से भयंकर कठिनाइयां हुईं, हम यह नहीं कहते हैं कि पूरी तरह से कठिनाइयों को दूर कर सकें हैं, किन्तु उनको बढ़ने नहीं दिया गया, जिससे कि कहीं अस्तित्व ही नहीं मिट जाय।

हर क्षेत्र में विकास हुआ है इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। रामकिशनजी कह रहे थे कि विकास नहीं हुआ। मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान को ही ले लीजिये, सन् 1951 में 10 लाख टन अनाज पैदा होता था।

**श्री रामकिशन** : उस समय 1.19 लाख एकड़ में खेती होती थी और इस समय 1.27 लाख एकड़ में खेती होती है।

**श्री शिवचरण माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मुझे पूरी तौर से पहले कह लेने दिया जाय।

**श्री गुमानमल लोढा** : विकास की बात को तो आप फिर भी खुद कहेंगे। आप तो राशन की ही बात बताइये कि इसके लिये आप क्या व्यवस्था करने वाले हैं। कौनसा वह आमूलचूल परिवर्तन किया है जैसा कि आपने कहा था। 10-12 किलो धान प्रति व्यक्ति किस प्रकार से मुहैया होगा, यह बताइये आप तो। लम्बे-चौड़े भाषण तो होंगे फिर।

**श्री शिवचरण माथुर** : मुझे खेद है कि प्रजातन्त्र में विश्वास करने वाले यह नहीं समझते हैं कि दूसरे की बात को भी शान्ति के साथ सुन लें जब कि उनकी बात को बहुत ही शान्तिपूर्वक सुना गया है।

**श्री गुमानमल लोढा** : महंगाई और धान के विषय में जो प्रश्न हैं उन पर आप प्रकाश डालें....

**श्री शिवचरण माथुर** : एक ही बात कह कर बैठ जाऊं यह क्या मतलब होता है?

**श्री परसराम मदेरणा** : जब भी आप बोलते हैं तो धान और राशन की बात करते हैं।

**श्री गुमानमल लोढा** : और क्या बात करें? यह अहम प्रश्न है।

**श्री परसराम मदेरणा** : मन्त्री महोदय रिप्लाई दे रहे हैं तो आप शान्ति से सुनिये। आप इस प्रकार से गलत परम्परा पैदा कर रहे हैं सदन में। फूड मिनिस्टर जब भी बोलते हैं तो राशन की ही बात करते है। अभी जोधपुर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे "चोर को कह चोरी कर, मालिक को कहे जागते रह और कुत्ते को कह भुस"। पहले आप माननीय मन्त्रीजी की बात को सुन लीजिये।

**श्री गुमानमल लोढा** : खाद्य मन्त्री को कहने दीजिये।

**श्री परसराम मदेरणा** : मैं खाद्य मन्त्री नहीं हूं। मन्त्री होने से, सदन का सदस्य होने से सदन में कहने का राइट है। To the members of this august house.

श्री गुमानमल लोढ़ा : आप आपने अनुभव से इन्टरवीन कर सकते हैं।

श्री परसराम मदेरणा : डिस्टर्ब मत कीजिये।

श्री पूनमचन्द विश्नोई : आपका वजन तो बढ़ा है, घटा नहीं है।

श्री शिवचरण माथुर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मैं बहुत लम्बा नहीं बोलूंगा। मेरी बात को सुन लिया जाय और उसके बाद जो कुछ भी आप प्रश्न पूछे मैं उसके लिये तैयार हूं। हम बहुत ही शान्ति से सुने, चाहे कई प्रहार करें। अनर्गल तरीके से कहते जांय और उनको सुनते जांय और जब हम अपनी बात कहना चाहते हैं तो आप दो-चार मिनिट भी नहीं सुनना चाहते। यह कौनसा प्रजातन्त्र आप कायम करना चाहते हैं? इसका मतलब यह है कि आप तानाशाही में विश्वास करते हैं। सदन में भी तानाशाही करना चाहते हैं। बहुमत में होते हुए भी ....

श्री गुमानमल लोढ़ा : आपकी उदारता नहीं है। हमको जनता के सामने फेस करना पड़ता है। हमको आपको राशन के लिये कहना ही पड़ेगा। आप गलत बात कह कर अवाइड करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप ऐसा न करें।

श्री शंकरलाल : गलत परम्परा मत डालिये।

श्री रघुनाथ विश्नोई एवं कई माननीय सदस्य : (एक साथ बोलने पर अश्रव्य)।

श्री गुमानमल लोढा : आप उदारता की बात करते हैं।

श्री शिवचरण माथुर : भरतपुर से आने वाले माननीय सदस्य को एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि महंगाई के बावजूद भी कांग्रेस को मेन्डेट दिया है और उसका उदाहरण यू० पी० है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : यू० पी० में चुनाव जीत गये इससे राजस्थान की जनता की भूख नहीं मिट गयी है।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत : नीचे ही ताली बजवाओ।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : एक किलो चीनी, मिट्टी का तेल, 12 किलो अनाज यह कैसे देंगे इसके लिये क्या वितरण व्यवस्था है, यह बताइये आप ?

श्री शिवचरण माथुर : जो आप कहलवाना चाहते हैं वह मैं कहने वाला नहीं हूं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : अच्छे भाषणों से पेट नहीं भरेगा।

श्री शंकरलाल, गिरधारीलाल : (एक साथ बोलने से अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल : प्रारम्भ में ही निवेदन किया था कि जब तक वितरण प्रणाली नहीं सुधरेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आॅर्डर प्लीज।

(कई माननीय सदस्य एक साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

आॅर्डर प्लीज! आॅर्डर प्लीज! माननीय सदस्य; माननीय सदस्य!

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : कितना ध्यान देंगे ?

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : बाहर जाकर आप ताली बजवाइये।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : जिनको बेरोजगार कर दिया। राशन की वास्तविक व्यवस्था करना चाहते हैं या नहीं।

**श्री शिवचरण माथुर** : आज तक यह परम्परा रही है कि जब इस प्रकार की बात हुई है तो सदन में इसको अच्छा नहीं माना गया है। कोई बोल रहा है उसको टोकना और बोलने नहीं देना यह सदन की कभी परम्परा नहीं रही है। यदि आप नयी परम्परा कायम करना चाहते हैं तो इसके लिये सदन को सोचना होगा।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : सोचें। राशन की व्यवस्था होनी चाहिये।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ! ऑर्डर प्लीज !

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : आपका नैतिक कर्त्तव्य है।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : ऑन ए पोइन्ट ऑफ ऑर्डर सर। बार-बार माननीय सदस्य डिबेट में इन्टरवीन करते हैं। यू० पी० में हारने से खीज बढ़ गयी है। ये जिस जगह हो आये हैं अपने आप को बहुत बड़े नेता के रूप में वहां समझ कर आये हैं। जनसंघ के बड़े-बड़े नेता तो वहां गये नहीं थे। ये ही बड़े नेता बन कर गये थे वहां। बड़ा प्रचार हुआ था वहां इनका। अब यह बात अलग है कि जिस जिले में ये गये वहां की सभी सीटें ये हार गये।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : बहुमत के अभिमान में आप अगर मेरा मुंह बन्द करना चाहें और निकालना चाहें तो निकाल दें। आप पांच साल के लिये निकाल दें। तब भी जनता की आवाज उठाने से रुकने वाला नहीं हूं। लोग जो आज अन्नाभाव और महंगाई से कष्ट पा रहे हैं उनका कष्ट रखना मेरा कर्तव्य है। आपकी ये धमकियां मुझे कर्तव्य से हटा नहीं सकती। मैं 31 रुपये के लिये यहां बैठने वाला नहीं हूं। लोगों को पूरा-पूरा राशन मिलना चाहिये।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : उत्तरप्रदेश की बात आप बार-बार कह रहे हैं। वहां जितनी सीटें कांग्रेस के पास पहले थीं उससे 80 इस बार कम हुई हैं। कांग्रेस वहां हारी है; जनता ने कांग्रेस को पतला बना दिया है वहां। जब कि हमारी 21 सीटें पहले से बढ़ी हैं। 33 प्रतिशत वोटों से आपने वहां पतला सा बहुमत अपना बनाया है। आप किस मुंह से बढ़ चढ़कर बातें करते हैं। यह तो हाल आपका तब है जब आपने अपनी केन्द्र की सारी ताकत लगा दी। पैसा पानी की तरह बहाया है, किसी तरह के भ्रष्ट आचरण को आपने छोड़ा नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनावों का विश्लेषण कर लिया जावे। एक डिबेट उसी के लिये रख ली जावे। पता लग जावेगा तब कि कौन हारा है और कौन जीता है। भ्रष्ट हथकंडों से जो थोड़ा बहुत पतला बहुमत ले लिया उसी पर इतरा रहे हैं।

**श्री केदारनाथ** : ऑन ए पोइन्ट ऑफ क्लेरिफिकेशन सर। एक बात कहना चाहता हूं कि श्री बी० एन० ने मथुरा में

( श्री केदारनाथ )

जितने पेड़े खाये हैं उतने भी वोट नहीं दिला पाये हैं। ये पेड़े ही पेड़े खाते रहे हैं।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : आपको केवल 30 प्रतिशत ही वोट तो मिले हैं उत्तर-प्रदेश में।

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : मैं तो लाना नहीं चाहता था उत्तर प्रदेश का जिक्र।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : 70 प्रतिशत ने खिलाफ वोट दिये हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : ग्रोन ए पोइन्ट ऑफ ब्रीच आफ प्रिविलेज।

श्री केदारनाथजी जिस कमेटी के मेम्बर हैं उसका एक सिक्रेट आउट कर दिया है। पेड़े खाने वाला।

**श्री शिवचरण माथुर** : तो एक बात मैं दृढ़तापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने अगर अन्न व्यापार का राष्ट्रीयकरण नहीं किया होता तो हालत बहुत भीषण होती। राष्ट्रीयकरण की नीति बहुत मजबूत नीति है। इस को दृढ़तापूर्वक आगे चलाया जावेगा। इसको वापस लेने का सवाल पैदा नहीं होता। चाहे कोई कितना ही प्रयास करे। समाजवाद की तरफ बढ़ने का हमारा संकल्प दृढ है। इस समाजवाद की नीतियों को आधार बनाकर हमने देश में चुनाव लड़े हैं और गरीब लोगों ने इस समाजवाद के सिद्धान्त को उचित पाया है। अगर राष्ट्रीयकरण की नीति नहीं अपनाई जाती तो पिछले दो सालों में जमाखोरों और मुनाफाखोरों ने जो रोल अदा किया है उससे वे सारे देश में बंगाल वाली स्थिति पैदा कर सकते थे जो अंग्रेजों ने 42 में पैदा कर दी थी और जिसमें 33 लाख आदमी भूख से तड़प कर मर गये थे।

यह ठीक है कि हमारे काम में काफी त्रुटियां रही हों। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारे से गलतियां नहीं हुई और हमें अपनी नीति में 100 प्रतिशत सफलता मिली। खामियां रही हैं। वे हमारे ध्यान में हैं। उनको दूर करने की तरफ हमारे प्रयास निरन्तर जारी हैं। देश की वर्त्तमान हालात को देखते हुए और यहां की परिस्थितियों के सन्दर्भ में यह हम निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हम आगे बढे हैं। हमारे कदम आगे बढ़े हैं। आप इस भ्रम में न रहें कि तरह-तरह की बातें कह कर हमारे कदम पीछे मोड़ सकेंगे। समाजवाद के हमारे रास्ते पर चल कर हमें सफलता मिलने वाली है क्योंकि देश की जनता हमारे साथ है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : आपके राष्ट्रपति ही आपके साथ नहीं हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीयकरण फेल हो गया है अनाज का। आपका वितरण का सिस्टम भ्रष्टाचार से ओतप्रोत है। इसमें आप सभी लिप्त हैं।

**श्री शिवचरण माथुर** : महंगाई का असर सारे देश पर पड़ा है। आदरणीय रामकिशनजी ने मुद्रास्फीति को दोष दिया है। मुझे अफसोस है कि उनके जैसा विद्वान आदमी ऐसी बात कैसे कह गये हैं। वे जानते हैं कि अंग्रेज जब यहां से गये तो यहां सूई भी नहीं बची थी। सारे विकास के काम हमें करने पड़े। चिकित्सा, सड़के,

96



( श्री शिवचरण माथुर )
बिजली, उद्योग, मशीनों का निर्माण, सिंचाई के साधन बड़े-बड़े बान्धों का निर्माण आदि सभी काम हमें नये सिरे से करने पड़े, खजाना खाली था।

**श्री भानुकुमार शास्त्री :** 1600 करोड़ रुपया छोड़ गये थे वे तो। उस समय।

**श्री शिवचरण माथुर :** तो उस वक्त हम क्या करते। जितना पैसा हमारे पास था उससे यह काम होना सम्भव नहीं था। हमारे नेताओं ने बड़ी एम्बीशस प्लान्स बनाई देश को तेजी से आगे बढाने के लिये योजनाबद्ध तरीके से। तो स्वाभाविक था मुद्रास्फीति का बढ़ना। तो रामकिशनजी के मुंह से यह बात सुनकर दुःख हुआ। जनसंघ के साथी यह बात कहते तो समझ में आ सकता था। वे योजनाबद्ध विकास में विश्वास रखने वाले हैं।

**एक माननीय सदस्य :** सच्चे समाजवादी तो वे ही हैं। आप तो ढोंगी हैं।

**श्री शिवचरण माथुर :** यह हमारी पांच योजनाओं के कारण है। पर साथ ही हमने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं वे कम नहीं हैं। जहां देश में सूई भी नहीं बनती थी, आजादी के बाद वहां देश में अपने लोकोमोटिव बनने लगे हैं, हवाई जहाज बनने लगे हैं, बड़े-बड़े कारखानों के लिये कई प्रकार की हैवी मशीनरी बनने लगी है, पानी के जहाज बन रहे हैं, ट्रैक्टर, टैंक आदि सभी बन रहे हैं। हजारों लाखों की संख्या में चिकित्सालय खोले हैं, शिक्षा का प्रसार किया है। और यह सारा योजनाबद्ध तरीके से किया गया है और यह किया जा रहा है। कोई भी समाजवाद में विश्वास रखने वाला इनसे इन्कार करके नहीं चल सकता। मैं दावा नहीं करता कि क्रियान्वयन में खामियां नहीं रहीं। पर मौलिक रूप से हम हमारी नीतियां सही है और आगे बढ़ाने वाली हैं।

हमारे सामने कई संकट आये। जिसने हमारी प्रगति की रफ्तार को रोकने में अड़चनें डाली। इनसे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। बंगला देश की पाकिस्तान की लड़ाई हुई। पाकिस्तान की लड़ाई एक वास्तविकता है। 62 में भी लड़ाई हुई यह भी वास्तविकता है। इससे पहले हमने कल्पना नहीं की थी थी कि हमारा पड़ौसी देश हम पर हमला करेगा। हमारा 300 करोड़ का रक्षा बजट था। हमने कभी कल्पना नहीं की थी हमारा पड़ौसी मुल्क हम पर हमला करेगा लेकिन चीन ने हम पर 62 में हमला किया, चीन से पहले हमारे अच्छे सम्बन्ध थे। 62 में चीन के आक्रमण के बाद हमने सोचा हमारी आजादी को अक्षुण्ण बनाये रखना है और अक्षुण्ण बनाये रखने के लिये हमें हमारी सीमा सुरक्षाओं को दृढ़ करना है चाहे देश के अन्य दूसरे खर्चों में कमी करनी पड़े और आपने देखा होगा उसी का परिणाम था, हमें सफलता मिली....

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** यह चुनाव सभा तो नही है....

**श्री शिवचरण माथुर :** मैं तो आपको वास्तविक तथ्यों की जानकारी....

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** अनाज पर शायद आप पौने पांच बजे बोलना शुरु करें ताकि कोई कुछ कह नहीं सके।

**श्री शिवचरण माथुर** : मैं निवेदन करूंगा हमारी रक्षा पर खर्चा बढ़ाने का परिणाम यह था कि हमें 65 में सफलता मिली। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नये देश के अभ्युदय के लिये हमारी रक्षा पंक्तियों ने काफी अच्छा काम किया। 65 में आपने देखा होगा हमें पाकिस्तान की लड़ाई में सफलता मिली। दूसरे पाकिस्तान के युद्ध को भी आपने देखा सात करोड़ वाली आबादी का देश आजाद हुआ। उसके बाद से हिन्दुस्तान की अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति बढ़ी है। हमारे देश की नीतियों की ख्याति बढ़ी है। सन्-1971 में देश की सब पार्टियां एक होकर कहती थीं देश को एक अच्छा नेतृत्व मिला है। जनसंघ के अटलबिहारी जी कहते थे इन्दिराजी देवी है, चन्डी देवी है और उन्होंने देश को बचा लिया। उन सब बातों को हमें समझना होगा। केवल एक पहलू को देखकर ही कोई हल नहीं निकालें। राजस्थान प्रदेश की भिन्न-भिन्न स्थितियां हैं। आप जानते हैं पिछले वर्ष तीन लाख टन के व्हीट के टेक-ओवर करने का लक्ष्य रखा गया था। हम जानते हैं हमारी पूरी तैयारी नहीं थी लेकिन हम यह जानते थे कि गेहूं इकट्ठा नहीं करते हैं तो पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम समाप्त हो जायगा। हमने प्रशासन के तन्त्र में हमने हिम्मत से एक कदम उठाने की कोशिश की। एक लाख टन, एक लाख 46 हजार टन के बदले लक्ष्य की प्राप्ति की। यह प्राप्ति भी काफी सन्तोषजनक कही जा सकती है। उसके बाद खरीफ का सवाल रखा। आज जितना माल सरप्लस है उसको किसी आधार पर किसान से लेने की बात करें। यहां यह भी कहा गया कि अनार्थिक जोतों पर लेवी लगा दी गई है। मैं कहता हूं हमने उसको छोड़ा है। एक हैक्टेयर भूमि की ज्वार, मक्का को छोड़कर जो बाकी है उस पर नोमीनल लेवी लगाने की कोशिश की। मैं बहुत नम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं जिन पार्टीज का सिद्धान्त हमारे से समान था और जो हमारी नीतियों पर विश्वास करते हैं उनको फील्ड पर जाकर उस लेवी के मूवमेंट के कार्य में हमारी मदद करते लेकिन यहां तो एक सस्ते विरोध करने की बात आती है और वह किया गया। सामने वाली पार्टी....

**एक माननीय सदस्य** : कौनसी पार्टी है, नाम बतादें।

**श्री शिवचरण माथुर** : मार्क्सवादी हैं। उन्होंने कई जगह विरोध किया। जनसंघ विरोध करे तो समझ में आ सकता है, लेकिन मार्क्सवादी पार्टी जिनका सिद्धान्त से कोई विरोध नहीं है, केवल विरोध की दृष्टि से विरोध करें तो यह समझ में नहीं आता है। जो इस तरह के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं तो आज राजस्थान में जिस लेवी लगाने की बात की, प्रोड्यूसर पर लेवी लगाने की बात की उससे उनका विरोध नहीं होता। प्रोड्यूसर और सरकार का सीधा सम्बन्ध नहीं रहता तब तक यह बिचौलिये गड़बड़ी करने से बाज नहीं आयेंगे। प्रोड्यूसर और सरकार का सम्बन्ध बन जाय तो सरकार की लाबी इतनी बन जायगी कि अच्छे आधार पर मान सकेंगे और उसको सारे हित समझ में आ जायेंगे लेकिन इस बात को समझा नहीं गया।

(श्री शिवचरण माथुर)

लेवी का टारगेट बहुत कम सामने आया। मुझे आश्चर्य लगता है कुल मिलाकर 43 हजार टन लेवी वसूल कर पाये हैं। खैर ठीक है लेकिन कहते भी हैं जोर जबरदस्ती क्यों नहीं की। हम तो एक समझाने के तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि पिछली बार प्रोड्यूसर पर लेवी लगाई जो आंकड़े इकट्ठे करने थे वे भी नहीं हुये। समझाने के तरीके से लेवी लेना चाहते हैं। जो लोग विश्वास करते राष्ट्रीयकरण की नीति में, समाजवाद की नीति में और सारे खाद्यान्न की नीति को टेक-ओवर करने की नीति में विश्वास रखते हैं वे फील्ड में जाकर मदद करते तो जो लक्ष्य रखा था उससे ज्यादा अचीव कर सकते थे। जो इस बात पर विश्वास करते हैं उनकी मदद मिलनी चाहिये। उनसे हम अपेक्षा करते हैं कि वे सहायता करें और हमारी नीतियों को सफल बनाने की कोशिश करें।

अब सवाल यह आता है कि बार-बार यह कहा जाता है कि तीन किलो को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। हम इसको छिपाना नहीं चाहते हैं। जब तक पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम है, जितना प्रोक्योरमेंट कर पायेंगे और जितना हमारा क्रम है भारत सरकार की भी अपने आप में सीमायें हैं। वह भी उसी सीमा में अनाज दे सकती है क्योंकि जितनी राज्य सरकारें हैं वह इकट्ठा करके नहीं देंगी तो भारत सरकार की स्थिति यह नहीं बन पायेगी कि आवश्यकतानुसार दे दें। मैं यह कहना चाहता हूं जैसा गहलोत साहब ने कहा और बताया कि 73 के प्रारम्भ में स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। हम कहना नहीं चाहते लेकिन कहना पड़ता है हम अमेरिका के पास गये लेकिन वहां से भी अच्छा उत्तर नहीं मिला और बाद में रूस ने मदद की। उसने बिना किसी राजनैतिक शर्त के मदद दी। अब कितना आया और कितना नहीं आया, उसमें कुछ परेशानी हो सकती है लेकिन दोस्ती और मित्रता का अन्दाज तभी हो सकता है जब कोई मुल्क सचाई और ईमानदारी से संकट के समय मदद करें।

हम पसन्द नहीं करते हैं दूसरे देश से मंगायें लेकिन किसी वक्त मुश्किलात आ जाती हैं। यह मुश्किलात बड़े-बड़े देशों में आई हैं। चीन में भी मुश्किलात आई हैं, रूस में भी मुश्किलात आ जाती हैं। प्राकृतिक प्रकोप होते हैं, कोई फोरकास्ट नहीं कर सकता है। जो देश मदद करता है, मैं समझता हूं हमें उसके लिये कृतज्ञ होना चाहिये, अहसानमंद होना चाहिये। जो ऐसे मौके पर मदद करता है जब हमें आवश्यकता है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जहां तक बारबार इस बात को कहा जाता है कि आप तो सीधी घोषणा कर दें और 10 किलो राशन देने वाली बात कही थी। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि 10 किलो राशन देने की बात अव्यावहारिक होगी। मैं कहता हूं कि जब तक हमारे पास केन्द्रीय सरकार से अलाटमेंट में ज्यादा नहीं आयेगा तब तक झूठी बात कह कर यहां माननीय सदस्यों के सामने कोई बात नहीं कहना चाहता हूं। हमने स्पष्ट रूप से कहा है और मैं बताना चाहता हूं कि कल प्रश्नोतर काल में कई बार कहा गया कि अलग-अलग जिले में आपने डिस्पेरिटी क्यों रखी

(श्री शिवचरण माथुर)

है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्योंकि आज मुझे कहने का मौका मिला है और प्रश्नोत्तर काल में उधर से ही जो बातें हुई तो कोई गरुड़ पुराण पढ़ा गया और मुझे कोई कहने का मौका नहीं मिला। मैं कहना चाहता हूं कि आप देख लीजिए कि हमने जहां-जहां भी थोड़ा बहुत फर्क रखा है किसी जिले में तो उसका आधार मैं ब्राडली बताना चाहता हूं यह है कि जहां मार्केट में किसी जिले में प्राइस हमारे डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के मुकाबले में मेच खाती है तो वहां अलाटमेंट को हमने कम कर दिया है। और जहां प्राइस बहुत ऊंची थी और जहां अनाज नहीं मिल रहा था वहां हमने ज्यादा देने की कोशिश की है और मैं समझता हूं कि यह व्यावहारिक बात है क्योंकि एक जिले में आपको उस कीमत पर अनाज मिल जाये तो क्या हर्ज है कि वहां भी उतना ही दिया जाये जितना कि महंगे वाले जिले को दिया जाये। तो मैं इसको इन्कार नहीं करता कि कहां-कहां पर अलाटमेंट जितना होना चाहिए डिस्ट्रिब्यूशन के आधार पर वह नहीं हुआ है। उसको इन्कार नहीं किया जा सकता लेकिन उसका जो ब्राडली आधार है वह मैंने निवेदन किया और आप सहमत होंगे कि अनाज कहीं से मिलना चाहिए।

अब यहां पर स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य मीठालालजी ने कई बातें व्यापारियों के सम्बन्ध में कही कि उनको यों परेशान किया जा रहा है, यों परेशान किया जा रहा है, मैं उनसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी नीति किसी भी समय हो, स्थिर नहीं हो सकती। हमारा राष्ट्रीयकरण में विश्वास है, हमारा फूड ग्रेन को टेक-ओवर में विश्वास है लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं जब कि हमें थोड़ा सा व्यावहारिक दृष्टि से एडजस्ट करना पड़ता है और उसके पीछे मूलतः आधार यही रहा है कि बाजार में किसी तरह से भी अनाज उपलब्ध हो। आज जिस प्रकार से जमाखोर, मुनाफाखोर और दूसरे लोग सरकम्वेन्ट करके प्राइसेज को ऊंचे ले जाना चाहते हैं वहां हम थोड़ा सा रिलेक्स करके कन्डीशन्स में हम यह चाहते थे कि जहां अनाज की बहुत कमी है वहां उपलब्ध हो। तो हमने कई आर्डर्स ड्राफ्ट किये और महीने, डेढ़ महीने में हमने आर्डर्स को बदला है लेकिन व्यावहारिक नीति के आधार पर बदले हैं। हमने महसूस किया कि जमाखोरी को रोकना है और उसके बाद सोचा कि माल इधर-उधर नहीं आ रहा है और कई जिलों में खास तौर से राजस्थान के पश्चिमी इलाके में जहां कमी थी और मक्का गल गयी थी वहां उपलब्ध नहीं हो रहा है तो वहां हमने छूट भी दी। लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि हम हमारी नीतियों से पीछे हट गये हैं। हमने व्यावहारिक दृष्टि से जब भी आवश्यकता हुई हमारी नीतियों को फ्लेक्सीबल रखकर इस बात की कोशिश की कि आज के सन्दर्भ में अधिक से अधिक लोगों को अनाज की उपलब्धि करा सकें....

श्री लक्ष्मणसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्री महोदय मुझे क्षमा करेंगे एफ. सी. आई. के द्वारा जिस भाव से अनाज खरीदा जाता है और जिस भाव से बेचा जाता है यह मुनाफाखोरी नहीं है?

Page No 100

(100)



**श्री शिवचरण माथुर** : मुनाफाखोरी बिल्कुल नहीं है।

**श्री लक्ष्मणसिंह** : चना 125 रुपये के भाव से खरीदा और 225 रुपये के भाव से बेचा मेरी समझ में नहीं आता कि मुनाफाखोरी की कौन सी दुम लगी।

**श्री शिवचरण माथुर** : मैं निवेदन कर देना चाहता हूं जब चने के भाव 215 रुपये चल रहे थे उस समय जो चना हमारे पास था उसका हमने डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम से फरवरी में 125 रुपये के भाव से बेचा है। वहां मुनाफाखोरी कहां होती है ?

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : किस भाव से खरीदा ?

**श्री शिवचरण माथुर** : 85 रुपये के भाव से खरीदा। मुनाफाखोरी उसको कहते हैं कि 200 रुपये के भाव पर मिल रहा था और 200 रुपये के भाव से ही बेचें हमारा उस पर जितना खर्चा आया है उसके हिसाब से देख कर किया है। मुझे मालूम नहीं एफ. सी. आई. वालों का खर्चा ज्यादा हो सकता है। मैं छुपाना नहीं चाहता हूं लेकिन उन परिस्थितियों के बावजूद भी मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने मुनाफाखोरी नहीं की है और हमारे और बाजार के भाव में जिस समय हमने चना दिया उसका फर्क 80 रुपये था। याने ओपन मार्केट से 80 रुपये कम में दिया।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि आवश्यकता इस बात की है जो कुछ मिलता है उसको किस तरह से अच्छे तरीके से वितरण करें यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। हम राशन का स्केल बढ़ाने में आज के समय में अपने आपको असमर्थ पाते हैं। हम महसूस करते हैं कि जब तक हमारा लेवी के सिस्टम से अनाज इकट्ठा न हो या भारत सरकार से आवंटन नहीं हो तब तक हम नहीं बढ़ा सकते। आज माइलो की बात है। एक सवाल के उत्तर में कहा था ...

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : आपसे मांग की है कि जो मौजूदा स्टाक है, इस स्टाक को फूड ग्रेन एन्टी-होडिंग कानून के नीचे टेक ओवर करने का प्रावधान है। आप बढ़ा नहीं सकते तो क्या आप चाहते हैं कि लोग मार्केट पर निर्भर करें ? आप चाहते हैं कि अनाज को 100 के बजाय 200 के भाव से बिकवाया जाये ? वरना आपकी और इनकी बात में कोई फर्क नहीं रहेगा।

**श्री शिवचरण माथुर** : यह सही बात है कि आपने कहा कि जो होर्डेड अनाज है उसको निकालना चाहते हैं। मैं जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करूंगा उस समय आपको बताऊंगा कि हमने पिछले दिनों में कितनी-कितनी जगह पर, अलग-अलग कानून के तहत अनाज के लिए कितने छापे मारे और इससे कितना अनाज आया और कितने लोगों को सजा दी गई। यह आंकड़े आपको दिये जायेंगे।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : राशन की मात्रा बढ़ायेंगे क्या ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : उसमें निवेदन यह है कि आप यह कह कर कि यह डिक्लेयर्ड स्टॉक है और इसलिए कानूनन है उसको छोड़ देते हैं। हमारा कहना है डिक्लेयर्ड है वह छिपाया हुआ नहीं है लेकिन 500 मन चना किसी के पास मई के महीने में खरीदा हुआ डिक्लेयर्ड है तो

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
उसको आप 226 रुपये के भाव से बेचने की इजाजत क्यों देते हैं? आप उसको लेकर 120 में क्यों नहीं बिकवाते हैं? जितना भी डिक्लेयर्ड स्टॉक है उसको आप टेक-ओवर कीजिये और फिक्स्ड प्राइस पर लोगों को राशन में दीजिये और आगे टेक-ओवर की स्कीम लीजिये—यही मांग है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** फिर चुनाव का चन्दा कैसे मिलेगा?

**श्री शिवचरण माथुर :** मौके पर जो भी शिकायत होगी उसके लिए कदम उठायेंगे।

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** आप सप्लाई नहीं करेंगे तो मतलब यह है कि आप पब्लिक को फ्री मार्केट पर छोड़ते हैं। यह नहीं कह सकते कि अनाज नहीं है। अनाज तो है लेकिन लोगों को कहते हैं कि मार्केट से खरीदो। जो मार्केट से खरीदने की बात करते हैं तो जो लोगों के पास स्टॉक है उसको लेकर राशन की दुकानों के जरिये क्यों नहीं बंटवाते? वरना उनको आप खुला छोड़ करके मुनाफाखोरी की इजाजत दे रहे हैं।

**श्री शिवचरण माथुर :** जब तक यह स्थिति है और मार्केट से पूरा करने वाली बात नहीं आती है तब तक ओपन मार्केट के ऊपर डिपेण्ड करना पड़ेगा। यह व्यावहारिक बात है। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो कुछ भी अनाज है या शक्कर है, हल्दी है या क्रूड ऑइल है जो कुछ भी राजस्थान में आता है उसके उचित वितरण की व्यवस्था हो, यह करने वाली बात है और इसके लिए मैं एक बात इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इन दिनों में इस बात की चेष्टा की है कि जहां-जहां पर भी वितरण व्यवस्था में गड़बड़ियां हैं उनको ठीक किया जाये और आम तौर पर यह कहा जाता था कि सप्लाई विभाग के कर्मचारियों में बहुत भ्रष्टाचार है और कई डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर्स भ्रष्ट हैं, एन्फोर्समेन्ट इन्सपेक्टर्स भ्रष्ट हैं, हमने इस बात की चेष्टा की कि जिन लोगों के बारे में आम तौर से यह रेपुटेशन थी कि उनकी इन्टेग्रिटी डाउटफुल थी उनके काम को हमने छीना है और 11 सप्लाई ऑफिसर्स को उनके काम से हटाया और उनकी जगह पर सीनियर आर. ए. एस. ऑफिसर्स को लगाया। कई जगह पर ऐसे एन्फोर्समेन्ट ऑफिसर्स और इन्सपेक्टर्स को सरप्लस किया और उनको काम से हटाया और हम कोशिश इस बात की कर रहे हैं कि जितनी अधिक से अधिक सख्ती से कार्यवाही कर सकते हैं उसको करने की हमारी तैयारी है।

मैं एक बात का विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जहां तक भ्रष्टाचार का सम्बन्ध है, इस विभाग से या इस विभाग के जरिए से....

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** ये जो एन्फोर्समेंट इंसपेक्टर और आफिसर्स हटाए गए है...

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** हटाए कहां गए हैं, ट्रांसफर किया है। डिस्मिसल नहीं किया है....

**श्री शिवचरण माथुर :** इनसे काम ले लिया है।

102



**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** किसी के अगेंस्ट एक्शन लिया है ? पिछले साल आपके फूड कमिश्नर ने 300 आदमियों को रिक्रूट किया था, कोई उसमें काइटेरिया नहीं बनाया गया। दस हजार एप्लीकेशन्स में से सब प्रिविलेज्ड क्लास के लोगों को ओब्लाइज कर बड़े लोगों के रिश्तेदारों को लगा दिया जिसमें अण्डर मेट्रिकुलेट और इस किस्म के लोग ग्रेजुएट भी हैं। पूरे तीन सौ लोगों का ब्लाक का ब्लाक है जो करप्ट ब्लाक है और उसको हटाया नहीं गया है।

**श्री शिवचरण माथुर :** इस प्रकार का ब्लाक है तो उसकी परफोरमेंस को देखकर उसके बेसिस पर एक्शन लेना चाहते हैं। फिलहाल मैं यही कह सकता हूं कि उनकी परफोरमेंस को देखने के बाद ही एक्शन लेना चाहते हैं। जैसा मैंने अभी निवेदन किया कि हमने एक्शन लिया है और आगे भी एक्शन लेना चाहते हैं.......

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा :** उस पर डिप्टी अपोइन्टमेंट सेक्रेटरी ने साइन नहीं किये। तीन आदमियों की कमेटी में कमिश्नर और एडीशनल कमिश्नर ने मिल कर अपने रिश्तेदारों को, प्रिविलेज्ड क्लास के लड़कों को अनाप-शनाप भर्ती कर दिया जिस पर डिप्टी अपोइन्टमेंट सेक्रेटरी के साइन नहीं है। क्या किया आपने जो आपके पास रिटर्न कम्पलेंट है उस पर ?

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** जो आपने 11 लोगों को हटाया है उसमें जयपुर का डी. एस. ओ. भी है तो क्या आपने जनता की शिकायत पर उनको हटाया है या केवल जनता का ध्यान बंटाने के लिए यह सब ढोंग किया है ?

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** अब फिर आप उनकी वकालत कर रहे हैं। फिर वही उल्टी बात। एक तरफ से उनको हटाने की मांग करते हैं और अगर हटाया है तो उनकी वकालत शुरू हो गई।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** सारे ही बेईमान हों ऐसी बात नहीं है। यह बात जनता का ध्यान हटाने के लिए की है....

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** किसी मिल मालिक के खिलाफ एक्शन हो गया तो गलत हो गया....

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** यदि कोई बेईमान है तो आप उसको सजा दीजिए....

( व्यवधान )

**श्री मीठालाल :** जयपुर के डी.एस.ओ. के खिलाफ जनता की कोई शिकायत नहीं है....

**श्री रामानन्द अग्रवाल :** किसी के खिलाफ एक्शन होता है तो उसकी वकालत शुरू। हम तो मांग कर रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं लेते हैं और आप कह रहे हैं कि एक्शन क्यों लिया। हमारी शिकायत है कि अभी तक एक्शन क्यों नहीं लिया गया.......

( शोरगुल : अश्रव्य)

ये तो इसी प्रकार से रोयेंगे, पीटेंगे और कहते रहेंगे कि फलां व्यापारी ईमानदार है और फलां ईमानदार है। बेईमान के खिलाफ भी एक्शन क्यों लिया....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रामानन्द जी खुद बड़े व्यापारी हैं। इनका पेट्रोल पम्प है जो ज्यादा पैसा लेते हैं। इन सबसे बड़े व्यापारी को, मुनाफाखोर को हटाइये।

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !! माननीय सदस्य !!!

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरा निवेदन यह है कि जो....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : इनका तो पेट ही इतना बड़ा टैंक है कि उसमें दस हजार गैलन पैट्रोल जाता है। पहले तो इसमें पंचर होना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं एक्शन की मांग कर रहा हूं और ये उसके खिलाफ वकालत कर रहे हैं....

श्री गिरधारीलाल भार्गव : रामानन्दजी के खिलाफ एक्शन लो जिन्होंने पेट्रोल के पैसे बढ़ा दिये हैं, जो पैट्रोल का ज्यादा पैसा ले रहे हैं जब कि बजट पास हुआ ही नहीं और इन्होंने ज्यादा पैसा लेना शुरु कर दिया....

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : अगर रामानन्दजी इल्लीगल काम कर रहे हैं तो भार्गव साहब पकड़ लें जाकर....

श्री रामानन्द अग्रवाल : मैं तुम्हें, गिरधारीलाल को मुकर्रर करता हूं....

(शोरगुल : अश्रव्य)

मैं चैलेंज करता हूं। हिम्मत है तो जो आरोप लगाया है सीरियस, उसकी खुद गिरधारीलाल इन्क्वायरी कर लें और इस हाउस में स्टेटमेंट दे दें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने ईमानदार डी. एस. ओ. को हटा दिया....

(शोरगुल : अश्रव्य)

आप सबसे बड़े व्यापारी हैं जो दो प्रकार का गेहूं रखते हैं। एक गेहूं सौ रुपये क्विन्टल का और दूसरा 106 रुपये क्विन्टल का। माननीय माथुर साहब इसी मार्च के महीने में....

(शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(शोरगुल)

माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !!

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपकी हवा महल की कांस्टीट्यूएन्सी में ही हजारों चोर गोदाम हैं उनको आपने पकड़वाया ?

श्री गिरधारीलाल भार्गव : कोरी वाह-वाही कमा रहे हैं। क्या एक्शन लिया है अभी तक आपने ? आपने तो गद्दारी की है जिसकी बदौलत आप चुनाव जीत कर आए हैं ...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !!

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपको त्याग-पत्र देना चाहिए, सदन में बैठने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा : आपको जहन्नुम में भेज कर त्याग-पत्र देंगे। पहले आपको

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)
ठिकाने लगायेंगे फिर त्याग-पत्र देंगे। अभी हमारा निशाना कुछ बकाया रह गया है, जिसमें कुछ आप लोग हो। यह बकाया साफ करके आपको ठिकाने लगायेंगे...

**श्री उपाध्यक्ष** : आॅर्डर प्लीज।

(शोरगुल : अश्रव्य)

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : यह तो कब्रिस्तान का दीपक है, मरघट का दीपक है।

(शोरगुल : अश्रव्य)

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : हम तो भारत माता का चित्र सामने रखते हैं, हम भारत माता का चित्र देखते हैं। तुम रूस का देखते हो।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : तो लोगों को प्रेरणा दिलाइये।

(शोरगुल : व्यवधान)

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : रूस में आप का वही हाल होता जो ख्रुश्चेव का हुआ है ख्रुश्चेव की तरह से आपका पता नहीं चलता। हिम्मत होती तो कांग्रेस के साथ मिल कर चुनाव नहीं लड़ते। त्रिशंकु की तरह से वर्णशंकर नहीं बनाये जाते।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : तुम में हिम्मत होती तो ..

(शोरगुल : अश्रव्य)

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : हम आपकी कृपा से जीत कर नहीं आये हैं।

**श्री उपाध्यक्ष** : माननीय सदस्य ! माननीय सदस्य !!

**श्री रघुनाथ बिश्नोई** : उपाध्यक्ष महोदय, ये लड़ते तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब बन्द करा दें।

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, प्रार्थना करूंगा कि इनका सिर तो साफ करा दिया जाये। (श्री भार्गव के सिर में गुलाल लगा हुआ था)

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : आप तो ..

**श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा** : हम तो लड़ेंगे पछाड़ेंगे और फिर लड़ेंगे।

**श्री मनोहरलाल** : यह नाटक ज्यादा नहीं चलने वाला है, अन्दर और बाहर।

(शोरगुल : व्यवधान)

**श्री उपाध्यक्ष** : आर्डर प्लीज।

**श्री शिवचरण माथुर** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य अगर सुनने की स्थिति में हैं तो कुछ निवेदन करूं।

हमने जमाखोरी को रोकने के लिये प्रयत्न किया है।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : माननीय मन्त्री महोदय, मैंने कुछ व्यापारियों की आपके पास लिस्ट भेजी थी।

**श्री शिवचरण माथुर** : सुनिये तो। मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि वितरण व्यवस्था के बारे में जो माननीय सदस्यों ने सुझाव दिये हैं, इसी प्रकार से और जो भी सुझाव देंगे, मैं निश्चित रूप से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनका उपयोग करके व्यवस्था में सुधार करने का प्रयत्न करूंगा। एक बात कल कही गई है

(श्री शिवचरण माथुर)

हमारे श्रीराम गोटेवाला ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते वक्त कहा कि इस व्यवस्था में कन्ज्यूमर्स को भी शामिल किया जाये। मैं सोच रहा हूँ, इसको कहां कैसे बैठाया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी वितरण व्यवस्था में हम अलग-अलग स्तर पर लागू करना चाहते हैं। मैं यह चाहता हूं कि प्राथमिक स्तर पर और मोहल्लों के आधार पर यह करना चाहिए। मान लीजिये भार्गव साहब के दल के लिए कर दिया जाये तो यह तो यही कहेंगे कि 3 किलो की बजाय 10 किलो कर दिया जाये। जब तक 10 किलो नहीं कर दिया जाये तब तक हम बांटेंगे नहीं। तो हमें यह देखना है कि कौन लोग हमारी वितरण व्यवस्था में मदद कर सकते हैं। लेवी के बारे में मैं कहना चाहूँगा कि कितनी ही जगह से गलत रिकार्ड करने की शिकायतें आई हैं। शीत लहर से भी नुकसान हुआ है। लेकिन आगे आने वाली योजना है उसके लिए अगर कोई पेशबन्दी करना चाहें तो यह उचित बात नहीं है। शीत लहर से जो नुकसान हुआ है, यह आगे होकर बात करते हैं, लेकिन यह मान लेना कि सारे राजस्थान की फसल चौपट हो गई है तो फिर सारे वितरण व्यवस्था के बारे में बात करना छोड़ दें। अगर अनाज इकट्ठा नहीं हो सकता है। अच्छी फसल होने के बावजूद इकट्ठा नहीं कर सकते हैं तो अनाज की अधिक मांग करना अनुचित है। जहां पर नुकसान हुआ है, वहां पर दरगुजर करना चाहिए। लेकिन जहां पर फसल हुई है, जहां अधिक से अधिक मिल सकता है, वहां प्रयत्न करना चाहिए। उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक बात कही है। उन्होंने कुछ व्यापारियों के बारे में कुछ आरोप लगाये थे। आरोप लगाये गये थे। मैंने सदन की सारी प्रोसीडिंग्स उठा कर देखने की कोशिश की है लेकिन मुझे कहीं आरोप नहीं मिले। अगर मिले तो यही कि उसने यह कहा, उसने वह कहा या इसने यह किया, उसने वह किया। अगर सही तरीके से इन्क्वायरी कराना चाहते हैं तो सही तरीके से सही फैक्ट्स दें। अगर किसी ने खराब काम किया है तो इन्क्वायरी हो जायेगी। जहां तक इन्क्वायरी का सवाल है, हम यह कभी नहीं चाहते हैं कि किसी को बचाया जाये। सख्त से सख्त सजा देने की व्यवस्था है। पाली में हम करा रहे हैं। आंकड़े हमारे पास हों तो हमें सुविधा होगी। वैसे किसी प्रकार का आरोप लगा देने से इन्क्वायरी तो होगी लेकिन वह कितनी सफल होगी, यह नहीं कहा जा सकता है। इसलिए जो आपके पास तथ्य हों तो वह आप भेज दें। उन पर कार्यवाही की जायेगी। जो बहुमूल्य सुझाव दिये गये हैं, उनके अनुसार व्यवस्था को ठीक करने के लिए हम प्रयत्न करेंगे।

**श्री योगेन्द्रनाथ हांडा:** मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : उपाध्यक्ष महोदय....

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो पहले ही बोल चुके हैं।

**श्री रामानन्द अग्रवाल** : मैंने राजस्थान बन्द के द्वारा 4 मांगें रखी हैं। आपने उनके बारे में कोई ठोस सुझाव नहीं दिया है। न ही टेकओवर करने की प्रतीज्ञा की है। न ही कब्जा करना चाहते हैं, न ही

( श्री रामानन्द अग्रवाल )

राशन जमा करना चाहते हैं, न ही जमाखोरों पर एक्शन लेने की बात की है। हां भर कर अमल करने की बात अभी भी नहीं कर रहे हैं। ऐसी गम्भीर स्थिति का मुकाबला करने की तैयारी के बारे में आप कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए प्रोटेस्ट के रूप में मैं हाउस से वाक आउट करता हूं।

( श्री रामानन्द अग्रवाल व भाकपा के माननीय सदस्यों द्वारा वहिर्गमन )

**श्री रामकिशन** : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो समाधान चाहता था। मैं देख रहा हूं कि आप अपनी नीतियों में सुधार नहीं कर सकते हैं। इसलिए इसके विरोधस्वरूप मैं सदन से बहिर्गमन करता हूं।

( श्री रामकिशन द्वारा बहिर्गमन )

**श्री प्रद्युम्नसिंह**: ये दावत में जा रहे हैं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा**: मैं सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक तो यह है.... ...

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत**: बीच-बीच में सप्लीमेन्ट्री होते रहे, अब क्या बाकी रह गया।

**श्री गुमानमल लोढ़ा**: क्या मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे, उन्होंने पिछले सत्र के भाषण में कहा था कि मैं आमूल-चूल परिवर्तन करूंगा और पब्लिक का इन्वाल्वमेंट करूंगा....

**श्री सज्जनसिंह**: Point of Order Sir. When the Minister has already replied to the debate, what is the supplementary about?

**श्री मीठालाल**: हिन्दी में बोलें।

**श्री गुमानमल लोढ़ा**: Supplementary about the debate itself.

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने आमूलचूल परिवर्तन करने की घोषणा की थी? उसके बाद में क्या स्टेप्स आमूल-चूल परिवर्तन के लिए लिए? दूसरी बात जानना चाहता हूं कि फूड एडवाइजरी कमेटी बनी हुई है, क्या टेक-ओवर करने के पहले पोर्टफोलियो के उनको डिफंक्ट कर दिया या आपके आदेश के विरुद्ध उनकी मीटिंग नहीं बुलाई जा रही है? नम्बर दो। नम्बर 3, पब्लिक वितरण व्यवस्था के अन्दर आप दस-बारह किलो नहीं दे सकते हैं तो मिनिमम कितना देंगे, गांवों और शहरों के अन्दर कितना दे सकते हैं–इसके बारे में नहीं कहा। यह कह कर छोड़ दिया कि कहीं, दो किलो, कहीं तीन किलो, कहीं कुछ। इसके बारे में आप स्पष्ट बतायेंगे। कोयला, वनस्पति घी और तेल के मुतल्लिक एक शब्द भी आपने नहीं कहा। इसके बारे में जो डिबेट हुई है, उसमें राष्ट्रीय नीति के बारे में विवाद करके बात छोड़ दी....

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत**: यह सप्लीमेन्ट्री नहीं है, भाषण है।

**श्री गुमानमल लोढ़ा**: सीमेन्ट के बारे में, तेल के बारे में, कोयले के बारे में डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में क्या इम्प्रूवमेंट करने वाले हैं, किस तरह चीजें रखने वाले हैं–इसके बारे में नहीं कहा।

**श्री उपाध्यक्ष**: श्री मीठालाल!

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : जितनी बार बहस करेंगे उतनी बार ऐसी ही बात करेंगे हाउस में।

**श्री मीठालाल** : गम्भीरता के साथ जो वाद-विवाद शुरू किया था, उस समय जो स्थिति थी, उसको देखते हुए दो-तीन बातों के विषय में आपने जवाब नहीं दिया है। अगर समय पर जवाब नहीं दिया जाय और टालमटोल की जाय तो इसका जो परिणाम होता है उसका उदाहरण गुजरात में है। मैंने स्पष्ट रूप से पूछा था कि बाजरा लेवी के रूप में तोला था तो जिन व्यापारियों ने तोला था 62-65 में, उनको एन. ओ. सी. मिलने पर चावल का परमिट नहीं दिया, यह चावल का परमिट तो दे दें।

दूसरी बात है, राज्य के अलग-अलग हिस्सों में 150 क्विन्टल जिसके पास था वह सीज किया था, उसमें किसी का छोड़ दिया है और किसी का नहीं छोड़ा है।

वनस्पति घी के जयपुर में 26,552 टीन हैं, फैक्ट्री बन्द है जब कि राजस्थान के अन्य जिले, सवाई माधोपुर जिला घी के लिए तरस रहा है। उसके लिए आपने घोषणा नहीं की कि राजस्थान के अन्य जिलों में भेज दिया जाय, भले ही वह बाहर नहीं भेजा जाय। लेकिन जयपुर में जो जमा हो रहा है वह क्यों नही भेज रहे हैं। राजस्थान में चित्तौड़ और उदयपुर से बाहर भेजा जा सकता है तो जयपुर से सवाई माधोपुर क्यों नहीं भेजा जाता है।

**श्री उपाध्यक्ष** : यह कह चुके हैं।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : यह भाषण शुरू हो गया।

**श्री मीठालाल** : एक प्रश्न और है, जो दालें मिल हैं, चावल मिल हैं, आटा मिल हैं–इनके लिए तमाम माल पर पाबन्दी लगाई है कि पचास बोरे का उत्पादन कर सकते हैं या 50 क्विण्टल का कर सकते हैं। इस प्रकार कच्चे माल पर पाबन्दी लगा कर आप उत्पादन कम कर रहे हैं या किसी दूसरी नीयत से सोच रहे हैं। इस लिए आप कच्चे माल पर पाबन्दी मत लगाइये, उनके पास स्टाक बिल्कुल मत रहने दीजिये। लेकिन कच्चा माल आवश्यक है, उसके लिए आप छूट दीजिये।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : मुझे निवेदन करना है....

**श्री उपाध्यक्ष** : आपके दल के नेता महोदय पूछ चुके हैं।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : मेरा विशेष आरोप था, उसके बारे में थोड़ा स्पेसिफिक नहीं कहा है। मैंने व्यापारियों के नाम बता दिये, जिन व्यापारियों को आपके द्वारा परमिट मिले–वह बता दिया, कहां के थे, यह बता दिया, माल ले गये, वाहन और ढुलाई–इस सब का पैसा सरकार ने दिया है। फिर भी आप जांच नहीं कर सकते, इन्क्वायरी करके पता नहीं लगा सकते कि विभाग में गड़बड़ी कहां हुई। और स्पेसिफिक क्या आपको चाहिए। इससे साफ है कि या तो आप मिले हुए हैं इसलिए इन्क्वायरी करना नहीं चाहते....

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : मिले हुए आप हैं।

**श्री भानुकुमार शास्त्री** : या चुनाव में आप मदद लेते हैं और परमिट दे देते हैं।

( श्री भानुकुमार शास्त्री )
और यहां पर आप यह कह कर प्रोटेक्शन देना चाहते हैं कि स्पेसिफिक केस चाहिए। मुझे बताइये और क्या स्पेसिफिक आपको चाहिए ?

**श्री उपाध्यक्ष :** तशरीफ रखिये।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** जयपुर शहर की प्राब्लम के बारे में मैं कहना चाहता हूं।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत :** एक माननीय सदस्य एक ही बात सुनाते हैं और सदन का समय जाया करते हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** एक-दो मिनिट, उपाध्यक्ष महोदय। जो मन्त्री महोदय ने जवाब दिया है....

**श्री रघुनाथ विश्नोई :** कोई सवाल हो तो उसका मन्त्री महोदय जवाब दे दें।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत :** जितनी बार बोलेंगे, प्राब्लम पैदा होगी। उपाध्यक्ष महोदय, हमारा समय यह जाया कर रहे हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव :** जयपुर शहर के निवासियों को अनाज उपलब्ध हो जायगा, इसके लिए माननीय मन्त्रीजी ने पांच तारीख दी थी, लेकिन पांच तारीख होने के बावजूद जयपुर शहर के अन्दर अनाज का वितरण प्रारम्भ नहीं हुआ है। पिछली बार 18 जनवरी को वितरण शुरू हुआ था। अभी जो अनाज आया हुआ पड़ा है वह वितरण के अभाव में पड़ा हुआ है और वह भी जिस प्रकार का अनाज मैंने इस सदन में रखा था, उस प्रकार का अनाज है, सड़ा-गला अनाज आया है। वितरण शुरू भी हो जायगा तो भी सड़ा-गला मिलेगा। यह क्या उचित है।

गेहूं के दो भाव हैं, सौ और 106, सौ रुपये में लाल गेहूं है और 106 में सफेद गेहूं है। लाल गेहूं सड़ा हुआ है, यह सौ में नहीं मिल रहा है, वह 106 में बेचा जायगा। इस प्रकार छः रुपये का मुनाफा कर रहे हैं। इसको रोका जाना चाहिए। आप लाल गेहूं सौ रुपये में दिलवायें और सफेद गेहूं 106 में दिलवायें। तीन किलो ज्वार देने की बात है वह सड़ी-गली है, उसको जानवर भी खाना पसन्द नहीं करते हैं। इसलिए सड़ा हुआ गेहूं और ज्वार तीन-तीन किलो देने से क्या फायदा है। उसमें एक किलो कूड़ा डाल दें तो आठ किलो राशन हो जायगा। मेरा निवेदन है कि मोटे अनाज ज्वार के स्थान पर तीन किलो की जो मात्रा है गेहूं की, उसको आप पांच-छः किलो कीजिये। आप कहते हैं कि कर नहीं सकते, ऐसी स्थिति में लाल ज्वार के स्थान पर, जो, मक्का है और जो बाजरा लेवी के रूप में वसूल हुआ है, वह दे दीजिये। नहीं तो वह भी खराब हो जायगा।

चीनी के बारे में निवेदन है कि होली का त्यौहार है इसलिए चीनी की मात्रा बढ़ानी चाहिए। एक किलो चीनी तो मिले।

इसी तरह से मिट्टी के तेल के लिए आपने दो दुकानों के बीच में एक मिट्टी के तेल का डिपो खोला है।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन का समय जाया कर रहे हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : यह सारी व्यवस्था होली के पहले करने की घोषणा की, वह केवल झूठी वाहवाही लूटने की बात थी। दो-तीन दिन बाद होली है, आप कब वितरण कर देंगे ? आपने कहा कि होली से पहले बांट रहे हैं, यह कह कर आप सस्ती वाहवाही लूटना चाहते हैं....

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : सदन में स्टेटमेंट था। आप कहते हैं कि कल गेहूं मिलना चाहिए....

**श्री उपाध्यक्ष** : यह आप पहले कह चुके हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : जनार्दनसिंहजी ने कहा कि दस किलो राशन दें और एक किलो चीनी दें, यह केवल सस्ती वाहवाही लूटने के लिए कहा था। इस प्रकार....

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : जो कहते हैं वह करवाते हैं। आपकी तरह झूठी बात नहीं उठाते हैं।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : एक मिनिट। मेरा निवेदन है कि दस किलो राशन दें और एक किलो चीनी दें और दो दुकानों के बीच में मिट्टी के तेल का डिपो खोलें जहाँ पर तेल मिले। इसकी आप व्यवस्था करेंगे। इसके अलावा, सीमेन्ट, कोयले और वनस्पति घी के बारे में व्यवस्था करें।

अब मैं कहना चाहता हूं एक मिनिट में कि जयपुर शहर के लोगों को आपने पूरे राशन कार्ड बांटे नहीं हैं। इसलिए जिनके पास में पुराने कार्ड हैं, उनको फरवरी महीने में भी राशन नहीं मिला है और अब मार्च में नहीं मिलेगा। आप ऐसी व्यवस्था करें कि उनको उन्हीं कार्डो पर मार्च के महीने में फ़रवरी का राशन मिल जाय।

**श्री भगराज चौधरी** : ऑन ए पाइन्ट ऑफ आर्डर....

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : जयपुर के लोगों को अनाज, चीनी और मिट्टी का तेल मिल जाय और वनस्पति घी आसानी से मिल जाय, यह व्यवस्था कीजिये।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : एक-एक बात को कितनी बार रिपीट करना चाहते हैं।

**श्री भगराज चौधरी** : Point of Order, Sir. When the Hon. Minister has already replied to the debate, then....

**श्री पूनमचन्द विश्नोई** : और वह भी अंग्रेजी में है पाइन्ट ऑफ आर्डर।

**श्री गिरधारीलाल भार्गव** : हिन्दी में बोलिये। हिन्दी के पोस्टर लगे हुए हैं।

**श्री भगराज चौधरी** : When the Hon'ble Minister has already replied to the debate.

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने डिबेट का आलरेडी उत्तर दे दिया है। रूल्स में यह प्रावधान नहीं है कि उसके बाद में कोई माननीय सदस्य किसी भी मुद्दे को भाषण के जरिये उठा दें। अगर चाहें तो कुछ स्पेसिफिक प्रश्न क्लेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। यह होना चाहिए।

माननीय सदस्य खड़े होकर....

**श्री उपाध्यक्ष :** आप तशरीफ रखिये। खाद्य मंत्रीजी जवाब देना चाहते हैं।

**श्री रावतराम :** मेरा एक प्रश्न है।

**श्री लक्ष्मणसिंह :** उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक मिनिट के वास्ते दो-तीन बात पूछना चाहता हूं मंत्री महोदय से। मंत्री महोदय, जो भी माननीय सदस्य, जनसंघ के नेता ने कहा और मेरे दल के माननीय सदस्य मीठालाल जी ने कहा, उन इश्यूज का मैं समर्थन करता हूं। साथ-साथ में मैं यह भी चाहूंगा, मेरी सहयोग की भावना है, विरोध करके हम अनुचित लाभ नहीं लेना चाहते हैं। यह जनता का प्रश्न है, अतएव मैं यह चाहूंगा कि आप उत्पादन, प्रोड्यूसर का विश्वास प्राप्त करें। जब तक प्रोड्यूसर का विश्वास प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आपके और प्रोड्यूसर के बीच में सामंजस्य स्थापित नहीं होगा, ट्रस्ट बिगेट्स ट्रस्ट एण्ड मिसट्रस्ट बिगेट्स मिसट्रस्ट, इससे मामला और भी बिगड़ेगा। मेरा निवेदन है कि लेवी के द्वारा आपने अनाज लिया है, उसका पेमेंट अगर नहीं हुआ है तो आपको पेमेंट फिलहाल करवाना चाहिए और उसके साथ-साथ आपने कहा, चीन में भी यह हुआ और चीन ने आक्रमण किया, पाकिस्तान ने आक्रमण किया। मैं सिर्फ एक मिनिट के लिए कहूंगा, जापान में क्या हुआ, बरबाद हुआ। जर्मनी में क्या हुआ? बरबाद हुआ? आज वे महान् समृद्ध देश विश्व के हैं तो हमको उदाहरण जापान और जर्मनी के देने चाहिएं, दूसरी जगहों के नहीं देने चाहिएं। अगर ये आक्रमण होते हैं तो एक विशाल देश के लिए असाधारण घटना नहीं है, ऐसी चीजें होंगी और आपको इनको पार करके उनका मुकाबला करना चाहिए।

अंत में यही कहना चाहूंगा कि क्या आप मोटे अनाज की मात्रा में थोड़ी बहुत वृद्धि करने की स्थिति में हैं? नहीं तो यह राष्ट्रीयकरण नहीं है, राजकीयकरण है। अगर आप अनाज की मात्रा बढ़ा सकते हैं और होली के समय थोड़ी बहुत चीनी की वितरण व्यवस्था कर सकते हैं, त्यौहार के दिनों में गांवों में घासलेट पहुँचा सकते हैं तब तो मंत्री महोदय मैं आपका आभारी होऊंगा अन्यथा फिर हमारे पास जो कुछ शस्त्र हैं उनका प्रयोग करना पड़ेगा।

**श्री गुमानमल लोढ़ा :** मंत्री महोदय ने जो कुछ कहा है उसके अनुसार न 10 किलो धान देने में वह समर्थ हैं, न एक किलो चीनी देने में, न वनस्पति घी दे सकते हैं, न कोयला दे सकते हैं, न सीमेंट दे सकते हैं, यह असमर्थता की निशानी है। खाद्यान्न के अलावा कोई आवश्यक वस्तु नहीं दे सकते, इसलिए हम ऐसा समझते हैं कि मंत्री महोदय केवल उसको गोलमोल करके एवाइड करना चाहते हैं, स्थिति को फेस नहीं करना चाहते। पुराने मंत्री महोदय ने कहा था कि मैं सारे केसेज एन्टी-करप्शन को दूंगा लेकिन कुछ नहीं हुआ, जमाखोरों के साथ में इनका मेलजोल है। चुनाव में चंदे उगाकर ले जाते हैं इसलिए उनके खिलाफ कोई कार्यवाही जनता को राहत दिलाने की नहीं करते। इसलिए मैं समझता हूं कि इस सदन में

( श्री गुमानमल लोढ़ा )
बैठकर आपका भाषण सुनने का औचित्य नहीं है और हम वाकआउट करते हैं।

( जनसंघ के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन )

**श्री लक्ष्मणसिंह** : अगर मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में नहीं हैं, स्पेसिफिक बातों को जवाब देना नहीं चाहते हैं तो सदन में बैठना निरर्थक है। इससे असंतोष प्रकट करते हुए, घोर निराशा प्रकट करते हुए, हमारे पास कोई चारा नहीं रहता सिवाय इसके कि हम बहिर्गमन करें।

( स्वतन्त्र दल के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन )

**श्री शिवचरण माथुर** : उपाध्यक्ष महोदय, वाद-विवाद के जो मुद्दे उठाए गए थे उनका स्पष्टीकरण मैंने कर दिया और कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसका उत्तर मैंने नहीं दिया हो। उसके बावजूद भी विरोधी दल के माननीय सदस्य यदि बहिर्गमन करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं है। हमने इस वाद-विवाद के स्तर को ऊंचा रखकर पूरी तौर से संतुष्ट करने की कोशिश की है और जो हमारी परिस्थितियां हैं वह मैंने बताई हैं; छिपाने की कोशिश नहीं की है। इसलिए स्वावलम्बी फेस न करने का सवाल नहीं उठता है।

## राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रेतर वाद-विवाद

**श्री उपाध्यक्ष** : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : सदन का समय बढ़ा दें।

**श्री शंकरलाल ( पाली )** : कल मेरा भाषण अधूरा रह गया।

**श्री उपाध्यक्ष** : कल आप काफी बोले हैं। फिर भी बोल लें।

**श्री शंकरलाल ( पाली )** : मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में निवेदन कर रहा था कि अनुसूचित जाति व जन-जाति के लोगों को स्टाइपेंड देना ही पर्याप्त नहीं है।

**श्री उपाध्यक्ष** : आज तो समाप्त हो जाएगा ?

**श्री शंकरलाल** : समय बढ़ाने की कृपा करेंगे तो आज समाप्त कर दूंगा।

निवेदन यह था कि बेरोजगारी शिक्षित व अशिक्षित दोनों के सामने है। जहां तक डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और दूसरे जो मैकेनिक्स हैं उन शिक्षित आदमियों के रोजगार का सवाल है; उनको स्वयं अपना रोजगार बढ़ाने के लिए; जो कार्य धंधा है, उसको आगे बढ़ाने के लिए सरकार को प्रावधान करना चाहिए। इसलिए जिस प्रकार एग्रो-इण्डस्ट्रीज सर्विसेज में सेंटर्स खोलने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र कायम किए हैं, उसी प्रकार दूसरे जो इंजीनियर्स या डॉक्टर हैं उनको रूरल पापूलेशन में बसाने की योजना है; उसको आगे बढ़ाना चाहिए। छात्रों में असंतोष इसलिए है कि आगे जाकर हमको बेरोजगारी का मुंह देखना है, उनको संतोष देने का कार्यक्रम सरकार की तरफ से होना चाहिए क्योंकि अधिकतर आंदोलन और जो तोड़फोड़ की कार्यवाही छात्रों की तरफ से होती है, उसमें एक पाइंट है कि आगे जाकर हम बेरोजगार रहेंगे। इसलिए उनको रोजगार की

( श्री शंकरलाल )
गारंटी, केवल नौकरी की ही नहीं, बल्कि अपना खुद का धंधा कर सकें, इस प्रकार की योजना बनाने का राज्यपाल महोदय का संकेत होता तो उचित होता।

राज्यपाल महोदय ने कहा कि सन् 1969 से जिन लोगों के पास अतिक्रमण है या खातेदारी कब्जा है उनको खातेदारी अधिकार देंगे। मेरा निवेदन है कि राजस्थान में हम भूमि सुधार के मामले में अभी भी पिछड़े हुए हैं, आज भी काफी चर्चा हो रही थी। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि 91 के जमीनों के मामले सैंकड़ों की तादाद में आते हैं और सरकार उसके अन्दर अपने आप को असमर्थ पाती है, कहते हैं कि कोर्ट में चले गए, वहां से स्टे ऑर्डर आ गया। मेरा निवेदन है कि लैंड रेवेन्यू एक्ट में आपने सेमी-जुडीशियल मैटर बनाया है, आप इसका नॉन-जुडीशियल मैटर बनायें तो समस्या का समाधान हो सकता है। राजस्व मंत्री इसी सत्य में ऐसा संशोधन लायें जिससे भूमि पर जो अतिक्रमण करता है और वह भूमिहीन नहीं है तो उसमें एग्जीक्यूटिव पावर्स आपको होनी चाहिए। तहसीलदार अगर आदेश जारी करता है, राजस्व मंत्री चाहता है कि इजैक्टमेंट होना चाहिए, तो फिर एडीशनल कलेक्टर स्टे आर्डर्स पास कर दें, यह जो कानूनी बाधा है उसको हटाने से जो हजारों बीघा जमीन बड़े-बड़े आदमियों के पास है, छुड़ा सकेंगे।

हमारे क्षेत्र में पाली तहसील में दयालपुरा में वहां हमारा माजी की खातेदारी की जमीन है, रेवेन्यू में 860 बीघा लिखी है लेकिन उसने 1734 बीघा पर कब्जा कर रखा है और उसको अतिक्रमणी मान कर कलेक्टर ने आदेश पास कर दिये कि इसको इजैक्ट कर दिया जाय लेकिन दो साल से ज्यादा व्यतीत हो गये, उसको इजैक्ट नहीं कर सके तो फिर आप कैसे भूमिहीन किसानों को जमीन दे सकेंगे जब बड़े-बड़े आदमियों को नहीं निकाल सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, आज स्थिति ऐसी है कि रेवेन्यू बोर्ड में वे केस चल रहे हैं और वहां पर फायलें दो-दो साल तक पड़ी रहती हैं और इसका नतीजा यह होता है कि उन लोगों का नाजायज कब्जा बना रहता है और लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का जो मुख्य उद्देश्य है, वह पूरा नहीं होता।

**श्री खेतसिंह** (मुख्य सचेतक) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन का समय दो घण्टे तक बढ़ा दिया जाय।

**श्री उपाध्यक्ष** : क्या सदन की अनुमति है कि सदन का समय दो घण्टे तक बढ़ा दिया जाय।

( स्वीकृत )

सदन का समय दो घण्टे तक के लिये बढ़ाया गया।

**श्री शंकरलाल** ( पाली ) : उपाध्यक्ष महोदय, आज इन्हीं सभी गड़बड़ियों के कारण और जो घोषणाएं हम करते हैं, जो वायदे हम जनता से करते हैं उन्हें हम पूरा नहीं कर सकते हैं। आज दूसरी स्टेट्स में पंजाब में जिस तरह से कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस वालों ने यह किया और नई कांग्रेस वालों ने जमीन के अलॉटमेन्ट के कानून को ठीक तरह से इम्प्लीमेन्ट नहीं किया। आज बड़े-बड़े लोगों के पास जमीनें नाजायज दबी हुई हैं और वास्तव में

( श्री शंकरलाल )
वह जमीन भूमिहीनों को मिलनी चाहिए लेकिन वह नहीं हो रहा है। इसके लिये मैं तो राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि ऐसे कौनसे बड़े-बड़े लोग हैं जिन्होंने नाजायज जमीनें दवा रखी हैं उनसे वे जमीनें वापस ली जावे और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये और ये जमीनें भूमिहीनों को दिलायी जानी चाहिये। इसके लिये मैं राज्य सरकार को यह सुझाव दूंगा कि जिस तरह पंजाब में एक हरचरणसिंह कमेटी लैण्ड्स के बारे में बनी थी और उसमें कई बड़े-बड़े कांग्रेसी नेता लोग पाये गये और उनसे वे जमीनें वापस ली गईं उसी तरह यहां पर एक कमेटी बनाई जाय और जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। ऐसा करने से जनता को पता लगेगा कौन दोषी है। इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, जो अलॉटमेन्ट के राज्य सरकार ने सन् 1969 में आदेश दिये थे शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को जमीन देने के बारे में वे अलॉटमेन्ट तो हो गये लेकिन उसका कब्जा अभी तक उनको नहीं मिला। आज गरीब लोगों के नाम जमीन है पर उसका अलॉटमेन्ट सिर्फ कागज पर है उनका कब्जा नहीं। जब तक आप उन्हें कब्जा नहीं दिलायेंगे तब तक जो हमारा उद्देश्य शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को भूमिहीनों को जमीन देने का था वह पूरा नहीं होगा। आज इसके लिये जांच करने की आवश्यकता है कि क्यों नहीं उन भूमिहीनों को कब्जा मिला। आज कागजों में अलॉट करना दूसरी बात है और वास्तविक कब्जा देना दूसरी बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमने एक नारा दिया था राजस्थान में कि जमीन उसकी होगी जो जमीन जोते। वह नारा ही बन कर रह गया है। उसका इम्प्लीमेन्टेशन आज तक नहीं हुआ है इसके लिये हमें स्ट्रोंग एक्शन लेने की जरूरत है। अगर हम स्ट्रोंग एक्शन नहीं लेंगे तो हम लैण्ड क्षेत्र में जो सुधार करने की बात करते हैं वह नहीं कर पायेंगे। आज हमारे यहां जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट बना हुआ है उसमें हमें एमेन्डमेन्ट करने की जरूरत है। आज, उपाध्यक्ष महोदय, जो सीलिंग कानून में हमें जो फायदा होना चाहिये था वह नहीं हुआ। उसका कारण यह है कि लोगों ने सीलिंग कानून बनने के पहले जमीन का अलॉटमेन्ट, जमीन का बंटवारा इस तरह कर लिया कि हमें जमीन जो मिलनी चाहिये थी वह नहीं मिली। आज जिन लोगों ने सीलिंग कानून बनने के बाद भी नाजायज तरीके से जमीन पर कब्जा कर रखा है और कई लोगों ने तो उपाध्यक्ष महोदय, बगैर रजिस्ट्री कराये ही जमीनों पर कब्जा कर रखा है और कई लोगों ने जो 100 रुपये रजिस्ट्री की फीस देकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है वह बिना फीस दिये ही जमीनें अपने कब्जे में कर रखी हैं। तो उसके लिये उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार से आपके मार्फत निवेदन करूंगा कि उन लोगों के खिलाफ एक्शन लें क्योंकि जो लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में फीस का प्रावधान है वह लोग उस लॉ को डिफीट कर रहे हैं। लोगों ने फर्जी रसीदें प्राप्त कर ली हैं। इसके लिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि इसकी तरफ तुरन्त ध्यान दें, नहीं तो यह तो कानून की मखौल उड़ाना है। लोग इस तरह नाजायज कब्जा करके कानून का मखौल उड़ा रहे हैं।

( समय म. प. 5.5 )

(श्री भानुकुमार शास्त्री, सभापति, पदासीन)

114



श्री **केशरीमल** : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं, सभापति महोदय, मुख्य सचेतक महोदय ने दो घण्टे तक सदन का समय बढ़ाया है और मुझे ऐसा लगता है कि सदन में कोरम नहीं है जाने वाले लोग जा चुके है और अब लोगों को इसमें इन्टरेस्ट नहीं है अतः मैं निवेदन करूंगा कि सदन की कार्यवाही समाप्त की जाये।

श्री **केदारनाथ** : जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं तब तक ही रखा जाये।

श्री **सभापति** : सदन की राय होगी वैसे देख लेंगे इनके समाप्त करने के बाद।

श्री **खेतसिंह** : सभापति महोदय, कोरम पूरा है और लोग बोलने वाले बैठे हुए हैं।

श्री **सभापति** : श्री शंकरलाल!

श्री **शंकरलाल** (पाली) : सभापति महोदय, जिन लोगों ने कानून को डिफीट किया है लैण्ड का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और सरकार की रेवेन्यू को नुकसान पहुँचाया है तथा गैर कानूनी कार्य किया है उनके खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिये और वह जमीन उन लोगों को दी जानी चाहिये जिनको कि वह मिलनी चाहिये थी। एक बात और मैं निवेदन करना चाहूंगा, सभापति महोदय, कि राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में यह उल्लेख किया था कि राजस्थान सरकार शहरी भवनों पर टैक्स लगायेगी और उसके लिये सीलिंग रखी जायेगी। मेरा इसके लिये राज्य सरकार के मन्त्री महोदय से निवेदन है कि इसमें किसी भी प्रकार का लेक्यूना नहीं रहना चाहिये नहीं तो जिस प्रकार से हम लैण्ड में सीलिंग लागू करने के बाद भी जमीन नहीं प्राप्त कर सके क्योंकि इस सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत हमको जितनी जमीन प्राप्त होनी चाहिये थी वह प्राप्त नहीं कर सके थे। इसलिये इस बार जो आप कानून लावें वह ऐसा लावें कि जिससे हमारा जो मुख्य परपज है शहरी सम्पत्ति पर सीलिंग लगाने का वह पूरा हो जाये और मैं तो यह कहूंगा सभापति महोदय, कि आज हमारी सरकार प्रगतिशील है और हम सही मायने में कानून जनता की भलाई के लिये बनाना चाहते हैं और बनाते भी हैं पर चूंकि उनका सही वक्त पर सही ढंग से इम्प्लीमेन्टेशन नहीं होने के कारण हमें उसके सही रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि जो भी कानून राज्य सरकार बनाये उनका सही तरह से इम्प्लीमेन्टेशन होना चाहिये।

श्री **केशरीमल** : सभापति महोदय, कोरम नहीं है।

श्री **सभापति** : कोरम है। श्री शंकरलाल!

श्री **शंकरलाल** (पाली) : तो मैं यह निवेदन कर रहा था, सभापति महोदय, कि अभी राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान हाउसिंग बोर्ड की स्कीम्स के बारे में बताया था। उन्होंने कहा हाउसिंग बोर्ड एक स्पेशल स्कीम्स प्रोग्राम के तहत जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में इस स्कीम के अन्तर्गत मकान बना कर देगी तो इसके लिये मेरा निवेदन है कि यह राजस्थान हाउसिंग बोर्ड बड़े-बड़े शहरों में ही ऐसी स्कीम्स क्यों रख रहा है। यह डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर्स जो कि बड़े बड़े हैं जैसे—पाली वगैरह में भी क्यों नहीं मकान बना कर वहां की जनता को दें। इसके अलावा एक बात और निवेदन करना चाहता हूँ कि जहां नगर-

( श्री शंकरलाल )

पालिकाएँ हैं और राज्य सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटर्स नियुक्त कर रखे हैं वहां भी मकान बना कर दिये जाने चाहियें। इसके अलावा हमने पंचायत एक्ट की धारा 267 में जो प्रावीजन किया है कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लोगों, पिछड़े वर्ग के लोगों को, निःशुल्क प्लॉट दिये जायेंगे उसके बारे में किन किन पंचायत समितियों ने इस एक्ट की धारा का इम्प्लीमेन्टेशन किया है और किन किन ने नहीं किया और अगर उन्होंने नहीं किया तो क्यों? इसके लिये इसका इम्प्लीमेन्टेशन नहीं करने वालों के खिलाफ एक्शन राज्य सरकार को लेना चाहिये। इसके अलावा मैं एक बात यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अभी हमारी पंचम पंचवर्षीय योजना बनायी है और राज्यपाल महोदय ने भी अपने अभिभाषण में उल्लेख किया है। तो इसके बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा। हमें इसमें हमारी मूलभूत समस्याओं को लेना चाहिये। हमारी चतुर्थ पंचवर्षीय योजनाओं में हमने पीने के पानी के लिये स्कीम्स का प्रावधान रखा था। अभी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गयी है और हमारे राजस्थान में करीब 33 हजार गांव हैं उसमें सिर्फ चार हजार गावों में ही पानी की समस्या हल हो सकी है। तो इसके लिये निवेदन करना चाहूंगा, पीने के पानी की समस्या अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है और इस योजना के अन्तर्गत भी मुझे ऐसा लगता है कि हम करीब 50—60 विलेजेज को ही कवर कर सकेंगे। तो यह स्थिति मैं सन्तोषजनक नहीं समझता क्योंकि अगर हम जनता को पीने का पानी नहीं दे सकते तो इससे ज्यादा खेद की बात क्या हो सकती है। तो मेरा निवेदन यह है कि हमें हमारी पंचम पंचवर्षीय योजना के अन्दर ऐसा प्रावधान रखना चाहिये कि जिससे हम हमारी ग्रामीण जनता के लिए पीने के पानी की व्यवस्था कर सकें। हमें ऐसी योजना बनानी चाहिये कि जिससे लोगों को पीने का पानी मिले। अगर ऐसी मूलभूत जरूरतों को पूरी करेंगे तो जनता को काफी राहत मिलेगी। सभापति महोदय, जहां तक विकास का सम्बन्ध है और विद्युतिकरण का प्रश्न है, यह कहा गया है कि 40 प्रतिशत गांवों का विद्युतिकरण कर पायेंगे।

( समय-समाप्ति-सूचक घंटी )

दो मिनट का समय और चाहिए।

हमारे जो टारगेट हैं वे संतोषप्रद नहीं हैं। मेरा यह नहीं कहना है कि हरियाणा की तरह से प्रत्येक गांव में विद्युतिकरण कर लें। आगे आने वाले पांच वर्ष में भी यदि 40 प्रतिशत ही कर पायेंगे तो न जाने कब आवश्यकतानुसार राजस्थान में पूरी तरह से विद्युतिकरण कर पायेंगे।

इसलिये पीने के पानी की व्यवस्था करें और दूसरा गांवों में विद्युतिकरण को प्राथमिकता दें। चाहे दूसरी छोटी-मोटी योजनाओं को बाद में लें, उनको कम करके भी यदि इस ओर अधिक लगा सकते हैं तो लगाना चाहिये। प्रत्येक गांव में आज बिजली की मांग है। इस ओर विशेष ध्यान इस पंचवर्षीय योजना में देना चाहिये।

मेरे क्षेत्र की एक बात और निवेदन करना चाहूंगा और उसके बाद आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। वह यह है कि पाली के अन्दर टेक्सटाइल प्रोसेसिंग एसो-

(श्री शंकरलाल)

सियेशन की ओर से प्रतिवेदन आया है अखबारों में पढ़ा होगा कि ये इन्डस्ट्रीज रंगाई का काम करती हैं। बालोतरा में भी हैं। हजारों मजदूर इनमें लगे हुए हैं। पाली में ही ले लीजिये, लगभग 8–9 हजार मजदूर इन कारखानों में लगे हुए हैं। आज ये कारखाने बन्द हो गये हैं। वहां पर हड़ताल है। उसका कारण यह है कि एक्साइज ड्यूटी इतनी बढ़ा दी गयी है कि फैक्ट्रीज आगे नहीं चल सकती हैं। हालांकि यह केन्द्र का प्रश्न है। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने केन्द्र को कहा है। मैं सदन में भी कहना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान में हैंड्स से चलने वाली इन्डस्ट्रीज हैं उन पर यदि ड्यूटी लगा देंगे तो वे बेकार हो जावेंगे और ड्यूटी लगाना ही है तो बड़े-बड़े कारखानों पर लगाइये जहां कि इस प्रकार एक्साइज ड्यूटी लगाने की गुंजाइश है। इन छोटे कारखानों पर लगायेंगे तो नुकसान होगा। इसलिए मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि वह पूर जोर शब्दों में केन्द्र सरकार से निवेदन करे और इसको विड्रा कराने की कोशिश करे।

राज्यपाल महोदय ने जो भी भाषण यहां दिया है वह वास्तव में संक्षेप में दिया है। किन्तु उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है। मैं राजस्थान नहर की बात नहीं करना चाहता किन्तु चाही स्कीम के बारे में निवेदन करना चाहूंगा। जोधपुर को पानी देने की बात थी उसकी क्या प्रोग्रेस है यह मैं जानना चाहूंगा। प्रोग्रेस बिलकुल नहीं है। कितने साल में इसको इस तरह से पूरी करेंगे? राजस्थान कैनाल, मैं मानता हूं कि बड़ी इम्पोर्टेन्ट योजना है लेकिन चाही योजना भी कम नहीं है। पाली जिले के लिये, जोधपुर इलाके के लिये और उस पूरे इलाके के लिये यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण योजना है। इसलिये इसके लिये विशेष फंड इस पंचवर्षीय योजना में रखना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि यह चल रही है। अफसरों पर और एस्टेब्लिशमेन्ट पर ही खर्चा करें तो यह उपयुक्त नहीं है। इस प्रकार से योजना पूरी नहीं हो सकती। ऐसी योजनाओं को तो जल्दी पूरा करना चाहिये।

**श्री सभापति** : श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी नगर जयपुर) : सभापति महोदय!

**श्री नाथूराम** (बागीदोरा) : सभापति महोदय, मेरा नम्बर था पहला। मुझे चांस नहीं दिया है।

**श्री सभापति** : आपके सचेतक की ओर से जो लिस्ट दी है उसके अनुसार ही मैं नाम बोल रहा हूं।

**श्री नाथूराम** : पहला नाम मेरा है सभापति महोदय!

**श्री सभापति** : इसके अनुसार तो आपका छठे स्थान पर नाम है।

**श्री नाथूराम** : पहले लिस्ट दी है उसमें पहला नाम मेरा है।

**श्री सभापति** : अब जो सूची दी है उसमें आपका छठा स्थान है।

**श्री नाथूराम** : पहले सूची दी उसमें पहला नाम मेरा है। सभापति महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। टेबल पर पहले लिस्ट पेश हुई उसमें पहला नाम मेरा है।

**श्री सभापति** : व्यवस्था यह है कि जो चैयर पर बैठता है और जो सूची दी जाती है वह तो जिस हिसाब से उस सूची में नाम है उसी के अनुसार और क्रम से पुकारेगा। यदि परिवर्तन चाहते हैं तो सदस्य कैंचप करें जिसका नाम पुकारा जावेगा वह बोलेगा।

श्री जनार्दनसिंह !

**श्री नाथूराम** : पहले लिस्ट जो टेबल पर दी गई थी उसके अनुसार मैं जानना चाहता हूं। मैं आपत्ति करता हूं कि यह पक्षपात क्यों हो रहा है। पहले मेरा नाम था तो बाद में इसमें परिवर्तन क्यों कर रहे हैं ?

**श्री सभापति** : मेरे सामने जो लिस्ट है उस हिसाब से मैंने नाम पुकारा है। कृपया स्थान ग्रहण करें।

**श्री नाथूराम** : मुख्य सचेतक ने पक्षपात किया है। मुख्य सचेतक से पूछना चाहिये। सभापति महोदय, मुख्य सचेतक को बुलाया जाय। यह क्या तमाशा है ?

**श्री सभापति** : आप बैठिये।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** (गांधी नगर, जयपुर) : सभापतिजी, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर दिया है उसमें काफी महत्त्वपूर्ण बातें आयी हैं। मुझे भी कुछ सुझाव सदन के सामने रखने हैं।

सभापतिजी, जैसा कि जिक्र किया गया है राजस्थान में सीमेन्ट के औद्योगीकरण में यह प्रदेश अग्रणी रहा है।

**श्री नाथूराम** : मुख्य सचेतक को बुलाकर पूछा जाय। तमाशा बना रखा है।

**श्री जनार्दनसिंह गेहलोत** : नाथू भाई बैठो।

**श्री नाथूराम** : आपने ठेका ले रखा है।

**श्री सभापति** : यह पार्टी का मामला है। इसको अलग जा कर रखिये। सदन में इसको रखने का सवाल नहीं है। मुझे उनको बुलाने का अधिकार नहीं है।

**श्री नाथूराम** : मेरा अधिकार है। मेरा नाम पहले की लिस्ट में पहला है।

**श्री सभापति** : यह पार्टी का सवाल है। इनके बाद आप बोल लीजिये।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : मैं निवेदन कर रहा था कि राज्यपाल महोदय के भाषण में काफी बातें आयी हैं। मेरे कुछ सुझाव थे। राजस्थान के अन्दर सीमेन्ट उद्योग काफी पनपा है। राजस्थान के अन्दर सीमेन्ट कारखाने पर्याप्त मात्रा में हैं, ऐसा लगता है। चार कारखाने पूर्ण हैं। एक कारखाना इनकम्पलीट हालत में है और दो कारखाने और बनने वाले हैं। इससे लगता है कि राजस्थान में सीमेन्ट को प्राथमिकता मिलेगी।

राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि कोटा के अन्दर यूरिया

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
खाद का कारखाना बड़े पैमाने पर लगाया जा रहा है जो हिन्दुस्तान के बड़े कारखानों में से होगा। इससे पहले भी यूरिया का कारखाना उपलब्ध है। खाद भी काफी मात्रा में पैदा होगा।

अभिभाषण में यह भी अंकित है कि बिजली की राजस्थान में कोई कमी नहीं है। हमारे राजस्थान में लोगों को बिजली दी जा रही है। इससे साफ लगता है कि बिजली की कोई कमी नहीं है।

सभापति महोदय, सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि खनिज सम्पदा के सम्बन्ध में राजस्थान कई प्रान्तों से मुकाबला कर सकता है। आज भी ताम्बा राजस्थान में काफी छिपा हुआ है। अन्य खनिज भी राजस्थान में काफी मात्रा में हैं।

इसके साथ-साथ यह भी साफ नजर आता है कि राजस्थान का पशुधन अच्छे पशुधन में से है जैसे कि दूध देने वाली गाय, भार उठाने वाला ऊंट और सबसे अधिक भार ढोने वाला गधा भी यहां हैं। इस तरह से हमारे यहां पशुधन की भी कमी नहीं है।

नहर की दृष्टि से सोचें तो राजस्थान में राजस्थान नहर विश्व की सबसे बडी कृत्रिम नहर है जिसका काम चल रहा है। इस दृष्टि से कमी किसी बात की नजर नहीं आती।

इसके साथ-साथ राजस्थान में मेहनतकश आदमियों की भी कमी नहीं हैं। मजदूर भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं जो श्रम करते हैं। इतनी चीजें राजस्थान में हैं, फिर यह कमी क्यों? इसका अर्थ स्पष्ट है कि हमारी मशीनरी में कहीं किसी प्रकार की खामी है।

मुझे प्रसन्नता है कि राजस्थान योजना बोर्ड का गठन हुआ। इससे आशा है योजना का क्रियान्वयन ठीक तरह से अब हो सकेगा।

आज राजस्थान की हालत आर्थिक दृष्टि से चरमरा गई है। पिछली बार बजट में वित्त मंत्रीजी ने 220 करोड़ आय के स्रोत रखे थे। व्यय में 250 करोड़ रखे थे। इसका अर्थ था 30 करोड़ का सीधा घाटा। पर यह भी सदन से छिपा नहीं है कि अकाल की भीषणता और दूसरे प्रकृति के प्रकोपों के कारण हमारी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकी। वित्त आयोग ने दस करोड़ रुपया इस अकाल की परिस्थिति से जूझने के लिये दिया है। पन्द्रह सालों में जहां हमने इस अकाल से मुकाबले करने में दो अरब रुपया व्यय कर दिया, उसके सामने दस करोड़ पर्याप्त नहीं है। इसका अर्थ हुआ कि सालाना आठ करोड़ का नुकसान हमें हुआ। यह योजना मद में खर्च नहीं हुआ। सिंचाई, बिजली में जहां चार पांच प्रतिशत का मुनाफा बताया। उचित धन इसके लिए हमें उपलब्ध नहीं हुआ जिसका परिणाम यह हुआ कि आज यह नुकसान बढ़कर 40.80 करोड तक पहुंच गया है। आगे यह नुकसान 80 करोड तक चला जावेगा यह निश्चित नजर आ रहा है।

वित्त मंत्रीजी ने कहा था कि राजस्थान की अकाल की समस्या को राष्ट्रीय विपत्ति माना जावे और इसी आधार पर यहां के रेगिस्तान का मुकाबला किया जाय हिन्दुस्तान के 62 प्रतिशत रेगिस्तान भाग अकेले राजस्थान में हैं। बाकी 38 प्रतिशत भू-भाग अन्यत्र हैं। 62 प्रतिशत हिस्सा सारे

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)
देश के रेगिस्तानी हिस्से का जहां राजस्थान में हो तो उसका मुकाबला अकेली स्टेट नहीं कर सकती। इसका वहन केन्द्रीय सरकार को करना चाहिये। यह हमारे साथ सौतेला सा व्यवहार है केन्द्र का। छठे वित्त आयोग के सामने हमने अपनी कठिनाइयां विस्तार से रखी हैं। हमने स्पष्ट कहा है कि इसे राष्ट्रीय विपदा नहीं माना गया तो अकेला राजस्थान इस अकाल का सामना नहीं कर सकेगा।

**श्री नाथूराम** (वागीडोरा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है सभापति महोदय। लिस्ट में कल; भी मेरा नाम था और आज भी था कि नहीं?

**श्री सभापति** : मैंने पहले व्यवस्था दे दी कि यह आपकी पार्टी का विषय है।

**श्री खेतसिंह** : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कल लिस्ट दी थी उसमें पहला नाम शंकरलालजी का था, दूसरा नाथूरामजी का था। वह लिस्ट आपके सामने है नहीं। यह जो लिस्ट आज सबमिट की है उसमें पहले जनार्दनसिंहजी का नाम है और इसके बाद नाथूरामजी का है। इनके बाद आपको अवसर दे दीजिये कृपा करके।

**श्री नाथूराम** : मैं बोलना नहीं चाहता। पर यह कहना चाहता हूं कि आप इस तरह से पक्षपात क्यों करते हैं?

**श्री सभापति** : आप सुनिये।

**श्री खेतसिंह** : मैंने कोई पक्षपात नहीं किया।

**श्री नाथूराम** : लिस्ट फिर क्यों चेंन्ज की गई?

**श्री खेतसिंह** : कल की लिस्ट में आपका नाम था। आज भी है। आप बोलना चाहेंगे तो निश्चित समय मिलेगा। ये खड़े हो गये। नहीं तो मैं इनसे प्रार्थना करता पहले आप बोल लेते।

**श्री नाथूराम** : आप लोग ही बोला करो।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : राजस्थान सरकार को भारत सरकार के सामने फिर से अपना पक्ष रखना चाहिये और हमारी भावनाओं को उन तक पहुंचाया जाना चाहिये ताकि सौतेला व्यवहार आगे जारी न रहे। इतने लम्बे चौड़े रेगिस्तानी इलाके की प्रशासनिक व्यवस्था भी एक समस्या है। आर्थिक दृष्टि से तो यह कठिन है ही। तो इसे भारत सरकार सारे देश की राष्ट्रीय समस्या के रूप में लेकर स्वयं हल करे।

इसके साथ साथ, सभापति महोदय, माननीय सदस्यों ने काफी महत्त्वपूर्ण सुझाव रखे। मैं उनको नहीं दोहराऊंगा। मैं केवल अनाज के बारे में थोड़ा प्रकाश डालना चाहूंगा। पिछली वार राजस्थान में 67 लाख टन अनाज पैदा हुआ। राजस्थान सरकार ने प्रोक्योरमेन्ट में केवल 3 लाख टन अपना लक्ष्य रखा। इसको भी 49 प्रतिशत सरकार पूरा कर पाई। इससे स्पष्ट है कि राजस्थान में उत्पादित अन्न की कमी नहीं है। जितना उत्पादन हुआ है उसमें दस किलो प्रति व्यक्ति को भी दे दें तब भी बचेगा। यह मेरा निश्चित मानना है। 47 लाख टन सरप्लस बचेगा फिर भी। आज भी वह सारा जखीरा मुनाफाखोरों और जखीरेबाजों के पास दबा पड़ा है जो निकल नहीं रहा है। राजस्थान

(120)



(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

में दस लाख टन चना भी पैदा हुआ, बीस लाख टन बाजरा, 7 लाख टन ज्वार, 3 लाख टन मक्का और पांच लाख टन जौ। आज यह सारा अनाज दबा पड़ा है। इसके पीछे मुनाफाखोरों का और जखीरेबाजों का षड्यन्त्र है। हमारे जनसंघ और स्वतन्त्र पार्टी के माननीय सदस्य चाहते हैं कि दस किलो अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह के हिसाब से दिया जाय। पर इन लोगों में से ज्यादातर इस षड्यन्त्र में शामिल हैं। सही माने में सरकार अगर इनका पर्दाफाश नहीं करेगी तो उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पावेगी। कहने का मतलब मेरा यह है कि अनाज का भण्डार बहुत है पर सरकार आज मुनाफाखोरों और जखीरेबाजों को नहीं पकड़ पाई है। उनको सरकार को पकड़ना चाहिये। राज्य सरकार ने कुछ महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की हैं। जयपुर नगर में भी 67 लाख का अनाज पकड़ा गया। लेकिन ऐसी पकड़ अगर राज्य सरकार रेगूलर करती रही तो बहुत बड़ा केन्द्र जयपुर शहर मिलेगा और काफी लोग पकड़े जायेंगे। मैं इस अवसर पर यही कह सकता हूं प्रोक्योरमेंट पर राज्य सरकार को ध्यान देना चाहिये हमारी भारत सरकार ने आज से कुछ महीने पहिले 60 हजार टन राज्य सरकार को दिया और बाद में 60 हजार टन से घटाकर 45 हजार टन कर दिया और फिर 45 हजार टन से भी घटाकर 25 हजार टन कर दिया और आज हमें जो मिल रहा है वह केवल 15 हजार टन ही मिल रहा है। क्या राजस्थान सरकार 15 हजार टन से अपनी खाद्य स्थिति सुधार सकेगी और क्या वह पर्याप्त मात्रा में है। 15 हजार टन से हम राजस्थान सरकार की व्यवस्था को सुधार नहीं पायेंगे इसलिये हमें कोई महत्त्वपूर्ण कदम उठाना होगा। मैं,

(समय-समाप्ति–सूचक-घण्टी)

सभापति महोदय, यह भी बताना चाहता हूं लेवी के बारे में बाड़मेर जिले ने महत्त्वपूर्ण काम किया और राजस्थान के अन्य जिले भी इससे प्रेरणा लें तो हम अच्छे नतीजे पर पहुंच सकते हैं।

(पुनः समय-समाप्ति–सूचक-घन्टी)

**श्री सभापति :** आपका समय हो गया है।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत :** सभापति महोदय, मेरा पांच मिनिट का समय तो माननीय सदस्य (श्री नाथूराम) ने ले लिया 5-30 पर टाइम था और पांच मिनिट इसमें से चले गये, फिर भी जल्दी समाप्त करूंगा।

सभापति जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अंकित किया है दवाओं को पकड़ने का राज्य सरकार ने बहुत बड़ा मुहिम चलाया है। इन्होंने यह मुहिम चलाया। लेकिन, सभापति जी, मैं यह बताना चाहता हूं उत्तर भारत का सबसे बड़ा केन्द्र आगरा है जहां ये दवाएँ बिकती हैं। अगर उत्तर भारत का नकली दवा बनाने वाला सबसे बड़ा केन्द्र है तो वह जयपुर शहर है। जयपुर शहर....

(गणपूरक–सूचक घण्टी)

सभापतिजी, मैं निवेदन कर रहा था उत्तरी भारत का नकली दवाओं के बनाने का केन्द्र जयपुर शहर है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी ने जो मुहिम चलाई है उसका

( श्री जनार्दनसिंह गहलोत )
मैं मुबारकवाद देना चाहता हूं लेकिन यह चींटी को छोड़कर बड़े आदमी को मारने वाली बात नहीं है। बड़े-बड़े डॉक्टर्स जो प्रेस्क्राइब करते हैं वे भी नकली दवाओं का करते हैं जिनका बहुत बड़ा सेन्टर जयपुर शहर बना हुआ है। बड़े-बड़े डॉक्टर प्रेस्क्रिप्शन लिखें वे दवाएँ यहां बनें और बिकें इसमें राज्य सरकार को बहुत बड़ा काम करना होगा। सभापति जी, इसमें मेरा एक निवेदन और भी है। चोर को क्या मारे, चोर की मां को नहीं मारे जब तक यह मिशन पूरा नहीं होगा। खास तौर से पिछली बार जब नकली दवाओं पर छापा मारा तो पता चला 80 प्रतिशत नकली दवाएँ साबित हुई और 80 प्रतिशत में से 60 प्रतिशत वे दवाएँ थीं जो जयपुर शहर में बनी थीं। सैन्डोज जैसी दवा जो जयपुर में बनीं। माननीय सभापति बहुत बड़ा सेन्टर जयपुर शहर है।

**श्री सभापति** : अब आप समाप्त करें।

**श्री जनार्दनसिंह गहलोत** : सभापतिजी, जैसा कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के लिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कहा है कि हम 25 प्रतिशत के राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा पिछले बजट में राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में यह अंकित था कि 25 प्रतिशत तक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का राष्ट्रीयकरण कर देंगे। पिछली बार जब यह अंकित था कि 25 प्रतिशत का राष्ट्रीयकरण कर देंगे, यह घोषणा थी अंकित और आज के अभिभाषण में यह अंकित है कि 25 प्रतिशत करने की कोशिश करेंगे। इसलिये सभापतिजी जो बात हमने पिछली बार कही उससे हम आज पीछे जा रहे हैं। पिछली बार कहा कर देंगे और आज कहा जाता है कोशिश कर रहे हैं। इसके बारे में राज्य सरकार पीछे जा रही है। सभापतिजी,

( समय-समाप्ति–सूचक-घंटी )

आपने समाज कल्याण के माध्यम से यहां पर कुछ योजनायें हाथ में लीं, खास तौर से न्यूट्रिशन के कार्यक्रम की—बच्चों और महिलाओं को कुछ सामग्री उपलब्ध कराने की। आज हालत यह है कि उन तक यह सामग्री नहीं पहुँचती है। कुछ एजेन्ट उनके खा जाते हैं। गरीब तबके तक नहीं पहुँचती है। सभापतिजी, जो अनुसूचित जाति और जन-जाति के लोगों को ऋण दिया जाना चाहिये था सचमुच उस काम को भी हम नहीं कर पाये। चार हजार के लोन देने की योजना थी, उसको भी नहीं कर पाये राज्य सरकार इसको गंभीर रूप से लेगी।

( समय-समाप्ति–सूचक-घण्टी )

**श्री सभापति** : श्री बी. एन. जोशी !

( अनुपस्थित )

श्री रघुनाथ विश्नोई !

**श्री रघुनाथ विश्नोई** ( सांचोर ) : माननीय सभापति जी, राज्यपाल महोदय, ने जो सदन में कृपा पूर्वक अभिभाषण दिया है, उसके धन्यवाद प्रस्ताव पर इस सदन में विचार-विमर्श पिछले दो दिनों से हो रहा है। माननीय सभापतिजी, राज्यपाल महोदय ने जो राजस्थान में मौजूदा परिस्थितियों में जो संकट की स्थिति और सब तरह की जो परिस्थितियां हैं उसका जिक्र अभिभाषण में किया है। माननीय सभापति जी, इसका जो पिछले

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

समय में हमारे राजस्थान में बहुत बड़ी संकटपूर्ण स्थिति रही, सूखे की स्थिति रही उसके बावजूद राजस्थान सरकार ने अपने सीमित साधनों से कोशिश करके उस समय से गुजरने की कोशिश की है। इसके बावजूद भी इस साल पहले सूखे की स्थिति और फिर बाढ़ की स्थिति और बाढ़ की स्थिति से सिरोही, पाली, जालोर पश्चिमी राजस्थान के जो जिले हैं, जो सूखाग्रस्त रहते हैं परन्तु इस वर्ष वर्षा इतनी अधिक हुई कि फसलें पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गईं और उसके बाद पाली, जालोर, सिरोही में बाढ़ आ गई और जब नदियों से पानी आया तो हम बहुत खुश हुए, हालांकि नुकसान काफी हुआ परन्तु पानी काफी वर्षों बाद आया, लूनी नदी में पानी आया तो हमने सोचा ब्लेसिंग इन डिसगाइस है। पहले नुकसान जरुर हुआ परन्तु जब पानी आया तो हमको यह आशा थी कि खरीफ की फसल को क्षति हुई है लेकिन रबी की फसल को फायदा मिलेगा और हमने राज्य सरकार से अच्छे बीज की भी मांग की परन्तु हमारा दुर्भाग्य है कि राज्य सरकार ने समय पर बीज का माकूल इन्तजाम नहीं किया और जैसा भी बीज था लोगों ने अपने साधनों से उपलब्ध करके बुआई की। बीज अच्छा नहीं होने की वजह से शुरुआत में ही याने दिसम्बर में मैंने राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया कि इस साल गेहूं की फसल बहुत अच्छी दिखाई दे रही है परन्तु दिसम्बर माह में ही गेरू की बीमारी के निशान दिखाई दिये तो शायद केन्द्र की टीम आई और वहां उसने अध्ययन किया और उसकी भी समझ में नहीं आया कि यह गेरू की बीमारी कहां से आई और यह कीड़ा कहां से आया। यह बीमारी पहले एक गांव में फैली और फिर धीरे-धीरे दिसम्बर के आखिर में 15 गांवों में और अब आश्चर्य होगा कि सारे क्षेत्र में जालोर, सांचोर क्षेत्र में और लूणी के क्षेत्र में इस साल जहां लाखों मन गेहूं अनाज होता और कहा जाता है कि गोदामों में अनाज नहीं है तो कुदरत यदि हमारा साथ देती तो सारे गोदाम भर जाते और लेवी लगाते और प्रोक्योरमेन्ट करते तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ठीक तरह से फसल होती तो कोई कमी नहीं रहती। परन्तु हमारा दुर्भाग्य है ऐसी अच्छी फसल होते हुए भी आज उस इलाके में जाते हैं तो रोना आजाता है। फसल बहुत अच्छी खड़ी हुई दिखाई देती है लेकिन उसको गेरू का रोग लग गया। शुरू-शुरू में सर्दी आई और कोल्ड वेव आई और जो थोड़े साधन सम्पन्न किसान थे उन्होंने हाई ब्रीड गेहूं बोया था उसमें तो यह बीमारी नहीं लगी लेकिन जो पाला आया हाई ब्रीड गेहूं बड़ा सेन्सीटिव होता है और उससे उसको क्षति हुई और वह करीब नष्ट हो गया और जो रबी की फसल होती है जिसमें रापड़ा, चना, सरसों, अरण्डा वगैरह होता है वह तो बिलकुल फसल समाप्त हो गयी और जब तक सर्दी चली तब तक तो जो गेहूं तने में गेरू का कीड़ा वह रुका रहा और अब तक तो सर्दी कम हुई है और पिछले दो दिनों तक तो पश्चिमी हवा चली उसका नतीजा यह हुआ कि सारे क्षेत्र में गेरू की बीमारी फैल गयी और हमने एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट को भी कहा, उनकी टीम गयी और उन्होंने स्प्रेइंग का प्रोजेक्ट भी तैयार किया। उन्होंने एरियल स्प्रे की स्कीम बनाई थी। परन्तु हमने कहा और हमने एक्सपर्ट्स

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

से भी पूछा कि आप इसका इलाज कर सकते हो या नहीं। अगर इसका इलाज कर पाते हो तो रुपया खर्च करो वरना पूरी राज्य सरकार से खर्चे से कर सकते हो। इसका 50 परसेंट खर्चा काश्तकारों के ऊपर डालने की बात आई। हालांकि एपेडेमिक बहुत पहले डिक्लेयर कर दिया था लेकिन एक्टिव स्टेप्स नहीं ले पाये और काश्तकारों से पहले पैसा जमा कराओ और फिर छिड़काओ वाली बात आई। किसान इसके लिए तैयार नहीं हुए क्योंकि वे साधन-सम्पन्न नहीं थे और बहुत मुश्किल से बीज मनीलेन्डर्स से लेकर दुगनी और तिगुनी कीमत पर लेकर बोया फिर वह दवाई की कीमत कहां से चुकाये। ऐसी हालत में महीने भर ऐसे ही चला और मुश्किल से 15-20 एकड़ में इलाज कर पाये। यह फसल भी बाद में नष्ट हो गई फिर उनसे पूछा गया कि यह बीमारी क्यों हुई जब छिड़काव कर दिया गया तो उन्होंने कहा कि तीन बार छिड़कने की जरूरत थी। तो जब तीन बार छिड़कने वाली बात थी तो पहले क्यों नहीं बताया। इसके बारे में विशेषज्ञों की फिर एक रिपोर्ट आई। उन्होंने यही रिपोर्ट दी कि इसका कोई इलाज नहीं है सिर्फ इसका प्रिवेन्शन है। पहले से रोक-थाम हो सकती है। इससे सभापति महोदय, लाखों मन अनाज नष्ट होगया और मैं आपकी मार्फत आग्रह करूंगा कि इस सदन के सदस्यों की एक टीम भेजी जाये जो वहां जाकर फसल की हालत देखे सभापति महोदय, इसका एक खतरा और है कि यह किसी और जगह नहीं लग जाये। हमारे यहां तो सारी जगह फैल गयी है। वहां पर इतनी अच्छी फसल दीख रही है लेकिन वह नीचे से बिलकुल लाल है। तो इस तरह का भयंकर रोग इस गेहूं की बीमारी से पैदा हो गया और किसान बरबाद हो गए हैं। तो इस बारे में मैंने राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित पहले भी किया था और अब मैं और आपकी मार्फत कहना चाहता हूं कि अभी बिलकुल ही फसल नष्ट हो चुकी है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट के एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इस फसल को जला दिया जाये तो इसका वायरस जो हवा के साथ फैलता है, वह रुक जायगा। लेकिन यह कौन करे। काश्तकार कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं करना चाहते हैं वह पहले से ही फ्रस्ट्रेड है क्योंकि उसका चारा ही खाने के काबिल है। इसलिए अब मैं आपकी मार्फत एग्रीकल्चर डिपार्टमेन्ट से आग्रह करूंगा और कृषि मंत्रीजी से भी कहूंगा कि इस समय भी कुछ स्टेप्स ले सकें तो थोड़े एरिया में शायद अभी ऐसा गेहूं है कि फसल बच सकती है। तो उसको रोगग्रस्त फसल डेस्ट्राय की जानी चाहिए।

सभापति जी, इसके लिए हमें खुशी है कि हालांकि कुछ पार्टीज तो लेवी का विरोध करती हैं और हमने काश्तकारों को शुरू से समझाया और कहा कि इसका विरोध नहीं करना है। हमने लोगों को समझाया कि हमको लेवी देनी है और उसके बदले में हम सीमेन्ट देंगे, रसायनिक खाद देंगे। तो इस मामले में बाड़मेर जिला तो प्रथम आया और जालोर जिला द्वितीय स्थान पर आया। लेवी प्रोक्योरमेन्ट में जनसंघ ने कहा कि मत दो और आन्दोलन करने की भी कोशिश की। सांचोर के अन्दर जैसा माननीय

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

सदस्य कह रहे थे कि यहां तो शांतिपूर्ण बंद चला लेकिन सांचोर के अन्दर कुछ तोड़फोड़ हुई। सरकारी जीप तोड़ी गयी जिसमें आठ-दस हजार का नुकसान हुआ और पाइप तोड़े गये लेकिन फिर भी हमने स्थिति को कण्ट्रोल किया और काश्तकारों को समझाया और आज 40 हजार क्वि० के आसपास लेवी का प्रोक्योरमेन्ट हो गया है लेकिन सभापतिजी, आपकी मार्फत मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि खाद्य निगम की तरफ से जितना को-आपरेशन होना चाहिए था वह नहीं मिला। अगर उनका को-आपरेशन मिला होता और जैसा उन्होंने कहा था कि 15 मील के अन्दर केन्द्र स्थापित करेंगे और प्रोक्योरमेन्ट करेंगे वह उन्होंने नहीं किया। बाड़मेर में उन्होंने ज्यादा फैसिलिटीज दी इसलिए वहां पर ज्यादा बाजरा इकट्ठा हुआ लेकिन हमारे यहां फैसेलिटीज नहीं थी इसलिए प्रोक्योरमेन्ट कम हुआ। हमारे यहां पर किसानों को पन्द्रह, बीस मील तक गाड़ियों पर डालकर बाजरा लेवी के लिए देना पड़ा। हमारे यहां पर डूंगरी केन्द्र पर 5 हजार क्वि० बाजरा इकट्ठा किया। हमारे यहां पर डूंगरी केन्द्र पर सात दिनों तक काश्तकार गाड़े लिए खड़े रहे और न वहां पानी का इन्तजाम था और न कुछ और वहां पर एफ० सी० आई० के कोई श्री मेघराज, एजेंट थे उन्होंने कोई को-आपरेशन नहीं किया। इस तरह से वहां लड़ाई होने वाली थी, मैं भी वहां पर गया और तीन दिन तक रहा और जीवनसिंहजी जो कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं उनको मैंने बुलाया। 6-7 दिन के बाद वहां लोग खड़े रहे एवं उनका बाजरा तुलाकर दे पाये। वहां बाड़मेर में तो 72 रुपया प्रति क्वि० दर से बाजरा दिया और हमारे यहां पर 70 रुपया दिया जब कि हमारे यहां का बाजरा अच्छा था। इसके लिए हमने उनको कहा तो उन्होंने कहा कि 69 रु० में पहले शुरू कर दिया और अब ज्यादा देंगे तो ठीक नहीं होगा। सरनाऊ में 69 रु. में पहिले तोला और फिर दूसरे वहां पर सुब्रह्मण्यम क्वालिटी कन्ट्रोल के आफिसर आये तो उन्होंने कहा कि मैं तो वह बाजरा रिजैक्ट करता हूं। वह रिजैक्ट करके चले गए। उधर तो राजस्व अधिकारी कहते हैं कि तुलाओ और इधर यह अफसर रिजैक्ट करते हैं तो इस संघर्ष में तीन दिन हंगामा होता रहा। कलेक्टर आया और राजस्व अधिकारी आये और यहां मैंने कृषि मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को और स्पेशल सेक्रेटरी फूड को मूव किया। उन्होंने अपने डिवीजनल मैनेजर से बात की और मुझे तार किया कि कर्नावटजी हैं वह साथ चले जायें। मुझे अफसोस है कि उन्होंने वादा किया आने का लेकिन नहीं आये। वहां पर फिर भी 65 रुपये से आगे एक पैसा नहीं दिया। तो इस तरह से क्वालिटी इन्सपेक्टर और एफ. सी. आई. वाले कहते हैं कि हमें तो बाजरे की आवश्यकता नहीं है अब इतना काफी है। तुम्हें तो आवश्यकता नहीं है लेकिन स्टेट को तो जरूरत है। पास में गुजरात में रोला हो गया और जिस बाजरे का भाव 120 रुपया था उसके मुकाबले में इस तरह से एटरेंडम खाद्य निगम वाले भाव लगाते हैं और उनका री-एक्शनरी एटीट्यूड है। फिर भी हमारी नहीं सुनी, बाद में कुछ सहयोग दिया

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

लेकिन अभी तक भी यही स्थिति चल रही है। कई जगहों पर हमारे काश्तकारों द्वारा बोरियां लाई हुई पड़ी हुई हैं। अब स्पेशल सेक्रेट्री साहब ने जरूर कहा है कि दो-तीन दिन में इन्तजाम कर दिया जायेगा लेकिन स्थिति ऐसी ही है। कहने का मतलब यह है कि जिन परिस्थितियों में प्रोक्योरमेंट करते हैं, खरीदने वाली जो एजेन्सीज हैं उनका अच्छी तरह से कोआॅपरेशन किया जाय। काश्तकारों का जिस तरह का कोआपरेशन रहता है और उनका खाद्य निगम जिस तरह का आउट लुक रहता है, उनको जैसा कहते हैं वैसा ही करने को तैयार हो जाते हैं, घाटा खाकर भी लेवी देने को तैयार हो जाते हैं फिर भी उनको पूरा पैसा नहीं मिले, समय पर पैसा नहीं मिले और 60; 65 और 70 का भाव देते हैं फिर भी पैसा समय पर नहीं मिलता है, फिर भी उनके साथ जिस तरह का क्वालिटी कन्ट्रोल के नाम पर वर्ताव किया जाता है, उसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं और इनके खाद्य निगम एटीट्यूड में परिवर्तन होना चाहिए। सीनियर आॅफिसर्स जरूर सहयोग देते हैं लेकिन क्वालिटी इन्सपेक्टर का जो रवैया मौके पर है उसमें चेंज लाने की जरूरत है। उनसे कहते हैं तो वे कह देते हैं कि कलेक्टर से बात करो और कलेक्टर के पास जाते हैं तो वह सुनने को तैयार नहीं है। उनके सामने तो वही रिजेक्टेड की स्लिप है। ऐसी परिस्थितियों के अन्दर भी काश्तकार को-आपरेट करते हैं।

सभापति महोदय, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि राज्य सरकार को इस ओर सख्त कदम उठाना चाहिए जिससे भविष्य में जब भी प्रोक्योरमेंट हो तो उसके बारे में माकूल इन्तजाम पहले से हो, किसानों को पूरा पैसा मिले। सरकार को पैसे का, बोरियों का और दुकानों का, स्टोर्स का पूरी तरह से इन्तजाम पहले करना चाहिए ताकि लोगों को कठिनाई नहीं हो।

दूसरी बात यह है कि जगह-जगह पर जिला स्तर पर काश्तकारों की जो डिफिकल्टीज हैं उनकी ओर भी, सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमने लोगों को यह कहा कि तुमको सीमेंट दिलायेंगे। सीमेंट दिलाने में प्रिफरेंस दिया जाएगा क्योंकि तुमने लेवी दी है। रासायनिक खाद में, कन्ट्रोल के मोटे कपड़े में उनको प्रिफरेंस दिया जाएगा और राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्रीजी ने यह घोषणा की थी कि जो लोग लेवी देंगे उनको इन चीजों में प्रिफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि वह एक क्विन्टल पर पचीस-तीस रुपये का घाटा भुगतते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसे लोगों को प्रिफरेंस क्यों नहीं दिया जाता है। इन कन्ट्रोल्ड आर्टिकल्स में। मैं राज्य सरकार से यह भी चाहूंगा कि जालौर जिले में हजारों कुए हैं जो नष्ट हो गए हैं। बाढ़ के अन्दर पाट दिए गए हैं, उन पर रेता आ गया। पहले जो रेता था वह तो मिट्टी हो गई और उन वैरों को पाट दिया गया। वहां पर सीमेंट का फर्मा लगा कर कुआ बनाया जाता है। अब उनको पांच दस बोरी सीमेंट देते हैं तो इससे उनका कुआ बन नहीं पाता है। वे कंकरीट और सीमेंट के द्वारा फर्मा बांधते हैं तो उसके लिए उनको कम से कम पचास-साठ बोरी सीमेंट चाहिए। राज्य सरकार को अनाज का उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से भी प्रोत्सा-

# Page No 126

(126)



( श्री रघुनाथ विश्नोई )

हन देना चाहिए काश्तकार को और जालोर जिले को स्पेशल कोटा सीमेंट का दिया जाना चाहिये ताकि हजारों कुए जो नष्ट हो गए हैं उन कुओं को वह फिर से बांध सके। एक फर्मा बांधा और उसमें रेता आ गया तो उसके पहले का पैसा तो बेकार गया और फिर से उसे खर्चा करना पड़ता है। तो इन विशेष परिस्थितियों के अन्दर स्पेशल कोटा जालोर जिले को दिलाने के लिए मैं आपकी मार्फत राज्य सरकार से आग्रह करूंगा।

सभापतिजी, इसके अलावा पांचवीं पंचवर्षीय योजना में ग्रामों के विकास के लिए, जिलों के विकास के लिए मिनिमम प्रोग्राम रखा है दवाइयों का, चिकित्सा का और दूसरे एम्प्लायमेंट की पोटेंशियलिटी क्रियेट करने का और जिसका राज्यपाल महोदय ने भी जिक्र किया है, इस बारे में भी हमारे वहां की जो स्थानीय नीड्स हैं, जो स्थानीय आवश्यकतायें हैं उसके अनुसार राज्य सरकार द्वारा एलोकेशन किया जाना चाहिए ताकि जहां पर ज्यादा पोटेंशियलिटी है विकास की वहां पर प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान ज्यादा दिया जा सके और रीजनल क्षेत्र के आधार पर जहां आवश्यकता है, प्रोडक्शन कम है उस ओर भी राज्य सरकार को ध्यान देना पड़ेगा। तभी समस्या का हल हो सकता है, क्योंकि सिरोही, पाली, जालोर ऐसे जिले हैं जहां लाखों मन अनाज पैदा किया जा सकता है और राजस्थान की अनाज की समस्या हल कर सकते हैं परन्तु किसानों की समस्या का समाधान पहले आवश्यक है। इस बारे में राज्य सरकार को गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

( समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी )

पांचेक मिनिट और लूंगा। इसके अलावा, सभापतिजी, जिला जालोर में डेयरी डेवलपमेंट की बहुत बड़ी गुंजाइश है। बड़ी मुश्किल से डेयरी डेवलपमेंट की एक स्कीम बनी लेकिन वह भी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को दे दी है। राज्य सरकार दूसरे जिलों में तो स्टेट सैक्टर में डेयरी लगाती है परन्तु हमारे वहां पर कोई सिक्का साहब हैं उनको लाकर बिठा दिया है और उनको यह काम प्राइवेट तौर पर दे दिया है। लेकिन अभी तक वहां पर कोई काम नहीं हुआ है। अभी तक नींव ही नहीं खुदी है और इससे लोगों की आशाओं पर तुषारापात हुआ है। धानेरा में, मेहसाना में जगह-जगह गुजरात में डेयरीज हैं लेकिन जालोर जिले में एक भी डेयरी नहीं है और जो सैंक्शन हुई है उसकी भी कोई प्रोग्रेस नहीं है। इसलिए मैं आपकी मार्फत, सभापतिजी, राज्य सरकार से आग्रह करूंगा कि या तो उनका लाइसेंस कैंसिल करके इसको स्टेट सैक्टर में ले लीजिए वरना उनको डायरेक्शन दीजिए कि एक साल में डेयरी का निर्माण होकर दूध का कलेक्शन शुरू कर देने की बात थी तो उसमें इतनी डिले क्यों हुई। तो इस बारे में, डेयरी डवलपमेंट के बारे में भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सभापतिजी, इसके अलावा हमारे वहां पर जो टूटे-फूटे बांध हैं, बड़गांव बांध

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

की स्कीम है, माही और राजस्थान कैनाल की स्कीम है, माही नदी की स्कीम है, जैतपुरा और बड़गांव की स्कीम है उनको पूरा किया जाय जिससे जो टूटे-फूटे बांधों के कारण सारा पानी बह कर गुजरात में चला जाता है उसको रोका जा सके। उस पानी को डायवर्ट करने के लिए सरकार स्कीम बनावे। इसके अलावा दूसरे जो ट्यूब वैल्स खुदे हुए हैं और बेकार पड़े हुए हैं, उनका पानी काम में नहीं लिया जा रहा है उस ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। ड्रिंकिग वाटर जालोर जिले में काफी खारा है। इसके लिए कुछ स्कीमें शुरू भी हुई हैं लेकिन कुछ और नई स्कीमें बना कर ड्रिंकिग वाटर की प्राब्लम को सोल्व करने की आवश्यकता है। इस बारे में गवर्नर साहब ने भी कुछ रेफरेंस दिया है, परन्तु ड्रिंकिंग वाटर की प्राब्लम हमारे जिले में और ज्यादातर हमारे सांचोर तहसील में खारे पानी के ही कुए हैं जिस ओर मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इसके अलावा सभापतिजी, जालोर जिले में सबसे अधिक कुओं की संख्या है लेकिन बिजली के अभाव में उनको क्रूड ऑयल से चलाया जाता है। आज क्रूड ऑयल मिलता नहीं है और आगे भी क्रूड ऑयल उपलब्ध होगा नहीं। सबसे ज्यादा हिन्दुस्तान में क्रूड-ऑयल की खपत जालोर जिले में है। लगभग सारे पम्पिंग सेट क्रूड से चलते हैं। अगले साल क्रूड नहीं मिलेगा तो और भी कठिनाई हो जाएगी। इसलिए मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि सिरोही से भीनमाल, सांचोर जो 132 के.वी. की लाइन है उसको सब जगह फैला कर हमारे कुओं पर जो पम्पिंग सेट हैं उनको जगह बिजली के करेंट से जोड़ दिया जाय तो सबसे ज्यादा उत्पादन वहां पर हो सकता है। वहां पर लेवी दी गई है, हर तरह की लेवी दी गई है और डिफीकल्ट परिस्थितियों में लेवी दी गई है तो ऐसी हालत में इन दी इन्टरेस्ट ऑफ राजस्थान आप वहां पर बिजली की व्यवस्था करा दें तो वहां के किसानों की समस्या काफी हल हो सकती है। मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए आग्रह करूंगा कि इस ओर ध्यान दें और जल्दी से जल्दी इसकी व्यवस्था करा दें ताकि आगे जाकर यह समस्या खड़ी नहीं हो। आगे तेल नहीं मिलेगा तो बिजली ही एकमात्र साधन है, इसलिए इसके बारे में विशेष रूप से प्रावधान करके क्लस्टर स्कीम को रखें। अपनी जो लाइन है उसको फैला दें ताकि कुओं को बिजली मिल जावे तो काश्तकारों को राहत मिल सकेगी।

सभापतिजी, इसके अलावा जो यहां डिफेंस रोड हमारे यहां से जाती है,

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

पक्की सड़क है उस ओर भी मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करूंगा कि जो पक्की सड़कें हैं उन रोड्स पर तो आप बसों का नेशनेलाइजेशन कर दें ताकि जो यह इन्कम है, राज्य सरकार को घाटा भी है, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज भी हैं, उस हालत में इनका तुरन्त राष्ट्रीयकरण कर दें और रोडवेज की बसें लगा

( श्री रघुनाथ विश्नोई )

दें, रोडवेज ने बसों की व्यवस्था, डी लक्स बसेज वगैरा की ओर ध्यान दिया है और काफी अच्छी व्यवस्था की है आगे भी मैं चाहूंगा कि नेशनेलाइजेशन का लाभ ज्यादा से ज्यादा उठाया जाये। हम ऐसा करेंगे कि 50% अगले साल राष्ट्रीयकरण हो जाये। दूसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा, ये जो डिस्ट्रिक्ट ग्रिवेंसेज कमेटी हैं, उनके बारे में जो जिला लेविल कमेटी है और एक्टीव वे नहीं हैं।

( समय-समाप्ति-सूचक-घण्टी )

ये आरोपों की शिकायतें लेकर रख देते हैं। कोई डिस्पोज ऑफ नहीं होती है वरना वहां एम० एल० एज० को रखने में कोई फायदा नहीं है। इसके बारे में मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूं। और इन्हीं शब्दों के साथ गवर्नर महोदय ने जो अभिभाषण दिया है उसके बारे में जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

**श्री सभापति** : श्री गोपाल जोशी !

**श्री गोपाल जोशी** (बीकानेर) : सभापति महोदय, मैं राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में अपने विचार व्यक्त करूंगा। राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान को एक बहुत ही मुश्किल हालत में गुजरते हुए बताया है। जिसके कई कारण हैं। एक तो लगातार अकाल का पड़ना और पिछले साल बाढ़ का आजाना और, इसके साथ-साथ महंगाई का बढ़ जाना। कुछ तो मुसीबतें ऐसी हैं जो प्रकृति द्वारा हमारे ऊपर लाद दी जाती हैं, उनका मुकाबला तो हम कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी होती हैं, जैसे महंगाई है, इसमें हमारे यहां के लोगों ने सहयोग किया है। इसमें खासतौर से तीन तरह के तबके के लोगों ने महंगाई बढ़ाने में सहयोग किया है। कुछ तो बड़े जमीदार हैं, जिन्होंने अनाज को छिपा कर रखा है। प्रोक्योरमेन्ट को पूरा नहीं होने दिया दूसरे व्यापारी हैं जिन्होंने माल खरीदकर गोदाम में रख लिया है। तीसरा इसमें सरकारी तन्त्र है जिसने इस कार्य को पूरा किया इसमें कोई सन्देह नहीं कि अगर सरकार की मशीनरी ठीक तरह से काम करती तो निश्चित रूप से कुछ सुधार हो सकता था।

( व्यवस्था-सूचक घण्टी )

**श्री सभापति** : कोरम नहीं है।

**श्री खेतसिंह** : तो हाउस को एडजोर्न कर दीजिये।

**श्री सभापति** : सदन की कार्यवाही कल दिनांक 6 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायंकाल 6 बज कर 5 मिनट पर बुधवार दि० 6 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई।)

परिशिष्ट–5 मार्च, 1974–परिशिष्ट

## परिशिष्ट–1

( तरांकित प्रश्न संख्या 31 की सूची )

1. सिलिका सेन्ड—निकट गांव लाठी, जिला जैसलमेर 1971-72 .

2. चूने का पत्थर ( पीले रंग का )—निकट जैसलमेर 1970-71 .

3. सैलेनाइट—निकट गांव थोब, जिला बाड़मेर 1960-61 .

4. सिलिशियस अर्थ—निकट गांव भाटी का गोल, जिला बाड़मेर 1971-72 . (इस परियोजना पर जांच कार्य अभी चल रहा है।)

विभाग द्वारा गांव उन्दरोर के निकट लिगनाइट ( भूरा कोयला ) की जांच 1956-57 में की गई, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हुई।

भारतीय भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इन जिलों में खनिजों के खोज का कार्य किया गया है, जिनमें निम्न परियोजनाएं प्रमुख हैं:—

1. रॉकफासफेट—निकट गांव सबरमानिया और फतहगढ़, जिला जैसलमेर 1967-68.

2. बाड़मेर जिले में मुल्तानी मिट्टी एवं बेण्टोनाइट की भी जांच की गई।

## परिशिष्ट–2

( तारांकित प्रश्न संख्या 32 की सूची )

### परिशिष्ट 'अ'

**केन्द्र से खाद्यान्न की मांग एवं प्राप्त आवंटन की तालिका**

( टनों में )

| नाम माह | राज्य की मांग | | राज्य को प्राप्त आवंटन | |
|---|---|---|---|---|
| | गेहूं | मोटा अनाज | गेहूं | माइलो |
| 1. दिसम्बर, 73 | 60,000 | 20,000 | 15,000 | 20,000 |
| 2. जनवरी, 74 | 31,000 | 25,000 | 15,000 | 10,000 |
| 3. फरवरी, 74 | 50,000 | 35,000 | 15,000 | 10,000 |

### परिशिष्ट 'ख'

**जिलेवार आवंटन तालिका**

( मात्रा टनों में )

| क्र. सं. | नाम जिला | दिसम्बर, 73 | | जनवरी, 74 | | फरवरी, 74 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | गेहूं | माइलो | गेहूं | माइलो | गेहूं | माइलो |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | अजमेर | 1400 | — | 1400 | 1000 | 1400<br>50 | 500 |
| 2. | अलवर | 300 | — | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 3. | बाड़मेर | 300 | — | 300 | 500 | 300 | 500 |
| 4. | बूंदी | 200 | 100 | 200 | — | 200 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | भरतपुर | 300 | — | 500 | — | 300 | — |
| 6. | भीलवाड़ा | 500 | 500 | 600 | 1500 | 600 | 1000 |
| 7. | बांसवाड़ा | 300 | 2000 | 300 | 1200 | 300 | 1000 |
| 8. | बीकानेर | 900 | — | 900 | — | 900 | — |
| | | | | | | 50 | |
| 9. | चूरू | 600 | — | 550 | — | 550 | — |
| 10. | चित्तौड़गढ़ | 300 | 700 | 300 | 1000 | 250 | 1000 |
| 11. | डूंगरपुर | 300 | 1000 | 250 | 1000 | 250 | 1000 |
| 12. | गंगानगर | 300 | — | 300 | — | 350 | 200 |
| | | | | | | 50 | |
| 13. | जयपुर | 2400 | 1000 | 2400 | — | 2400 | — |
| 14. | जोधपुर | 1300 | — | 1300 | — | 1300 | 1300 |
| | | | | | | 50 | |
| 15. | जैसलमेर | 200 | 300 | 200 | 300 | 150 | 300 |
| 16. | जालौर | 150 | — | 150 | — | 150 | — |
| 17. | झुन्झुनूं | 450 | — | 400 | — | 400 | — |
| 18. | झालावाड़ | 300 | 500 | 250 | 500 | 250 | 200 |
| 19. | कोटा | 500 | 110 | 450 | — | 450 | 100 |
| 20. | नागौर | 500 | — | 500 | — | 500 | — |
| 21. | पाली | 600 | — | 500 | — | 500 | 500 |
| 22. | सीकर | 450 | — | 450 | — | 450 | — |
| 23. | सवाई माधोपुर | 350 | — | 350 | — | 350 | — |
| 24. | सिरोही | 350 | — | 400 | 1000 | 350 | 1000 |
| 25. | टोंक | 350 | 2500 | 350 | — | 350 | — |
| | | | | | | 50 | |
| 26. | उदयपुर | 1400 | — | 1400 | 2000 | 1400 | 2600 |
| | योग .... | 15,000 | 8710 | 15,000 | 10,000 | 15,000 | 10,000 |

उपरोक्त आवंटन के लिये वितरण का आधार शहरी जनसंख्या को 3 किलो गेहूं प्रति व्यक्ति माना जाकर आवंटन किया गया है जो स्थानीय स्थिति में कमोबेश की गई। माइलो आवश्यकतानुसार आवंटन के अनुपातित रूप से दिया गया।

## परिशिष्ट–3

### समयाभाव के कारण सदन में प्रश्नोत्तर काल में न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर

### नशाबन्दी की योजना

39. श्री राजेन्द्रसिंह (उनियारा): क्या ग्राबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या राज्य में पूर्ण नशाबन्दी की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो यह कब तक लागू कर दी जावेगी ?

**उत्तर**

जी नहीं ।

### जालौर जिले में चीनी का वितरण

40. श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालोर में इस वर्ष मांग के अनुसार खाद्यान्न का पूरा कोटा नहीं भेजा गया ? अगर हां, तो क्यों तथा कितना-कितना कोटा पिछले छः माह में माहवार अलॉट किया गया एवं माहवार कितनी-कितनी मांग थी ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या यह भी सही है कि पिछली 6 माही में जिला जालौर में शक्कर का निर्धारित कोटा पूरा नहीं दिया गया ? अगर हां, तो क्यों ? अगर नहीं, तो पिछली छःमाही में माहवार तहसीलवाइज कितना-कितना शक्कर का ग्रावंटन कर भेजा गया एवं वास्तविक जनसंख्या के ग्राधार पर कितना शक्कर का कोटा ग्राना चाहिये था ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) क्या यह सही है कि जिले में शक्कर वितरण के विरुद्ध जनता की ग्रोर से कई शिकायतें ग्राई हैं ? ग्रगर हां, तो कहां-कहां से कितनी कितनी ? इन शिकायतों के बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? भविष्य में शक्कर वितरण में कोई शिकायत न हो उस बारे में सरकार क्या कार्यवाही करना उचित समझेगी ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

भारत सरकार से बहुत कम मात्रा में आवंटन प्राप्त होने के परिणामस्वरूप मांग के अनुरूप कोटा भेजना संभव नहीं हुआ। गत 6 माह में जिले की मांग, जिले को किये गये आवंटन की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी नहीं।

जिला जालौर की जनसंख्या 6,67,950 है। 325 ग्राम शक्कर प्रति इकाई माह के अनुसार निर्धारित कोटा 218 टन प्रति माह होता है कोटा इससे ज्यादा ही दिया गया है। पिछले 6 माही की सूची उप-खण्डवाइज (तहसीलवाइज प्राप्त न होने के कारण) सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां।

सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गई इसका भी सूची में विवरण अंकित कर दिया गया है। वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिये प्रत्येक वार्ड में उपभोक्ताओं की एक समिति का गठन करने के जिलाधीशों को आदेश दे दिये हैं।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई )

## ग्राम पंचायत बगरू के सरपंच द्वारा अनुसूचित जाति एवं जन-जाति को निःशुल्क पट्टे

41. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) ग्राम पंचायत बगरू, पंचायत समिति, सांगानेर के सरपंच द्वारा पंचायत एवं विकास विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 4 (एल. जे.) 12170-12203, दिनांक 9-8-1970 के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जन-जाति वालों को अब तक कितने निःशुल्क पट्टे दिए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि निःशुल्क पट्टे नहीं दिये हैं तो क्यों ?

(2) ग्राम पंचायत बगरू में उक्त आदेश के बाद अनुसूचित जाति/जन-जाति के व्यक्तियों की कितनी मिसलें पेंडिग हैं, जिनमें कि ग्राम पंचायत द्वारा उक्त आदेश की अवहेलना कर पट्टे पेटे की राशि जमा की गई है ? तालिका सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या राज्य सरकार अब उन व्यक्तियों की राशि वापस लौटाने के संबंध में उक्त पंचायत समिति को निर्देश देने के विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बगरू द्वारा अनुसूचित जाति के एक ही व्यक्ति को पंचायत एवं विकास विभाग के आदेश संख्या एफ. 4 (एल. जे.) 2 (1) 70/2203, दिनांक 19-8-70 के तहत निःशुल्क पट्टा दिया गया है, जिसकी सूची सदन को मेज पर रख दी गई है।

(2) ग्राम पंचायत बगरू के पास उक्त आदेश के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के कुल 129 व्यक्तियों के मामले अब पैंडिंग में हैं, जिनमें से एक ही मामले में ग्राम पंचायत द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति श्री रामधन से पट्टा राशि वसूल की है। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) श्री रामधन को भी निःशुल्क पट्टा दिये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं। और जो रकम पट्टे की वसूल की गई थी, उसे भी वापस लौटाये जाने के आदेश दिये जा चुके हैं।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधानसभा पुस्तकालय में रखी गई )

## ग्राम पंचायत मावली के अधिकार क्षेत्र की भूमि

42. **श्री निरंजननाथ आचार्य** ( मावली ) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत मावली के अधिकार क्षेत्र में स्थित भूमि को हल्के आबादी में देने हेतु पंचायत को सुपुर्द करने की कार्यवाही मावली तहसील के माध्यम से आरम्भ है? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या प्रगति हुई है?

(2) क्या यह सही है कि जिस जमीन को हल्के आबादी में देने हेतु कार्यवाही की जा रही है उस पर कई लोगों ने नाजायज कब्जा कर लिया है? यदी हां; तो किन-किन ने और कब-कब और कितनी जमीन पर? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

( स्थगित किया गया )

## झालरापाटन नगरपालिका के भू० पू० चेयरमेन व सेक्रेट्री के खिलाफ शिकायतें

43. **श्री रामप्रसाद बोहरा** ( झालरापाटन ) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि झालरापाटन नगरपालिका के भूतपूर्व चेयरमेन व सेक्रेट्री के खिलाफ काफी शिकायतें मंत्री महोदय एवं अधिकारियों के पास की गई थीं परन्तु

आज तक उन पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई और न ही जांच हुई है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

नगरपालिका के भूतपूर्व अध्यक्ष व अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त होने पर जिलाधीश, झालावाड़ से शिकायतों की जांच करवाई जा रही हैं।

## बीकानेर जिले में लेवी की वसूली

44. श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) : क्य खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) बीकानेर जिले में इस वर्ष लेवी वसूली के अन्तर्गत कितना क्विन्टल बाजरा काश्तकारों से वसूल किया गया ? तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि जिन काश्तकारों के पास खेतों में बाजरा नहीं हुआ ऐसे काश्तकारों से डिफरेन्स के पैसे लेकर लेवी का बाजरा खरीदा गया ? यदि हां, तो कुल कितनी धनराशि वसूल की गई ?

उत्तर

(1) बीकानेर जिले में 5183 क्विन्टल बाजरा लेवी वसूली के अन्तर्गत किसानों से प्राप्त किया गया। तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जहां तक राज्य सरकार को जानकारी है, जिन काश्तकारों के खेतों में बाजरा नहीं हुआ उनसे डिफरेन्स की राशि लेकर लेवी का बाजरा खरीद नहीं किया गया।

सूची

| क्रमांक | तहसील | लेवी की मात्रा क्विन्टल में (बाजरा) |
|---|---|---|
| 1. | बीकानेर | 760 |
| 2. | कोलायत | 1167 |
| 3. | नोखा | 1256 |
| 4. | लूणकरणसर | 2000 |
| | योग.... | 5183 |

## पंचायतों का कार्यकाल

45. **श्री चेतराम** ( टोडाभीम ) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) वर्त्तमान ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों एवं जिला परिषदों का कार्यकाल चुनाव होने के समय नियमित प्रावधानों के अनुसार किस तारीख को समाप्त हुआ था ? तथा इनका कार्यकाल किस-किस तारीख को कितने-कितने समय के लिए बढ़ाया गया था और अब अंतिम तिथि क्या है ?

(2) इसके पुनः चुनावों की घोषणा कब-कब ( कितनी बार ) राज्य सरकार द्वारा की गई थी ?

(3) चुनावों की तैयारी मतदान सूची का छपवाना/प्रकाशन तथा अन्य छपाई कार्यों पर समय-समय पर कितना-कितना खर्च ( जिलेवार ) हुआ है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(4) समय-समय पर चुनावों की घोषणा तथा पंचायत क्षेत्र, वार्ड सीमा आदि-आदि पर किया गया एस्टेब्लिशमेन्ट खर्च कितना हुआ ?

( स्थगित किया गया )

## जयपुर वन-मण्डल क्षेत्र के वन-खण्ड

46. **श्री मीठालाल** ( लालसोट ) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) जयपुर वन-मण्डल के क्षेत्र में वन-खंड लिवाली संख्या 1 का कुल क्षेत्रफल कितना है ?

(2) उक्त वन-खण्ड कितने मवेशियों के चरने का भार सहन करने की क्षमता रखता है ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त वन-खण्ड में जिन-जिन ग्रामों को जो अनुदान व अधिकार दिये गये हैं उनका भार यह जंगल आसानी से सहन करने की क्षमता नहीं रखता ?

(4) सम्पूर्ण वन-खण्ड में जिन-जिन गांवों को जो अनुदान व अधिकार दिये हैं उन ग्रामों के नाम क्या हैं ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त ग्रामों के पास कोई सरकारी चारागाह अलग से नहीं है ? यदि हां, तो उक्त वन-खण्ड में उक्त ग्रामों के अतिरिक्त बाहर के मवेशियों को चराने की इजाजत देने का क्या औचित्य है ?

उत्तर

(1) 7067 31 एकड़ ।

(2) लगभग 22000 मवेशी ।

(3) जी नहीं ।

(4) सूची संलग्न है ।

(5) वन विभाग को इसकी सूचना नहीं है । सदा की भांति चराई की सुविधा उन्हीं गांवों को दी जा रही है जो वर्षों से चराते आ रहे हैं ।

सूची—ग्राम अनुदान व अधिकार, वन-खण्ड लिवाली

| क्रम संख्या | नाम ग्राम | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| | | अनुदान |
| 1. | छावा | (1) ग्रामवासी अपने मवेशी शुल्क जमा कराकर चरा सकेंगे । |
| 2. | दीवान चली कलां | (2) सूखी गिरी पड़ी मोरपगी लकड़ी सिर बोझ व भार पर परमिट लेकर ला सकेंगे । |
| 3. | दीवान चली खुर्द | (3) ग्रामवासी घास व बाड़ की मथारी परमिट हांसिल कर ला सकेंगे । |
| 4. | थानपुर | |
| 5. | हम्मीरपुर | |
| 6. | विनौरी | (4) ग्रामवासी अपनी मवेशी पहाड़ के ऊपर डेरों में हमेशा की भांति रख सकेंगे । |
| 7. | मिटौली | |
| 8. | सिमटोली | |
| 9. | गोढ़ड़ा | अधिकार |
| 10. | नाबन्ड किशनपुरा | (1) ग्राम रास्तों पर ग्रामवासियों के आने-जाने में कोई रोक नहीं होगी । |
| 11. | गुढ़ला | |
| 12. | लिवाली | (2) देवस्थानों पर पूजा-पाठ तथा दर्शनार्थ जाने में किसी प्रकार की रोक नहीं होगी । |
| 13. | ककराला | |
| 14. | सटोना | (3) पानी पीने के स्थानों पर ग्रामवासी अपनी मवेशियों को पानी पिला सकेंगे तथा छायादार वृक्षों के नीचे बैठ सकेंगे । |

## राजस्थान सिविल सेवा ( नवीन वेतनमान ) नियम, 1969

श्री **गिरधारीलाल भार्गव** ( हवामहल जयपुर ) : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सिविल सेवा ( नवीन वेतन-मान ) नियम, 1969 दिनांक 1-9-1968 से लागू किये गये हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि वित्त ( नियम ) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. 9 ( 17 ) एफ. डी. ( रूल्स )/70 दिनांक 20-10-70 द्वारा जिन कर्मचारियों ने दिनांक 31-3-70 को 12 वर्ष की सेवा पूर्ण करली हो उन्हें एक अग्रिम वेतन वृद्धि स्वीकार की गई है ? यदि हां, तो दिनांक 31-3-70 ही निश्चय करने का क्या आधार है ?

[1]( स्थगित किया गया )

## मवेशियों की संख्या

48. श्री **मूलचन्द सामरिया** ( दौसा ) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में जिन जिलों में 6 या इससे कम तहसीलें हैं उनकी मवेशियों की संख्या किस्मवार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) दौसा उप-खण्ड में कितने मवेशी हैं ? पशुओं की किस्मवार, तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या कुछ जिले ऐसे भी हैं जिनमें मवेशियों की संख्या उप-खण्ड दौसा से भी कम या करीब-करीब बराबर है ?

### उत्तर

(1) सूची "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) सूची "ख" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी, नहीं।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

## ग्राम लोदोवड़ी, जिला भरतपुर की ग्राम सहकारी समिति का चुनाव

49. श्री गुरदयालसिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गांव लोदोवड़ी, जिला भरतपुर की ग्राम सहकारी समिति का चुनाव दिनांक 20-11-73 को हुआ था जिसमें श्री बाबूसिंह के पक्ष में 157 मत व श्री रामस्वरूप के पक्ष में 117 मत आये थे और श्री बाबूसिंह को चुना हुआ घोषित कर दिया था ?

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त गांवों से राजस्थान विधान सभा के उप-चुनाव जो 20-1-74 को हुआ, में सत्ताधारी गुट द्वारा एक पक्ष के मत प्राप्त करने हेतु और श्री रामस्वरूप की सहायता प्राप्त करने हेतु दिनांक 15-1-74 को उपरोक्त चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया ?

(3) क्या सरकार उपरोक्त मामले की निष्पक्ष जांच कराकर रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेगी और बतायेगी कि ऐसा क्यों किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं। यह मामला लोदोवड़ी से सम्बन्धित न होकर लुधावई से है। लुधावई ग्राम सेवा सहकारी समिति लि० का चुनाव 20-11-73 को हुआ जिसमें श्री बाबूसिंह के पक्ष में 157 मत आये और श्री रामस्वरूप के पक्ष में 119 मत आये और श्री बाबूसिंह को चुना हुआ घोषित कर दिया था।

(2) जी नहीं। पंच निर्णय हेतु प्रस्तुत वाद में चुनाव अवैध घोषित हुये।

(3) जी नहीं। श्री बाबूसिंह द्वारा पंच निर्णय के विरुद्ध 8-2-74 को राजस्थान राज्य सहकारी न्यायाधिकरण, जयपुर के समक्ष अपील निर्णय हेतु प्रस्तुत कर दी है। इस प्रकार यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

## गंगापुर के ग्राम बिनेगा की चारागाह भूमि पर नाजायज काश्त कर कब्जा

50. श्री अजीतसिंह (टोंक) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या तहसील गंगापुर के ग्राम बिनेगा के चारागाह खसरा नम्बर 109 में कुछ व्यक्तियों ने सम्वत् 2028 की खरीफ में 19 बीघा 4 बिस्वा में नाजायज काश्त की थी ?

(2) क्या उक्त भूमि पर नाजायज काश्त करने के बाद इसे राज्य सरकार द्वारा सिवाय चक में परिवर्तन किया गया ?

(3) क्या इस सम्बन्ध में जिलाधीश के द्वारा करवाई गई जांच पड़ताल में श्री जगनलाल मीणा, निवासी किनोगांव उप-सरपंच ने यह प्रगट किया कि इस चारागाह को सिवाय चक में परिवर्तन कराने के लिये बिनेगांव के कुछ व्यक्तियों ने 22 हजार रुपये की धनराशि एकत्रित की और इस सिवाय चक परिवर्तन के लिए भू. पू. विधायक श्री रिद्धिचन्द एम. एल. ए., गंगापुर ने सरकार में उनकी पैरवी की ?

(4) क्या राज्य सरकार यह जांच करायेगी कि किन-किन ने कैसे-कैसे धन एकत्रित किया और इस धन का किस प्रकार उपयोग किया गया ?

(5) इस समय तक ग्राम बिनेगा, तहसील गंगापुर में कितनी चरागाह तथा कितनी सिवाय चक भूमि पर और बड़ी अदेई की कितनी चरागाह भूमि पर गैर कानूनी कब्जा कर रखा है ? यह गैर कानूनी कब्जा कब से है और गैर-कानूनी कब्जा हटाने के लिए सरकार ने क्या किया तथा क्या परिणाम निकले ?

**उत्तर**

(1) जी हां।

(2) आराजी खसरा नम्बर 109 चारागाह में से 50 बीघा रकबा सिवाय चक में दिनांक 15-11-69 को जिलाधीश के आदेश से परिवर्तित किया गया था। बाद में इस आदेश की निगरानी होने पर उप-राजस्व मन्त्री द्वारा केवल 19 बीघा 4 बिस्वे रकबे का परिवर्तन दिनांक 22-8-70 को बहाल रखा गया।

(3) उप-जिलाधीश द्वारा कराई गई जांच में उक्त चारागाह से सिवाय चक में परिवर्तन कराने हेतु 22,000 रुपये की धनराशि एकत्रित किया जाना बताया गया था।

(4) इस विषय में अतिरिक्त विकास अधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

(5) इस समय ग्राम बिनेगा में चरागाह तथा सिवाय चक की 81½)1 भूमि पर और ग्राम बड़ी उदेई की 73¾)4 चरागाह भूमि पर गैर कानूनी कब्जा कुछ लोगों ने कर रखा है। बेदखली की कार्यवाही की जा रही है व फसल नीलामी की भी कार्यवाही की गई है।

## स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस से सहकारी समितियों को मुक्ति

51. श्री अमृतलाल गहलोत ( सरदारपुरा, जोधपुर ):—क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी समितियां स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त हैं ?

(2) क्या यह सही है कि कृषि उपज मन्डी समितियां जिनका गठन राजस्थान कृषि उपज विपणि ( संशोधन ) अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत किया गया है, स्टाम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त नहीं हैं ?

(3) क्या कारण है कि सहकारी समितियां निजी क्षेत्र की व्यापारिक संस्थाएँ होते हुए भी, उन्हें उपरोक्त ड्यूटी व फीस से मुक्त रखा गया है ?

(4) क्या कारण है कि कृषि उपज मण्डी समितियां सार्वजनिक क्षेत्र की प्रशासन एवं विकास करने वाली संस्थाएँ होते हुये भी स्टाम्प ड्यूटी व रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त नहीं की गई हैं ?

(5) अन्य कौन-कौन से राजकीय विभाग, उपक्रम, स्वायत्त शासन संस्थाएँ इत्यादि स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन फीस से मुक्त हैं ?

( स्थगित किया गया )

## सहकारी भूमि विकास बैंक, कोटा में नियुक्तियां

52. श्रीमती नगेन्द्रबाला ( दीगोद ) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि सहकारी भूमि विकास बैंक, कोटा में अनियमित नियुक्तियां हुई हैं ? यदि हां, तो किस किस की, और कब से ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें ?

(2) क्या यह भी सही है कि किसी कर्मचारी की नियुक्ति एवं कार्य स्थान का उसी क्षेत्र से घनिष्ट सम्बन्ध है जहां से अध्यक्ष चुन कर आये हैं ? यदि हां, तो उक्त कर्मचारी कौन है तथा अध्यक्ष के साथ क्या रिश्तेदारी है ?

### उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। बैंक के अध्यक्ष के पुत्र हैं।

## पंचायत समिति, लूनी की जलप्रदाय योजनायें

53. श्री रामसिंह विश्नोई ( लूनी ) : क्या जन-स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राजस्थान में पिछले वर्ष ग्रामीण जलप्रदाय योजना के अन्तर्गत कितनी नल योजनायें स्वीकृत हुईं ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि पंचायत समिति लूनी, जिला जोधपुर जहां पूरे क्षेत्र में पानी खारा है और वहां की कितनी योजनायें कितने ही दिनों से विभाग के विचाराधीन हैं परन्तु उनकी अभी तक मंजूरी नहीं हुई है ? अगर हां, तो क्यों ? तथा नल योजना की स्वीकृति देने में क्या आधार रहता है ? क्या इस वर्ष के अन्त तक इन योजनाओं को लेने का विचार है ?

### उत्तर

(1) वर्ष 1972-73 में कुल 181 ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें राजस्थान में स्वीकृत की गईं। जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) पंचायत समिति लूनी की 2 क्षेत्रीय ग्रामीण जलप्रदाय योजनायें विचाराधीन हैं। इन्हें धन की उपलब्धि नहीं होने के कारण स्वीकृत नहीं किया जा सका। जलप्रदाय योजना को स्वीकृति देना उपलब्ध धनराशि, विभिन्न क्षेत्रों में न्यायोचित विभाजन, जल कष्ट तथा पर्याप्त जल के स्रोत की उपलब्धि पर आधारित होता है।

इस वर्ष के अन्त तक विचाराधीन योजनाओं को धन की उपलब्धि के अनुसार ही स्वीकृत किया जा सकेगा।

( सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई )

## परिशिष्ट–4

( अतारांकित प्रश्न संख्या 23 की सूची )

वर्ष 1973-74 में खरीफ व रबी में विभिन्न स्रोतों से निम्नलिखित उर्वरक प्राप्त होने का अनुमान है:—

| क्र. सं. | नाम | उर्वरक की मात्रा टनों में | | पोटाश |
|---|---|---|---|---|
| | | नत्रजन | फास्फेटिक | |
| 1. | पूल से | 44,563 | 12,279 | — |
| 2. | श्रीराम केमिकल इन्डस्ट्रीज, कोटा | 29,579 | 1,860 | — |
| 3. | गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर कं०, बड़ौदा | 5,800 | — | — |
| 4. | इण्डियन एक्सप्लोसिव लि०, कानपुर | 980 | — | — |
| 5. | फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लि०, नांगल | 4.600 | — | — |
| 6. | हिन्दुस्तान जिंक लि०, उदयपुर | — | 1,780 | — |
| 7. | धर्मसी मुरारजी केमिकल कं०, बम्बई | — | 568 | — |
| 8. | इण्डियन पोटाश लि०, मद्रास | — | — | 6136 |
| | कुल योग.... | 85,313 | 16,487 | 6,136 |

144



**Statement showing the actual distribution of Fertilizers in the districts during 1973-74**

**(Kharif and Rabi)**

| Sl. N. | Districts | Nitrogenous fertilizer (N) | Phosphetic fertilizer (P) | Muriate of Potash (K) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajmer | 1192 | 203 | 38 |
| 2. | Alwar | 3313 | 561 | 262 |
| 3. | Bharatpur | 2314 | 434 | 63 |
| 4. | Jaipur | 3577 | 982 | 420 |
| 5. | Sikar-Jhunjhunu | 1309 | 246 | — |
| 6. | Sawai-Madhopur | 1844 | 373 | 421 |
| 7. | Tonk | 802 | 218 | 68 |
| 8. | Sri Ganga Nagar | 12139 | 1923 | 743 |
| 9. | Bikaner-Churu | 64 | 14 | — |
| 10 | Jalore-Barmer | 609 | 74 | — |
| 11. | Jodhpur-Jaisalmer | 1177 | 140 | — |
| 12. | Nagaur | 669 | 91 | — |
| 13. | Pali | 2133 | 312 | — |
| 14. | Sirohi | 833 | 122 | — |
| 15, | Bundi | 3987 | 1297 | 134 |
| 16. | Jhalawar | 1024 | 528 | 20 |
| 17. | Kota | 8829 | 2726 | 1644 |
| 18. | Banswara | 887 | 119 | 81 |
| 19. | Bhilwara | 3115 | 439 | 200 |
| 20. | Chittorgarh | 3399 | 2315 | 274 |
| 21. | Dungarpur | 549 | 58 | — |
| 22. | Udaipur | 2105 | 556 | 268 |
| | Others | — | — | 138 |
| | Total.... | 55870 | 13656 | 4774 |

# Page No 145

145



## परिशिष्ट–5

( अतारांकित प्रश्न संख्या 25 की सूची )

राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम द्वारा स्थापित कराए गए
कृषि सेवा केन्द्रों की सूची

| क्र० सं० | जिला | पंचायत समिति | अभियंता का नाम |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | अजमेर | किशनगढ़ | श्री ए. के. खट्टर |
| 2. | ,, | श्रीनगर | श्री पी. पी. गर्ग |
| 3. | ,, | अरिवान | एल. एन. तोसनीवाल |
| 4. | ,, | पीसांगन | के. जी. माहेश्वरी |
| 5. | ,, | केकड़ी | वी. के. टांक |
| 6. | अलवर | खैरथल | आर. एन शर्मा |
| 7. | ,, | किशनगढ़ वास | नवीन शर्मा |
| 8. | ,, | अलवर | वी. एस. गुप्ता |
| 9. | ,, | अलवर | वी. के. शर्मा |
| 10. | ,, | अलवर | एस. के. पांडे |
| 11. | ,, | गोविंदगढ़ | बी. एल. पाराशर |
| 12. | ,, | बहरोड़ | एस. एस. माथुर |
| 13. | भरतपुर | भरतपुर | पी. डी. गुप्ता |
| 14. | ,, | भरतपुर | दलीपसिंह |
| 15. | ,, | धौलपुर | एम. सी. गोगुना |
| 16. | ,, | धौलपुर | आर. एस. चौहान |
| 17. | भीलवाड़ा | भीलवाड़ा | बी. एल. पानगड़िया |
| 18. | ,, | भीलवाड़ा | बी. के. भूतड़ा |
| 19. | ,, | सुवाना | एम. के. बधेरा |
| 20. | ,, | मांडल | एस. एस. कवेरिया |
| 21. | ,, | कोटड़ी | एम. एम. भगत |
| 22 | बून्दी | केशोरायपाटन | एन. के. सक्सैना |
| 23. | ,, | केशोरायपाटन | सीताराम |
| 24. | ,, | तालेड़ा | एम. के. शर्मा |
| 25. | ,, | बून्दी | एच. एस. पारीक |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 26. | बून्दी | बून्दी | के. एल. ग्यानानी |
| 27. | चित्तौड़गढ़ | चित्तौड़गढ़ | एस. एल. जायसवाल |
| 28. | ,, | चित्तौड़गढ़ | आर. एम. तोशनीवाल |
| 29. | ,, | निम्बाहेड़ा | पी. एल. शर्मा |
| 30. | जयपुर | जयपुर | एच. सी. शर्मा |
| 31. | ,, | जयपुर | एस. सी. गुप्ता |
| 32. | ,, | जयपुर | एल. एल. खन्ना |
| 33. | ,, | जयपुर | एम. के. शर्मा |
| 34. | ,, | जयपुर | एस. के. नागपाल |
| 35. | ,, | झोटवाड़ा | आर. सी. गुप्ता |
| 36. | ,, | जयपुर | रोहित मालवदा |
| 37. | ,, | जमवारामगढ़ | एस. के. छाबड़ा |
| 38. | ,, | आमेर | जी. डी. खंडेलवाल |
| 39. | ,, | गोविंदगढ़ | एम. एल. राय |
| 40. | ,, | चौमूं | बी. के. राव |
| 41. | ,, | सांगानेर | आर. एल. जैन |
| 42. | ,, | दोसा | ओ. पी. सोनी |
| 43. | ,, | बस्सी | अहमद-उफ-हक |
| 44. | ,, | सांगानेर | एल. एल. श्रीवास्तव |
| 45. | ,, | आमेर | एस. एस. खंडेलवाल |
| 46. | ,, | सांभर | जे. के. शर्मा |
| 47. | ,, | श्यानोता | एस. के. गुलाटी |
| 48. | ,, | शाहपुरा | ओ. पी. दंडिया |
| 49. | ,, | दौसा | पी. सी. जैन |
| 50. | ,, | चौमूं | ए. के. शारदा |
| 51. | ,, | जमवारामगढ़ | एम. पी. घोर |
| 52. | ,, | गोनेर | आर. पी. शर्मा |
| 53. | ,, | बगरू | रमेशचन्द्र |
| 54. | ,, | दूदू | जे. के. मोटवानी |
| 55. | ,, | बांदीकुई | के. डी. शर्मा |
| 56. | ,, | जयपुर | जे. के. शर्मा |
| 57. | ,, | जयपुर | जे. के. शर्मा |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 58. | जयपुर | जयपुर | प्रकाशचन्द्र |
| 59. | ,, | जयपुर | एस. के. चावला |
| 60. | जोधपुर | जोधपुर | बी. आर. चंडक |
| 61. | ,, | मथानिया | ऐल. एम. सूद |
| 62. | ,, | बिलारा | एम. एस. गहलोत |
| 63. | ,, | मंडोर | एन. डी. ठाकर |
| 64. | ,, | जोधपुर | बी. के. पुरोहित |
| 65. | झालावाड़ | झालावाड़ | एल. एल. पंचोली |
| 66. | जालोर | जालोर | जे. के. बंसल |
| 67. | ,, | भीनमाल | जे. आर. विश्नोई |
| 68. | ,, | आहोर | पी. के. गुप्ता |
| 69. | कोटा | कोटा | ओ. पी. माथुर |
| 70. | ,, | कोटा | जी. एल. अग्रवाल |
| 71. | ,, | कोटा | के. सी. जैन |
| 72. | ,, | बारां | एम. सी. कटंधान |
| 73. | ,, | बारां | बी. के. जैन |
| 74. | ,, | अंता | एन. एल. नागर |
| 75. | ,, | कोटा | यू. सी. जौहरी |
| 76. | ,, | सुल्तानपुर | एम. के. त्रिपाठी |
| 77. | नागौर | नागौर | एम. एम. अग्रवाल |
| 78. | ,, | मेड़ता सिटी | आर. आर. चौधरी |
| 79. | पाली | पाली | सी. एल. कोठारी |
| 80. | ,, | फालना | बी. सी. जैन |
| 81. | ,, | सुमेरपुर | ओ. पी. व्यास |
| 82. | ,, | सुमेरपुर | एम. एम. जैन |
| 83. | सिरोही | शिवगंज | जे. एल. गहलोत |
| 84. | ,, | शिवगंज | ए. सी. गहलोत |
| 85. | ,, | रेवदर | एम. आर. मिस्त्री |
| 86. | सीकर | सीकर | जे. पी. पारीक |
| 87. | ,, | नीम का थाना | एम. एम. सैनी |
| 88. | ,, | नीम का थाना | बी. के. शर्मा |
| 89. | सवाई माधोपुर | सवाई माधोपुर | एम. एम. राणावत |

148



| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 90. | सवाई माधोपुर | गंगापुर सिटी | एम. एम. शर्मा |
| 91. | " | हिंडौन | एम. सी. जैन |
| 92. | श्री गंगानगर | श्री गंगानगर | एच. सी. गोयल |
| 93. | " | श्री गंगानगर | अमरजीतसिंह |
| 94. | " | हनुमानगढ़ | राजेन्द्रप्रसाद |
| 95. | " | हनुमानगढ़ | जे. पी. स्वामी |
| 96. | " | रायसिंहनगर | आई. सी. राठो |
| 97. | " | रायसिंहनगर | टी. के. शर्मा |
| 98. | " | विजयनगर | जी. एल. तंवर |
| 99. | " | सूरजगढ़ | जी. के.जैन |
| 100. | " | पदमपुर | मदनलाल |
| 101. | " | सांगरिया | बी. आर. सीमवाल |
| 102. | " | पीली बंगा | एस. के. शर्मा |
| 103. | " | हनुमानगढ़ | एस. के. खंडेलवाल |
| 104. | " | सांगरिया | डूंगरसिंह |
| 105. | " | सुरपावली | एस. सहारन |
| 106. | " | टौंक | चैतनकुमार |
| 107. | " | देवली | पी. सी. जैन |
| 108. | " | मालपुरा | एस. सी. कासलीवाल |
| 109. | उदयपुर | उदयपुर | के. के. सनाढ्य |
| 110. | " | राजसमंद | बी. एस. सोनी |
| 111. | " | रेल मगरा | जी. एल. सोनी |

## परिशिष्ट–6

( अतारांकित प्रश्न संख्या 26 की सूची )

1 जनवरी, 64 से 31 दिसम्बर, सन् 1973 तक संघर्ष साप्ताहिक समाचार-पत्र, झालरापाटन, जिला झालावाड़ के विज्ञापन हेतु दिये गये रुपयों का वर्षवार विवरण ।

नगरपालिका, झालावाड़

| वर्ष | विज्ञापन हेतु दी गई राशि |
|---|---|
| 1965–66 | 96–00 |
| 1969–70 | 72–00 |
| 1970–71 | 125–00 |
| 1971–72 | 125–00 |
| 1972–73 | 240–00 |
| | 658–00 |

नगरपालिका, भवानीमण्डी

| | |
|---|---|
| 1966 | 24–00 |
| 1967 | 32–00 |
| 1968 | 52–00 |
| 1969 | 78–00 |
| 1970 | 668–65 |
| 1971 | 586–00 |
| 1972 | 899–05 |
| 1973 | 506–75 |
| | 2846–45 |

नगरपालिका, सुनेल

| | |
|---|---|
| 1972 | 78–00 |

(150)



झालरापाटन

| | |
|---|---|
| 1964 | 75–00 |
| 1972 | 30–00 |
| | 105–00 |

151

# शुद्धि-पत्र

मंगलवार, दिनांक 5 मार्च, 1974

| स्कम्भ संख्या | पंक्ति संख्या | अशुद्धि | शुद्धि |
|---|---|---|---|
| 1 | ऊपर से 3 | मभा | सभा |
| 3 | नीचे से 5 | हुआ | हुआ है |
| 14 | नीचे से 4 | ईग | गई |
| 15 | नीचे से 2, 8 व 14 | मूलचन्द | मूलचन्द मीणा |
| 23 | ऊपर से 1 | विजयसिंह | विजयसिंह राठौड़ |
| 77 | ऊपर से 6 | जिन | जिस |
| 80 | ऊपर से 15 | 02 | 20 |
| 193 | नीचे से 8 | हमने | — |
| 194 | ऊपर से 7 | से | — |
| " | ऊपर से 9 | उनको | वे |
| " | ऊपर से 11 | सस्ते | सस्ता |
| " | नीचे से 11 | लेवी | लेवी को |
| 195 | ऊपर से 11 | करते | करते हैं |
| 198 | ऊपर से 12 | हम | — |
| 198 | ऊपर से 16 | लेकिन | लेकिन-उन्हें |
| 199 | नीचे से 8 | उसका | — |
| 203 | ऊपर से 9 | लोग | लोग हैं |
| 209 | ऊपर से 8 | में | — |
| 210 | नीचे से 16 | तो | — |
| 216 | नीचे से 17 | उसमें एक | उसमें एक-एक |
| 219 | ऊपर से 1 | — | (श्री भगराज चौधरी) |
| 219 | नीचे से 19 | उत्पादन | उत्पादक |
| 223 | नीचे से 15 | सत्य | सत्र |